

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाई देसाई
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-१४

© नवजीवन ट्रस्ट, १९५६

पहली आवृत्ति ३०००, १९५६
पुनर्मुद्रण ३०००

रु. २.५०

अगस्त, १९६४

प्रकाशकका निवेदन

गुजरातके और सारे भारतके एक श्रेष्ठ मौलिक विचारक, चिन्तक और लेखक स्व० श्री किशोरलाल मगरुवालाकी सर्वोत्तम रचना 'जीवन-गोधन' के बाद हमे अपने हिन्दी पाठकोंके सामने उनकी यह दूसरी उतनी ही मौलिक और क्रान्तिकारी रचना 'ससार और वर्म' प्रस्तुत करते हुए बड़ा हर्ष होता है। श्री केदारनाथजी द्वारा 'जीवन-गोधन' के बारेमें कहे हुए ये गद्व इस पुस्तकके विषयमें भी सोलहो आने सत्य हैं । "इस पुस्तकमें विवेक, सत्त्व-सगुद्धि, प्रामाणिकता, सत्यज्ञानके लिए उत्कठा, समाजके हित-साधनकी भावना, कर्तव्य-पालन, सयम, निष्कामता, पवित्रता आदि दैवी गुणोंके उत्कर्प पर बहुत भार दिया गया है ।"

पुस्तकमें स्व० किशोरलालभाईके समय-समय पर लिखे गये लेखों और कुछ भापणोंका सम्रह किया गया है। कुछ लेख तो लेखकने हिन्दीमें ही लिखे थे, जो 'सर्वोदय', 'हरिजनसेवक' वगैरा हिन्दी पत्रोंसे ही लिये गये हैं ।

पुस्तककी विशेषताके बारेमें प० मुखलालजीने अपनी 'विचार-कणिका'में विस्तारसे चर्चा की है। उसमें एक स्थान पर वे लिखते हैं : "ये लेख इतने गभीर और सूक्ष्म चिन्तनसे ओतप्रोत हैं कि उन्हें जितनी बार पढ़ा जाय उतनी ही बार (यदि पाठक जिज्ञासु और समझदार हो तो) उनमें नवीनताका अनुभव होता है। और आवरणके स्थूल स्तरोंके दूर होते ही एक प्रकारकी चैतसिक जागृति अनुभव होती है ।"

इस पुस्तकका गुजरातीसे हिन्दी अनुवाद श्री महेन्द्रकुमार जैनने किया है। सारा अनुवाद और मूल हिन्दी लेख श्री किशोरलालभाई स्वयं देख गये हैं और उनमें कुछ सगोधन और परिवर्धन भी उन्होंने किये हैं ।

विषय-प्रतिपादनकी दृष्टिसे सारी पुस्तकके प्रूफ श्री रमणीकलाल-भाई मोदी भी देख गये हैं। उन्होंने यहा-वहा जो कीमती सुवार सुझाये, उनके लिए हम श्री रमणीकलालभाईके आभारी हैं ।

प्रस्तावना

इस पुस्तकका लेखक यदि मैं अकेला ही माना जाऊ, तो केवल निमित्त-कारणके अर्थमें ही। गुरुदेव परम पूज्य नाथजीने इसका 'पूर्ति' नामक भाग लिखकर इसके अलग-अलग लेखोको न केवल एक सूत्रमें गूथ दिया है, परन्तु उनमें पूर्णता भी ला दी है। और आदरणीय पडित सुखलालजीने अपनी 'विचार-कणिका' द्वारा उन्हे विशद और स्पष्ट किया है। इन विचारोमें जो भी विशिष्टता होगी उसका अधिकाश श्रेय पूज्य नाथजीको ही है। जिस समय मैं 'सत्य क्या है?' की शोधमें लगा हुआ था और 'किस मार्गकी ओर जाना' की उलझनमें फसा हुआ था, उस समय उन्होने मुझे विचारोके अटपटे गली-कूचोंसे वाहर निकालकर विचारोके सीधे मार्ग पर लगा दिया था। उससे जो परिणाम उत्पन्न होते गये, उन्हे मैं समय-समय पर जनताके सामने रखता रहा हू।

जैसा कि पडितजीने अपनी 'विचार-कणिका'में बताया है इस पुस्तकके बहुतसे लेख पहले (गुजराती और हिन्दी पत्र-पत्रिकाओमें) प्रकाशित हो चुके हैं। परन्तु पुस्तकके रूपमें प्रकाशित करते समय अपने विचारो और भाषाको फिरसे जाचनेकी और आवश्यक लगे तो उनमें सुधार करनेकी मेरी साधारण आदत रही है। इस प्रकार कुछ पुराने लेखोमें भी कही-कही छोटे-मोटे परिवर्तन मैने किये हैं।

इस पुस्तककी पाडुलिपि तैयार करने तथा प्रूफ सुधारनेका भार श्री रमणीकलाल मोदीने अपने सिर लेकर मेरा काम बहुत हल्का कर दिया है। नवजीवन कार्यालयके प्रूफ पढ़नेवालोकी सहायता तो सदा ही मिलती रही है। इस तरह अनेक लोगोके सहयोगसे इस 'ससार और धर्म' पुस्तककी उत्पत्ति हुई है। और इसमें 'ईश्वर' तो अदृश्य रूपसे बीचमें रहा ही है। यही जीवनका नियम अथवा सत्य भी है। इन सबका मैं क्रृष्णी हू।*

· वर्धा, ८-४-'४८

कि० घ० सशरूबाला

* मूल गुजराती पुस्तककी प्रस्तावना।

विचार-कणिका

प्रस्तुत पुस्तकमें अनेक लेखोंका सग्रह है। इसमें श्रद्धेय मगरूवालाके तीस और पूज्य नाथजीके तीन — इस तरह कुल तैतीस लेख हैं। तीन खण्डोंमें वटे हुए तीस लेखोंमें से तेईस लेख, तो अलग अलग समयमें विभिन्न पत्र-पत्रिकाओंमें प्रकाशित हो चुके हैं, जब कि सात लेख इसमें पहली ही बार प्रकाशित हो रहे हैं। चौथे खड़में श्री नाथजीकी पूर्तिके रूपमें दिये हुए अंतिम तीन लेख भी पहली बार ही प्रकाशित हो रहे हैं। यद्यपि इस मग्नहके तेईस लेख दूसरी बार प्रकाशित हो रहे हैं, फिर भी जिन्होंने ये लेख पढ़े होगे उनके लिए भी इनकी नवीनता विलकुल कम नहीं होगी, ऐसा मैं अपने अनुभवसे कह सकता हूँ। लेख इतने गभीर तथा सूक्ष्म चिन्तनसे परिपूर्ण हैं कि उन्हे जितनी बार पढ़ा जाय उतनी ही बार (यदि पढ़नेवाला जिज्ञासु और समझदार हो तो) उनमें नवीनताका अनुभव होता है, और आवरणके स्थूल स्तरोंके दूर होते ही एक तरहकी चैतसिक जागृतिका अनुभव होता है। इसलिए वस्तुत सारा सग्रह नया ही है। कई लोग एक बार प्रकाशित हुए और पढ़े हुए लेखोंको पुराने और वासी मानकर उनकी अपेक्षा करते हैं। उनकी यह मनोवृत्ति विलकुल गलत तो नहीं है। परन्तु ये सब लेख ऐसे हैं, जो प्रात कालीन सूर्यकी तरह नित-नये लगनेवाले हैं।

गुजरातमें कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, जो श्री किंचोरलालभाईको न जानता हो। गुजरातके बाहर भी सब प्रान्तोंमें उनका नाम थोड़े-बहुत भग्नमें प्रसिद्ध है। इसका मूल कारण उनके अनेक भाषाओंमें लिखे हुए और अनुवादित लेखोंका पठन-पाठन है। और कुछ व्यक्तियों द्वारा सावा हुआ उनका प्रत्यक्ष समागम भी है। पूर्वों नाथजीको जाननेवाला वर्ग अपेक्षाकृत छोटा है, क्योंकि उन्होंने बहुत कम लिखा है। और जो कुछ लिखा है वह भी पूरा प्रकाशित

नहीं हुआ है। * फिर भी जो वर्ग उन्हे जानता है, वह बिलकुल छोटा या साधारण कोटिका नहीं है। जो व्यक्ति पूर्ण नाथजीके प्रत्यक्ष परिचयमें नहीं आया है, वह उनके सूक्ष्म, स्पष्ट, सयुक्तिक और मानवतापूर्ण विचारोंकी कल्पना ही नहीं कर सकता।

तत्त्वके तलस्पर्शी चित्तन, जीवनके स्व-पर-लक्षी शोधन और मानवताकी सेवाके एक ही रगसे रगे हुए गुरु-शिष्यकी यह जोड़ी जो कुछ लिखती या बोलती है, वह अनुभवसिद्ध होनेके कारण प्रत्यक्ष कोटिका होता है। इसकी प्रतीति इस सग्रहके लेख पढ़नेवाले व्यक्तिको हुए बिना नहीं रहेगी। मैंने प्रस्तुत लेखोंको एकाग्रतापूर्वक एकसे अधिक बार सुना है और कुछ अन्य सुप्रसिद्ध भारतीय तत्त्वचित्तकोंके लेख भी सुने हैं। जब मैं तटस्थ भावसे ऐसे चित्तन-प्रधान लेखोंकी तुलना करता हूँ, तब मुझे निश्चक रूपसे ऐसा लगता है कि इतना और ऐसा कान्तिकारी, सचोट और मौलिक विचार करनेवाले लोग भारतवर्षमें बिरले ही हैं।

सारे सग्रहको सुनने पर और उसके ऊपर अलग-अलग दृष्टिसे विचार करने पर मुझे इसकी अनेक प्रकारकी उपयोगिता मालूम हुई है। जहा देखो वहां साम्प्रदायिक और असाम्प्रदायिक मानसवाले सभी समझदार लोगोंकी यह माग है कि नयी पीढ़ीको तत्त्व और धर्मके सच्चे और अच्छे सस्कार देनेवाली ऐसी कोई पुस्तक शिक्षण-क्रममें होनी चाहिये, जो नवयुगके निर्माणका स्पर्श करनेके साथ ही प्राचीन प्रणालि-काओंका रहस्य भी समझाती हो। जहा तक मैं जानता हूँ, केवल गुजरातमें ही नहीं बल्कि गुजरातके बाहर भी इस मागको भली-भाति पूरा करनेवाली इसके जैसी दूसरी कोई पुस्तक नहीं है। किसी सप्रदायका विद्यालय या छात्रालय हो, असाम्प्रदायिक कहे जा सकनेवाले आश्रम हो या सरकारी अथवा गैरसरकारी शिक्षण-संस्थाएं हो — सर्वत्र उच्च कक्षाके विद्यार्थियोंको, उनकी योग्यताको ध्यानमें रखकर,

* श्री नाथजी (केदारनाथजी) की 'विवेक और साधना', 'विचार-दर्शन : भाग १' तथा 'विचार-दर्शन भाग २' पुस्तके हिन्दीमें नवजीवनसे प्रकाशित हो चुकी है।

इस संग्रहमें से अमुक लेख समझाये जाय, तो मैं मानता हूँ कि उन्हें अपनी मातृभाषामें तत्त्व और धर्मका सच्चा व्यापक ज्ञान मिलेगा और सदियों पुरानी परम्परागत ग्रथियोंका भेद भी खुल जायगा। विद्यार्थियोंके अलावा शिक्षकों और प्राव्यापकोंके लिए भी इस संग्रहमें इतनी अधिक विचारप्रेरक और जीवनप्रद सामग्री है कि वे यह पुस्तक पढ़कर अपने साक्षर जीवनकी केवल कृतार्थता ही अनुभव नहीं करेंगे, बल्कि अनेक व्यावहारिक, धार्मिक और तात्त्विक प्रश्नोंके सवधमें नये दृष्टिकोणसे विचार करना गुरु करेंगे तथा साक्षर जीवनके उस पार भी कुछ प्रजागम्य विश्व है ऐसी प्रतीति होनेसे अधिक विनम्र और अधिक गोवक बननेका प्रयत्न करेंगे। विद्यार्थियों और प्राव्यापकोंसे सिवा भी ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है, जो तत्त्व और धर्मके प्रश्न समझनेमें हमेगा गहरा रस लेता है। ये लोग तत्त्व और धर्मके नामसे मिलनेवाले कैसे भी रुद्धिगत शिक्षण और प्रवाहमें वहते रहते हैं और केवल उतनेसे ही सतोप मान लेते हैं। अत. वे यह नहीं समझ पाते कि हमारी समझमें कहा भूल है, कहा कहा उलझने हैं और कहा कहा अन्विश्वासका राज्य है। उनके लिए तो यह सग्रह नेत्रांजन-शलाकाका काम करेगा, ऐसा मैं निश्चित रूपसे मानता हूँ। विभिन्न भाषाओंमें एक या अनेक वर्मोंका अथवा एक सम्प्रदाय या अनेक सप्रदायोंके तत्त्वज्ञानका गिक्षण देनेमें मदद पहुँचानेवाली अनेक पुस्तकें हैं। परतु ज्यादातर वे सब प्रणालिकाओं या मान्यताओंका ही वर्णन करती हैं। शायद ही ऐसी कोई पुस्तक देखनेमें आयेगी, जिसमें इतनी गभीरता और इतनी निर्भयता तथा सत्यनिष्ठासे तत्त्व और धर्मके प्रश्नोंके विषयमें ऐसा परीक्षण और सशोधन हुआ हो। एक और जिसमें किसी भी पथ, किसी भी परपरा या किसी भी शास्त्र-विगेषके विषयमें अविचारी आग्रह न रखा गया हो और दूसरी ओर पुराने या नये आचार-विचारके प्रवाहोंमें से जीवनस्पर्गी सत्य खोज निकाला गया हो, ऐसी मेरी जानकारीमें यह पहली ही पुस्तक है। इसलिए किसी भी क्षेत्रके योग्य अधिकारीसे मैं यह पुस्तक बार बार पढ़नेकी सिफारिश करता हूँ तथा गिक्षण-कार्यमें रस लेनेवालोंसे कहता हूँ कि वे चाहे जिस सप्रदाय

या पंथके हो, तो भी इसमे वताई हुई विचारसरणीको समझकर वे अपनी मान्यताओ और स्कारोकी परीक्षा करें।

वैसे तो इस सग्रहका प्रत्येक लेख गहन है। परन्तु कुछ लेख तो ऐसे हैं जो बड़े बड़े विद्वान या विचारककी भी बुद्धि और समझकी पूरी कसौटी करते हैं। लेखोके विषय विविध हैं। दृष्टिविदु भी अनेक प्रकारके हैं। समालोचना मूलगामी है। इसलिए सारी पुस्तकका रहस्य तो उन उन लेखोको पढ़ कर या उन पर विचार करके ही जाना जा सकता है। फिर भी दोनो लेखकोके प्रत्यक्ष परिचयसे और इस पुस्तकके वाचनसे उनकी जिस विचारसरणीको मैं समझा हूँ और जिसने मेरे मन पर गहरी छाप डाली है, उससे सम्बन्ध रखनेवाले कुछ मुद्रोकी मैं अपनी समझके अनुसार यहा चर्चा करता हूँ। इन मुद्रोकी दोनोके लेखोमे भी एक या दूसरी तरहसे चर्चा की गई है। वे मुद्रे ये हैं।

१. धर्म और तत्त्व-चिन्तनकी दिशा एक हो, तभी दोनो सार्थक बनते हैं।

२ कर्म और उसके फलका नियम केवल वैयक्तिक ही नहीं बल्कि सामूहिक भी है।

३ मुक्ति कर्मके विच्छेदमे या चित्तके विलयमे नहीं, परन्तु दोनोकी उत्तरोत्तर शुद्धिमे है।

४ मानवताके सद्गुणोकी रक्षा, पुष्टि और वृद्धि ही जीवनका परम ध्येय है।

(१) तत्त्वज्ञानका अर्थ है सत्य-शोधनके प्रयत्नसे फलित हुए तथा फलित होनेवाले सिद्धात। धर्मका अर्थ है ऐसे सिद्धातोके अनुसार ही बना हुआ वैयक्तिक तथा सामूहिक जीवन-व्यवहार। यह सत्य है कि एक ही व्यक्ति या समूहकी योग्यता तथा शक्ति हमेशा एकसी नहीं रहती, इसलिए भूमिका तथा अधिकार-भेदके अनुसार धर्ममे अन्तर रहनेवाला है। इतना ही नहीं, धर्मचिरण अधिक पुरुषार्थकी अपेक्षा रखता है, इसलिए वह गतिमे तत्त्वज्ञानके पीछे भी रहेगा। किन्तु यदि इन दोनोकी दिशा ही मूलमे अलग हो, तो तत्त्वज्ञान चाहे जितना गहरा और चाहे जितना सच्चा हो, फिर भी धर्म उसके प्रकाशसे वचित ही-

रहेगा और परिणाम-स्वरूप समानताका विकास हुकेगा। धर्मको जीवनमें उत्तरे विना तत्त्वज्ञानकी शुद्धि, वृद्धि और परिपाक असभव है। इसी प्रकार तत्त्वज्ञानके आलवनसे रहित धर्म जड़ता तथा अधिविश्वाससे मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए दोनोंमें दिशाभेद होना धातक है। इस वस्तुको एक ऐतिहासिक दृष्टान्तसे समझना सरल होगा। भारतीय तत्त्वज्ञानके तीन युग स्पष्ट हैं। पहला युग आत्म-वैष्पम्यके सिद्धातका, दूसरा बात्म-समानताके सिद्धातका और तीसरा आत्माद्वैतके सिद्धातका। पहले सिद्धातके अनुसार ऐसा माना जाता था कि हरएक जीव मूलमें समान नहीं है। हरएक जीव अपने कर्मके अवीन हैं। और हरएक जीवके कर्म विषय तथा बहुत बार एक-दूसरेके विरुद्ध होते हैं, इसलिए उनके अनुसार ही जीवकी स्थिति और उसका विकास हो सकता है। ऐसी मान्यताके कारण ब्राह्मण-कालके जन्मसिद्ध धर्म और सस्कार निश्चित हुए हैं। इसमें किसी एक वर्गका अधिकारी अपनी कक्षामें रहकर ही विकास कर सकता है, परन्तु इस कक्षाके बाहर जाकर वर्णश्रिम-धर्मका आचरण नहीं कर सकता। इन्द्रपद या राज्यपद प्राप्त करनेके लिए अमुक धर्मका आचरण करना चाहिये, परन्तु हर मनुष्य उस धर्मका आचरण नहीं कर सकता तथा हर मनुष्य उसका आचरण करा भी नहीं सकता। इसका अर्थ यही हुआ कि कर्मकृत वैष्पम्य स्वाभाविक है और जीवगत समानता हो तो भी, वह व्यवहार्य नहीं है। आत्म-समानताके दूसरे सिद्धातके अनुसार वना हुआ आचार इससे विलकुल उलटा है। उसमें चाहे जिस अधिकारी और जिज्ञासुको चाहे जैसे कर्म-सस्कारके द्वारा विकास करनेकी छूट है। उसमें आत्मौपम्य-मूलक अहिंसा-प्रवान यम-नियमोके आचरण पर ही भार दिया जाता है। कर्मकृत वैष्पम्यकी उसमें अवगणना नहीं है, परन्तु समानता-सिद्धिके प्रयत्नसे उसे दूर करने पर ही भार दिया जाता है। आत्माद्वैतका सिद्धात तो समानताके सिद्धातसे भी आगे जाता है। उसमें व्यक्ति-व्यक्तिके बीच किसी भी तरहका कोई वास्तविक भेद नहीं माना जाता। उस अद्वैतमें तो समानताका व्यक्तिभेद भी मिट जाता है। इसलिए इस सिद्धातमें कर्म-सस्कार-जन्म वैष्पम्य न सिर्फ दूर करने योग्य

ही माना जाता है, वल्कि सर्वथा काल्पनिक माना जाता है। परन्तु हम देखते हैं कि आत्म-समानता और आत्माद्वैतके सिद्धातको कटूरतासे मानने-वाले भी जीवनमे कर्म-वैषम्यको ही स्वाभाविक और अनिवार्य मानकर व्यवहार करते हैं। इसलिए आत्म-समानताके अनन्य समर्थक जैन तथा ऐसे दूसरे पथ जातिगत ऊच-नीच भावको मानो शाश्वत मानकर ही व्यवहार करते दिखाई देते हैं। उसके कारण समाजमे स्पर्गस्पर्शका धातक विष फैल जाने पर भी वे इस अमसे मुक्त नहीं होते। उनका सिद्धात एक दिशामे जाता है और धर्म — जीवन-व्यवहार — की गाड़ी दूसरी दिशामे जाती है। यही स्थिति अद्वैत सिद्धातको माननेवालोंकी है। वे द्वैतका कटूर विरोध करते हुए बाते तो अद्वैतकी करते हैं, लेकिन आचरण सन्यासी तकका द्वैत तथा कर्म-वैषम्यके अनुसार ही होता है। परिणाममे हम देखते हैं कि तत्त्वज्ञानका अद्वैत तक विकास होने पर भी उससे भारतीय जीवनको कोई लाभ नहीं हुआ। उलटे, वह आचरणकी दुनियामे फसकर छिन्न-भिन्न हो गया है। यह एक ही दृष्टान्त तत्त्वज्ञान और धर्मकी दिशा एक होनेकी आवश्यकता सिद्ध करनेके लिए पर्याप्त है।

(२) अच्छी-बुरी स्थिति, चढ़ती-उत्तरती कला और सुख-दुखकी सार्वनिक विषमताका पूरा स्पष्टीकरण केवल ईश्वरवाद या ब्रह्मवादमे मिल ही नहीं सकता था। इसलिए कैसा भी प्रगतिशील वाद स्वीकार करनेके बावजूद स्वाभाविक रूपमे ही परपरासे चला आनेवाला वैयक्तिक कर्मफलका सिद्धात अधिकाधिक दृढ़ होता गया। ‘जो करता है वही भोगता है’, ‘हरएकका नसीब अलग है’, ‘जो बोता है वह काटता है’, ‘काटनेवाला और फल चखनेवाला एक हो और बोनेवाला दूसरा हो यह बात असभव है’ — ऐसे ऐसे खर्याल केवल वैयक्तिक कर्मफलके सिद्धात पर ही रुढ़ हुए हैं। और सामान्यतः उन्होने प्रजा-जीवनके हर क्षेत्रमे इतनी गहरी जड़ें जमा ली हैं कि अगर कोई यह कहे कि किसी व्यक्तिका कर्म केवल उसीमे फल या परिणाम उत्पन्न नहीं करता, परन्तु उसका असर उस कर्म करनेवाले व्यक्तिके सिवा सामूहिक जीवनमे भी जात-अज्ञात रूपसे फैलता है, तो वह कथन समझदार माने जानेवाले वर्गको भी चौका देता है। और हरएक सम्प्र-

दायके विद्वान् या विचारक इसके विरुद्ध शास्त्रीय प्रमाणोंका ढेर लगा देते हैं। इस कारणसे कर्मफलका नियम वैयक्तिक होनेके साथ ही सामूहिक भी है या नहीं, यदि न हो तो किस किस तरहकी असगतिया और अनुपपत्तिया खड़ी होती है और यदि हो तो उसी दृष्टिसे समग्र मानव-जीवनका व्यवहार व्यवस्थित होना चाहिये या नहीं, इस विषयमें कोई गहरा विचार करनेके लिए रुकता नहीं है। सामूहिक कर्मफलके नियमकी दृष्टिसे रहित कर्मफलके नियमने मानव-जीवनके इतिहासमें आज तक कीन कीनसी कठिनाइया खड़ी की है और किस दृष्टिसे कर्मफलका नियम स्वीकार करके तथा उसके अनुसार जीवन-व्यवहार बनाकर वे कठिनाइया दूर की जा सकती हैं, इस बात पर इन दो लेखकोंको छोड़कर किसी दूसरेने इतना गहरा विचार किया हो तो मैं नहीं जानता। कोई एक भी प्राणी दुखी हो, तो मेरा सुखी होना असभव है, जब तक जगत् दुखमुक्त नहीं होता, तब तक अरसिक मोक्षसे क्या लाभ?— इस विचारकी महायान भावना वौद्ध परपरामें उदय हुई थी। इसी तरह हरएक सम्प्रदाय समग्र जगत्के क्षेम-कल्याणकी प्रार्थना करता है और सारे जगत्के साथ मैत्री करनेकी ब्रह्मवार्ता भी करता है। परन्तु यह महायान भावना या ब्रह्मवार्ता अतमें वैयक्तिक कर्मफल-वादके दृढ़ स्वकारके साथ टकराकर जीवन जीनेमें ज्यादा उपयोगी सिद्ध नहीं हुई है। पू० नाथजी और श्री मशरूवाला दोनों कर्मफलके नियमके वारेमें सामूहिक जीवनकी दृष्टिसे विचार करते हैं। मेरे जन्मगत और शास्त्रीय स्वकार वैयक्तिक कर्मफल-वादके होनेसे मैं भी इसी तरह सोचता था। परन्तु जैसे जैसे मैं इस पर गहरा विचार करता गया, वैसे वैसे मुझे लेगने लगा कि कर्मफलका नियम सामूहिक जीवनकी दृष्टिसे ही विचारा जाना चाहिये और सामूहिक जीवनकी जिम्मेदारीके ख्यालसे ही जीवनका हरएक व्यवहार व्यवस्थित किया जाना तथा चलाया जाना चाहिये। जिस समय वैयक्तिक दृष्टिकी प्रधानता हो उस समयके चिन्तक उसी दृष्टिसे अमुक नियमोंकी रचना करे, यह स्वाभाविक है। परन्तु उन नियमोंमें अर्थ-विस्तारकी सभावना ही नहीं है, ऐसा मानना देश-कालकी मर्यादामें सर्वथा जकड़ जाने जैसा है। जब हम

सामूहिक दृष्टिसे कर्मफलका नियम विचारते या घटाते हैं, तब भी वैयक्तिक दृष्टिका लोप तो होता ही नहीं, उलटे सामूहिक जीवनमें वैयक्तिक जीवनके पूर्ण रूपसे समा जानेके कारण वैयक्तिक दृष्टि सामूहिक दृष्टि तक फैलती है और अधिक गुद्ध बनती है। कर्मफलके नियमकी सच्ची आत्मा तो यही है कि कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाता और कोई भी परिणाम कारणके बिना उत्पन्न नहीं होता। जैसा परिणाम होगा वैसा ही उसका कारण भी होना चाहिये। यदि अच्छे परिणामकी इच्छा करनेवाला मनुष्य अच्छे कर्म नहीं करता, तो वह अच्छा परिणाम नहीं पा सकता। कर्मफल-नियमकी यह आत्मा सामूहिक दृष्टिसे कर्मफलका विचार करने पर बिलकुल लोप नहीं होती। केवल वैयक्तिक सीमाके बन्धनसे मुक्त होकर वह जीवन-व्यवहार गढ़नेमें सहायक बनती है। हम आत्म-समानताके सिद्धातके अनुसार विचार करे या आत्माद्वैतके सिद्धातके अनुसार विचार करे, एक बात तो सुनिश्चित है कि कोई भी व्यक्ति समूहसे बिलकुल अलग न तो है और न उससे अलग रह सकता है। एक व्यक्तिके जीवन-इतिहासके लम्बे पट पर नजर दौड़ाकर विचार करे, तो हमें तुरन्त दिखाई देगा कि उसके ऊपर पड़े हुए और पड़नेवाले सस्कारोंमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे दूसरे असर्व्य व्यक्तियोंके सस्कारोंका हाथ है। और वह व्यक्ति जिन सस्कारोंका निर्माण करता है, वे भी केवल उसमें ही मर्यादित न रहकर समूहके अन्य व्यक्तियोंमें प्रत्यक्ष या परम्परासे सचरित होते रहते हैं। वस्तुतः समूह या समष्टिका अर्थ है व्यक्ति या व्यक्तिका सपूर्ण जोड़।

यदि हरएक व्यक्ति अपने कर्म और फलके लिए पूरी तरहसे जिम्मेदार हो और अन्य व्यक्तियोंसे बिलकुल स्वतंत्र होनेसे उसके श्रेय-अश्रेयका विचार केवल उसीके साथ जुड़ा हो, तो सामूहिक जीवनका क्या अर्थ है? क्योंकि बिलकुल अलग, स्वतंत्र और एक-दूसरेके असरसे मुक्त व्यक्तियोंका सामूहिक जीवनमें प्रवेश केवल आकस्मिक ही हो सकता है। यदि ऐसा अनुभव होता हो कि सामूहिक जीवनमें वैयक्तिक जीवन बिलकुल स्वतंत्र रूपसे जिया नहीं जाता, तो तत्त्वज्ञान भी इसी अनुभवके आधार पर कहता है कि व्यक्ति-व्यक्तिके बीच चाहे जितना भेद दिखाई

दे, फिर भी हरएक व्यक्ति किसी ऐसे एक जीवन-मूल्यसे थोतप्रोत है कि उसके द्वारा वे सब व्यक्ति आसपास एक-दूसरेसे जुड़े हुए रहते हैं। यदि ऐसा है तो कर्मफलका नियम भी इसी दृष्टिसे विचारा और लागू किया जाना चाहिये। अभी तक आव्यात्मिक श्रेयका विचार भी हरएक सम्प्रदायने वैयक्तिक दृष्टिसे ही किया है। व्यावहारिक लाभालाभका विचार भी इस दृष्टिके अनुसार ही हुआ है। इस कारणसे जिस सामूहिक जीवनको जिये विना काम चल नहीं सकता, उसे लक्ष्यमें रखकर श्रेय या प्रेयका मूलगत विचार या आचार हो ही नहीं पाया है। कदम कदम पर सामूहिक कल्याणको लक्ष्यमें रखकर बनाई हुई योजनाएं इसी कारणसे या तो नष्ट हो जाती है या कमज़ोर होकर निराशामें बदल जाती है। विश्वगतिका सिद्धात निश्चित तो होता है, परन्तु वादमें उसकी हिमायत करनेवाला हरएक राष्ट्र वैयक्तिक दृष्टिसे ही उस पर विचार करता है। इससे न तो विश्वगति सिद्ध होती है और न राष्ट्रीय समृद्धि स्थिर होती है। यही न्याय हरएक समाज पर भी लागू होता है। अब यदि सामूहिक जीवनकी विगाल और अखण्ड दृष्टिका विकास किया जाय और उसी दृष्टिके अनुसार हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारीकी मर्यादा बढ़ाये, तो उसके हिताहित दूसरोंके हिताहितोंके साथ टकराने न पायेगे। और जहा वैयक्तिक नुकसान दिखाई देता हो वहा भी सामूहिक जीवनके लाभकी दृष्टि उसे सतुष्ट रखेगी। उसका कर्तव्य-श्वेत्र विस्तृत बनेगा और 'उसके मंम्बन्व अविक व्यापक बनने पर वह अपनेमें एक भूमा^{*} के दर्जन करेगा।

(३) दुखसे मुक्त होनेके विचारमें से ही उसका कारण माने गये कर्मसे मुक्त होनेका विचार पैदा हुआ। ऐसा माना गया कि कर्म, प्रवृत्ति या जीवन-व्यवहारकी जिम्मेदारी स्वय ही ववनरूप है। जब तक उसका अस्तित्व है तब तक पूर्ण मुक्ति सर्वथा असंभव है। इसी वारणामें से पैदा हुए कर्ममात्रकी निवृत्तिके विचारसे अमण्ड-परंपराका अनगार-मार्ग और सन्यास-परपराका वर्ण-कर्म-वर्म-सन्यास-मार्ग अस्तित्वमें आया। परन्तु इस विचारमें जो दोप था वह बीरे बीरे ही सामूहिक

* वनन्तता तथा विगालता।

जीवनकी निर्बलता और लापरवाहीके रास्तेसे प्रकट हुआ। जो अनगार (गृह-रहित) होते हैं या वर्ण-कर्म-धर्म छोड़ते हैं, उन्हे भी जीना तो होता ही है। इसका फल यह हुआ कि ऐसोका जीवन अधिक मात्रामें परावलम्बी और कृत्रिम बना। सामूहिक जीवनकी कड़िया टूटने और अस्तव्यस्त होने लगी। इस अनुभवने यह सुझाया कि केवल कर्म ही वधन नहीं है, परन्तु उसके पीछे रही हुई तृष्णावृत्ति या दृष्टिकी सकुचितता और चित्तकी अशुद्धि ही वधनरूप है। केवल वही दुख देती है। यही अनुभव अनासक्त कर्मवादके द्वारा प्रतिपादित हुआ है। इस पुस्तकके लेखकोने इसमें सशोधन करके कर्मशुद्धिका उत्तरोत्तर प्रकर्ष साधने पर ही भार दिया है, और उसीमें मुक्तिका अनुभव करनेका प्रतिपादन किया है। पावमें सूई चुभ जाने पर कोई उसे निकाल कर फेक दे, तो आम तौर पर कोई उसे गलत नहीं कहता। परन्तु जब सूई फेकनेवाला आदमी वादमें सीने और दूसरे कामके लिए नई सूई ढूढ़े और उसके न मिलने पर अधीर होकर दुखका अनुभव करे, तो समझदार आदमी उससे जरूर कहेगा कि तूने भूल की। पावमें से सूई निकालना ठीक था, क्योंकि वह उसकी ठीक जगह नहीं थी। परन्तु यदि उसके बिना जीवन चलता ही न हो, तो उसे फेक देनेमें जरूर तेरी भूल हुई। ठीक तरहसे उपयोग करनेके लिए योग्य रीतिसे उसका सग्रह करना ही पावमें से सूई निकालनेका सच्चा अर्थ है। जो न्याय सूईके लिए है वही न्याय सामूहिक कर्मके लिए भी है। केवल वैयक्तिक दृष्टिसे जीवन जीना सामूहिक जीवनकी दृष्टिमें सूई भोकनेके बराबर है। इस सूईको निकालकर उसका ठीक तरहसे उपयोग करनेका मतलब है सामूहिक जीवनकी जिम्मेदारीको वुद्धिपूर्वक स्वीकार करके जीवन बिताना। ऐसा जीवन ही व्यक्तिकी जीवन्मुक्ति है। जैसे जैसे हर व्यक्ति अपनी वासना-शुद्धि द्वारा सामूहिक जीवनका मैल कम करता जाता है, वैसे वैसे सामूहिक जीवन दुख-मुक्तिका विशेष अनुभव करता है। इस प्रकार विचार करने पर कर्म ही धर्म बन जाता है। किसी फलका अर्थ है रसके साथ उसका छिलका भी। यदि छिलका नहीं हो तो फलका रस कैसे टिक सकता है? और रस-रहित

छिलका भी फल नहीं है। उसी तरह वर्म तो कर्मका रस है। और कर्म केवल वर्मका छिलका है। दोनोंका ठीक तरहसे समिश्रण हो, तभी वे जीवन-फल प्रकट करते हैं। कर्मके आलवनके बिना वैयक्तिक तथा सामूहिक जीवनकी शुद्धिरूप वर्म रहेगा ही कहा? और ऐसी शुद्धि न हो तो क्या उस कर्मकी छिलकेसे ज्यादा कीमत मानी जायगी? इस तरहका कर्म-वर्म-विचार इन लेखकोंके लेखोंमें ओतप्रोत है। उसके साथ बिगेपता यह है कि मुक्तिकी भावनाका भी उन्होंने सामुदायिक जीवनकी दृष्टिसे ही विचार किया है और उसी दृष्टिसे उसे मनुष्य-जीवन पर लागू किया है।

कर्म-प्रवृत्तिया अनेक तरहकी होती है। परन्तु उनका मूल चित्तमें है। किसी समय योगियोंने विचार किया कि जब तक चित्त है तब तक विकल्प उठते ही रहेगे, और विकल्पोंके उठने पर शातिका अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए 'मूले कुठार' के न्यायको मानकर वे चित्तका विलय करनेकी ओर ही जुके। और अनेकोंने यह मान लिया कि चित्त-विलय ही मुक्ति है, और वही परम साध्य है। इससे मानवताके विकासका विचार ही एक थोर रह गया। यह भी वधनरूप माने जानेवाले कर्मको छोड़नेके विचारकी तरह भूल ही थी। इस विचारमें दूसरे अनुभवियोंने सुधार किया कि चित्त-विलय मुक्ति नहीं है, परन्तु चित्तशुद्धि ही मुक्ति है। दोनों लेखकोंका कहना यह है कि चित्तशुद्धि ही शातिका एकमात्र मार्ग होनेसे वह मुक्ति अवश्य है, परन्तु सिर्फ वैयक्तिक चित्तकी शुद्धिमें पूर्ण मुक्ति मान लेनेका विचार अधूरा है। सामूहिक चित्तकी शुद्धिको बढ़ाते जाना ही वैयक्तिक चित्तशुद्धिका आदर्श होना चाहिये, और यह हो तो किसी दूसरे स्थान या लोकमें मुक्तिवाम माननेकी या उसकी कल्पना करनेकी विलकुल जरूरत नहीं है। ऐसा धाम तो सामूहिक चित्तशुद्धिमें अपनी शुद्धिका योगदान करना ही है।

(४) हरएक सम्प्रदायमें सर्वभूत-हित पर भार दिया गया है। परन्तु व्यवहारमें मानव-समाजके हितका भी जायद ही पूरी तरहसे अमल देखनेमें आता है। इसलिए प्रश्न यह है कि पहले मुख्य लक्ष्य किस-

दिशामे और किस ध्येयकी तरफ दिया जाय। दोनो लेखकोंकी विचार-सरणी स्पष्ट रूपसे कहती है कि पहले मानवताके विकासकी ओर लक्ष्य दिया जाय और उसके अनुसार जीवन विताया जाय। मानवताके विकासका अर्थ है — आज तक उसने जो जो सद्गुण जितनी मात्रामे साधे है उनकी पूर्ण रूपसे रक्षा करना और उनकी मददसे उन्ही सद्गुणोंमें ज्यादा शुद्धि करके नवीन सद्गुणोंका विकास करना, जिससे मानव-मानवके बीच द्वच्छ और शत्रुताके तामस बल प्रकट न होने पावे। इस तरह जितनी मात्रामे मानवता-विकासका ध्येय सिद्ध होता जायगा, उतनी मात्रामे समाज-जीवन सुसवादी और सुरिला बनता जायगा। उसका प्रासादिक फल सर्वभूत-हितमे ही आनेवाला है। इसलिए हरएक साधकके प्रयत्नकी मुख्य दिशा तो मानवताके सद्गुणोंके विकासकी ही रहनी चाहिये। यह सिद्धात भी सामूहिक जीवनकी दृष्टिसे कर्म-फलका नियम लागू करनेके विचारमें से ही फलित होता है।

ऊपरकी विचारसरणी गृहस्थाश्रमको केन्द्रमे रखकर ही सामुदायिक जीवनके साथ वैयक्तिक जीवनका सुमेल साधनेकी बात कहती है। यह ऐसी सूचना है जिसका अमल करनेसे गृहस्थाश्रममे ही बाकीके सब आश्रमोंके सद्गुण साधनेका मौका मिल सकता है। क्योंकि उसमे गृहस्थाश्रमका आदर्श ही इस तरह बदल जाता है कि वह केवल भोगका धाम न रहकर भोग और योगके सुमेलका धाम बन जाता है। इसलिए गृहस्थाश्रमसे अलग अन्य आश्रमोंका विचार करनेकी गुजाइश ही नही रहती। गृहस्थाश्रम ही चारो आश्रमोंके समग्र जीवनका प्रतीक बन जाता है। और वही नैसर्गिक भी है।

श्री मगरूद्वालाका एक निराला व्यक्तित्व उनके इन लेखोंसे प्रकट होता है। इन लेखोंके पठन और मननसे मुझे यह विश्वास हो गया है कि उनमे किसी अन्त प्रज्ञाकी अखण्ड धारा बहती रहती है। यह चित्त-शुद्धिकी साधनाकी विशिष्ट भूमिकामे प्रकट होनेवाला सत्यमुखी प्रज्ञोदय है। उनकी कुछ लाक्षणिकताये तो सर्वथा चकित कर देनेवाली होती है। जब वे तत्त्व-चिन्तनके गहरे प्रदेशमें उतर कर अपनी बातको स्पष्ट करनेके लिए किसी उपमाका प्रयोग करते हैं, तब वह पूर्णोपमाकी

कोटिकी होती है और उस स्थानका लेखन गभीर तत्त्व-चित्तन-प्रवान होने पर भी सुन्दर और सरल साहित्यिक उदाहरण बन जाता है। इसके दो-एक उदाहरण लीजिये। पुस्तकके पृष्ठ ३९-४० पर गगा-प्रवाहको अखड रखनेके लिए अपने जीवनका वलिदान देनेवाले जलकणका दृष्टात। और चित्तकी स्थितिका चित्रण करते समय प्रयुक्त जगलमे उगे हुए झाड-आखरोका दृष्टात (पृष्ठ १३०)। ऐसे तो पाठकोको अनेक दृष्टात मिलेंगे और वे चिन्तनका भार हल्का करके चित्तको प्रसन्न भी करेंगे। जब वे किसी पद्धकी रचना करते हैं तब ऐसा लगता है, मानो वे कोई मार्मिक कवि हैं। इसका दृष्टात पृष्ठ ४९ पर है। 'जगमे जीना दो दिनका' ब्रह्मानदकी इस कड़ीका कटाक्षपूर्वक रहस्य खोलकर उन्होने जिस नवीन भजनकी रचना की है, उसका भाव और भाषा जो कोई देखेगा वह मेरे इस कथनकी यथार्थता समझ सकेगा। प्राचीन भक्तो या प्राचीन शास्त्रोके उद्गारोका गहरा रहस्य वे किस तरह प्रकट करते हैं, इसका नमूना पृष्ठ ३७ पर मिलेगा। उसमें 'हसलो नानो ने देवद जूनु तो थयु' मीराकी इस उक्तिका उन्होने इतना गभीर रहस्य प्रकट किया है और उसे गीताके 'आपूर्यमाणमचल-प्रतिष्ठ' श्लोकके रहस्यके साथ ऐसा सवादी बनाया है कि उसके पठन और मननसे कभी तृप्ति होती ही नहीं। बार बार उसके सवादकी गूज चित्तके ऊपर उठती ही रहती है।

श्री मशारुवालाके सारे लेखोमे ध्यान खीचनेवाली नीर-क्षीर-विवेकी लाक्षणिकता यह है कि वे विरासतमे मिली हुई या दूसरी किसी भी परपरामें से सार-असारको बड़ी खूबीसे निकाल लेते हैं; और सार भागको जितनी सरलतासे अपना लेते हैं उतनी ही कठोरतासे असार भागके मूल पर कुठाराघात भी करते हैं।

ऐसी कितनी ही बाते यहा दिखाई जा सकती हैं, परन्तु अतमे तो विराम लेना ही होगा।

अहमदावाद, २८ मार्च १९४८

सुखलाल

अनुक्रमणिका

| | |
|--|----------|
| प्रकाशकका निवेदन | ३ |
| प्रस्तावना | ५ |
| विचार-कणिका | ६ |
| पहला भाग : संसार | |
| १. तत्त्वज्ञानके मूल प्रश्न | ३ |
| २. जीवनका अर्थ | १६ |
| ३. संसारमे रस | २५ |
| ४. जीवनमे मृत्युका स्थान | ३१ |
| ५. मृत्यु पर जीत | ३५ |
| ६. जीवन सुखमय है या दुखमय ? परिशिष्ट : 'जगमे जीना दो दिनका' ? | ४२ ४९ |
| दूसरा भाग : ईश्वर | |
| १. अवतार-भक्ति | ५३ |
| २. दो दृष्टिया | ५७ |
| ३. उपासना-शुद्धि , | ६८ |
| ४. ईश्वर-निष्ठाका बल | ७७ |
| ५. परोक्ष पूजा | ८० |
| ६. गलत भावुकता | ८३ |
| ७. ईश्वर-विषयक कुछ भ्रम | ८७ |
| तीसरा भाग : धर्म | |
| १. धर्मका नवनिर्माण | ९५ |
| २. नयी दृष्टि | ९७ |
| ३. शास्त्रदृष्टिकी मर्यादा | १०२ |
| ४. शास्त्र-विवेक | १०६ |

| | |
|-------------------------------|-----|
| ५. धर्म-सम्मेलनकी मर्यादा | १०९ |
| ६. सकल्प-सिद्धि | १२३ |
| ७. जप | १२९ |
| ८. यज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात् | १३८ |
| ९. ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह | १४३ |
| १०. गलत तितिक्षा | १४७ |
| ११. सात्त्विक तितिक्षा | १५४ |
| १२. त्यागका आदर्श | १५८ |
| १३. लाचारी और आदर्श | १७१ |
| १४. कार्यकर्ता, सावधान ! | १७४ |
| १५. कमज़ोर सात्त्विकता | १७८ |
| १६. कर्मक्षय और प्रवृत्ति | १८७ |
| १७. धर्म और तत्त्वज्ञान | १९१ |
| परिशिष्ट स्वकर्मयोग | २२६ |

चौथा भाग : पूज्य नाथजीकी पूर्ति

| | |
|------------------------|-----|
| १. तत्त्वज्ञानका साध्य | २३३ |
| २. ईश्वर-भावना | २४५ |
| ३. व्येय-निर्णय | २५४ |

संसार और धर्म

पहला भाग

संसार

तत्त्वज्ञानके मूल प्रश्न^१

माघ सुदी १३, शुक्रवार
(ता० ६-२-१९२५)

भाई श्री नगीनदास,^२

आपका लेख और पत्र मैं पढ़ गया। आपके प्रश्नोंका मैं उत्तर दू उसके बजाय यह ज्यादा ठीक होगा कि तत्त्वज्ञानके विषयमें मैं अपनी दृष्टि स्पष्ट करू और उस परसे आपके प्रश्नोंके उत्तर आप हूँढ़ ले। मेरा खयाल है कि इसीमें से आपके प्रश्नोंके उत्तर मिल जायेंगे।

आपके दोनों प्रश्नोंके मूलमें एक वस्तु समान रूपसे मान ली गई मालूम होती है। वह यह है कि तत्त्वज्ञानकी उत्पत्ति जीवनकी निष्फलतामें से हुई है, फिर चाहे यह तत्त्वज्ञान आव्वासन प्राप्त करनेके लिए मनुष्य द्वारा की हुई कल्पना हो या हूँढ़ा हुआ सत्य हो।

यह पूर्वाग्रह मुझे गलत मालूम होता है। जिसे हम सासारिक दृष्टिसे पूर्णत सफल मनुष्य कह सकते हैं, वही यदि गहरा अवलोकन और तुलना करनेवाला तथा विवेकशील भी हो, तो वह तत्त्वज्ञानकी शोध करनेवाला या उसकी वृद्धि करनेवाला हो सकता है। जिस तरह भौतिक प्रकृतिगत नियमोंकी शोधके लिए अलग-अलग दृष्टिसे किये गये प्रयोगोंमें से ही पदार्थविज्ञान, रसायनगास्त्र इत्यादि गास्त्रोंकी उत्पत्ति हुई है, जिस प्रकार चित्त-प्रकृतिके नियमोंकी शोधमें से योगशास्त्रकी उत्पत्ति हुई है, उसी प्रकार अलग-अलग दृष्टिसे प्रकृति-मात्रका अत-

१ विद्यार्थियोंकी ओरसे पूछे गये सवालोंके लेखक द्वारा दिये गये जवाब।

२. श्री नगीनदास पारेख, उस समय 'सावरमती' मासिकके सम्पादक।

दूढ़नेके प्रयासोमें से तत्त्वज्ञानकी उत्पत्ति हुई है। जिस प्रकार पदार्थ-विज्ञान इत्यादि भौतिक शास्त्रोंका तथा योगशास्त्रका क्रमज्ञ अधिक विकास हुआ है और होता जाता है, उसी प्रकार तत्त्वज्ञानका भी विकास हुआ है, होता जाता है और होता रहना चाहिये। क्या पदार्थ-विज्ञानको न समझ सकनेवाला मनुष्य भौतिक विद्याका या चित्तको न समझ सकनेवाला मनुष्य योगशास्त्रका अधिक विकास कर सकता है? उसी प्रकार जीवनको न समझ सकनेवाला और जीवनको अपनी इच्छानुसार न मोड़ सकनेवाला मनुष्य तत्त्वज्ञानका अधिक विकास कैसे कर सकता है? शक्तराचार्य, वृद्ध, सौक्रेटीस, जनक, याज्ञवल्क्य, श्रीकृष्ण, व्यास इत्यादिका तत्त्वज्ञानके निर्माण और विकासमें महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। इनमें से किसका जीवन सासारिक दृष्टिसे निष्फल था? इसलिए मैं तो कहूँगा कि जिसमें सासारिक दृष्टिसे सफल होनेकी योग्यता है, वही — गभीर विचारक हो तो — तत्त्वज्ञानका अधिकारी हो सकता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ही अतिशय पुरुषार्थी और आत्म-विश्वासी होता है। जैसा कि महाराष्ट्रके सत स्वामी रामदासने कहा है, जिसे सीधा-सादा अपना व्यवहार भी ठीकसे चलाना नहीं आता, वह परमार्थ कैसे साध सकता है? (यद्यपि द्वासरी जगह उन्होंने ऐसा भी कहा है कि जो मनुष्य ससारके दुखसे अत्यत तप्त हो गया है वही परमार्थका अधिकारी हो सकता है।)

परन्तु यह बात सच है कि हमारे देशमें तत्त्वज्ञान जीवनमें असफल रहनेवाले ऐसे ही वहुतसे व्यक्तियोंका आधार बना है। स्त्री वुरी निकली, पैसा वरवाद हो गया, मित्रोंने घोखा दिया, आप्तजन्त मर गये, कामकाजमें सफलता नहीं मिली, तो चलो अब प्रभुकी गरण-में — इस वृत्तिसे वहुतसे व्यक्ति ईश्वरके अथवा तत्त्वज्ञानके मार्गकी ओर मुड़े हैं यह सच है। इस निमित्तसे भी उन्होंने जीवनके विषयमें कुछ सोचा-विचारा है और समझा है। यह भी सच है कि इससे वे सत्यकी कुछ शोध कर सके और आश्वासन प्राप्त कर सके। परन्तु ये वे लोग नहीं हैं, जिन्होंने तत्त्वज्ञानका विकास किया है, उसमें गुद्धि-वृद्धि की है। रसायनशास्त्र या योगका सामान्य अभ्यास करनेवाले

व्यक्तिमें और उसके शोधकमें जितना भेद है, उतना ही भेद इन दो प्रकारके तत्त्वज्ञानियोंमें है। एकका प्रयत्न अभी तक हुई शोधोंको समझ लेनेका है, दूसरेका उन्हे समझकर उसे आगे बढ़ानेका है।

इस प्रकार तत्त्वज्ञान जीवनके मूल और अन्तकी खोजका अनुभवोंके आधार पर रचा गया शास्त्र है। जिस प्रकार भौतिक विद्याके सिद्धान्तोंकी अतिम कसौटी प्रत्यक्ष प्रयोगसे होनेवाले अनुभवोंमें खरे उत्तरनेसे होती है, उसी प्रकार तत्त्वज्ञानके सिद्धान्तोंकी कसौटी भी प्रत्यक्ष अनुभवसे करनी चाहिये। जिस प्रकार भौतिक विद्याके सिद्धान्तोंकी सत्यताका प्रमाण प्रत्येक व्यक्ति माग या प्राप्त कर सकता है, उसी प्रकार तत्त्वज्ञानके सिद्धान्तोंका प्रमाण भी प्रत्येक व्यक्ति माग या प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार भौतिक शास्त्रोंमें प्रयोग सिद्ध करनेके लिए अध्यापकका आश्रय लेना होता है और उसके ऊपर श्रद्धा — अर्थात् प्रयोग सिद्ध करनेके लिए लेने योग्य उपायोंकी योजनाके लिए उसके वचनों पर विश्वास — रखना होता है, उसी प्रकार तत्त्वज्ञानके सिद्धान्तोंका अनुभव लेनेके लिए गुरुका आश्रय और उस पर श्रद्धा आवश्यक होती है।

अब इस प्रश्नका विचार करें कि तत्त्वज्ञान काल्पनिक आश्वासन है या सत्य सिद्धान्त है। प्रत्येक शास्त्रको दो प्रकारकी क्रियाओंका विचार करना पड़ता है। इन्द्रियगोचर क्रिया और इन्द्रियातीत क्रिया। क्षारके कणमें से विजली गुजरती नहीं है, परन्तु उसे पानीमें घोलनेसे उसमें से विजली गुजरती है। तेजकी किरणे सूर्यसे पृथ्वी तक आती हैं, अमुक वस्तुओंमें से पार हो जाती हैं, अमुकमें से नहीं होती हैं, अमुकमें से पीछे लौटती हैं, तो अमुकमें तिरछी होती हुई मालूम पड़ती हैं, तथा अमुक वस्तुमें से एक प्रकारकी व्यवस्था करनेसे पार होती है और दूसरी प्रकारकी व्यवस्थासे पार नहीं होती। शब्दकी आवाज दूरसे आकर कानों पर टकराती है। ये सभी क्रियाए इन्द्रियगोचर हैं। यह इन सब क्रियाओंका अवलोकन हुआ। कितने पानीमें किस प्रकारका कितना क्षार गलानेसे विजलीका प्रवेश बहुत अच्छी तरहसे हो सकता है, कितने वेगसे किरणे आती हैं, किसमें से वे पार होती हैं, किस परसे लौट आती

है, कहा कितनी तिरछी बनती है, किस प्रकारकी व्यवस्थामें किरणोंका प्रतिवध (polarisation) होता है, ध्वनिकी गतिया किस प्रकारकी है — इन सबके नियम भी इन्द्रियगोचर प्रयोगोंसे खोजे और सिद्ध किये जा सकते हैं। परन्तु क्षारके द्रवमें से विजली किसलिए गुजरती है, और क्षारके पानीमें गलनेसे उसमें क्यों और कैसा परिवर्तन होता है, विजली किस प्रकारकी शक्ति है, तेजकी किरणोंका स्वरूप कैसा है, ध्वनिका स्वरूप कैसा है — ये सब क्रियाएं और शक्तिया इन्द्रियातीत हैं, इसलिए साधनोंके विना अथवा साधनोंकी सहायतासे भी हम इन क्रियाओं या शक्तियोंको प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। (कमसे कम आज तक तो वे प्रत्यक्ष नहीं की जा सकी हैं।)

मानव-वुद्धिको एक वस्तुका निश्चय हो गया है। जो कुछ क्रिया होती है, शक्तिका जो कुछ दर्गन होता है, उसके पीछे कार्य-कारण-भाव होना ही चाहिये। इसलिए जो इन्द्रियातीत क्रियाएं होती हैं, उनमें भी कार्य-कारण-भावकी कल्पना किये विना वुद्धिकी भूख तृप्त नहीं होती। जो कुछ गोचर हुआ है उसके अवलोकनके आधार पर हमारी वुद्धि उसके अगोचर कारणोंकी कल्पना करनेका प्रयत्न करती है। ऐसा प्रयत्न किये विना मानव-वुद्धिकी भूख तृप्त नहीं होती। फिर वह इस वातकी जाच करती है कि ऐसी युक्तिसंगत कल्पना द्वारा वह प्रत्येक इन्द्रियगोचर क्रियाको किस हृद तक समझा सकती है। कार्य-कारण-भावको समझानेवाली अथवा विविध शक्तियोंके स्वरूपका वर्णन करनेवाली ऐसी कल्पना वाद (hypothesis, theory) कहलाती है। इस प्रकार रसायन-शास्त्रका अणुवाद (atomic theory), विद्युदणुवाद (ionic theory), विद्युत्कणवाद (electron theory), सूर्यमण्डलवाद (solar system theory), तेज तथा विजलीका तरगवाद (vibration theory), शब्दका लोलवाद (undulation theory) इत्यादि वाद हैं। अमुक इन्द्रियगोचर क्रियाओंके पीछे रही अगोचर क्रियाओंको समझानेके लिए रचे गये ये वुद्धिवाद हैं, कल्पनाएं हैं। ये ऐसी ही हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता। जहा तक इन कल्पनाओंसे सारी प्रत्यक्ष क्रियाओंका वुद्धिको संतोष देनेवाला खुलासा मिल सकता है, वहा तक

उस उस विज्ञानके शास्त्री उनका उपयोग करते हैं। जब ऐसी किसी क्रियाका खुलासा उस कल्पना द्वारा नहीं होता है, तब वह उस कल्पनाको छोड़कर विशेष युक्तिसंगत कल्पना करनेके लिए प्रयत्नशील होता है। परंतु ऐसे चाहे जिस वादका आधार विज्ञानशास्त्री ले, तो भी वह किसी वादको सिद्ध नियम माननेकी भूल कभी नहीं करता। वह किसी एक वादको कभी ऐसे दुराग्रहसे पकड़ कर नहीं रखता कि आवच्यकता पड़ने पर उसका त्याग न कर सके।

जो वात भौतिक शास्त्रोके विषयमें सत्य है, वह तत्त्वज्ञानके विषयमें भी सत्य है। जीवनकी कुछ घटनाएं और उनके कारण हम प्रत्यक्ष अनुभवके द्वारा जानते हैं, कुछ घटनाओंको हम जानते हैं, परंतु उनके कारण अप्रकट रहते हैं। इन अप्रकट कारणोंके स्वरूपको ढूढ़नेका प्रयत्न करनेवाली बुद्धिमें से विविध प्रकारके वाद पैदा होते हैं। इस प्रकार मायावाद, लीलावाद, विवर्तवाद, पुनर्जन्मवाद, आनुवशवाद, विकासवाद, बंधन-मोक्षवाद — इत्यादि सब वाद जीवनमें दिखनेवाली प्रत्यक्ष घटनाओंके अप्रत्यक्ष कारणोंको समझानेवाली कल्पनाएं हैं। जो वाद जितने अश तक अधिकसे अधिक घटनाओंको युक्तिसंगत रीतिसे और सरलतासे समझाता है, उतने ही अश तक वह वाद अधिक ग्राह्य माना जाता है। परंतु चाहे जितने समय तक वह वाद ग्राह्य रहे, तो भी यह न भूलना चाहिये कि वह एक वाद ही है। और जिस प्रकार रसायनशास्त्रका वाद जब तक वह प्रत्येक रसायन क्रियाका खुलासा दे सकता है तभी तक ग्राह्य रहता है और उसका स्वीकार प्रत्यक्ष क्रियाओंको समझने तथा उन पर लागू करनेके लिए ही रसायनशास्त्री करता है तथा उसकी दृष्टि उस वादके प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त करके उन्हे सिद्धान्तके रूपमें स्थापित करनेकी ओर रहती है, उसी प्रकार तत्त्वज्ञानके वाद भी जिस हृद तक प्रत्यक्ष जीवनकी घटनाओंको समझानेमें उपयोगी हो और प्रत्यक्ष जीवन पर सतोषपूर्वक लागू किये जा सके, उसी हृद तक और उसी हेतुके लिए वे स्वीकार करने लायक हैं।

यहां तक मैंने भौतिक विज्ञान और तत्त्वज्ञानके वीचकी समानता बतलाई। परंतु तत्त्वज्ञानके विकासमें कितनी ही दूसरी कठिनाइया

आती है, जो कि भौतिक विज्ञानके विकासमें नहीं आती। इसका कारण यह है कि भौतिक विज्ञानका सीधा सबध बाह्य पदार्थोंके साथ होता है। सुवर्णको एक स्वतन्त्र तत्त्व मानिये या किसी एक तत्त्व और विद्युत्कण (electron) का सूर्य-मण्डल मानिये, इससे हमारे और सुवर्णके बीचके व्यवहारमें कोई अतर नहीं पड़ता। परन्तु तत्त्वज्ञानका जीवनके साथ सीधा सबध है। यदि आप चार्वाकवादको मानते हैं तो जीवनकी रचना अमुक प्रकारसे होगी, मायावादको मानते हैं तो द्वूसरी तरहसे; लीलावादको मानते हैं तो तीसरी तरहसे, समवादको मानते हैं तो एक प्रकारसे, विषमवादको मानते हैं तो द्वूसरे प्रकारसे; कर्मवादको मानते हैं तो एक तरहसे, निष्कर्मवादको मानते हैं तो द्वूसरी तरहसे। इस प्रकार आप जो वाद स्वीकार करते हैं, उसके अनुसार आपके जीवनकी रचना जल्दी या देरीसे होने ही वाली है। उसके ऊपर आपके सुख, भोग, ऐहिक उन्नति इत्यादिका ही आधार नहीं, परन्तु आपके चित्तकी समता और शातिका भी आधार रहेगा।

सुवर्णकी तरह जीवनको एक बाह्य पदार्थ मानकर उसका अवलोकन और अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसलिए जीवनके तत्त्वकी शोध अतिशय कठिन होती है। जीवन कठिनाईसे छोड़ी जा सकनेवाली अनेक वृत्तियों, वासनाओं, सस्कारों, लालसाओं, भयो इत्यादिसे इतना रगा हुआ होता है कि भौतिक शास्त्रीकी तरह केवल तटस्थ रूपसे जीवन-सम्बन्धी सत्यकी खोज नहीं हो सकती। जीवनके विषयमें सत्य तत्त्वज्ञान क्या है, यह जाननेके बदले मनुष्यकी बुद्धिका झुकाव निरतर ऐसा तत्त्वज्ञान खोजनेकी तरफ होता है, जो छोड़ी न जा सकनेवाली वृत्तियों, वासनाओं आदिको युक्तिसगत और उचित ठहराये। इसके परिणामस्वरूप ऊपर गिनाई हुई कार्य-कारण-भावोंको समझानेका प्रयत्न करनेवाली वादोकी कल्पनाओंके अतिरिक्त अनेक प्रकारकी चित्ताकर्षक कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं और वे तत्त्वज्ञानका रूप ले लेती हैं। स्वर्गलोक, तपोलोक, गोलोक, वैकुण्ठ, अक्षरधाम जैसे एकसे एक बढ़कर स्वर्गों, प्रलयके समय होनेवाले न्याय वर्गैराकी विविध प्रकारकी कल्पनाएं चित्तके रग्से रगी हुई इसी प्रकारकी कल्पनाएं हैं। ये कल्पनाएं रम्य

है, परन्तु तत्त्वज्ञान नहीं है। और न सिर्फ वे सत्य नहीं है, बल्कि सत्यको जाननेमें विघ्नरूप है। परन्तु इस प्रकारकी कल्पनाएं एक प्रकारसे निर्दोष हैं, क्योंकि उनका सीधा सम्बन्ध आजके प्रत्यक्ष और व्यक्त जीवनके साथ नहीं होता, बल्कि वहुधा मृत्युके पीछेकी स्थितिके साथ होता है; और इस कारणसे इन कल्पनाओंमें श्रद्धा रखनेवालोंमें कुछ आशाका सचार होता है तथा श्रद्धालुओंमें जितनी निर्मलता होती है उतनी वे उन्हे उन्नत करनेवाली भी होती है। इसके सिवा इन कल्पनाओंका तत्त्वज्ञानके साथ दूरका सबध भी है, क्योंकि इनमें मृत्युके बादकी स्थितिका तत्त्वदृष्टिसे अनुमान करनेका प्रयत्न है। ऐसे कल्पना-युक्त तत्त्वज्ञानके विषयमें यह कहा जा सकता है कि वह एक मनोरम स्वप्न है। परन्तु चित्तके रगसे रगी हुई और तत्त्वज्ञानके नामसे पहचानी जानेवाली ऐसी भी कल्पनाएं हैं, जिनका सम्बन्ध प्रत्यक्ष और व्यक्त जीवनके साथ होनेके कारण वे इतनी निर्दोष नहीं कही जा सकती। उदाहरणार्थ, सुख, ऐश्वर्य, ऋद्धि-सिद्धि, सौदर्य, आनन्द इत्यादिकी लालसा। ये भी चित्तकी ऐसी वृत्तिया हैं जो छोड़ी नहीं जा सकती, और बुद्धिका झुकाव इन सबको न्याय्य और योग्य ठहरानेवाले तत्त्वज्ञानको ढूढ़नेकी ओर होता है। सत्यको खोज कर उसमें जितना शिवत्व, सौदर्य और आनन्द होता है उतनेसे बुद्धिको सतोष नहीं होता। परन्तु चित्तको जो शिव, सुन्दर और आनन्दरूप लगता है वह सत्य भी है, ऐसा निश्चित करनेके लिए वह प्रयत्नशील रहती है। उसके सिद्धान्त भी तत्त्वज्ञानके नामसे पहचाने जाते हैं, परन्तु वे अक्षरधामकी कल्पनाकी अपेक्षा भी सत्यसे अधिक वचित रखनेवाले हैं, क्योंकि उनमें सत्यकी जिज्ञासा या शोध नहीं, बल्कि पूर्वग्रिहोंको न छोड़नेका आग्रह है।

इसके अलावा, तत्त्वज्ञानकी शुद्धि-वृद्धिमें एक दूसरा भी पूर्वग्रिह वाधक होता है। भौतिक विद्याका सशोधक अपने-आपको इस प्रकार सीमामें वाध नहीं लेता कि मैं इसका सशोधन अग्रेजी पुस्तकों द्वारा ही करूँगा या सस्कृत शास्त्रोंके द्वारा ही करूँगा; अथवा इसमें डॉल्टनके मतको या केल्विनके मतको मैं ऐसा प्रमाणभूत मानूँगा कि उनके कहे हुए एक भी शब्दकी सत्यासत्यताको जाचनेका साहस या पाप मैं नहीं

करूँगा, अथवा अमुक एक पुस्तकने इस विद्याका सपूर्ण सशोधन कर डाला है, इसलिए अब इस पुस्तकका अध्ययन करना, इसके अर्थ लगाना और उन्हे समझानेके लिए उन पर भाष्योकी रचना करना ही मेरा कर्तव्य रह जाता है। परन्तु भौतिकशास्त्री ऐसा कहता है कि मैं भाषा या नीतिका अभिमान करने नहीं बैठा हूँ, बल्कि पदार्थोकी खोज करने बैठा हूँ, मैं भतोकी पूजा करने नहीं बैठा हूँ, बल्कि सत्यकी शोध करने बैठा हूँ; और मैं शास्त्रोका विकास करने नहीं बैठा हूँ, बल्कि विद्याका विकास करने बैठा हूँ। इसलिए मैं प्रत्येक पुस्तकका प्रत्येक वाक्य पढ़ूँगा, उस पर विचार करूँगा, परन्तु प्रमाणके बिना उसे नहीं मानूँगा। तत्त्वज्ञानके विषयमें हमारी वृत्ति इससे उलटी होती है। प्रत्येक प्रजाने अपने तत्त्वज्ञानके विषयमें ऐसा मोन लिया है कि उसमें पहलेके ऋषि-मुनियों या पैगम्बरोने सब-कुछ पूर्ण कर रखा है, उसमें अब सशोधन या परिवर्धनका अवकाश ही नहीं है, उनके बचनों पर शका उठानी ही नहीं चाहिये। अब तो उनके वाक्योका जहां असम्बद्ध अर्थ लगे वहां उनका सुसबद्ध अर्थ निकालनेका, उन्हे विस्तारसे समझानेका, हो सके तो सबका मत एक ही है ऐसा सिद्ध करनेका और नहीं तो किसी एकको स्वीकार करके उसका दर्शन स्वीकार करनेका काम बाकी रहता है। इस प्रकार तत्त्वज्ञान एक फलती-फूलती विद्या न रहकर केवल शास्त्रार्थ करनेका विषय बन जाता है। मैं डॉल्टन मतका रसायनशास्त्री हूँ और मैं केल्विन मतका रसायनशास्त्री हूँ, ऐसा कोई विज्ञानशास्त्री नहीं कहता; परन्तु तत्त्वज्ञानी अपनेको शाकर, रामानुजी, इस्लामी, ईसाई इत्यादि मतोका ही कहलानेमें गर्व मानता है। यदि इन सबका मत एक हो तो अमुक मतका कहलानेमें कुछ अर्थ नहीं है; और यदि सबका मत एक न हो तो साफ है कि इनमें से प्रत्येकका मत सत्य नहीं हो सकता और कदाचित् सबके मतमें कुछ भूल और कुछ सत्य दृष्टि होनी चाहिये। तो सत्यके शोधकके नाते तत्त्वज्ञानीका यही वर्म हो सकता है कि वह प्रत्येक मतको कसौटी पर चढ़ाये। पूर्वके शास्त्रों और उनके प्रणेताओंके विषयमें सम्पूर्ण आदर रखते हुए भी वह यह आग्रह नहीं रख सकता कि किसीके वाक्योंको कसौटी पर चढ़ाया

ही नहीं जा सकता। फिर भी तत्त्वज्ञानके विषयमें ऐसा हुआ है। हमारे देशमें उपनिषत्-कालके बाद मानो इस विद्याकी समाप्तिस्थग्नि रही है। बादमें वेद और उपनिषद्-विद्या पर केवल सूत्र रचने, टीकाये करने, उनका स्पष्टीकरण करनेके लिए पुराण रचने, कथाएं जोड़ने और उनका अध्ययन करके अलग-अलग अर्थोंकी समालोचना करनेमें ही तत्त्वज्ञानियों या पडितोंने अपनी कृत-कर्तव्यता समझ ली है। विद्याकी शुद्धि-वृद्धि लगभग रुक गई है। क्योंकि शोधनकी वृत्तिमें ही नास्तिकता समझी जाती है। और यदि किसीने कुछ जोड़ा भी है तो वह पीछेके द्वारसे, अर्थात् प्राचीनमें से ही मेरे अनुकूल ध्वनि निकलती है ऐसा बतलानेका प्रयास करके। जैसा हमारे देशमें है वैसा ही मुसलमान या ईसाई धर्मोंमें भी है। जिस प्रकार भौतिक विद्याये किसी देश या धर्मकी खास वृप्ती नहीं है, उसी प्रकार तत्त्वज्ञान भी एक सार्वजनिक विद्या है, यह हमारे यहा स्वीकार नहीं किया गया। इससे न सिर्फ तत्त्वज्ञानकी शुद्धि-वृद्धि रुक गई है, बल्कि जीव सदैव ऋमयुक्त ही बना रहता है।

भौतिक विद्याएं दिनोदिन आगे बढ़ती जाती हैं, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि पुरातन कालकी भौतिक विद्याएं विलकुल असत्य ठहरती हैं। प्रकृतिके कुछ नियमोंके ज्ञानकी शोध अवश्य अत्यत प्राचीन कालमें हुई थी। पर सदियोंकी प्रगतिके बाद भी यह कहनेका प्रसंग नहीं आता कि वह ज्ञान ऋमात्मक है। इसके विपरीत, जैसे जैसे काल वीतता जाता है वैसे वैसे उसकी सत्यताके विषयमें अधिक विश्वास होता जाता है। जितना सत्य इस श्रेणीका होता है, उसमें किसी भी प्रकारके संशोधन-परिवर्वनकी आवश्यकता नहीं रहती, परन्तु उस विद्याकी शुद्धि-वृद्धिका अर्थ है पहलेकी शोधोंमें रही हुई भूलकी शुद्धि और अविकसित क्षेत्रका विकास। इसी प्रकार तत्त्वज्ञानमें भी कुछ सनातन सत्योंकी शोध इतने लम्बे कालसे हुई है कि जैसे जैसे काल व्यतीत होता जाता है वैसे वैसे उनकी प्रतीति दृढ़ होती जाती है। उस शोधमें संशोधन-परिवर्वनके लिए अवकाश नहीं है। परन्तु उसके क्षेत्रमें आनेवाले कुछ विषयोंमें भूल और अज्ञानके होनेकी समावना अवश्य है। इस भूलकी शुद्धि और अज्ञान विषयोंकी शोध — यह तत्त्वज्ञानकी शुद्धि-वृद्धि है।

तत्त्वज्ञानके विषयमें एक दूसरा भी वहम फैला हुआ है, जिसके कारण सामान्य मनुष्य तत्त्वज्ञानीके विषयमें विचित्र भ्रान्त धारणाये रखते हैं और स्वयं तत्त्वज्ञानमें भी विचित्र कल्पनाएँ घुस जाती हैं। रसायनशास्त्री जब हीरे और कोयलेको एक तत्त्व कहता है, तब किसीको ऐसा नहीं लगता कि उसकी दृष्टिमें हीरा काला अथवा कोयला सफेद दिखाई देता होगा, अथवा वह हीरेको कोयलेके मूल्यमें खरीदने या बेचनेके लिए तैयार होगा। परन्तु जब तत्त्वज्ञानी कहता है कि जगत्‌का तत्त्व एक ही है अथवा जब यह कहता है कि दृश्य जगत्‌का स्वरूप माया या कल्पना है, तब सामान्य मनुष्य ऐसा मान लेते हैं कि उसे हीरा या कोयला एकसा ही दिखाई देता होगा अथवा उसे आखोके सामनेकी दीवाल दिखाई ही नहीं देती होगी। अलवत्ता, ऐसा खयाल पैदा करानेके लिए तत्त्वज्ञानकी निरूपण-पद्धति ही जिम्मेदार है, और ऐसा गलत खयाल पैदा हो सकता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि उसमें शुद्धि-वृद्धिकी गुजाइश है। वस्तुतः रसायनशास्त्री अपने गहरे अवलोकन, प्रयोग और विचारसे ऊपरसे अत्यत भिन्न दिखाई देनेवाले हीरे और कोयलेके वीचकी वह एकरूपता देखता है, जो कि छिछली दृष्टिवाले सावारण मनुष्यको नहीं दिखाई देती। यही वात तत्त्वज्ञानके विषयमें भी है। रसायनशास्त्रीको मालूम होनेवाली हीरे और कोयलेकी एक-तत्त्वता काल्पनिक नहीं है, अथवा उसके शब्दों पर आप श्रद्धा रखे तभी उसे देख सकते हैं ऐसा भी नहीं है, वह आपको प्रयोगोंके द्वारा यह एकरूपता सिद्ध कर दिखाता है। यही पद्धति तत्त्वज्ञानके विषयमें भी है और होनी चाहिये। ऊपरी दृष्टिसे जिन घर्मोंकी शोध नहीं हो सकती उनकी शोध गहरे अवलोकनके द्वारा करना और इस अवलोकनके परिणामोंको पद्धतिपूर्वक बतलाना, इसीका नाम शास्त्र है। तत्त्वज्ञानके विषयमें यह नहीं समझा गया, इसीलिए श्रद्धाका विचित्र अर्थ किया गया है, और सबके अनुभवमें न आनेवाली और न आ सकनेवाली कितनी ही कल्पनाओंको श्रद्धाके विचित्र प्रयोगसे सिद्ध करनेका प्रयत्न हुआ है। ऐसी ऐसी जितनी वाते तत्त्वज्ञानमें मिल गई है, वे सब शास्त्र नहीं बल्कि (अविकतर चित्ताकर्षक) कल्पनायें हैं।

हमारे यहा यह कहनेकी प्रथा है कि भौतिकशास्त्रों और तत्त्वज्ञानके बीच उत्तर-दक्षिणके जैसा विरोध है। इसे मैं गलत मानता हूँ। दोनोंमें इतना ही भेद है कि भौतिकशास्त्र प्रकृतिके किसी एक वीचके स्थानसे विस्तारकी ओर अपना अन्वेषण करते हैं, जब कि तत्त्वज्ञान इस स्थानसे पीछे जाकर मूल तकका अन्वेषण करनेके लिए प्रयत्नशील रहता है। साख्य, वेदात, जैन चाहे जो दर्शन लीजिये; उनका विचार करने पर हमें मालूम होगा कि उन सबमें $\frac{1}{4}$ भाग भौतिकशास्त्र (और आजकी वैज्ञानिक दृष्टिसे बहुत बार भ्रमात्मक भौतिकशास्त्र) है। तत्त्वज्ञानके साधकके एक हजार दिवसोमें से ९९९ दिवस प्रकृतिको समझनेमें ही व्यतीत होते होगे। यह अनिवार्य है। क्योंकि प्रकृतिको समझे बिना तत्त्वज्ञान समझमें नहीं आता, और प्रकृतिको समझनेमें जितनी भूल रहती है उतनी भूल तत्त्वज्ञानमें भी प्रविष्ट हुए बिना नहीं रहती। तत्त्वज्ञान एक काल्पनिक शास्त्र है, ऐसी मान्यता इन भूलोंके कारण ही पैदा हुई है।

अब आपका एक प्रश्न रहता है। भोगोका — वासनाओंका — नियमन करना चाहिये या उनका उच्छेद करना चाहिये? यदि आप हीरेके विषयमें रासायनिक सत्य जानना चाहते हैं, तो क्या यह हो सकता है कि आप हीरेको रखनेका लोभ भी करे और सत्यकी शोध भी करे? आप हिमालयके शिखर पर भी पहुँचना चाहे और गीतसे बचना भी चाहे, यह भला कैसे हो सकता है? बीजका उपयोग न होने देना और फसलकी आशा करना, इन दोनोंका मेल कैसे बैठ सकता है? उसी प्रकार जीवन-संबंधी सत्यकी शोध तो करनी है, लेकिन उसके लिए जीवनको कसीटी पर नहीं चढ़ाना है — भला यह कैसे बन सकता है? आपके भोग-विलास कायम रहे, कामनाएं बढ़ती रहे और आपको जीवन-विषयक सत्य प्राप्त हो जाय — यह तो जीवनको प्रयोगबालामें रखनेका इनकार करके जीवनको समझनेका प्रयत्न करनेके वरावर है। किसी सामान्य भावनाको सिद्ध करना हो, तो भी जीवनके भोगकी तृष्णाको अकुशमे रखना पड़ता है। पैसा कमानेकी वृत्तिका पोषण करनेके लिए भी मनुष्य दूर दूरके प्रदेशोंकी यात्रा करता है, कुटुम्बसे

अलग होता है, बूप-छाह तथा भूख-प्यास सहन करता है, किफायत-गारी करता है और सयमका पालन करता है। स्वातंत्र्यके लिए मनुष्य जान-मालको कुरवानी करता है; पातिन्नत्यकी भावनाको गिखर पर पहुँचानेके लिए स्त्री चितामे जलकर मर जाती है। तब सारी विद्याओंसे अतिथ्य गहन विद्या, जिस पर अविचल शान्तिका आवार है, सरलतासे कैसे प्राप्त हो सकती है? भाँतिक विद्यायोंका संगोवक सारा जीवन उनके लिए समर्पित कर देता है, तब कही जीवनके अन्तमे मुश्किलसे एक-दो अविचल नियमोंकी गोव वह कर पाता है। यदि तत्त्वज्ञानी जीवनको समझना चाहता हो, तो उसे कमसे कम इतना समर्पण तो करना ही चाहिये या नहीं? और जीवन कोई वाह्य पदार्थ नहीं है। उसमें हम जितने पूर्वाग्रहसे चिपके रहते हैं उतने ही तत्त्वज्ञानसे दूर रहते हैं। तत्त्वज्ञान जीवनके विकासके प्रबन्धके साथ मजबूतीसे जुड़ा हुआ है। इन सब वातोंको हम ख्यालमे रखें, तो वासनाओंका अन्त लानेके निर्णय पर आये मिवा कोई चारा नहीं है। जीवन-विषयक सत्यकी प्राप्ति उत्तर ध्रुवकी गोव है। उत्तर ध्रुव ही एक व्येय है, वहा जाते हुए मुख मिलेगा, दुख मिलेगा, जीवित लौटेगे या वीचमे ही खप जाना होगा, यह विचार अप्रस्तुत है। इसी प्रकार जो मनुष्य सत्यकी प्राप्तिको ही अपना व्येय बनाता है, उसके लिए सत्यकी प्राप्तिके मार्गमे नुखानुभव होता है या दुखानुभव होता है, आयुष्य बढ़ता है या घटता है, आनन्द होता है या गोक, ये विचार ही अप्रस्तुत हैं।

परन्तु वासनाओंका अन्त करनेका एक खास तरीका है। हाथ पर लगी हुई मिट्टीको जिस प्रकार हम बटक देते या वो डालते हैं, उसी प्रकार वासनाए बटकी या बोई नहीं जा सकती, अथवा जैसे पौधेको मूलमे से उखाड़ा जा सकता है, वैसे वासनाओंका उच्छेद नहीं हो सकता। परन्तु (जब ज्ञानुनका उपयोग नहीं होता था तब) - जिस प्रकार मिट्टीके तेलकी दुर्गन्ध निकालनेके लिए नागरवेलके पानको हाथ पर मलते थे, उसी प्रकार मलिन तथा स्वसुखकी ही वासनाओंको थुम और परोपकारकी वासनाओंमे बदल देना चाहिये और ऐसी शुभ वासनाओंकी विवेकसे चुद्धि करनी चाहिये, तथा उनका इतना पोषण

करना चाहिये कि वे वासनाके रूपमें रहे ही नहीं, परन्तु केवल सात्त्विक प्रकृतिके रूपमें सहज गुण बन जाय। यही वासनाओंका अन्त करनेका मार्ग हो सकता है।

इसलिए 'वासनाओंका उच्छेद किया जाय' इन शब्दोंका प्रयोग मैं नहीं करता, परन्तु यह कहता हूँ कि वासनाओंकी उत्तरोत्तर शुद्धि की जाय। अशुभ वासनाओंका शुभ वासनाओंद्वारा त्याग करना चाहिये और शुभ वासनाओंको निर्मल करते जाना चाहिये। जिस प्रकार अत्यत महीन अजन आखमें खटकता नहीं है, जिस प्रकार फूलका सूक्ष्म पराग वातावरणको बिगाड़ता नहीं है, उसी प्रकार वासनाओंका अत्यत निर्मल स्वरूप चित्त या जगत्‌के लिए अशात्तिकर नहीं होता। निवासिनिकता और इस स्थितिके बीचमें कोई भेद नहीं है।

जीवन और जगत् दुखरूप और मिथ्या है, ऐसा भी आपका पूर्वाग्रह बधा हुआ मालूम होता है। आपने यह बताया है कि बुद्धके चार आर्यसत्योंमें यह पहला आर्यसत्य है। मैं यह नहीं जानता। श्री कोसवीजीकी पुस्तकों परसे मैंने इसे दूसरी तरहसे समझा है, और उसका जैसा अर्थ मैं करता हूँ वैसा ही 'बुद्ध और महावीर' पुस्तकमें समझाया गया है। वस्तुत जीवन और जगत् दुखरूप है या सुखरूप है, ऐसा एकान्तिक सिद्धान्त बनाना शक्य नहीं है। बौद्ध परिभाषामें कहूँ तो व्यक्त जीवनमें अनुकूल वेदनाएं भी होती हैं और प्रतिकूल वेदनाएं भी होती हैं। प्रतिकूल वेदनाएं हो ही नहीं ऐसी स्थिति पर पहुँचना असभव है। ऐसी वेदनाओंमें से कुछ नैसर्गिक कारणोंसे अनुकूल-प्रतिकूल लगती है, कुछ आग्रहपूर्वक पोषित रसवृत्तिकी कल्पनाओंके कारण ऐसी लगती है। अग्निके साथ चमडीका स्पर्श होता है तब जो प्रतिकूल वेदना होती है, वह नैसर्गिक कारणसे होती है। अपने माने हुए फैशनके अनुसार न सिया हुआ कुरता पहननेसे होनेवाली प्रतिकूल वेदना कल्पना-वलके कारण होती है। ये अतिम दृष्टान्त हैं, परन्तु सब वेदनाओंके ऐसे दो विभाग किये जा सकते हैं। जहा तक भान है वहा तक नैसर्गिक वेदनाओंकी अनुकूलता-प्रतिकूलता मालूम हुए बिना नहीं रहती। उन्हें वैर्यसे सहन करना चाहिये और वे प्रतिकूल

हो तो उन्हे दूर करनेके उपाय करने चाहिये । कल्पनापोपित वेदनाओंसे होनेवाले सुख-दुःख केवल विवेक-विचारसे दूर हो जाते हैं ।

यह मेरी विचारसरणी है । मैं नहीं कह सकता कि इससे आपका कितना समाधान होगा । जितना उपयोगी मालूम हो उतना आप इसमे से ले लीजिये ।

२

जीवनका अर्थ*

स्वामी आनन्द एक आदमीका किस्सा कहते हैं :

एक गोरक्षा-प्रचारक थे । उन्हे जब कभी मौका मिलता, वे गायकी महिमा पर भाषण देते और अनोखी दलीले करते थे । उदाहरणके तौर पर, चूना सफेद क्यों है ? क्योंकि गायका दूध सफेद है । वगुला सफेद क्यों है ? क्योंकि गायका दूध सफेद है । खादी सफेद क्यों है ? क्योंकि गायका दूध सफेद है । वगैरा वगैरा ।

* प्रथ्यात् अमेरिकन विद्वान् विल ड्यूरेण्टने जगत्‌के कुछ समर्थ पुरुषोंसे नीचेके प्रश्न पूछे थे ।

“इस मानव-जीवनका अर्थ क्या है ? इस सारे ससारका फैलाव क्या निर्यक नहीं मालूम होता ?

“ज्ञान-विज्ञानकी इतनी खोजे होनेके बाद भी मानव-सुखकी कही ज्ञाकी दिखाई नहीं देती है । तो ज्ञानके पीछे वेतहाशा क्यों दीड़ा जाय ?

“इस मानव-जीवनका अतिम तत्त्व क्या है ? आपको काम करनेकी प्रेरणा किस बातसे मिलती है ? किस चीजमें आपकी श्रद्धा है ? क्या आपको धर्मका आधार मिलता है ? आपकी शांति, सतोप और विश्राम किस पर निर्भर है ? आप किसके आधार पर जीवनका यह महान आरम्भ-समारम्भ करते हैं ? ”

वम्बड़ीके गुजराती साप्ताहिक ‘युगान्तर’ की प्रार्थनासे लेखक द्वारा इन प्रश्नोंका दिया गया उत्तर ।

ये दलीले हमें कुछ फिरे हुए दिमागकी निशानी जैसी मालूम होंगी।

जीवनका क्या अर्थ है? इस सवालका जवाब देते समय ऐसी ही दलीले दी जानेका डर है। इसके सम्बन्धमें नीचे दी हुई एक प्रश्नोत्तरीकी कल्पना की जा सकती है।

प्र० — मानव-जीवनके विस्तारका क्या अर्थ है?

उ० — वही जो दूसरे सूक्ष्म कीटाणुओंसे लेकर सिंह और हाथी तकके जीवनका है।

प्र० — उनके जीवनका क्या अर्थ है?

उ० — वही जो पृथ्वीकी उत्पत्तिका है।

प्र० — परन्तु उसका भी क्या अर्थ है?

उ० — समग्र ब्रह्माण्डका जो अर्थ है वही।

प्र० — परन्तु इस ब्रह्माण्डका सारा विस्तार किसलिए है?

उ० — कोई ऐसा मानता है कि यह सब भगवानकी लीला है; कोई ऐसा मानता है कि यह सब जो दिखाई देता है, वह केवल माया है, अज्ञानके कारण दिखाई देनेवाला भास है। कोई कहता है कि यह भगवानका विविध रूपोंमें आविष्कार है।

प्र० — परन्तु इन सबमें सत्य क्या है? आप क्या मानते हैं? और यह लीला, माया, आविष्कार वगैरा जो भी हो किसलिए है?

उ० — यह विश्वकी आत्माका स्वभाव ही है।

प्र० — परन्तु उसकी आत्माका स्वभाव ऐसा क्यों है? इस स्वभावका प्रयोजन क्या है?

इस प्रकार अखूट प्रश्नमाला चलाते रहने पर भी सभव है कि हम जहा थे वही रहे।

क्योंकि इस प्रश्नका सच्चा उत्तर यह है कि हम “जानते नहीं।”

परन्तु “जानते नहीं” इतना कहनेसे मनको तृप्ति नहीं होती। हम जिसे अनुभवसे नहीं जानते, उसके सम्बन्धमें कल्पना करनेको मन उत्तावला बनता है। “कुछ खुलासा नहीं दे सकते” ऐसा कहनेमें हमारे

स्वाभिमानको वक्का लगता है। फिर चतुर व्यक्ति विविव कल्पनाएं करके उनका उत्तर ढूढ़ते हैं। ऊपरकी प्रश्नोत्तरीमें अन्तिम उत्तर था, “यह आत्माका स्वभाव ही है।” वस्तुत यह “जानते नहीं” का ही अनुवाद है। क्योंकि अतिम प्रश्नका उत्तर इतना ही दिया जा सकता है कि “स्वभावका अर्थ ही ऐसा गुण है, जो पदार्थके साथ अविच्छिन्न रूपसे जुड़ा हुआ हो।” गायके गलेमें ज्ञालर क्यों है? क्योंकि वह गाय है, ज्ञालर नहीं होती तो वह गाय नहीं कहलाती। उसी प्रकार पैदा होना और पैदा करना, फैलना-फैलाना, समेटना-सिमटना इत्यादि विवरके मूलमें रहे हुए तत्त्वका स्वभाव ही है। ऐसा उसका स्वभाव नहीं होता, तो उस तत्त्वका अस्तित्व ही क्या रह जाता?

मतलब यह है कि व्यक्तिका जीवन, मानव-जीवन, इतर जीवन या जड़ सृष्टि — सब कुछ विव-जीवनका एक अश ही है, और वह उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयके चक्रमें चलता रहता है, यह हमारा उसके विषयमें अनुभव है। यह चक्र यदि किसी हेतुसे चलता हो, तो उस हेतुके विषयमें हम निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं जानते। और हेतुको नहीं जाननेके कारण, उसके विषयमें कोई कल्पना करनेके बदले ऐसा कहना ज्यादा ठीक है कि वह उसका स्वभाव ही है।

मनुष्य उत्पन्न होते हैं, जीते हैं और मरते हैं। अपने जीवनकालमें वे समाजों और सम्यताओंको जन्म देते हैं, उनका विस्तार करते हैं और उन्हे समेट लेते हैं, अथवा उनकी उत्पत्ति, विस्तार और सको-चनके निमित्त बनते हैं। अतमें वे स्वयं ही विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार अनेक बार हो चुका है, ऐसा हमने इतिहास द्वारा सुना है। इस परसे “धानीका वैल सौ कोस चले फिर भी जहाका तहा” ऐसा अनेक बार लगता है। इस कारणसे यह प्रश्न उठा करता है कि आखिर इस सारे निर्माण और नागका मतलब क्या है? इसके उत्तरके रूपमें निश्चित ज्ञान तो मिलता नहीं है, केवल कोई कल्पना उत्पन्न होती है। उससे कुछ व्यक्तियोंका चाहे तात्कालिक समाधान हो जाय, परन्तु अतिम समाधान नहीं होता। क्योंकि अतिम समाधान कल्पनासे नहीं बल्कि अनुभवसिद्ध ज्ञानसे होता है। और उसकी

शक्यता न हो तो वस्तुका स्वभाव तथा उस स्वभावके नियमोंको जानकर उनके आधार पर जीवन-निर्माणके नियमोंकी शोध करनेसे अतिम समाधान होता है।

*

व्यक्ति स्वयं जीवनको निमत्रित नहीं करता। कमसे कम उसे ऐसा करनेका स्मरण नहीं है। वह हमे बिना मागे मिलता है। और फिर भी, गायद ही कोई मृत्युको न्योता देना चाहता है। कुछ व्यक्ति क्षणिक आवेशमे भले ऐसा करे, परन्तु अधिकतर मनुष्य अनिच्छासे ही मरते हैं।

पुराणोमे लिखा है कि एक जमानेमे हजार या दो हजार या इससे भी अधिक वर्षोंकी सामान्य आयु थी। ये बाते सच्ची होगी ऐसा मान ले, तो भी उस आयुका अत तो आखिर आया ही। पांच हजार वर्ष तक जीवित रहनेवाले व्यक्ति भी अधिक जीवित रहनेकी इच्छा न रखते हो ऐसा निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। कुछ व्यक्तियोंकी धनसे कदापि तृप्ति नहीं होती, परन्तु अमुक सीमाके बाद उससे संतुल्य होनेवाले वहुतसे व्यक्ति मिलेंगे। परन्तु अधिक वर्षोंका जीवन न चाहनेवाले मनुष्य थोड़े ही होते हैं।

बिना मागे मिली हुई चीजेको छोड़नेकी यदि इच्छा न हो, तो कहना चाहिये कि वह हमे मनपसद वरदान ही लगती है। तब जीवन किसलिए है यह प्रश्न ही अप्रस्तुत हो जाता है। वह आपको अच्छा लगता है, इतना ही कहना पर्याप्त है। अच्छा न लगता हो तो उसे छोड़ देनेका मार्ग सबके लिए खुला है।

परन्तु जीवन हमे अच्छा लगता है, इसलिए वह सदैव टिका रहे ऐसा भी सभव नहीं है। कुछ मानव चिरजीव हैं, ऐसा कथाएं कहती है। परन्तु हम उनसे कभी मिले नहीं, या वे हमारे परिचितोंमे से किसीको मिले हो, ऐसा विश्वसनीय प्रमाण नहीं है। यह लेख पढ़नेवालोंमे से कोई चिरजीव रहनेकी आशा रखता होगा या नहीं, इसमे भी शका ही है। इसलिए यह बिना मार्गी भेट आखिर छोड़नी

ही पड़ेगी, ऐसा मानकर चलना चाहिये। रोग, घिसाई* या हिंसासे नहीं, तो किसी दिन दुर्घटनासे ही उसे छोड़ना पड़ेगा। जिस जमीन पर हम खड़े हैं वही नष्ट हो जायगी, तो फिर हमारी तो वात ही क्या?

अधिकसे अधिक मनुष्य इतनी ही खोज कर सकता है कि रोग, घिसाई या हिंसासे उसकी मृत्यु न हो। यह सिद्धि अभी सबके लिए सुलभ नहीं है। इसके विपरीत मनुष्य जिस प्रकारका जीवन जीता है वह ऐसा है, मानो रोग, घिसाई तथा मृत्यु दूसरों तक पहुँचानेका ही उसका उद्देश्य हो।

वस्तुत जीवनका अर्थ क्या है, इस प्रश्नका काल्पनिक उत्तर पानेका व्यर्थ प्रयत्न करनेकी अपेक्षा जो एक मार्ग हमारे सामने खुला है उसीको अपनाना अधिक महत्वपूर्ण होगा। वह यह कि हम बिना मार्ग मिली हुई भेटके स्वरूपकी जाच करे, उसके अचल और चल नियम जाने और उसका अधिकसे अधिक तथा अच्छेसे अच्छा उपयोग करनेका तथा उस भेटको अतिम क्षण तक यथासभव ताजी और नवीन रखनेका प्रयत्न करे।

नयी बुनी हुई चादरके साथ जीवनकी तुलना करके, कबीर कहते हैं :

सो चादर सुर-नर-मुनि ओढ़ी,
ओढ़िके मैली कीनी चदरिया,
दास कबीर जतनसे ओढ़ी,
ज्यौ की त्यौ वरि दीनी चदरिया।

४

* यहा बुढ़ापेके बजाय घिसाई गब्द जान-बूझकर काममे लिया गया है। अधिक उमर हो जानेके फलस्वरूप होनेवाली घिसाई सृष्टिके नियमके अनुसार शायद अनिवार्य भी हो सकती है। वह बुढ़ापेकी जरा या जर्जरता है। परन्तु भुखमरी, अत्यन्त परिश्रम, स्वच्छन्द या नियमहीन जीवन वर्गराके कारण किसी भी उमरमे पैदा होनेवाली जर्जरता घिसाई कही जायगी।

मनुष्य बुद्धिमान होनेका घमण्ड करता है। परन्तु यह घमण्ड तो वैसा ही है जैसा दो वर्षका बालक माचिसकी पेटी जेवमे रखने और उसे सुलगानेका ज्ञान रखनेका घमण्ड करे। माचिसकी पेटी उसके पास है और वह माचिस जलाना जानता है, इसकी अपेक्षा ज्यादा महत्त्व इस बातका है कि माचिसका सही उपयोग करनेका विवेक उसमे है या नहीं। उसी तरह मनुष्य बुद्धि रखता है अर्थात् तरह तरहका वैज्ञानिक ज्ञान और युक्तिया जानता है और खोज सकता है, इसकी अपेक्षा उनका सही उपयोग करते आना अधिक महत्त्वपूर्ण है।

आज हम अपनी प्रगतिके लिए फूले नहीं समाते। देखते देखते विज्ञानका कितना विकास हो गया है और शीघ्रतासे होता जा रहा है। यहा तक कहा जाने लगा है कि पंद्रह मिनटमे सारी सृष्टिमें भयकर उथल-पुथल मचायी जा सके इस हद तक विज्ञानका विकास होगा। पुराणोंने भगवानकी महिमा गाते हुए कहा है कि “उसकी अकुटिके विलासमात्रसे ब्रह्माण्डोका प्रलय होता है।” यह सिद्धि आज मनुष्योंके हाथमे आने लगी है। चंद्र और मगल, गुरु और शनिके साथ सपर्क साधनेकी कला वैज्ञानिक शोध सकेगा, ऐसी उसे आशा होने लगी है। भोगसिद्धि और रोगके भी अनेक इलाज खोजे जा रहे हैं। हिंसा करने और उससे बचनेके भी नवीन नवीन मार्ग खोजे जा रहे हैं।

परन्तु रोग, घिसाई और हिंसाका जीवनमे स्थान ही न रहे, न खुदको इनकी छूत लगे और न दूसरोंको — इस प्रकारके जीवनके नियमोंको ढूढ़ने और उनके अनुकूल स्थृतिको विकसित करनेकी बुद्धि अभी तक खोजी नहीं जा सकी है।

जीवन किसलिए मिला है, यह हम जानते नहीं। परन्तु जीवनके साथ जीवित रहनेकी वासना भी मिली है, इतना ही अनुभवपूर्वक हम जानते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि जीवनकी अभिलापाके साथ कमसे कम पाच दूसरी भेटोका भी मनुष्यको अनुभव होता है। वे हैं जिजासा, कल्पनाशीलता, सर्जकता, सकल्प और श्रद्धामय आशा।

प्राणीमात्रको विना मागे जीवनकी भेट मिली है, मनुष्यको जीवनके साथ ये अतिरिक्त भेटे मिली है। ये भेटे भी विना मागी मिली हैं, और ये किसलिए मिली है यह निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता। अत इतना ही कहा जा सकता है कि ये भेटे मनुष्यत्वके स्वभावभूत अग हैं।

जीवनकी तरह यह विना मागी पूजी भी स्थूल रूपमे अनन्त नहीं है। उसका भी नाग होता है। इसलिए उसका अर्थ और प्रयोग जन ढूढ़नेकी अपेक्षा नाश होनेके पहले ही उसका अच्छेसे अच्छा उपयोग कर लेनेकी और उससे अधिकसे अधिक सतोप देनेवाला लाभ प्राप्त कर लेनेकी वुद्धिमत्ताका विकास करना, उसके अनुकूल परिस्थिति निर्माण करना और ही सके तो दूसरोंको भी उसका मार्ग दिखाना ज्यादा महत्वकी वात है।

इतना तो निश्चित रूपसे कहा जा सकता है कि इन पाच प्रकारकी शक्तियोंको अनियंत्रित रूपसे वहनेके लिए खुली छोड़ देना मानवकी मुख-गाति या उसके सतोपका सही उपाय नहीं है। इसलिए सब्यमकी तो आवश्यकता होगी ही। जिजासा, कल्पनाशीलता, सर्जकता, सकल्प और आशा तथा उनके परिणामस्वरूप उत्पन्न होनेवाले भोगों और प्रवृत्तियों पर सब्यम रखना आवश्यक होगा।

सब्यम आवश्यक है, इसलिए विवेक आवश्यक है। किसी निश्चित नापसे क्या योग्य है और क्या अयोग्य है, इसकी परीक्षा और पसदगी करनेकी शक्ति होना जरूरी है।

और, सब्यम तथा विवेककी जरूरत है, इसलिए हमारी की हुई परीक्षा और पसदगीके मुताविक व्यवहार करनेकी आदतें डालना जरूरी है। केवल वुद्धिसे समझ लेनेसे काम नहीं चलेगा।

आदतें डालने-डलवानेमे मेहनत करनी होगी, सब कुछ सरलतासे नहीं हो सकेगा। जैसे जैसे यायु बढ़ेगी वैसे वैसे यह करना। अधिक कठिन होता जायगा। समझके अनुसार आचरण न कर सकनेकी दुर्बलता पदन्पत पर खटकती रहेगी और वह कभी भी शाति तथा सतोषका अनुभव नहीं होने देगी।

इसलिए सयम और विवेकपूर्वक जीवन जीनेकी आदत डालनेकी मेहनत शुरूसे ही करनी और करानी चाहिये; इसे जीवनका आधारभूत नियम कहा जा सकता है। यह परिश्रम कठोर न मालूम हो ऐसे तरीके खोजनेका प्रयास भले ही किया जाय, परन्तु कठोर मालूम होने पर भी उसे करना तो होगा ही, दूसरा कोई उपाय नहीं।

*

हमने ऊपर देखा कि साधारण तौर पर मनुष्य जीना ही चाहता है, मरना नहीं चाहता। फिर भी मनुष्य इस प्रकार आचरण करता दिखाई देता है, मानो रोग, घिसाई और हिंसाको अपने लिए न्योतना और दूसरों तक पहुँचाना ही मानव-जीवनका उद्देश्य हो।

‘आत्मवत् सर्वभूतेषु’—ऐसा आचरणका नियम बताया जाता है, परन्तु कभी कभी यह नियम बहुत मार्गदर्शक नहीं होता।

व्यसनका सेवन करनेवाला दूसरोंको भी व्यसनकी छूत लगानेका प्रयत्न करता है, और प्रेमसे करता है। वह दूसरोंको अपने जैसा-बनाना जाननेवाला तो जरूर कहा जा सकता है। परन्तु उसका यह काम रोग और घिसाईको दूर रखनेवाला नहीं है।

इसलिए ‘समाजके हितके लिए’ अर्थात् दूसरोंको रोग, घिसाई और चोट न पहुँचे इस दृष्टिसे आचरण करनेका नियम होना चाहिये।

रोग और घिसाई होनेके बाद उन्हे सुधारनेके इलाज ढूढ़ना आवश्यक हो सकता है, परन्तु इससे भी अधिक महत्त्वकी बात यह है कि उनका निर्माण ही न होने दिया जाय। यही बात हिंसाके सम्बन्धमें है।

परन्तु हम तो उनका निर्माण करनेके पीछे ही रात-दिन लगे रहते हैं। उसे ही हम विज्ञान और सम्यता मान बैठे हैं। एक ओर हम अधिकसे अधिक आनन्दके उपभोगके लिए व्यर्थ प्रयत्न करते हैं, उसके लिए चाहे जितनी मारकाट मचाते हैं, और दूसरी ओर कालके मुखमें दौड़ते जाते हैं और दूसरोंको भी बेगसे उसी ओर घकेलते हैं। ऐसी हालतमें किसी दिन जीवनमें निराशा ही निराशा दिखाई दे और जीवन निर्यक लगे तो आश्चर्य क्या?

*

जीवन किसलिए है, इसका नि शक उत्तर तो जब मिलना होगा तब मिलेगा। पर उसे सतोषकारक बनानेका नियम है “सामनेवाले जीवके हितके लिए जीना”। अर्थात् भोगमे स्यम रखना, भोगप्राप्तिके साधन प्राप्त करनेमें सामनेवाले जीवके हितको हानि न पहुचे ऐसा सदाचार पालना, रोग, विसाई और हिंसाके कारण दूर करनेवाले विज्ञानका विकास करना, इत्यादि।

और, सतोषके लिए मनमें यह बात भी दृढ़तासे बैठा लेना आवश्यक है कि इस विन-मागे जीवनका अत आवेगा ही। वह भी अनसोचा और कदाचित् विन-मागा होगा। उसके लिए सदैव तैयार रहना और सामनेवाले प्राणीके हितके लिए हसते हसते मृत्युके सामने जाकर भी उसका आँलिगन करना सीखना चाहिये।

यदि हम यह सब समझ सके और उसे जीवनमें उतार सके, तो जीवन किसलिए मिलता है, टिकता है और नष्ट होता है तथा वह किसा दिशामें जा रहा है, इसकी कल्पना करनेका बहुत कुतूहल भी नहीं रह जायगा। पृथ्वी यह नहीं पूछती कि मैं किसलिए सूर्यके चारों ओर फिरती ही रहती हूँ। गुलाब और पारिजात पूछते नहीं कि किसलिए हमे प्रात काल होने पर खिलना, सुगंध फैलाना और सध्या होते समय कुम्हला जाना पड़ता है। चिड़िया पूछती नहीं कि किसलिए हमे घोसले वाधना, अण्डे रखना और उन्हें सेना तथा बच्चोंके पख आने पर उन्हें छोड़ देना होता है। इसी प्रकार हमें भी यह पूछनेकी आवश्यकता नहीं है कि किसलिए हमें जीवित रहना चाहिये, समाज-रचना करनी चाहिये, सस्कृतिया विकसित करनी चाहिये, बलिदान देने चाहिये और नीति-नियमोंकी रक्षा करनी चाहिये। अपना अपना कर्म निरन्तर करनेमें ही प्राणीभात्र सतोषका अनुभव करता है।

संसारमें रस*

“अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः।

अनाशिनोऽप्रमेयस्य ॥”^१ (गीता २-१८)

“नाऽहं जातो जन्ममृत्युं कुतो मे?

नाऽहं चित्तं शोकमोहीं कुतो मे?”^२

(शकराचार्य, आत्मपञ्चक-६)

अर्थात् आत्मा अजर-अमर है, तथा एक ही अमर आत्माके ये सब शरीर हैं, और मेरा स्वरूप वह आत्मा है, शरीर नहीं। ऐसा उपदेश देने पर भी ये ही ग्रन्थ या इनके जैसे दूसरे ग्रन्थ यह भी कहते हैं

^१ गुजराती ‘जीवन-शोधन’ की पहली आवृत्ति ई० स० १९२९ मे प्रकाशित हुई, उसके पहले उसका ‘मरणोत्तर स्थिति’ नामक प्रकरण लिखा गया था। प्रकरण ३, ४ और ५ मे आये हुए विचार सर्वप्रथम १९४२ मे मुझे सूझे थे और उन्हे मैंने दो लेखोमे विकसित किया था। इन प्रकरणोमे उन दो लेखोका बहुतसा भाग आया है, साथ ही इस विचारका अधिक विकास भी हुआ है। ‘जीवन-शोधन’ मे और इन लेखोमे मृत्युके विषयमें ही विचार किया जाने पर भी दोनोमे भिन्न-भिन्न दृष्टिसे विचार किया गया है। यह वाचकको पढ़ते ही मालूम हो जायगा।

१. नित्य, अविनाशी और अप्रमेय आत्माके ये सब देह नाशवत वताये गये हैं।

२ मैंने कभी जन्म ही नहीं पाया, तो मुझे जन्म-मृत्यु कैसे हो? मैं चित्त नहीं हूँ, तो मुझे शोक-मोह कैसे हो?

“जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधि-दुख-दोपानुदर्शनम् । . .

“एतज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥”^१

(गीता १३-८, ११)

“पुनरपि जननं, पुनरपि मरणं, पुनरपि जननी जठरे गयनम् ।”

(गकराचार्य, चर्पटपञ्जरिका, स्तोत्र-८)

(पुन. पुनः जन्म, पुनः पुनः मृत्यु और पुन पुन माताके उदरमे गर्भवास ।)

ये विचार केवल हिन्दू धर्ममें ही नहीं हैं। सभी धर्मोंके सतोने ससारके प्रति वैराग्य पैदा करनेके लिए मृत्युरूपी अवश्य होनेवाली घटनाका उपयोग कर लिया है।

“जावु जरूर मरी, मेलीने सर्वे जावु जरूर मरी ।”^२

(निष्कुलानन्द)

“कर प्रभु सगाथे दृढ़ प्रीतड़ी रे, मरी जावु मेली घनमाल,

अतकाळे सगु नहीं कोईनु रे ।”^३ (देवानन्द)

“आ तनरग पतग सरीखो जाता वार न लागे जी ।”^४

(ब्रह्मानन्द)

“इस तन-घनकी कौन वडाई, देखत नैनोमे मिट्ठी मिलायी,

अपने खातर महल बनाया,

^१ जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और दुखादि दोपोका ठीक अवलोकन — यह ज्ञान है। इससे विपरीत अज्ञान है।

^२ मरना तो अवश्य होगा, सब कुछ यही रखकर मरना अवश्य होगा।

^३ है मनुष्य, तू प्रभुके साथ दृढ़ प्रीति कर। सब घन-माल छोड़कर तुझे मरना ही होगा। अन्तकाल आयेगा तब सगे-सम्बन्धी कोई काम नहीं आयेगे।

^४ इस गरीरका रग पर्तिगे जैसा क्षणभरमें नाभ हो जानेवाला है।

आप ही जाकर जगल सोया;
 कहत 'कबीरा' सुनो मेरे गुनिया,
 आप मुए पीछे डूब गई दुनिया ।"

"ऐ मुसाफिर कूचका सामान कर,
 इस जहामे है बसेरा चन्द रोज,
 याद कर तू ऐ 'नजीर' कबरोके रोज
 जिन्दगीका है भरोसा चन्द रोज ।"

"मिट्टी ओढावन, मिट्टी बिछावन,
 मिट्टीमे मिल जाना होगा ।" (कमाल)

इस तरह सैकड़ो सन्तोके ऐसे सैकड़ो उद्गार यहा दिये जा सकते हैं। मेरी अपनी मनोवृत्ति भी इससे भिन्न प्रकारकी नहीं थी। मनुष्य मृत्यु-पर्यंत ससारके कामोमे दिलचस्पी लेता रहे, यह मुझे ठीक नहीं लगता था। ऐसा लगा करता था कि इसमे अज्ञान तो है ही। हमेंगा ऐसा खयाल बना रहता था कि जिस तरह होशियार मुसाफिर रेलगाड़ीके आनेसे पहले ही अपना सारा सामान तैयार रखता है, उसी तरह मृत्यु अभी आनेवाली है ऐसा मानकर मनुष्यको अपना कामकाज समेट कर रखना चाहिये। मेरी ऐसी कुछ मनोवृत्ति बन गई थी कि जीवनके आखिरी दिनोमे ससारके कामोसे हट जाना चाहिये, नई जवावदारिया नहीं लेनी चाहिये और निवृत्ति लेकर शात बैठ जाना चाहिये।

दूसरी तरफ, बहुतसे मनुष्योंके जीवनको ध्यानसे देखने पर ऐसा भी अनुभव हुआ है कि जैसे जैसे मनुष्यकी उमर बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसकी ज्यादा जीनेकी अभिलाषा और ससार-विषयक चिन्ता घटनेके बजाय बढ़ती जाती है। पच्चीस वर्षकी उमरमे निच्चयपूर्वक यह कहनेवाले कि पचास या पचपन वर्षकी उमरमे निवृत्त हो जाना चाहिये अथवा ज्यादा वर्षों तक जीना ठीक नहीं है और पचास-पचपन वर्षके मनुष्यको 'वूढ़ा' या 'वुढ़िया' कहनेवाले लोग जब खुद इस उमरमे पहुच जाते हैं, तब कुछ वर्ष और जीनेकी इच्छा रखते हैं और कोई उन्हे वृद्ध कहता है तो नाराज होते हैं। और यह इच्छा उमरके साथ बढ़ती ही जाती है। यह वृत्ति केवल अज्ञानी व्यक्तिकी ही होती है।

ऐसा भी नहीं। ससारको अच्छी तरह 'माया', 'स्वप्न', 'मिथ्या' समझनेवालोंकी भी होती है। शरीरकी अवक्षितके कारण भले ससारसे निवृत्त होना पड़े या मरना पड़े, परन्तु वह अच्छा नहीं लगता। सौ वर्ष तक जीवित रहनेकी इच्छा चालीसवें वर्षमें जितनी तीव्र होती है, उसको अपेक्षा ८०वें वर्षमें ज्यादा तीव्र होती है। मरनेके बाद अपनी प्रवृत्तियोंकी और अपनी रक्षी हुई 'माया'की व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिये, इस विषयमें भी उनके आग्रह और अभिलाषाएं होती हैं। अत्यन्त पिछड़े हुए आदिवासीसे लेकर अतिशय विद्वान् तत्त्वज्ञानी तक किसीका भी जीवन देखिये, हरएकके मनमें अपने शरीरके नाशके बाद रहनेवाले इस जगतके लिए कुछ न कुछ रस दिखाई देता है। एक व्यक्ति सततिके द्वारा अपनी जीवन-परम्परा चालू रखना चाहता है। (सततिका अर्थ ही विस्तार होता है।) दूसरा अपनी खुदकी सतानके अभावमें किसीको दत्तक लेकर सतानका सतोष प्राप्त करनेकी कोशिश करता है। तीसरा दान-धर्मादिसे अपनेको अमर करना चाहता है। चौथा अपने ग्रथो और कला द्वारा, पाचवा अपने वीर कर्मों द्वारा तथा छठा ऐसी सत्याएं स्थापित करके अपनेको अमर बनाना चाहता है, जो मृत्युके बाद ससारमें प्रकाश और आश्वासन फैलानेका काम करे। सातवा अपने उपदेशों द्वारा ऐसी सभी प्रवृत्तियोंको अज्ञान-युक्त और जगत्को मृगजलके समान झूठा समझाता तो है, परन्तु वह भी इसी ससारमें इन्हीं सिद्धान्तोंका पीढ़ी दर पीढ़ी बराबर प्रचार होता रहे इसके लिए सम्प्रदाय स्थापित कर जाता है। इस बारेमें हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, आस्तिक, नास्तिक, गोरा, काला, पीला, लाल, कोई भी अपवाद नहीं है। जानियोने साधना और कामना कर करके इस रसका नाग करनेकी कोशिश की है। परन्तु जिन्होने बहुत प्रखर साधना की है, वे ही अपने पीछे अधिक कीर्ति या सम्प्रदाय या शिष्य छोड़ गये हैं।

ऐसा विरोध क्यों है? धर्म और तत्त्वज्ञानकी सामान्य मान्यताएं इसका सतोषकारक उत्तर नहीं दे सकती। जिस तरह हम साधारण तीर पर जगत्के धर्मों और तत्त्वज्ञानको समझते हैं, उस परसे हमने ऐसा माना है कि शरीर तो मरता है और मरने ही वाला है, परन्तु

हरएकका जीवात्मा अर्थात् व्यक्तित्व अमर है। हिन्दू धर्मके अनुसार वह अमर जीवात्मा पुन जन्म और पुन मृत्युके चक्रमें पड़ता है। उसकी मोक्षरूपी एक अवधि है जरूर; परन्तु वह तो 'किसी सिद्ध यति' के लिए ही है। अहिन्दू धर्मोंके अनुसार उस अमर जीवात्माको शरीरके नाशके बाद क्यामतकी राह देखते हुए कब्ररमें वास करना पड़ता है। परन्तु दोनोंमें से एक भी मान्यता ऐसी कोई आशा नहीं दिलाती कि वह जीवात्मा जिस ससारमें शरीर धारण करके रहता था, उस ससारके साथ वह अवश्य किसी तरह जुड़ा रहेगा। पुनर्जन्मकी मान्यताके अनुसार तो मरनेवालेका पहला निवास प्रेतलोक या स्वर्गलोक या नरकमें होता है, और बादमें अपने कर्मानुसार वह किस अच्छी या बुरी योनिमें जन्म लेगा यह कहा नहीं जा सकता। वह कीटाणुसे लेकर ब्रह्मा तक चाहे जिस योनिमें पैदा हो सकता है। परन्तु अपने परिचित संसारके साथ उसका सम्बन्ध बना रहेगा, इसका उसे बिलकुल विश्वास नहीं होता।

इस तरह जीवात्माका व्यक्तित्व अमर है, इस सिद्धान्तसे जीवात्माका मृत्युके बाद इस ससारके लिए जो रस रहता है उसका खुलासा नहीं मिलता। और यह रस तो सबमें किसी न किसी रूपमें दिखता ही है।

इसके लिए हमें मनुष्यकी चित्त-शक्तिका अधिक गहरा अभ्यास करना होगा। हम आत्मा या परमात्माका स्वरूप बराबर समझने-समझानेके काबिल हो या न हो, मनुष्यका चित्त (मन और वृद्धि) तो सबके परिचयकी वस्तु है। जैसे जैसे उसका विकास होता है वैसे वैसे उसके रसों और कामोंमें कैसा फर्क पड़ता जाता है, यह हम देख सकते हैं। मनुष्य विकसित होकर वाल्यावस्थासे तारुण्यमें आता है तब कैसा फर्क पड़ता है और सकुचिततामें से विशालताकी तरफ जाता है तब कैसा फर्क पड़ता है, उसे हम समझ सकते हैं। उस परसे हम देख सकते हैं कि मनुष्यको अपने शरीर पर चाहे जितना मोह हो, उसे बलवान, सुखी और दीर्घायि बनानेके लिए वह चाहे जितना प्रयत्न करे, तो भी जैसे जैसे उसकी दृष्टि (वृद्धि) और रस (मन) खिलते जाते हैं और विशाल होते जाते हैं, वैसे वैसे उसे मानो

यह लगता जाता है कि उसका यह प्राणवान शरीर ही उसका जीवन नहीं है, परन्तु समग्र सृष्टिका जितना अब वह अपना बना सकता है वह सब मानो उसका अपना ही जीवन है, शरीर पैदा होते हैं और मरते हैं, उसी तरह उसका शरीर भी कभी मरेगा, परन्तु जगत् तो चलता ही रहेगा और उसके जिस अशमे उसका ममत्व है वह अश भी कायम रहेगा। उसके मन तथा बुद्धिके विकास और शुद्धिके अनुसार यह अब देश, काल तथा गुणके अधिक भागमे व्योप्त होता है; अर्थात् अपने शरीरसे ज्यादा बड़े भागके साथ उसकी आत्मीयता होती है, वह ज्यादा लम्बी निगाहसे देखता है और अधिक ऊचे तथा विविध गुणोंका ख्याल करता है। और इस विकासके प्रमाणमे ही वह अपने शरीर या सुखके लिए जो कुछ करता है, उसकी अपेक्षा अपने पीछे रहनेवाले जगत्‌के सुखके लिए अधिक मोह रखता है। और उसका यह मोह इतना बलवान हो जाता है कि मौका आने पर वह उसे अपने व्यक्तिगत सुखोंका और शरीरका भी बलिदान करनेकी शक्ति देता है।

कभी कभी मनुष्य अपने जीवनकी मर्यादा अपनी शारीरिक आयु तक ही बाधता जरूर है। परन्तु बुद्धिका विकास होनेके बाद कोई भी मनुष्य जीवनको हमेशा उतनी ही मर्यादामे बघा हुआ नहीं समझता। शास्त्रोंके आधार पर वह स्वर्ग, नरक, मोक्ष इत्यादि परलोकोंमें श्रद्धा रखता है तथा वहा अपने अलग अस्तित्वको टिका हुआ देखनेकी श्रद्धा भी रखता है। उसी तरह स्वप्न, निद्रा, मूर्छा इत्यादि शारीरिक अवस्थाओंके भेदके कारण ससारको मिथ्या, माया, इन्द्रजाल, भासमात्र आदि माननेका प्रयत्न करता है। कभी योगाभ्यास करके समाधिमें भी लीन होता है। परन्तु जाग्रत जीवनमे अनुभव किये जानेवाले विश्वव्यापी जीवनको अपने जीवनकालमे — और चित्तब्रह्म न हुआ हो तो सदाके लिए — भूल जानेमे वह कभी सफल नहीं होता। यह व्यापक जीवन-सम्बन्धी उसकी दृष्टि अल्प हो सकती है; परन्तु शरीरसे परे और शरीरके पीछे रहनेवाले ससारमे वह फैले बिना नहीं रहती। भले ससार क्षण-क्षणमे बदलता रहता हो, फिर भी जिस तरह नदीके पानी, किनारों, बहावके वेग और मार्गके सदैव बदलते रहने पर भी

उस प्रवाहकी अखडितताकी प्रतीति और रस बना रहता है, उसी तरह सदैव बदलते रहनेवाले ससारमें भी वह प्रवाहकी अखण्डता देखता है और उस कारणसे ससारमें उसका रस मिट नहीं सकता । ऐसा हो सकता है कि अपने ससारकी मर्यादा और उसके हिताहितका विचार करनेकी उसकी शक्ति अल्प हो और उसके रस अशुद्ध हो, और इससे वह एक छोटेसे क्षेत्रको ही सारी दुनिया तथा अल्प हितको ही समग्र हित मान ले । अल्पता और अशुद्धिके ये दोष ज्ञान और योग्य शिक्षा द्वारा तथा अनुकूल परिस्थिति पैदा करनेसे कम होते हैं । परन्तु मनुष्यत्वका विकास इस रसका नाश करनेके प्रयत्नमें नहीं, बल्कि उसका उचित पोषण करनेमें है ।

४

जीवनमें सृत्युका स्थान

“अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् ।
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुर्मर्हति ॥”

— जिससे यह अखिल जगत व्याप्त है, उसे तू अविनाशी जान । इस अव्ययका नाश करनेमें कोई समर्थ नहीं है ।

“न जायते म्रियते वा कदाचित्
नाय भूत्वा भविता वा न भूय ।
अजो नित्य. शाश्वतोऽय पुराणो
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥”

— यह कभी जन्मता नहीं है, कभी मरता नहीं है । यह था और भविष्यमें नहीं होगा ऐसा भी नहीं है । इसलिए यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है । शरीरका नाश होनेसे इसका नाश नहीं होता ।

“ब्रव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमव्यानि भारत ।
अव्यक्तनिवनान्येव तत्र का परिदेवना ॥”

— हे भारत, भूतमात्रकी जन्मसे पहलेकी और मृत्युके बादकी अवस्था देखी नहीं जा सकती; वह अव्यक्त है, वीचकी ही स्थिति व्यक्त होती है। इसमें चिन्ताका क्या कारण है?

“देही नित्यमव्योऽयं देहे सर्वस्य भारत ।

तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं गोचितुमर्हसि ॥”

— हे भारत, सबकी देहमें विद्यमान यह देहधारी आत्मा नित्य अवध्य है, इसलिए मृत्युके विषयमें तुझे शोक करना उचित नहीं है।
(गीता २-१७, २०, २८, ३०)

विश्वके विस्तार और क्षण-क्षणके सर्जन-विनाशमें दिखायी देनेवाला व्यापक जीवन शारीरिक जीवनके जितना ही जीवनका महत्वपूर्ण रूप है। यह व्यापक जीवन जिस तरह किसी गरीरके धारण, पोषण तथा चित्तके विकास द्वारा प्रभावित होता है, उसी तरह वह नाशके द्वारा भी प्रभावित होता है। उदाहरणके लिए, असाध्य रोग वृडापा या पागलपनसे निकल्मा वना हुआ शरीर केवल उसके धारण करनेवालेको ही भाररूप नहीं होता है; परन्तु उसके आसपास फैले हुए जीवनके रास्तेको भी रोकता है। उसकी मौतसे थोड़ी देरके लिए खेद होता है या बनाई हुई कुछ योजनाएं विगड़ जाती हैं परन्तु परिणाममें मृत्यु खुद मरनेवालेके लिए तथा आसपासके जीवनके लिए सहायक और आगेके विकासके लिए एक आवश्यक घटनाके समान ही होती है। जब अनिच्छासे अथवा तथाकथित ‘कुदरती कारणोंसे’ मौत होती है तब भी ऐसा ही होता है। बलात्कारसे होनेवाली मौतके नतीजे इससे भी ज्यादा स्पष्ट दिखायी देनेवाले होते हैं। ऐसा न होता तो कभी खून या लड़ाई करनेकी वृत्ति ही मानवमें पैदा न होती। जीवित प्राणियोंको मारा जाता है, क्योंकि मारनेवालोंका यह सही या गलत खयाल होता है कि मरनेवालेके देह-धारणकी अपेक्षा उसके देहनाशसे पीछे रहनेवालोंका जीवन — अर्थात् व्यापक जीवन — अविक अच्छी तरहसे विकसित होगा। यह सहज ही समझमें आनेवाली बात है। उदाहरणके लिए, मौत खुद एक रोज घटनेवाली घटना है, फिर भी यदि किसी सयोगसे एकाव महायुद्धके किसी मुख्य पात्रकी मौत

हो जाय, तो उस युद्धमे हुई सभी मौतोका विशाल जीवन पर जो एक-त्रित असर होता है उसकी अपेक्षा भी इस मौतका असर बढ़ जाता है। इसी तरहसे अपनी इच्छासे की गई या स्वीकारी हुई मौत भी जीवन-कालमे उन प्राणियोके द्वारा की हुई प्रवृत्तियोकी तरह ही व्यापक जीवनको विकसित करनेमे या उसे ऊपर उठानेमे बलवान साधन बन सकती है। कुछ ऐसे प्रसगोकी भी कल्पना की जा सकती है, जब जीवित प्राणियोकी अत्यन्त बुद्धिपूर्ण और तीव्र प्रवृत्तिकी अपेक्षा उनकी मौतका बल ज्यादा प्रभावशाली होता है। यदि ऐसा अनुभव न होता हो तो शहीद बननेका किसीमे उत्साह या श्रद्धा ही पैदा न हो। ऐसा लगता है कि ऐसे प्रसग पर होनेवाली मौत जीवनकी किसी प्रकारकी गुप्त अथवा रुकी हुई शक्तिको प्रगट या मुक्त करती है। वह शक्ति देह-धारणकी अवधिमे सारे प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं हो सकती थी। परन्तु देह छूट जानेके बाद थोड़े ही समयमे वह जीवनकी प्रगतिको रोकनेवाली बाधाको दूर कर देती है।

प्राणी मृत्युको जीवनका शत्रु ही समझता है। परन्तु जीवनका अनुभव हरएकको धीरे धीरे समझता है कि मृत्यु जीवनका मित्र भी है। योग्य समयमे मृत्यु न हो तो वह प्राणी अपने-आपको तथा दूसरोको अप्रिय लगने लगता है और भाररूप हो जाता है तथा दूसरोके विकासमे वाघक भी होता है। बहुत थोड़े आदमी ऐसे भाग्यशाली होते हैं, जो अपनी उपयोगिता पूरी होते ही तुरन्त चले जाते हैं। परन्तु मृत्युकी यह सेवा उसकी घटनाके समय ध्यानमे नहीं आती। इसलिए प्रियजनो पर उस समय तो शोककी छाया फैल जाती है। परन्तु धीरे धीरे यह अनुभव होता जाता है कि मौतने जो काम किया, वह दस वर्षोंके अधिक जीवनसे भी जायद नहीं हो पाता। विशाल जीवनको उन्नत करनेके लिए मौत कितनी जवरदस्त शक्ति निर्माण कर सकती है, इसके दृष्टान्तके तौर पर हजरत ईसा और उनके पहले शिष्योके, कुछ सिक्ख गुरुओके तथा साधु टेलेमैक्सके आत्म-वलिदान प्रस्तुत किये जा सकते हैं। इन सबने मानव-जीवनका प्रवाह बहुत ज्यादा बदल डाला है।

इस तरह तटस्थतासे विचार करने पर मृत्यु जीवित दशाकी तरह ही जीवनको विकसित करनेवाली मालूम होती है। जब किसीको ऐसा साफ मालूम हो जाय कि किसी कारणसे मेरी प्राणशक्ति प्रभावशाली ढगसे काम नहीं कर सकती अथवा आसपासके जीवनमें योग्य शक्तिका निर्माण करनेमें निप्फल रहती है और जीवनकी उन्नतिके लिए वैसी शक्तिका निर्माण होना जरूरी है, तब स्वेच्छासे मृत्युको निमत्रण देना उसका कर्तव्य हो सकता है। मोक्ष अथवा स्वर्गप्राप्ति जैसे किसी व्यक्तिगत लाभकी दृष्टिसे यह कदम उठानेकी जरूरत नहीं है, अथवा नहीं होनी चाहिये। फोड़े पर नश्तर लगानेकी शारीरिक शस्त्र-क्रियाकी तरह ही इसका निश्चय होना चाहिये। व्यापक जीवनके साथ अत्यत आत्मीयताका अनुभव हो तभी ऐसा निश्चय हो सकता है।

यह निश्चय हो जाय तभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि—

“गतासूनगतासूच्च नानुशोचन्ति पडिता. ॥”^१

(गीता २-११)

और

“एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति।

स्थित्वास्याम् अन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥”^२

(गीता २-७२)

१. पडितजन मृत और जीवितोका शोक नहीं करते।

२. हे पार्थ, ब्रह्मको पहचाननेवालेकी स्थिति ऐसी होती है। उसे पाने पर फिर वह मोहके बश नहीं होता और यदि मृत्युकालमें भी ऐसी ही स्थिति बनी रहे तो वह ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त करता है।

मृत्यु घर जीत

अब सोचने योग्य प्रश्न यह है कि यदि मृत्यु भी जीवनका ही एक रचनात्मक बल और जीवनको विकसित करनेवाला साधन हो और किसी प्राणीने अपनी मृत्यु कभी देखी ही नहीं यह बात सत्य हो, तो प्राणीमात्रको मृत्युसे इतनी ज्यादा नफरत और डर क्यों होता है? प्राण-धारणसे सच्चा वैराग्य मुश्किलसे ही क्यों हो सकता है? ससार दुखरूप ही है ऐसा कहनेवाला और ससारमें दुखका ही ज्यादा अनुभव करनेसे बार बार मृत्युकी इच्छा प्रकट करनेवाला मनुष्य भी आत्महत्याका प्रयत्न करनेके बाद जब मौत्र सचमुच उसके सामने आकर खड़ी होती है, तब दो क्षण अविक जीनेकी इच्छा रखता हुआ तथा उससे बचनेके लिए निष्फल प्रयत्न करता हुआ देखा जाता है। * हमारा स्नेहीजन बीमारीसे उठ सके ऐसी उसकी हालत नहीं है; वह सिर्फ़ पीड़ा सहन करता रहता है; उसकी उमर वगैराको देखते हुए वह मर जाय तो उचित समयमें ही मरा ऐसा माना जायगा — यह समझते हुए भी डॉक्टर और उसके सगे-सम्बन्धी उसकी आयुष्य-डोरको दो घण्टे तो भी ज्यादा लम्बी करनेके लिए छटपटाते हैं

यहा मुझे एक पाठ्यपुस्तककी वार्ता याद आती है। एक बूढ़ा गरीब लकड़हारा लकड़ीका बोझ लेकर जगलसे आ रहा था। रास्तेमें थक जानेके कारण बोझको जमीन पर फेक कर वह गहरी आहके साथ “हे राम, अब तो मौत आ जाय तो अच्छा !” कहता हुआ बैठ गया। तुरन्त ही उसके सामने एक पुरुष आकर खड़ा हुआ और उससे पूछने लगा। “क्यों भाई, मुझे कैसे याद किया ?” लकड़हारेने पूछा, “तुम कौन हो ?” उसने कहा, “मृत्यु — तुमने अभी मुझे याद किया था न ?” लकड़हारा थोड़ा घबराया परन्तु चालाकीसे बोला, “भाई, जरा यह बोझ मेरे सिर पर चढ़ा दो न ! ”

और वैसा करनेमे ही अपना स्वर्वर्म मानते हैं। शास्त्र भले यह कहे कि जीव अजर और अमर है और वार वार जन्म लेता है, अर्थात् अपना व्यक्तित्व कायम रखता है, फिर भी मनुष्यका वरताव तो ऐसी ही श्रद्धा प्रकट करता मालूम होता है कि जीवनके मानी आयुष्य है और आयुष्यके मानी जीवन है; तथा आयुष्यके अन्तमे व्यक्तित्वका नाग हो जाता है और व्यक्तित्वके नाशके मानी है अन्वकार। इस तरह मरनेवालेका या उसके स्नेहियोका मृत्युसे समाधान नहीं होता, इसका कारण क्या है?

यह बात सत्य है कि असमाधानका एक कारण दोनोंका पारस्परिक स्नेह है। वियोगका दुख होता है और वह होना स्वाभाविक है। परन्तु जिसके साथ स्नेहका कोई सबव नहीं होता, उसे भी हम मौतसे वचानेका प्रयत्न करते हैं और उसे मरता देखकर खेद प्रकट करते हैं। यह समभाव है। और इसके पीछे एक ही श्रद्धा काम करती हुई मालूम होती है। वह यह कि 'जीता नर घर वसाता है', मरनेवाला नहीं वसाता। 'मृत्यु मगल-स्वरूप है' ऐसा अनुभव करना बहुत कठिन है।

ऐसा मानना ठीक नहीं कि तत्त्वज्ञानके सिद्धातसे विपरीत ऐसी उल्टी मनोवृत्तिका कारण केवल अज्ञान ही है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि जिस अवस्थाका अम्यास या अनुभव नहीं होता, उससे मनुष्यको डर लगता है। जिसे अंवेरेका अम्यास न हो उसे अंघेरेका डर लगता है, जिसे जगलका अम्यास न हो उसे जगलका और जिसे शहरका अम्यास न हो उसे शहरका डर लगता है, पानीमें मुसाफिरी करनेका अम्यास जिसे न हो उसे स्टीमरका डर लगता है। मृत्युका पहले कभी अनुभव किया हो ऐसा किसीको याद नहीं होता, तब फिर उसका अम्यास तो हो ही कैसे सकता है? यह वस्तु अतमे अच्छी और सुखप्रद हो तो भी जिस तरह अंघेरेमें अथवा पहली वार पानीमें अथवा पैरेगूट लेकर हवामें कूदते समय डर लगता है, उसी तरह इसका डर लगता सभव है।

परन्तु इससे भी गहरा और महत्वपूर्ण एक दूसरा कारण भी उसके पीछे रहता है। वह है मरनेवाले व्यक्तिकी असिद्ध रही हुई कामना। जब तक मानवको ऐसा लगता है कि कुछ जानना, भोगना और करना बाकी रह गया है और उससे पहले ही शरीर-यत्रके रूप जानेका डर पैदा हो गया है, तब तक श्रद्धालु भक्त हों, वेदाती ज्ञानी हो अथवा सच्चा नास्तिक हो, किसीकी भी जीनेकी अभिलापा मिट नहीं सकती। मुसाफिरी बाकी हो और मोटरका पेट्रोल खत्म हो जाय या टायरमे छेद हो जाय, तो मुसाफिर ज्ञानी हो या अज्ञानी वह निराश हुए विना कैसे रह सकता है? लेकिन सभव है मुसाफिरी पूरी होनेके बाद मोटरका चाहे जो हो जाय तो भी उसको शोक न हो।

जीनेकी अभिलाषा मनुष्यकी कामना और शरीर-यत्रके बीच मेल न होनेका परिणाम है। “मारो हसलो^१ नानो ने देवळ^२ जूनु तो थयु।” (मीराबाई) अर्थात् कामनाए बाकी रही और शरीर उन्हे सिद्ध करनेके लायक नहीं रहा और उसके पहले ही टूटने लगा। कभी इससे उलटा होने पर शरीर-धारण भाररूप है, ऐसा भी अनुभव होता है। मनुष्य जो कुछ करनेकी उमग रखता था वह कर चुका, अब ज्यादा सोचनेकी या कामना करनेकी ताकत भी नहीं रही, शरीर भी जर्जित हो गया है; परन्तु उसके हृदयका मासपिण्ड ऐसा मजबूत है कि उसकी गति थमती ही नहीं और वह बर्बों तक शरीरको टिकाये रखता है। इसकी तुलना कुम्हारके चक्रकी गतिके साथ की जा सकती है। ‘हसलो’ छोटा रहे और ‘देवळ’ पुराना हो जाय, उस स्थितिसे यह उलटी स्थिति है।

परन्तु ‘हसलो’ भी छोटा और बलवान हो और ‘देवळ’ भी मजबूत हो और फिर भी ‘देवळ’ को तोड़ डालने या टूटने देनेका — अर्थात् मृत्युसे भेटनेका प्रसग आने पर हिंमत और समाधान रहे, तब हममे “मृत्यु मरी गयु रे लोल”* (मृत्यु मर गई) गानेकी योग्यता आयी, ऐसा कह सकते हैं। यह कब होता है?

१ हसलो=आत्मा। २. देवळ=शरीर।

* गुजराती कवि नरसिंहरावकी कविताकी एक पक्ति।

जब किसी मनुष्यके जीवनका ध्येय ऐसा दीर्घकालीन और नि स्वार्थ हो कि उसकी ही जिदगीमें उसका पूरी तरह सिद्ध होना असभव हो; इतना ही नहीं, उसकी सार्वजनिकता और कठिनाईके कारण वह अनेक व्यक्तियोके समग्र जीवन-कर्म और वलिदानोकी भी अपेक्षा रखता हो, तो वैसा ध्येय दूसरे ध्येयोकी तरह पूर्णतया उदात्त न होने पर भी अपने साथ ओतप्रोत होनेवाले व्यक्तिको अपना गरीर हिम्मत और सतोषपूर्वक छोड़ देनेकी गव्यता देता है। उस मनुष्यको उस ध्येयकी सिद्धिके लिए जीनेकी भी उमग रहती है और उसके लिए यदि मरना जरूरी हो तो उसमे मरनेकी भी हिम्मत आ जाती है। परन्तु कोई ध्येय चाहे जितना उदात्त और कठिन होने पर भी सार्वजनिक न हो, अर्थात् समष्टिके जीवनको व्याप्त करनेवाला न हो, वल्कि उस मनुष्यकी व्यक्तिगत कामना ही हो — जैसे कि मोक्षकी कामना — तो जब तक वह आदमी अपने ध्येयकी सच्ची या झूठी सिद्धि नहीं देखेगा, तब तक वह सतोप और हिम्मतके साथ मृत्युका स्वागत नहीं कर सकेगा। गरीरके थक जाने पर अनशन करके उसका अत करनेमें ही श्रेय है, ऐसा विचार करके अनशन शुरू करनेवालेकी भी उस अनशनसे डिगनेकी सभावना रहती है।

जो मनुष्य सार्वजनिक व्येय रखते हुए भी उसकी सिद्धि अपनी आखोसे देखनेकी व्यक्तिगत कामना रखता हो, वह मनुष्य भी सतोष-पूर्वक गरीरका अत देखनेमें असमर्थ होता है।

परन्तु जिसका ध्येय तुलनामें कम उदात्त — आध्यात्मिककी अपेक्षा आधिभौतिक माना जानेवाला हो, परन्तु ज्ञानपूर्वक अथवा सिर्फ परपरागत सस्कारो या जड़ताके कारण भी सार्वजनिक माना जाता हो, वह व्यक्ति — जीवनके दूसरे क्षेत्रोमें मामूली आदमी लगता हो तब भी — उस ध्येयकी सिद्धिके लिए जरूरत पड़ने पर ज्यादा हिम्मत और सतोपके साथ मर सकता है।

व्यक्तिगत मोक्षके लिए अनेक साधु पुरुषोने वहुत बड़ा पुरुषार्थ और त्याग किया है और वे मोक्षकी सिद्धिके पहले ही मर भी गये हैं। परन्तु यदि वह मोक्ष काल्पनिक ही हो, तो मोक्षसिद्धि जैसा लगनेके

बाद जो व्यक्ति थोड़े समयमें ही मर गये वे तो सतोषपूर्वक मरे हैं, परन्तु जो उसके बाद लंबे समय तक जीते रहे, वे मरनेके समय जीवित रहनेका प्रयत्न करते देखे गये हैं। क्योंकि काल्पनिक मोक्षकी कृतार्थताके मिट जानेके बाद कोई बाकी रही हुई कामना या ज्यादा आगे जानेकी कामना उनका नवीन ध्येय बनती है; और वह जीवित रहनेकी अभिलाषा उनमें कायम रखती है।

परन्तु जिसके जीवनका ध्येय जान या अनजानमें विश्वके जीवन-को किसी दिशामें ज्यादा समृद्ध बनानेवाला होता है और उसीमें जो अपना व्यक्तिगत श्रेय भी समझता है, उसे उस ध्येयके लिए अपना जीवित रहना भी जिस तरह प्रयोजनरूप लगता है उसी तरह मरनेकी जरूरत होने पर मरना भी प्रयोजनरूप लगता है, और काम करते करते यदि कुदरती मौत आवे तब भी शाति और सतोष रहता है। इस तरह कई बार किसी धर्मके स्थापककी अपेक्षा उसके प्रचारक ज्यादा हिम्मत और सतोषके साथ अपना बलिदान देते हुए पाये गये हैं। लड़ाई, समाजसेवा, स्वामिभक्ति, देशभक्ति वगैरा सब क्षेत्रोंमें ऐसा अनुभव होता है।

मृत्युको जीतनेका यही निश्चित मार्ग मालूम होता है। जीवनका ध्येय स्वलक्षी नहीं, व्यक्तिगत नहीं, परन्तु विश्वलक्षी और सार्वजनिक रखा जाय; उसे ध्येय माने या अपने श्रेयका साधन माने, अथवा अपने श्रेयको ध्येय माने और सार्वजनिक जीवनकी समृद्धिको उसका अनिवार्य साधन माने; यदि अपने श्रेय और विश्व-जीवनकी समृद्धिके बीच विरोध नहीं परन्तु सुमेल साधा होगा, यदि उस ध्येयका कुछ अश अपने ही जीवनकालमें और अपने ही हाथों या अपनी ही रीतिसे सिद्ध करनेका आग्रह नहीं रखा जाय, वल्कि वह इतना लम्बा और सार्वलोकिक हो कि अनेकोंके हाथोंसे दीर्घकालमें ही उसकी सिद्ध शक्य हो, तो वैसे ध्येयके लिए सतोषपूर्वक जीने और मरनेकी वहूत बड़ी सभावना रहती है। कोई दूसरा ध्येय यह परिणाम नहीं ला सकता।

विश्व-जीवन गणोत्रीसे निकलकर समुद्रकी तरफ बढ़नेवाले गगाके प्रवाहके समान है। ध्यवित उसके पार्नीकी एक एक वूदके समान है।

ये सब वूदे एक-दूसरेके साथ मिलकर और सतत मिली हुई रह कर लगातार आगे ही आगे बढ़ती रहती है, पीछेसे आनेवाली वूदोका प्रवाह आगे गई हुई वूदोको ढकेलता रहता है। और पीछेकी तथा आगेकी वूदे पृथ्वीके गुरुत्वाकर्पणसे समुद्रकी ओर वेगपूर्वक दौड़ती ही रहती है। ऐसा होता है तभी गगा बड़ी नदीका रूप धारण करती है और उसे समुद्र तक पहुचनेकी सिद्धि मिलती है।

परन्तु यदि उस गगाकी हरएक वूदके बारेमें अलग अलग विचार करे, तो हरएक वूद समुद्र तक पहुचती ही है ऐसा नहीं कह सकते। कितनी ही वूदोको आसपासकी और नीचेकी जमीन सोख लेती है, कितनीको वनस्पतिया चूस लेती है या जीव-जरु पी जाते हैं, कितनी ही वूदे अवधीनमें ही सूखकर भाफ बन जाती है, कितनी ही अनेक पदार्थोंके साथ मिलकर रासायनिक द्रव्योका रूप ले लेती है। इस तरह अगणित वूदे समुद्र तक पहुचती ही नहीं। दूसरी ओर, जिसे हम गगाका प्रवाह कहते हैं उसे अपनी समृद्धि और सिद्धि यमुना, सोन, सरयू, गडक, गोमती जैसी कितनी ही बड़ी बड़ी नदियों और सैकड़ों छोटे छोटे नदी-नालोंके स्वार्पणसे प्राप्त हुई है, जो उनके व्यक्तित्वका नाग करनेवाला है। इन अगणित वूदोका और इन सैकड़ों नदी-नालोंका इस तरह सतत बलिदान न होता रहता, तो गगाके प्रवाहको समुद्र तक पहुचनेकी सिद्धि नहीं मिलती, अथवा मिलती तो भी जगत् उसकी इतनी ज्यादा कीमत नहीं करता। क्योंकि गगा हमें जो भव्य और माताके समान पोषण करनेवाली लगती है वह उसके समुद्र तक पहुचनेवाले जल-प्रवाहकी अपेक्षा उसकी जज्ब होनेवाली, चूसी जानेवाली, पी जानेवाली, सूखनेवाली और रसायन बननेवाली वूदोके कारण तथा अनेक नदी-नालोंको अपनेमें समा लेनेकी शक्ति रखनेके कारण लगती है।

फिर भी समुद्र तक पहुचनेवाला अथवा न पहुचनेवाला हरएक विन्दु और नदी-नाला सपूर्ण रूपसे पानी ही है न? वह समुद्रमें पहुचा नहीं है या अलग अलग प्रवाहके रूपमें बहता नहीं है, और उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व रहा नहीं है, इससे क्या उसके और समुद्रके विन्दुओंके

स्वरूपमे रक्तीभर भी अतर पड़ता है? अथवा समुद्र तक न पहुचनेके कारण या वहा पहुचने तक अलग व्यक्तित्व न रख सकनेके कारण क्या उनका जलत्व कम कृतार्थ या कम सिद्ध हुआ माना जायगा? परन्तु यदि कोई विदु या नाला खुद ही अपने व्यक्तित्वकी रक्षा करके समुद्र तक पहुचनेका आग्रह रखे, तो उसे कृतार्थताका अनुभव नहीं होगा। तटस्थ न्यायाधीश इसे उसका मूढाग्रह ही समझेगा।

यदि हमे व्यक्तिगत सिद्धिया प्राप्त करनेका तथा हमारे व्यक्तित्वको सदाके लिए अलगसे सुरक्षित रखनेका आग्रह न हो, तो हमारे जीवन और मृत्युके बीचका भेद मिट सकता है। अनासक्ति और अलिप्तताकी सिद्धि इसके बिना सभव नहीं है ऐसा कहिये, अथवा इस स्थितिकी प्राप्तिको ही अनासक्ति या अलिप्तता कह लीजिये। इसी अर्थमे नीचेके श्लोक चरितार्थ हो सकेगे.

“आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठ
समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् ।
तद्वत्कामा य प्रविशन्ति सर्वे
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥”^१

“विहाय कामान्य सर्वान्पुमाश्चरति निस्पृह ।
निर्ममो निरहकार. स शान्तिमधिगच्छति ॥”^२
(गीता २-७०, ७१)

१. नदियोंके प्रवेशसे भरता रहने पर भी जैसे समुद्र अचल रहता है वैसे ही जिस मनुष्यमे ससारके भोग शान्त हो जाते हैं, वही शान्ति प्राप्त करता है, न कि कामनावाला मनुष्य।

२. सब कामनाओंका त्याग करके जो पुरुष इच्छा, ममता और अहकाररहित होकर विचरता है, वही शान्ति पाता है।

जीवन सुखसय है या दुःखसय ?

“न जाने ससार किममृतमय. कि विपमय ॥”

(भर्तृहरि, वैराग्यशतक, ८८)

ससार-जीवन दुःखसय ही है, ऐसा सब वर्मों और दर्शनोंका तथा सामान्य रूपसे गमीरताके साथ अपना अनुभव प्रकट करनेवाले मनुष्योंका निश्चित मत मालूम पड़ता है। साख्यकारिकामें कहा गया है कि-

“(ऊर्व, मध्य और अव—तीनों लोकोंमें) चेतन पुरुष जरा-मरणसे होनेवाला दुःख भोगता है। . . . इसलिए दुःख स्वभावसे ही है।” (कारिका ५५)

योगसूत्र भी कहते हैं कि-

“मुख भी अस्थिरता, चिन्ता और स्सकारोके दुःखोवाले तथा गुण और वृत्तियोके विरोववाले होते हैं, इसलिए विवेकी पुरुष सबको दुःखरूप ही मानता है।” (२-१५)

गीता भी दो स्थानों पर इसका समर्थन करती है। नवे अध्यायमें कहा गया है कि-

“अनित्यमनुखं लोकमिम प्राप्य भजस्व माम् ।”^१

(९-३३)

तथा तेरहवें अध्यायमे “जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधि-दुःख-दोषानु-दर्शनम्” (१३-८) को ज्ञानका एक लक्षण बताया गया है।

वीढ़, जैन इत्यादि वर्मों और दर्शनोंका भी यही अभिप्राय है। ईसाई और मुसलमान सतोने भी इन्हीं विचारोंको पोसा है। वैराग्य और सत्यास-मार्गका उत्पत्ति भी इसी मतसे हुई है।

१. इसलिए इस अनित्य और सुखरहित लोकमे जन्म लेकर तू मुझे भज।

२. जन्म, मरण, जरा, व्याधि, दुःख और दोषोंका निरन्तर भान।

साख्य, योग, न्याय, वैशेषिक इत्यादि दर्शन सुखके अस्तित्वका ही इनकार करते हुए मालूम होते हैं। दुःखके आत्यन्तिक नाशका ही नाम सुख है। सुख या आनन्दकी प्राप्तिका या उसकी शोधका प्रयत्न केवल मिथ्या प्रयास है। बहुतसे अद्वैत वेदान्तियोने भी आत्माका स्वरूप बतलानेवाले तीन शब्दोको — सत्, चित् और आनन्दको असत्, अचित् और शोकका निरास करनेके लिए ही स्वीकार किया है, अर्थात् असत् नहीं इसलिए सत्, जड नहीं इसलिए चेतन, शोकरूप नहीं इसलिए आनन्दरूप। आत्मा तो सुख और आनन्दका सागर है, उसमे निरतिशय आनन्द है, इत्यादि वर्णन प्रत्येक वेदान्तीको मान्य नहीं है।

पुराणोमे मार्कण्डेय मुनिकी ऐसी कथा है कि वे चिरजीव मुनि अनेक सृष्टियोमे धूमे तथा उन्होने अनेक सृष्टियोकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय देखे, परन्तु कहीं पर भी उन्हें यह अनुभव नहीं हुआ कि जीवन मुखमय है।

केवल सुभाषितोमे भर्तृहरि ही कहीं पर आनन्दके और कहीं पर दुखके दृश्य देखकर यह शका प्रकट करते हैं कि कुल मिलाकर इस ससारमे अमृत भरा है या जहर, यह समझमे नहीं आता।

भर्तृहरिको एक ही समयमे परन्तु जुदी जुदी जगहो पर मुख-दुख दोनोंके दृश्य देखकर यह शका पैदा हुई है। अर्थात् सारे ससारके विषयमे यह शका है। परन्तु हमारा व्यक्तिगत या समष्टिका जीवन कुल मिलाकर सुखरूप है या दुःखरूप, यह भी विचारने जैसी वात है।

क्या सचमुच हर मनुष्यको निजी अनुभवसे ससार अयवा जीवन हमेशा दुखरूप ही मालूम हुआ है? क्या इसके सुख भी दुख देनेवाले और दुख भी दुःख देनेवाले ही हमेशा सावित हुए हैं? क्या मनुष्यकी ससार-सम्बन्धी अनुभवोकी स्मृति भौतिक, मानसिक, वौद्धिक, आध्यात्मिक — किसी भी प्रकारके सुखके अश्वे हमेशा रहित ही होती है? क्या उसने जीवनमे दुखके साथ सुखका भी अनुभव नहीं किया है? क्या हरएक सुख बादमे दुखरूप ही मालूम हुआ है? या उसकी स्मृति केवल दुख ही पैदा करती है? इससे उलटा, क्या ऐसा भी नहीं

हुआ है कि कुछ दुख भी वादमे सुखकारक सिद्ध हुए हैं अथवा दुख-कारक होने पर भी स्मृतिरूपमे सुख देनेवाले मालूम हुए हैं?

और ऐसे कितने आदमी हमने देखे हैं, जिन्होंने जीवनको दुख-रूप माननेके बाद भी उसमे से सुख प्राप्त करनेकी या उसे सुखकर बनानेकी आशा रखी ही न हो? कोई उपाय प्रयत्न करने जैसा मालूम हुआ हो और उसे आजमानेकी शक्यता हो, फिर भी उसकी आजमाइश न की हो? उपाय मालूम न होने पर उसकी शोध करना उचित न माना हो? और जो लोग कहते हैं कि हमने तो जीवनमे दुख, दुख और केवल दुख ही देखा है और हम जीवनसे विलकुल निराश हो गये हैं, उनके सामने कोई उन्हे तत्काल गोलीसे उड़ा देनेके लिए तैयार हो, तो उनमें से कितने उसका कृतज्ञतापूर्वक स्वागत करनेके लिए तैयार होगे? यह बात सच है कि वलवान विरोधी परिस्थितियोंके कारण, आलस्यके कारण या पुरुषार्थ करनेकी शक्ति न होनेके कारण अथवा सोची हुई सफलता न मिलनेके कारण वहुतसे लोग दुखमें सड़ते रहते हैं और अपने नसीबको दोप देते हैं अथवा ससार दुखमय ही है ऐसा बोध लेते हैं। परन्तु वह निराशाका परिणाम है। और निराशाका स्वभाव ही ऐसा है कि चाहे जितना टीप टीप कर उसका सस्कार मजबूत बनाओ, तो भी वह आशाकी अपेक्षा अल्पजीवी ही रहती है। जिस तरह गहरा अघेरा छोटीसी दियासलाईके सामने भी टिक नहीं सकता, उसी तरह निराशा आशाकी किरणके सामने टिक नहीं सकती।

परन्तु अवकारको दूर करनेके लिए आप एकके बाद एक दियासलाई जलाते जाय, तो ऐसा अनुभव होगा कि अवकार ही गाढ़ है और दियासलाईसे उसे दूर करनेका प्रयत्न वेकार है। उसके बदले मोमवत्ती, लालटेन या मजालका प्रयत्न अधिक सफल होगा। परन्तु मोमवत्तीके खतम हो जानेके बाद क्या होगा, लालटेनका तेल खतम हो जानेके बाद क्या होगा, ऐसे ही सवाल यदि 'विवेकी' पुरुष पेश करता रहे, तो मैं उन सवालोंको विवेक नहीं मानूगा। इसके लिए तो दूसरी मोमवत्ती या मजाल लाना अनिवार्य है, ऐसा समझकर ही उसे चलना चाहिये।

बुद्धने पहला आर्यसत्य यह गिनाया है कि जरा, व्याधि, मृत्यु, अप्रियका योग और प्रियका वियोग ये पाच दुःख प्राकृतिक हैं। बात सच है। इनके सिवा दूसरे सब दुःख तृष्णाजन्य हैं, वे तृष्णाको छोड़ देनेसे दूर किये जा सकते हैं। परन्तु क्या तृष्णा छू करने मात्रसे छू सकती है? हम जीर्ण होकर मर जाय और सब सत्पुरुषोंके ज्ञानामृतको रात-दिन पीते रहे, फिर भी एक दिन अचानक ऐसा मालूम पड़ता है कि वह निर्मूल नहीं हुई है।

और जो पाच प्राकृतिक दुःख ऊपर गिनाये गये हैं, उनके साथ ही जन्म, युवावस्था, आरोग्य, प्रियका योग और अप्रियका नाश — इन पाच आनन्दोंको भी हम प्राकृतिक ही क्यों न कहे? और तृष्णाकी सिद्धिके समय उसका सुख भी मिलता है, ऐसा भी क्यों न कहे?

वस्तुतः ससार और जीवनके प्रति देखनेकी हमारी दृष्टिमें और उसके सबधमें हमारी अपेक्षामें ही दोष हैं।

गीताके दूसरे अध्यायका १४ वा श्लोक ससारके स्वरूपको अधिक सच्ची रीतिसे प्रकट करता है:

“मात्रास्पर्शस्तु कौतेय शीतोष्णसुखदुखदा। ।

आगमापायिनोऽनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत ॥”^३

जीवनमें सुख तथा दुःख दोनों अनित्य हैं, सुखरूप तथा दुःखरूप दोनों प्रकारके विषय आते हैं और जाते हैं। हम दोनोंको सहन कर ले। अनित्यमें नित्यकी आशा करना और फिर कहना कि सुख अनित्य है इसलिए दुःख ही नित्य है, यह ससारका जो स्वभाव नहीं है उसकी उससे आशा रखनेसे पैदा होनेवाली निराशा है। यह ठीक वैसा ही है जैसे गरम जलसे शरीर जल सकता है यह जाननेके कारण उसे अग्नि पर डालकर अग्निको और ज्यादा प्रज्वलित करनेकी हम आगा रखे और वैसा न होने पर यह कहे कि गरम पानी जला सकता है

१ हे कौतेय, इन्द्रियोंके स्पर्ज सर्दी, गर्मी, सुख और दुःख देनेवाले होते हैं। वे अनित्य होते हैं, वे आते हैं और जाते हैं। उन्हें तू सहन कर।

यह विलकुल ब्रूठ है। गरम पानी जला सकता है यह सत्य है, परन्तु वह अमुक वस्तुको ही। इससे ज्यादा आगा उससे रखी जाय तो दोप आगा रखनेवालेका हैं, गरम पानीका नहीं। उसी तरह ससारमें सुख भी अमुक मात्रामें और अमुक परिस्थितियोमें ही है, उससे ज्यादाकी आशा रखनेवाला भूल करता है। जो बात सुखके लिए सच है वही दुःखके लिए भी है।

मुख और दुखके बीच एक दूसरा भी फर्क है। यदि ससारके विषयमें हम ऐसी कल्पना कर ले कि वह ऐसे ढालकी तरह होना चाहिये, जिस परसे बगैर किसी कोशिशके और आरामसे हम फिसलते फिसलते नीचे आ सके, तो वह निराशा ही पैदा करावेगी। ससारका यह स्वभाव ही नहीं है। क्योंकि अनित्य ससार और नित्य आत्माके बीच चाहे जितना भेद मालूम होता हो, तो भी ससार आत्मासे पैदा हुआ है। और आत्मा हाथमें से छूटते ही खटसे नीचे गिरनेवाले पत्थरके जैसी नहीं है, वल्कि हमेशा ऊपर ही ऊपर उड़नेकी कोशिश करनेवाले गरुड जैसी है, और उड़नेकी किया ही ऐसी है कि उसमें कोशिश और महनतके बगैर काम चल नहीं सकता। उसी तरह ससारमें सतत पुरुषार्थ, सतत परिश्रम जीवनको आगे बढ़ानेकी अनिवार्य शर्त है। इस शर्तका पालन न किया जाय तो नीचे गिरना ही होगा; और वह तो सदा दुखमय ही होता है। इस शर्तका पालन करने पर भी कदाचित् निप्फलता मिले और दुख हो, परन्तु सफलता भी मिल सकती है और सुख भी मिल सकता है। ऐसा होनेके कारण सुख सयोग-वग तथा प्रथलावीन और दुख स्वभाव-सिद्ध मालूम होता है, परन्तु उसका अर्थ यह नहीं है कि ससार केवल दुखमय ही है। हिमालय पर चढ़नेमें सतत परिश्रम करना पड़ता है, नीचे गिरनेमें सतत परिश्रमकी जरूरत नहीं होती, बगैर कोशिशके — अनिच्छासे भी — कभी कभी वह हो सकता है। यह संभव है कि चढ़नेका परिश्रम करने पर भी कभी निप्फलता मिले। परन्तु इससे पृथ्वीको घाटियो और पर्वतो-वाली न कह कर केवल घाटियो और गड्ढोवाली ही कोई कहे तो वह ठीक नहीं है।

और, वहुत विचारने जैसी बात तो यह है कि संसार दुःखरूप ही है, ऐसा तत्त्वसिद्धान्त होने पर भी प्राणीके हृदयसे ससारको सुखरूप बनानेकी आशा और प्रयत्नोका कभी उच्छेद ही नहीं होता, इसका कारण क्या है? इसका जवाब यह दिया जाता है कि आत्मा सुखरूप है, और इस आत्मसुखका ससारको जो रंग लगा हुआ है वह अज्ञानके कारण संसारमें सुखका भास कराता है, वस्तुत अपनेमें रहे हुए सुखके अनुभवके बारेमें प्राणी भूलसे ऐसी कल्पना करता है कि वह बाहरसे आता है। अपनी नाभिमें रही हुई कस्तूरीको जिस तरह हिरन बाहर खोजता फिरता है, उसीके जैसी यह भूल है। मेरे विचारसे यह स्पष्टीकरण अघूरा है। विचार करने पर मुझे ऐसा लगता है कि आत्मामें से ही इस ससारका उद्भव है और आत्मा तथा ससारके स्वरूपमें परस्पर विरोधकी कल्पना करना गलत है। आत्मा अनत गक्तिवाली है, इसलिए ससार भी अनतरूपी है; आत्मा सतत क्रियावान, गतिमान है, इसलिए ससार भी सतत बदलनेवाला है, आत्मा सतत ज्ञानरूप है, इसलिए ससार सतत नये नये अनुभवोंसे भरा हुआ है; सक्षेपमें, निरतर नये नये रूपोंमें अपनेको प्रकट हुआ देखना आत्माके स्वरूपमें से पैदा होनेवाला अवश्य स्वभाव है। ये अनत रूप अलवत्ता एकसे नहीं हो सकते; परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं। और इसलिए कभी सुखकी वेदना करानेवाले और कभी दुखकी वेदना करानेवाले होते हैं। सुखकी वेदना पैदा करके वहा स्थिर रहना आत्माके स्वभावमें नहीं है, इसलिए नवीन वेदना ज्यादा सुखकी या कम सुखकी होती है अथवा दुखकी भी होती है। दुखकी वेदना पैदा करके उसमें सतोष मानना या हमेशाके लिए निराश होकर बैठ जाना भी आत्माका स्वभाव नहीं हो सकता। क्योंकि एक ही जगह और उसमें भी निष्पल स्थल पर स्थिर रहना उसके ज्ञान-क्रियाशील स्वभावके विरुद्ध है। इसलिए जहा जहा दुखका अनुभव हो वहा वहा उसके साथ झगड़ना और उसमें से निकलनेके लिए प्रयत्न करना और जहा जहा सुखका अनुभव हो वहा उसे समृद्ध करनेके लिए प्रयत्न करना उसके स्वभावका परिणामस्पद धर्म है। उसके

स्वभावके विरोधी तत्त्वज्ञानका चाहे जितना प्रचार हो, और कोई विरला योगी वैसे तत्त्वज्ञानमें दृढ़ रूपसे स्थिर हुआ दिखाई दे, तो भी वैसा तत्त्वज्ञान जगत्‌में कभी स्थायी नहीं मालूम होगा। इसलिए जरा, मृत्यु, रोग, अप्रिय परिस्थितियोंके योग और प्रिय परिस्थितियोंके वियोगके अनिवार्य दुखोंको दूर करना तथा बल, आरोग्य, दीर्घयु, प्रिय परिस्थितियोंके योग और अप्रियके वियोगसे प्राप्त होनेवाले सुखोंको सिद्ध करनेके लिए प्रयत्न करना ही उचित पुरुषार्थ और जीवनका ध्येय हो सकता है। अलवत्ता, उसमें विवेक तो होना ही चाहिये; अर्थात् ज्ञान होना चाहिये। ज्ञानकी कमीके कारण पुरुषार्थकी निफलता-के प्रसग बार बार आयेगे। और विवेक भी होना चाहिये, यानी उन प्रयत्नों तथा उनके परिणामोंके विषयमें गलत आशा नहीं रखनी चाहिये, नहीं तो निराशा होगी ही। गलत आशाएं ये हैं प्रयत्नको सोची हुई सफलता मिलनी ही चाहिये, वह प्रयत्न तथा उसका परिणाम सुखरूप ही होना चाहिये, दुखरूप होना ही नहीं चाहिये; उसमें मेहनत होनी ही नहीं चाहिये अथवा हो भी तो बहुत कम होनी चाहिये। ऐसी ऐसी गलत आशाओंका नाम ही फलासक्ति है।

परन्तु मिथ्या आशाएं न रखते हुए भी इतना तो जानना ही चाहिये कि आत्मा सत्यकाम और सत्य-सकल्प है। इसलिए वह जिस स्थितिको प्रकट करनेके लिए विवेकपूर्वक प्रयत्न करती है और उसके पीछे सतत लगी रहती है, वह स्थिति योग्य कालमें सिद्ध होती ही है। इसलिए ससारको सगुद्ध, समृद्ध और निर्दोष वनानेवाला पुरुषार्थ सतत करते रहना और वैमा करते हुए सुख-नुख, लाभ-हानि, यज्ञ-अपयश वगैरा जो कुछ भी आ पड़े उसे सहन करनेके लिए तैयार रहना, उसके लिए जीवनको टिकाये रखने जैसा और जरूरत पड़े तो उसकी बलि देने जैसा भी समझना — इसीमें विवेकी और पुरुषार्थी मनुष्यके लिए अपना तथा विष्वके जीवनका श्रेय तथा व्येय प्राप्त करना सभव हो सकता है। इसीमें से मानव-धर्म और व्यक्तिका स्वर्कर्म प्राप्त होगा।

परिशिष्ट

‘जगमे जीना दो दिनका’?

जब मैं सन् १९४२ में रायपुर जेलमें कैदी था, तब मेरे वार्डके बाजूमें ही स्त्रियोंका वार्ड था। वहासे सुबह-शाम प्रार्थनाकी आवाज सुनाई देती थी। उसमें एक भजन रोज गाया जाता था। उसका ध्रुवपद था — ‘जगमे जीना दो दिनका’। मेरा खयाल है कि यह भजन ब्रह्मानन्द-भजनमालाका है। इसी भावके हमारे भक्ति-साहित्यमें सैकड़ों भजन हैं। कवीरका ‘इस तन धनकी कौन बडाई’ भजन तो प्रसिद्ध ही है। इन भजनोंमें सत्याश और वोध लेने लायक कुछ भाग तो है। फिर भी मुझे ये विचार कुछ अखरते थे। कई दिन तक उसे सुनते रहने पर मेरे साथ रहनेवाले श्री तुकडोजी महाराजसे मैंने एक दिन विनोदमें कहा — “ये वहने कैसे मान सकती हैं कि ‘जगमे जीना दो दिनका’ है? मास-डेढ मास तो हमें ही सुनते-सुनते हो गया।” खैर, यह तो मजाक था, लेकिन उसके प्रत्युत्तररूप नीचेका भजन है—

क्यो कहो जी साधो, जगमे जीना दो दिनका ?

गलत खयाल न बाधो, जगमे जीवन दो दिनका ।


तन लघुजीवी, जग चिरजीवी अविनाशी जीवनका,
जगके कार्यालयमें तन है, साधन केवल जीवनका। — क्यो०
देह मरे दो दिन या युगमे, अन्त नहीं वह जीवनका,
न कार्य ही नाश सभी होता, किया जो तनने जीवनका। — क्यो०
चरित-बुद्धि-वीर्य-मृत्युसे विकास जगके जीवनका,
गुण-विद्या-कीर्ति-धन-वशज दान है तनके जीवनका। — क्यो०
तन जानेसे डूब गई दुनिया, सत्य नहीं यह जीवनका,
तन जावे और जगत् डूबे, पर तू स्वरूप अक्षय जीवनका। — क्यो०

फरवरी, १९४४

संसार और धर्म

दूसरा भाग

ईश्वर



अवतार-भक्ति

जड़ या चेतन — ऐसी कौनसी वस्तु है, जो परमात्मासे भिन्न है? वस्तुतः हरएक सत्त्व अथवा पदार्थ परमात्मा ही है। फिर भी सनातनी हिन्दू हरएक सत्त्वकी उपासना या भक्ति नहीं करता; वह प्रतापवान और प्रतापहीन सत्त्वका भेद करता है और थोड़ेसे प्रतापवान सत्त्वोंमें विशेष रूपसे परमात्माके भावकी प्रतिष्ठा करता है; जैसे कि अवतार या अपने सद्गुरु आदिमे। उन्हे वह परमात्मारूप मानकर उनकी उपासना तथा भक्ति करता है।

बहु-जनसमाज अवतारमें परमात्म-भाव रखता है, और शिष्य अपने सद्गुरुमें।

आम तौरसे लोकमत ऐसे व्यक्तिको अवतारका पद देता है, जिसका प्रताप बहुत व्यापक तथा प्रसिद्ध हो तथा जिसके द्वारा वहुत लोक-कल्याण हुआ हो। सद्गुरुका प्रताप उसके शिष्य-मण्डलके वाहर ज्यादा फैला हुआ नहीं होता। उसके हाथों हुआ लोक-कल्याण एक ही क्षेत्रमें और वह भी मर्यादित होता है। फिर भी दोनों परमात्माकी तरह उपासना और भक्तिके पात्र माने जाते हैं।

परमात्माकी उपासना — भक्ति तो ईसाई, मुसलमान, पारसी इत्यादि सभी ईश्वरवादी वर्गोंको मान्य है। फिर भी वे लोग किसी भी सत्त्वको परमेश्वरके समान नहीं मानते तथा किसीकी ऐसी भावना या भक्तिसे उपासना भी नहीं करते।

प्रश्न यह है कि अवतार या सद्गुरुकी परमात्मारूपसे उपासना — भक्ति करना क्या उचित है? क्या राम, कृष्ण, शकर आदि ऐतिहासिक या रूपकात्मक अवतारों या देवोंको या अपने सद्गुरुको 'साक्षात् परब्रह्म' समझना और इस भावनासे उनकी उपासना या ध्यान-भजन करना उचित है?

मैं अद्वैत सिद्धान्तको माननेवाला हूँ। सद्गुरुके द्वारा मैंने लाभ उठाया है और मैं गुरुभक्ति करता हूँ। तो भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि उपासना करनेकी यह रुढ़ि और किसी व्यक्तिमें ऐसी श्रद्धा रखनेके स्वकार छोड़ दिये जाने चाहिये। तत्त्व तथा प्रत्यक्ष परिणाम—दोनों दृष्टियोंसे इस प्रकारकी उपासना दोषपूर्ण है।

तत्त्वकी दृष्टिसे इसलिए कि सत्त्वमात्र—पदार्थमात्रमें परमेश्वर-की अगमात्र गवितका ही दर्शन होता है। कोई पूरा नमूना हो ही नहीं सकता। सिर्फ मनुष्यको ही ले तो मनुष्यताका भी पूर्ण और सर्वकालके लिए पूर्ण स्वरूप किसी एक सत्त्वमें नहीं आ सकता। और मनुष्य तो जड़-चेतन सृष्टिका एक अणुमात्र अंश है। 'विष्टम्याऽहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्।' (इस सारे संसारको मैंने एक अंशके द्वारा ही वारण कर रखा है: गीता १०-४२) इसमें राम, कृष्ण आदि सब आ जाते हैं।

प्रत्यक्ष परिणामकी दृष्टिसे अवतार द्वारा या गुरु द्वारा ईश्वरकी सगुणोपासना अत्यंत कल्पना-प्रवान, भ्रामक और विपरीत मार्गकी ओर बहती हुई देखनेमें आती है।

आजसे हजारों वर्ष पहले हो गये इन अवतारोंके सच्चे चरित्र हम नहीं जानते। जिन ग्रथोमें इनके पूरे या अधूरे अग मिलते हैं, वे क्षेपकोंसे भरे हुए हैं, खास उद्देश्यसे उनमें घट-वढ़ की गई है। वे अग परस्पर विरोधी वातोंसे भरे हुए हैं और उन्हें दिव्यताका जामा पहनाया गया है। इसलिए ये पुरुष सचमुच कैसे थे, इसकी सच्ची कल्पना नहीं आ सकती। हरएक सप्रदाय या भक्त अपनी कल्पनाके राम, कृष्ण आदि वनाकर उनकी पूजा करता है। और सिर्फ पूजा ही करता है। उनके अनुयायी उनके चरित्रके अनुसार अपना चरित्र नहीं बनाते।

भूतकालमें हो गये कृष्णका कोई भक्त स्वयं पुरुष होन पर भी गोपी वननेकी कल्पना करता है, कोई उद्धव और कोई माता यशोदा वननेकी कल्पना करता है। कृष्णकी काल्पनिक मूर्तिको सत्य-स्वरूप मानकर वह उसके प्रत्यक्ष दर्शन करनेकी साधना करता है। प्रत्यक्ष जीवनके कर्तव्योंको और प्रत्यक्ष माता, पिता, वालक, पति

तथा समाज आदिको मिथ्या — झूठे मानता है और इस काल्पनिक पति या बालकके लिए रोता है, हसता है, नाचता है और नैवेद्य रखता है और फिर मानता है कि यही भक्ति है, साधना है और मोक्षकी सीढ़ी है।

किसी भी प्रतापी सत्त्वमे वही परमात्मा है, इस तरहकी श्रद्धा रखनेसे जो भक्तिमार्ग पैदा हुआ है उसमे बहुत बड़ी कृत्रिमता आ गई है, और कई बार तो वह मार्ग बहुत भद्रा रूप धारण कर बैठता है। पुराने समयमे हुए कृष्णके नामके साथ गोपियोंके व्यवहारकी बाते निर्दोष बालकीड़ाए थीं या शृगार रससे रगे हुए कोई रूपक थे या प्रताप और विलास दोनों भावोंको एकसाथ रखनेवाले किसी राष्ट्र-पुरुषका सच्चा जीवन था, इसका हमे निश्चित पता नहीं है। सभव है ये तीनों रग इन वातोमें हो। परन्तु जो एक सस्कार अवतार-भक्त या गुरुभक्त सप्रदायोमें स्थिर हुआ है, वह यह है कि जिस किसी व्यक्तिके बारेमें इस प्रकारकी श्रद्धा हो उसके कार्यों और व्यवहारोंकी विवेक-दृष्टिसे जाच की ही नहीं जा सकती और उसकी किसी भी मागको पूरा करना ही सच्ची भक्तिका लक्षण है। स्त्रिया अपना शील तक उसे अर्पण कर दें, इस हृद तककी श्रद्धा इसमें आ गई है, और उसके शरीर या मूर्तिको तरह तरहके भोग चढ़ानेमें ही सारी भक्ति समा गई है।

इस तरहकी भक्तिने अधश्रद्धाको, पगुताको और पुरुषार्थहीनताको बहुत बढ़ाया है। अवतार अथवा गुरु परमात्माका ही स्वरूप है, यह सिद्धान्त इतने अशमे ही सत्य है कि विश्वमे जो कुछ है वह परमात्माका ही स्वरूप है। इसलिए जिसे हम अवतार या गुरु मानते हैं, वह भी इसका अपवाद नहीं हो सकता। परन्तु जिस तरह हम दूसरे सत्त्वोंका आश्रय लेकर परमात्माकी उपासना नहीं करते, उसी तरह कोई पुरुष कितना ही प्रतापी और विभूति, ऐच्चर्य, पराक्रम आदि अनेक गुणोंवाला तथा ज्ञानी और तत्त्वदर्जी क्यों न हो, उसके आश्रयसे परमात्माकी उपासना — भक्ति करना अयोग्य है। यहा आश्रयका अर्थ उसकी मदद लेना नहीं, वल्कि उसे उपास्य मानना है।

इसका यह मतलब नहीं कि इन विचारों द्वारा मैं सगुण भक्तिका निपेव करता हूँ। अवतार या गुरुरूप ईश्वरमे श्रद्धा न रखते हुए भी इस्लाम, ईसाई इत्यादि वर्मोंमे सामान्यतः परमात्मा-विषयक दृष्टि सगुणसे परे नहीं गई है। मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिक्ख वगैरा अपने अपने पैगम्बर, मसीहा, तीर्थंकर, गुरु इत्यादिमें अवतार या सद्गुरु-वादी हिन्दूके जितनी ही श्रद्धा, भक्ति और तारकवुद्धि रखते हैं, फिर भी उनको ऐसा नहीं लगता कि वे अपने पैगम्बर आदिको परमात्मा समझ-कर उनका ध्यान — उपासना करते हैं। कोई ऐसा तो हरगिज नहीं कहेगा कि एक सामान्य मुसलमान या सिक्खकी अपेक्षा एक सामान्य हिन्दू अधिक मदवुद्धिवाला या 'पामर' होता है और इसलिए अन्यवर्मी सामान्य मनुष्य जो कुछ कर सकता है वह हिन्दू नहीं कर सकता।

परन्तु हिन्दू धर्मके प्रवर्तक ज्ञानी होने पर भी प्रायः वडे कल्पना-प्रवान कवि हो गये हैं। रम्य कल्पनाओ, रूपको और रससे भरपूर वर्णनोंके विना तथा सूक्ष्म अमूर्त तत्त्वोंको मूर्तरूप दिये विना उन्हें चैन नहीं पड़ता था। कल्पना-विलास उनका स्वभाव ही बन गया था। उन्होंने वर्मग्रथोंके नामसे तरह तरहके उपन्यासोंकी रचना की। ऐसी कथाएं यदि लोगोंका मनोरजन करनेवाली हो तो इसमे कोई आश्चर्य नहीं। इसलिए वे इन कथाओं द्वारा लोगोंके मन 'आकर्षित करनेमें सफल हुए। परन्तु लोगों पर इसका क्या असर हुआ? लोगोंने कल्पनाओं और रूपको इत्यादिको इतिहास — सच्ची घटनाओंके वर्णन — माना। राहुका ग्रहण, बलिका पाताल-वास, रावणके दस सिर और बीस भुजाएं, नरसिंहका मनुष्य और सिंहका मिश्ररूप, कृष्णका चतुर्भुज स्वरूप आदिको वे ऐसी ही सच्ची घटनाएं समझते हैं जैसी कि वर्तमान युद्धकी किसी घटनाको। इस सस्कारने हिन्दू जनताकी वुद्धिका विकास करनेके बदले उसे कल्पनासेवी बना दिया है।

इस कारणसे मैं किमी भी सत्त्वकी परमात्माके नामसे उपासना — भक्ति करनेकी प्रथाका निपेव करता हूँ। यह सच्चा मानव-धर्म नहीं है।

दो दृष्टियाँ

मैं तीसरे दर्जे के एक लम्बे डिव्हेमे बैठा हुआ था। उसमे नीचे बताये क्रममे आदमी बैठे हुए थे :

१ २

१ - २ मुसलमान मानवेटा

३

३ एक पण्डित, ४ मैं

४

५

५ एक वयोवृद्ध मुसलमान

इनके अलावा दूसरे बहुतसे मुसाफिर भी थे। लेकिन उनका इस बातसे कोई सवध नहीं।

मानवेटे के बीच गायद कुछ तकरार चल रही होगी। मेरा ध्यान जब उस तरफ गया तब पडित बेटेसे कह रहा था :

“देखो भाई! खुदा-खुदा तो सब कोई करते हैं, पर क्या कोई खुदाको देख सकता है? वह तो अगोचर है। इसलिए जिसे हम देख सके, पूज सके ऐसे खुदाका विचार करना चाहिये। बेटेके लिए ऐसा खुदा उसकी मा है, और स्त्रीके लिए उसका पति है। इसलिए माकी और तुम्हे खुदाकी दृष्टि रखनी चाहिये।”

यह मैंने सक्षेपमे लिखा है। पडितने तो अच्छी तरह विस्तारसे उपदेश किया था, और ऐसा मालूम होता था कि मा और बेटेको वह बात अच्छी लग रही थी। उन्हें इस बातसे चोट पहुची हो, ऐसा नहीं दिखाई दिया।

परन्तु उनके पीछे बैठे हुए वृद्ध मुसलमानको यह निरूपण बहुत विचित्र लगा। थोड़ी देर तक तो वह मुनता रहा। पर बादमें वह चुप न रह सका और कुछ रोषपूर्वक उसने पण्डितको फटकारना शुरू किया।

“तुमने कभी कोई खुदाई किताब पढ़ी भी है या सिर्फ बकवास करना ही आता है? क्या खुदा किसी भाजी-बाजारकी शाक—मूली है कि उसके विषयमें जिसके मनमें जो आवे वैसा वह बोल सकता है? खुदाके मानी क्या है? जो सारे आलमको बना सकता है और तोड़ सकता है, जिसमें जान पैदा करनेकी तथा मारनेकी ताकत है, वह खुदा है। जिसमें पैदा करनेकी और नाश करनेकी शक्ति नहीं है, उसे हम खुदा कैसे कह सकते हैं? बच्चेके लिए मा और औरतके लिए उसका खार्विद खुदा है—यह कैसी बेहूदी, कितनी नादानीकी बात तुम करते हो?”

इस चर्चामें कुछ तीखापन आ जानेका डर था। पर एक विनोदी मुसाफिरने समय-सूचकताका प्रयोग करके मिया साहबको कुछ उलटी-सुलटी दलीलोमें फंसा कर चुप कर दिया और उनका स्टेशन आने तक उन्हे खुश करके विदा कर दिया। इस तरह यह चर्चा वही रुक गई।

चर्चा तो बन्द हो गई। परन्तु यह छोटीसी बात मुझे रहस्य-मय मालूम हुई और मैं गहरे विचारमें पड़ गया। किसी हिन्दूको गुरु, माता, पिता, पति वगैरामें ईश्वर-बुद्धि रखनेका विचार इतना सहज और इतना सीधा लगता है कि वह उसे बिना किसी दलीलके स्वीकार कर लेता है। परन्तु मुस्लिम-बुद्धिको यह नास्तिकताके बचन जैसा चोट पहुचानेवाला लगता है। मा, बाप, गुरु, पति इत्यादिके प्रति मनुष्यकी चाहे जितनी भक्ति हो, उनके प्रति चाहे जितने फर्ज अदा करने हो, फिर भी वे ईश्वर हैं या ईश्वरके प्रत्यक्ष स्वरूप हैं ऐसा कहना सत्य, सनातन, सबका सर्जन करनेवाले और नाश करनेवाले परमेश्वरकी कितनी बड़ी अवज्ञा है!

इन दोनों दृष्टियोंमें कहा भूल होती है? अयवा दोनों सत्य हों तो एकको दूसरेके विचार सुनकर चोट क्यों पहुचती है?

कदाचित् वेदाती हिन्दू इसका यह जवाब देगा कि मुसलमानको उसकी जड़ताके कारण चोट पहुचती है, दूसरा कोई कारण नहीं है। उसे परमात्माके स्वरूपका सच्चा ज्ञान नहीं है, इसलिए वह उलझनमें पड़ जाता है। हिन्दू अज्ञानी हो तो उसे भी ऐसी बात सुनकर चोट पहुचते देखा गया है। तुकारामको जब भक्तिमार्गमें ही आनन्द आता था, उस समय किसी वेदान्तीने उन्हे 'तत्त्वमसि' का उपदेश देना शुरू किया, तब उन्हे भी उस वृद्ध मुसलमान जैसी ही चोट लगी थी और रोष आया था। पर पिछली उमरमें वे भी वेदान्तका ही उच्चारण करने और सर्वत्र परमेश्वरको ही देखने लगे थे। इसलिए हिन्दुओंके इस विचारमें कुछ सुधारने जैसा नहीं लगता।

परन्तु कुछ गहरे उत्तर कर हम इस प्रश्नका विचार करे। जब हम कहते हैं कि गुरु, माता-पिता, पति वगैरा शिष्य, बालक या पत्नीके परमेश्वर हैं, तब हम यह अक्षरश सत्य है ऐसा कहना चाहते हैं या लाक्षणिक अर्थमें अथवा आल्कारिक भाषामें ही ऐसा कहते हैं? यह बात तो साफ है कि हम इस कथनको अक्षरश। सत्यके रूपमें समझाना नहीं चाहते; क्योंकि मेरे गुरु आपके लिए परमेश्वर नहीं हैं; मेरे माता-पिता आपके परमेश्वर नहीं हैं; मेरी बड़ी बहनके पति छोटी बहनके परमेश्वर नहीं हैं, इतना ही नहीं उसके लिए तो वे पर-पुरुष होनेसे छोड़ने योग्य हैं। यह बात तो तय है कि जिसे परमेश्वर — अर्थात् प्राणीमात्रके लिए एक सर्वसामान्य ईश्वर — कहा जा सकता है, वह ये लोग नहीं हैं। तो फिर जब उन्हे परमेश्वर कहा जाता है तब केवल लक्षणसे या अलकारसे ही कहा जाता है, ऐसा मानना चाहिये। लक्षणसे इस अर्थमें कि वे दिव्याश हैं, इसलिए अशकी पूर्णके नामसे पहचान कराकर, अलकारसे अर्थात् उनके और परमेश्वरके बीच रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा वगैराकी योजना करके। सुननेवालेके मनमें भ्रम पैदा न हो इस तरहसे बोलना हो, तो हम अधिकसे अधिक इतना ही कहना चाहते हैं कि "अपने गुरु, माता-पिता या पतिका सच्चा भक्त परमेश्वरके भक्त जितना ही पवित्र है," अथवा "उनकी भक्तिके द्वारा परमेश्वरकी भक्तिका

सम्पूर्ण फल मिल सकता है; ” अथवा “ गुरु इत्यादिका द्रोह करनेवाला परमेश्वरका भक्त नहीं हो सकता; ” अथवा “ वह परमेश्वरका भी द्रोह करता है। ”

इस तरहसे यदि कोई माता-पिता वगैराकी भक्तिकी महिमाका वर्णन करे, तो उसके खिलाफ कोई मुसलमान संभवतः एतराज नहीं उठावेगा।

२

परन्तु कोई कहेगा कि ·

“ वेद तो एम वदे, श्रुति-स्मृति जात्व दे कनक कुण्डल विषे भेद न्होये, घाट घडिया पछी नाम-रूप जूजवा, अते तो हेमनु हेम होये। ”*

अर्थात् जैसे ककण सोना है, कुण्डल सोना है — ये वाक्य अक्षरशः सत्य हैं, वैसे ही गुरु, माता-पिता आदि परमेश्वर हैं ऐसा कहना भी अक्षरशः सत्य हैं, इसमे लक्षणा या अलंकार है ही नहीं।

परन्तु यह बात या यह दृष्टान्त सपूर्ण रूपसे मेल खानेवाला या सही नहीं है। कंकण या कुण्डल सापेक्ष रूपसे मुवर्ण नहीं है। अर्थात् एक आदमीके लिए तो वह सोना हो, पर दूसरेके लिए नहीं ऐसा नहीं है। सब लोगोंके लिए वह सोना ही है। ऊपर बताये सम्बन्धियोंके लिए ऐसा कहनेका दावा नहीं किया जाता। सार्वजनिक उपासनामे इन्हे सबके लिए समान रूपसे पूज्य मनवानेका प्रयत्न नहीं है। इसमे ककण-कुण्डल जैसे रूपभेदके अलावा दूसरे सम्बन्धदर्थक भेदोंकी भी कल्पना रही हुई है। इसके लिए कदाचित् कुरते और चोलीका दृष्टान्त दिया जा सकता है। कुरता भी कपड़ा है और चोली भी कपड़ा है। परन्तु एक पुरुषके लिए है और दूसरा स्त्रीके लिए है। पुरुषके लिए चोली व्यर्थ हैं; स्त्रीके लिए कुरता वेकार

* वेद बताते हैं और श्रुति-स्मृति उनका अनुमोदन करती है कि कनक (मुवर्ण) और कुण्डल (सुवर्णके अलंकार) के बीच कोई भेद नहीं है। मुवर्णको बलग बलग आकार देने पर ये बलग अलग नाम हो गये हैं। मूलमे तो सिर्फ एक सुवर्ण ही है।

है। उसी तरह हरएक व्यक्ति तत्त्वत् परमेश्वर ही है, फिर भी विशेष सम्बन्धसे वताया हुआ व्यक्ति उस सम्बन्धसे वधे हुए लोगोंके लिए ही इष्ट या पूजनीय होता है, सबके लिए नहीं।

और, कक्षण तथा कुण्डल दोनों सुवर्ण हैं, ऐसा हम कहते तो जरूर है; परन्तु इसमे भी कुछ अध्याहत (कहना वाकी) रहता है। कक्षण और कुण्डल दोनों सुवर्ण हैं, ऐसा कहनेमे हम सोनेके सम्बन्धमे आंशिक पक्ष हीं पेश करते हैं, पूरा नहीं। यदि कोई इसका अर्थ ऐसा करे कि कंकण और कुण्डल ही सोना है, दूसरा सब सोना नहीं है, तो हम तुरन्त कहेंगे कि हमारा कहनेका यह आशय नहीं है। सुवर्ण उनसे अति अधिक है, कक्षण-कुण्डल तो उसकी दो छोटीसी आकृतियां हीं हैं। ऐसी तो सोनेकी असत्य आकृतियां बन सकती हैं, और फिर भी जिनका नाम नहीं दिया जा सकता ऐसी आकृतियोंमें रहा हुआ अपार सोना वाकी रहेगा। इसलिए कक्षण और कुण्डल सपूर्ण रूपसे सुवर्ण होते हुए भी किसीको हम ऐसा खयाल नहीं कराना चाहते कि इन दोमे ही वह सोनेकी अथ और इति (आरभ और अन्त) मान ले। यही बात व्यक्तियोंको परमेश्वर कहते या मानते समय ध्यानमे रखनी चाहिये। गुरु, माता-पिता, पति वगैरा परमेश्वर है, यथवा सूर्य, चन्द्र वगैरा परमेश्वर है, ऐसा कहते या मानते समय यह नहीं समझना चाहिये कि इन्हीमे परमेश्वरकी अथ-इति हो जाती है। इतना ही समझना चाहिये कि परमेश्वरके अपार रूपोंमे से कुछ लोगोंको प्रिय या इष्ट लगनेवाले ये थोड़ेसे रूप हैं।

सारांग यह है कि समग्रता और तात्त्विक पूर्णता ये दो भिन्न वस्तुए हैं। परमेश्वर समग्र पूर्ण तत्त्व है; परन्तु उसके किसी विशिष्ट रूपका विचार करे तो वह तत्त्वसे भले ही पूर्ण रूपमे वही हो, परन्तु समग्रताकी दृष्टिसे वह वह वस्तु नहीं है। छोटासा विन्दु और समुद्र दोनों तत्त्वसे पूर्णतया जल हैं। परन्तु जलकी समग्रता विन्दुमे नहीं है, समुद्रमे भी नहीं है। दूसरे गद्वदोमे कहे तो विन्दु जल है, समुद्र भी जल है, परन्तु जल न तो केवल विन्दु है और न केवल समुद्र है। सोना, जल वगैराके लिए हमारे पास ऐसे शब्द नहीं हैं, जो उनकी

तात्त्विकता और समग्रता दोनोंके वाचक हो । 'आजन्म' शब्दकी तरह 'आ' (= समग्र) उपसर्ग लगाकर कहे, तो ऐसा कह सकते हैं कि विन्दु, समुद्र इत्यादि जल है, परन्तु आजल नहीं। कक्षण, कुण्डल आदि मुवर्ण हैं, परन्तु आसुवर्ण नहीं। ईश्वरके विषयमें हमारे पास ईश्वर-परमेश्वर, ब्रह्म-परब्रह्म, आत्मा-परमात्मा, पुरुष-पुरुषोत्तम, देव-महादेव आदि गव्दोकी जोड़िया हैं। जब यह मालूम हुआ कि छोटी वस्तुको बड़ा नाम दिया गया है, तब पर और सूक्ष्म वस्तुके लिए पिछले गव्द उत्पन्न हुए ऐसा दिखाई देता है। पहले तो देव ही था। परन्तु जब कोई अल्प सत्त्व देवके नामसे पहचाना जाने लगा अथवा जिसे देवके नामसे पहचानते थे उसकी अपेक्षा अधिक सूक्ष्म तत्त्वकी खोज हुई, तब महादेव गव्द उत्पन्न हुआ। इसी तरह परमेश्वर, परब्रह्म, परमात्मा वगैरा गव्द उत्पन्न हुए। इसका ठीक उपयोग किया जाय तो ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्त पदार्थ देव है, महादेव नहीं; ईश्वर है, परमेश्वर नहीं, ब्रह्म है, परब्रह्म नहीं। परन्तु इस तरह विवेकसे गायद ही इन सब गव्दोका प्रयोग होता हो। ये सब पर्यायवाची हैं, इसी तरह प्राय इनका प्रयोग होता है। इसलिए इस भूलको एकवारणी रोकना हो तो ऐसा कहना चाहिये कि व्यक्त रूप देव है परन्तु आदेव नहीं, ब्रह्म है परन्तु आब्रह्म नहीं; सत्य है परन्तु आसत्य नहीं, पुरुष है परन्तु आपुरुष नहीं, इत्यादि।

इसके अलावा, एक दूसरी वात भी स्पष्ट होनी चाहिये। मनुष्य-के श्रेयके लिए गुरु, माता-पिता आदिकी भक्ति चाहे जितनी साधन-रूप और आवश्यक हो और इसलिए वह इनके विषयमें चाहे जितनी देववृद्धि रखता हो, फिर भी आदेव — समग्र देव —मे निष्ठा और भक्ति रखे विना उसका काम चल ही नहीं सकता। इसलिए वालक या चिप्पके लिए माता-पिता या गुरु ही ईश्वर हैं, इस कथनमे कुछ अतिगयोक्ति है। इसमे से उसे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए पहलेने ही ऐसा कहना चाहिये कि गुरु, माता-पिता इत्यादिकी भक्ति स्तुत्य है, परन्तु वह आभक्ति — समग्र भक्ति — नहीं है; वह तो आदेवमे ही होनी चाहिये।

उस वृद्ध मुसलमानकी भाषामें खुदा शब्दका एक ही अर्थ था : आदेव, आसत्य। इसलिए जब हिन्दू पडितने कहा कि बालकके लिए माता और स्त्रीके लिए पति उसका खुदा है, तब माता और पतिको पंडित समग्र सत्य कहना चाहता है—ऐसा समझकर इस प्रकारके निन्दात्मक शब्दोंसे उसे चोट पहुचे तो उसमें आश्चर्यकी बात नहीं।

हिन्दुओंमें अपर पदार्थोंके लिए परतावाचक शब्द लागू कर देनेका एक दोष है। इस कारणसे पर शब्दोंके अर्थ उत्तरते ही जाते हैं और नये आचार्योंको नये शब्द दाखिल करने पड़ते हैं। देव और स्वर्ग एक समय परम तत्त्व और परम गतिका निर्देश करते थे; परन्तु इन शब्दोंके आसपास बधी हुई कल्पना बादके विचारकको अस्तोषकारक लगी। उसने यह नहीं कहा कि देव और स्वर्गके विषयमें प्रचलित कल्पना प्राकृत और स्थूल है, परन्तु यह कहा कि ये कल्पनायें भी सच्ची हैं, परन्तु इनसे अधिक ऊची कल्पनावाले परम तत्त्व और गतिया भी हैं, और उनके लिए उसने इन्द्र-इन्द्रलोक, ब्रह्मा-ब्रह्मलोक आदि नये शब्दोंकी रचना की। उसके बादके विचारको इन कल्पना-ओर्में भी विचार-दोष लगा। उसने भी सिर्फ कल्पनाको सुधारनेके बदले नये देव और नये लोक बढ़ाये। इस तरह विष्णु-वैकुण्ठ, महादेव-कैलास, कृष्ण-गोलोक, पुरुषोत्तम-अक्षरधाम आदि उत्तरोत्तर तत्त्वों और गतियोंकी वृद्धि होती ही गई, और हरएक पथवालेके लिए अलग परम तत्त्व और अलग तरहकी परागति पैदा हुई। हरएक पथवालेकी वेदात परिभाषामें भी इस तरह माया-महामाया, प्रकृति-महाप्रकृति, काल-महाकाल, कारण-महाकारण, ब्रह्म-महद्ब्रह्म-परब्रह्म, क्षरपुरुष-अक्षरपुरुष-पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम भी जब अधूरा मालूम हुआ तब पूर्ण पुरुषोत्तम, प्रकट पुरुषोत्तम इत्यादि शब्द उत्पन्न होते ही गये। इस तरह ऊपर सुझाये हुए आदेव, आब्रह्म, आसत्य इत्यादि शब्दोंकी भी ऐसी ही दशा होनेकी पूरी सभावना है। इसलिए ज्यादा सही तो इस्लामका यह नियम लगता है कि किसी भी नाम-रूपको खुदा कहना ही नहीं चाहिये। तत्त्वज्ञानी भले तत्त्वसे नाम-रूप तथा खुदामें अभेद देखे, परन्तु भाषामें वह किसी भी नाम-रूपका खुदाके रूपमें वर्णन

न करे । ज्यादासे ज्यादा वह उसे खुदाका नूर अथवा हिन्दू ग्रथोकी परिभाषामे उसका अश कहे, परन्तु मूल शब्दोमे समग्रताका भाव होनेसे मूल शब्दोका प्रयोग हरगिज न करे ।

आदम खुदा नहीं, खुदा आदम नहीं,
लेकिन खुदाके नूरसे आदम जुदा नहीं ।

अर्थात् मनुष्य समग्र देव नहीं है, और समग्र देव मनुष्य नहीं है, परन्तु समग्र देवके तत्त्वसे मनुष्य अलग नहीं है । समग्रताके बगैर देवका विचार किया ही नहीं जा सकता ऐसा समझकर समग्र शब्द निकाल डाले, तो यह कहना चाहिये कि मनुष्य देव नहीं है, और देव मनुष्य नहीं है, परन्तु देवके तत्त्वसे मनुष्य अलग नहीं है ।

३

उस वृद्ध मुसलमानने कहा कि खुदामे तो सृष्टिकी उत्पत्ति और प्रलय करनेकी शक्ति रही हुई है । किसी भी मानवके लिए खुदा शब्दका प्रयोग कैसे किया जा सकता है ? ब्रह्मसूत्रोमे भी ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्मके वीचके इस भेदके लिए 'जगद्व्यापारवर्जम्' (४-४-१७७) सूत्र है ।

इसी तरह —

सत्यपि भेदाऽपगमे नाथ तवाऽह न मामकीनस्त्वम् ।

सामुद्रो ही तरग क्वचन समुद्रो न तारग ॥^{*}

(पट्पदीस्तोत्र-३)

ऐसा कहते समय शकराचार्यको इस वातका ध्यान था । परन्तु भक्तिमार्गी सम्प्रदायोमे इस विचारको भुला दिया गया है । और इसके परिणाम-स्वरूप लगभग सब हिन्दू सम्प्रदाय इस श्लोकका उच्चारण करते हैं :

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वर ।

गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नम ॥

और वहतसे सम्प्रदायोमे प्रत्यक्ष अथवा एक समयके गुरु या आचार्य ही परमेश्वरकी जगह लेते हैं । इस श्लोकको मैंने आज तक स्वीकार

* हे नाथ, भेदका नाश हो जाने पर भी मैं आपका हू, आप मेरे नहीं । तरग समुद्रकी होती है, समुद्र कभी तरगका नहीं होता ।

किया था। परन्तु उस वृद्ध मुसलमानको पहुची हुई चोट पर विचार करनेके बाद मुझे लगा कि अपने ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुके प्रति हमारी चाहे जैसी उत्कट भक्ति हो, फिर भी उनके प्रति इस श्लोकमें बताई हुई भावना रखना ठीक नहीं है। विद्वानोकी सूक्ष्म तार्किक बुद्धिकी अपेक्षा उस वृद्धकी टेढ़ा देखनेके लिए मना करनेवाली सरल एकमार्गी बुद्धि अधिक सच्ची है।

जो विचार गुरुको लागू होता है, वह माता-पिता-पतिको विशेष रूपसे लागू होता है, इसमें तो समझाने जैसी कोई बात ही नहीं है। क्योंकि उनके सम्बन्धमें तो मानवी गुणोकी पूर्णताका भी दावा नहीं किया जाता। उन्हे हमेशा नरोत्तम भी नहीं कह सकते, तो फिर परमेश्वर तो कह ही कैसे सकते हैं? वे सिर्फ उत्कट प्रेमके दावेसे ही आराध्य बनते हैं। परन्तु जो न्याय गुरुको लागू होता है, वही अवतारो, पैगम्बरो, तीर्थंकरो, वृद्धो इत्यादिको भी लागू होता है। किसीको भी — घासके तिनकेको भी — समग्रदेवका अवतार — उसका 'तेजोऽशसभव' व्यक्तरूप — कह सकते हैं, परन्तु समग्रदेव — आदेव — नहीं कह सकते। परमात्मा राम, कृष्ण आदि है, परन्तु राम, कृष्ण आदि परमात्मा नहीं है।

हिन्दू उपासना और विचारमें इतनी शुद्धि होनेकी जरूरत है।

४

हिन्दू धर्ममें परस्पर-विरोधी मालूम होनेवाले अनेक सम्प्रदायोके उत्पन्न होनेका एक कारण ऊपरका कुतर्क है। मैं हिमालय हूं, मैं गगा हूं, मैं राम हूं, मैं शकर हूं, मैं अर्जुन हूं वगैरा हम गीतामें पढ़ते हैं। परन्तु हिमालय परमात्मा है, गगा परमात्मा है, राम, कृष्ण, शंकर, अर्जुन वगैरा परमात्मा हैं, ऐसा गीतामें भी नहीं कहा गया है।* यह वेदान्तने — अर्थात् भिन्न भिन्न मतके वेदाती गुरुओने सिखाया है। पहले

* समुद्र कहे कि मैं ही तरग हूं, वुद्वुदा हूं, तो वह एक बात है; वह ठीक है। परन्तु तरग या वुद्वुदा कहे कि मैं ही समुद्र हूं, तो वह ठीक नहीं है। यह भेद यहा सूचित किया गया है। (८-९-'४७)

सम्प्रदायके इष्टदेवके विषयमें सिखाया और आगे चलकर अपने विषयमें ऐसा मानना सिखाया। इस तरह घर घरके अलग परमेश्वर माननेकी प्रथा आरम्भ हुई। इसमें मायावादीने मायावादी, लीलावादीने लीलावादी, अनुग्रहवादीने अनुग्रहवादीकी सहायता ली। इसमें कौन किसे छूठा कहे? इसलिए सर्वधर्म-समभावके दुरुपयोगसे जिनका स्थान जम गया हो वे सब सच्चे हैं, ऐसा समाधान निकाला गया।

यह कुतर्क ही साम्प्रदायिक पाखण्डोंका मूँल है। अत विचारशील मनुष्यको समझना चाहिये कि सब रूप परमेश्वरके हैं, परन्तु एक रूप या सब रूप मिलकर परमेश्वर नहीं बनता। इसलिए भले ही राम या कृष्ण या क्ष को हम परमेश्वरका रूप, विभूति या अश कहे, भले उनके विषयमें पूज्यभाव रखें, परन्तु ऐसा नहीं कहना या मानना चाहिये कि राम या कृष्ण या क्ष परमेश्वर हैं। ये सब इकट्ठे मिलकर भी परमेश्वर नहीं हैं। परमेश्वर सब नाम-रूपोंसे हरएक वातमें और हरएक दृष्टिसे अनत गुना अधिक है। वह किसी एक रूपमें अपनेको समग्र रूपमें समा सके, ऐसा सभव ही नहीं है। सर्वशक्तिमानकी यह अशक्ति है, ऐसा यदि कहे तो भी कोई हर्ज नहीं है। इसलिए अमुक व्यक्ति पूर्णवितार है, अमुकमें परमात्माकी सोलहो कलाये हैं, अमुक प्रकट पुरुषोत्तम है, अमुक अवतारोंका अवतारी है, आदि प्रयोग शब्दजाल — साम्प्रदायिक माया है। विष्वमें अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति प्रकट नहीं हुआ और भविष्यमें भी प्रकट नहीं होगा, जिसे हम समग्रदेव कह सके।

माता, पिता, गुरु वगैरा सब वदनीय, पूजनीय, सेवनीय हैं; उनकी धर्मयुक्त आजायोंका पालन करनेमें कल्याण है। परन्तु यह भाषा वित्तियोक्तिपूर्ण है कि वे अपने वालक या शिष्यके लिए परमेश्वर हैं — अर्थात् अजानपनमें भी यह असत्य है। इस भाषाको और ऐसे छलोंकों छोड़ देना चाहिये।

उन नमग्रदेवको नाम-रूपमें लाना और साकार स्पर्शमें उसके व्यानका प्रयत्न करना ठीक नहीं है। जो भी प्रयत्न किया जायगा, वह उसे मर्यादित करनेवाला होगा। नीचेके छलोंको द्वारा उसकी कानना या व्यान करना हो तो हम कर सकते हैं

अनादिमत्पर ब्रह्म न सत्त्वनासदुच्यते ॥
 सर्वत पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् ।
 सर्वत श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥
 सर्वेन्द्रियगुणाभास सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।
 असक्त सर्वभूच्छैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च ॥
 वहिरन्तश्च भूतानाभवर चरमेव च ।
 सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेय दूरस्थ चान्तिके च तत् ॥
 अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् ।
 भूतभर्तृ च तज्ज्ञेय ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥
 ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ।
 ज्ञान ज्ञेय ज्ञानगम्य हृदि सर्वस्य धिष्ठितम् ॥

(गीता १३, श्लोक १२-१७)

(वह अनादि परब्रह्म है। उसे न सत् कह सकते हैं, न असत्। सब और उसके हाथ और पैर हैं, सब और आख, कान, मुह, सिर आदि हैं, और सबको अपनेमें समाकर वह विद्यमान है। उसमें सब इन्द्रियोंके गुण भासमान होते हैं, फिर भी वह सर्व इन्द्रियोंसे रहित है। वह किसीसे — कही भी लिप्त नहीं, फिर भी सबका भरण-पोषण करनेवाला है। वह निर्गुण है, फिर भी सब गुणोंका भोक्ता है। वह सर्व भूतोंके बाहर भी है, और उनके भीतर भी है। वह अचर-स्थिर भी है, और चर-जगम भी है। अति सूक्ष्म होनेसे उसका विज्ञान नहीं किया जा सकता। वह दूर भी है, नजदीक भी है। उसके भाग नहीं हो सकते, फिर भी वह भूतोंमें इस तरह विद्यमान है, मानो उसके भाग हो गये हैं। उसे सर्वभूतोंका भर्ता-पालक-पति, सबका ग्रास करनेवाला और सब पर प्रभाव रखनेवाला समझा जाय। वह सूर्य-चन्द्र-नक्षत्र आदि सब प्रकाशमान ज्योतियोंको प्रकाश देनेवाला है, और अवकारसे भी परे है। वही ज्ञान है, वही ज्ञेय है, वही ज्ञानसे प्राप्त करने योग्य है। वह हरएकके हृदयमें वसा हुआ है।)

उसके किसी प्रिय रूप, मूर्ति या विभूतिका भले आप वदन-कीर्तन कीजिये; भले उसका और उसके चर्त्वोंका वार वार स्मरण

करके मनको पवित्र रखने और उन्नत करनेकी कोशिश कीजिये। परन्तु इसके लिए उसे परमेश्वर कहनेकी जरूरत नहीं है, इसलिए ऐसा न कहे। वह परमेश्वर हरगिज नहीं है। उसका आधार लेकर कदाचित् आप¹ अमुक हृदय तक ऊचे उठ सकेगे; परन्तु उसके बाद तो आप उसे छोड़कर ही आगे बढ़ सकेगे।

(प्रस्थान, जुलाई-अगस्त, १९३७)

३

उपासना-शुद्धि*

मेरी रायमें जीवनको धार्मिक बनानेके लिए अनेक धर्मग्रन्थोका अथवा अपने इष्ट धर्मग्रन्थका भी अतिशय पाण्डित्यपूर्ण अभ्यास करनेकी जरूरत नहीं है। नामदेव, तुकाराम, नरसिंह महेता इत्यादि सतोके जीवनको देखें, तो ऐसा नहीं मालूम होता कि वे बहुत विद्वत्ता प्राप्त करके धार्मिक बने थे अथवा विंगेप प्रकारकी धार्मिक दृष्टि प्राप्त कर सके थे। कमसे कम मेरी धार्मिक प्रगति तो इस तरहसे नहीं हुई।

मेरे कहनेका मतलब यह नहीं है कि मैंने धार्मिक ग्रन्थोका और विभिन्न धर्मोका विलकुल ही अभ्यास नहीं किया है। परन्तु एक भी वर्मका — हिन्दू वर्मके ग्रन्थोका भी — मैंने पाण्डित्य-पूर्ण अभ्यास नहीं किया है। मैं सत्याग्रहाश्रममें रहने गया, तब मेरी उमर २७-२८ वर्षकी थी। १७ वे या १८ वे वर्षमें मैंने पहली बार गीता पढ़ी। मिशनरी स्त्याओमें पड़नेके कारण मैंने वाइवलके कितने ही भाग लाजिमी तौर पर पढ़े थे। परन्तु इन दो पुस्तकोको छोड़ दू, तो जिस सप्रदायमें मेरा जन्म हुआ था उस सप्रदायके ग्रंथोके सिवा बनेके वर्मग्रन्थोको देखनेका आश्रममें रहने आया तब तक मुझमें कोई उल्लास ही नहीं था। स्वामी रामतीर्थ और स्वामी विवेकानन्दके ग्रन्थ मेरे पास थे जहर; परन्तु उनमें से दो-चार व्याख्यानोंसे ज्यादा मैंने

* वर्कि कुछ ग्रामनेवरकोंके मामने दिया हुआ व्याख्यान।

पढे हो ऐसा मुझे याद नहीं आता। 'गीता-रहस्य' के प्रकाशित होते ही मैंने उसे खरीद लिया था और उसी समय पढ़ भी डाला था। परतु उसे पढ़कर 'निकाल दिया' था; 'पचाया' था ऐसा मैं नहीं कह सकता। उस समय उसे पचाने जितनी मुझमें ताकत भी नहीं थी। आश्रममें आनेके बाद वहां लिये जानेवाले वर्गोंमें मुझे अनायास ही उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र आदि ग्रन्थोंका परिचय हुआ।

साराश यह है कि अनेक शास्त्रोंका अध्ययन करके मेरी वृत्ति धार्मिक नहीं हुई है, और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि धार्मिक वृत्तिके पोषणके लिए अनेक ग्रथोंका और अनेक धर्मोंका विद्वत्तापूर्ण अध्ययन आवश्यक नहीं है। इतना ही नहीं, परतु बहुत बार ऐसे अध्ययनका शौक धार्मिक वृत्तिके लिए बाधक भी होता है। सगीत-शास्त्रके विषयमें मेरी जो राय है वही धर्मशास्त्रके विषयमें है। एकाघ भजन या धुन शास्त्रीय सगीतके अनेक प्रकारके आलापों वर्गोंराके साथ बोली जाय, तो इकट्ठा हुआ जनसमूह नाचने और झूमने लगता है, यह मैंने अनेक बार देखा है। इससे भजन-मण्डली गानलीन जरूर होती है, परतु भक्तिलीन भी होती ही है, ऐसा विश्वासके साथ नहीं कहा जा सकता। 'अखिया हरि-दर्शनकी प्यासी' भजन बहुत अच्छी तरहसे गाया जाय, तो करुण-रसका आनंद अवश्य उत्पन्न होता है, परतु यह रस न तो हरि-दर्शनकी प्यास पैदा कर सकता है और न उसे बुझा सकता है। इससे उलटे, जिसको यह प्यास लगी हो उसके गानेमें सगीतका खून होता दीखे, तो भी वह इस भजनमें लीन हो सकता है। इसी तरह धार्मिक जीवनके लिए ऊपर वतायी हुई व्याकुलता हो, तो एक-दो ग्रथोंका नित्य अनुशीलन उसके लिए जरूरी है, परतु ऐसे एक-दो ग्रथ उसके लिए पर्याप्त हैं। ऐसी व्याकुलता न हो तो धार्मिक ग्रन्थोंका अभ्यास करनेकी रुचि सिर्फ एक तरहका वीद्धिक रस बन जाती है, धर्मकी प्यास नहीं बनती।

मैं हिन्दू हूँ यह आपसे कहनेकी जरूरत है क्या? एक सद्यम-प्रधान वैष्णव सप्रदायमें मेरा जन्म हुआ है, इसलिए उमरका बहुत बड़ा हिस्सा मैंने उसमें निष्ठापूर्वक विताया है। करीब दस सालसे

ही मैंने उस सप्रदायका अभिमान छोड़ा है। परतु सप्रदायका अभिमान छोड़ देने पर भी मैंने उस सप्रदायसे प्राप्त हुए वहृतसे आचार, विचार तथा स्स्कारोको नहीं छोड़ा है। और आश्रममे जो आचार-विचार, स्स्कार आज भी ज्यादा सनातनी और मर्यादाबाले हैं। फिर भी आज मैं अपनेको सनातनी हिन्दू कहनेके लिए तैयार नहीं हूँ। आजके हिन्दू धर्मके विषयमे तथा हिन्दू धर्माभिमानी शास्त्री, पडित, वेदाती वगैराके वारेमे मुझे कठोर भापामे वोलनेकी इच्छा होती है। इस कठोर भापाके मूलमे हिन्दू समाजकी सेवा करनेकी मेरी इच्छा है, हिन्दू जनताके साथ नेरा आत्मभाव है, हिन्दुत्वके विषयमे तिरस्कार या द्वेष नहीं।

हिन्दू धर्ममे चलते-फिरते सत्य और ब्रह्मचर्यकी जितनी महिमा गाई जाती है, उतनी दूसरे धर्मोमे शायद नहीं गाई जाती। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे धर्मोके सतोको हमारे समाजमे दूसरे समाजोकी अपेक्षा इन गुणोका अस्तित्व कम लगा होगा, इसलिए उन्हे इन पर वार वार भार देना पड़ा होगा। जो गुण समाजमे अच्छी तरहसे विकसित होते हैं, उन पर वोलनेकी जरूरत नहीं होती। जो गुण समाजमे होने चाहिये, परतु दिखाई नहीं देते, उनका ही प्रतिपादन करना पड़ता है।

परतु हिन्दू धर्ममे सत्य और ब्रह्मचर्य पर चाहे जितना भार दिया गया हो, फिर भी मुझे लगता है — और दुखपूर्वक लगता है — कि हिन्दू धर्मकी ईश्वरोपासना बहुत हृद तक असत्य-निष्ठ और व्यभिचारी है। ये बब्द आपको तीखे लगेंगे। परतु मैं इनका प्रयोग आवेशमे आकर नहीं कर रहा हूँ। दीयेकी ज्योति कभी कभी ऐसी स्थितिमे होती है कि वह जलता है वा बुझ गया है, यह हम निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते। इसी तरह हमारे हिन्दू धर्ममे सत्योपासना बुझ गई है या मद पड़ कर भी जाग्रत है, यह कहना मुश्किल है।

‘ब्रह्म सत्य और जगत् भिन्ना’ इस सूत्रकी रचना यकराचार्यने की। उनका यह प्रामाणिक मत होगा, ऐसा माननेमे कोई हर्ज नहीं।

परतु 'जगत् मिथ्या' के इस पाण्डित्यका हमारे देगमे विचित्र रूपमे विकास हुआ है। जहा सारे जगत् को ही मिथ्या ठहराया गया हो, वहाँ जगत् के व्यवहारमे या ईश्वरकी उपासनामे भी सत्यासत्यका विवेक करनेके लिए स्थान ही कहा है? इसलिए जगत् के किसी भी पदार्थ, भावना, नीति अथवा व्यवहारको सुविवाके अनुसार असत्य मानकर उसका खण्डन करनेमे या सत्य मानकर उसका मण्डन करनेमे या उसमे सत्यासत्यका मिश्रण करनेमे किसी भी तरहकी वाघा नहीं आती। जिसको जैसी पुस्तक अच्छी लगे वैसी वह लिखे, चाहे जिसके नामसे उसे प्रकाशित करे, उसमे चाहे जिस तरहसे सकलना करे, चाहे जैसे विधानोकी रचना करे और सिद्धातोका प्रतिपादन करे, उनके लिए चाहे जैसी कथाए गढ़ ले तथा चाहे जिन पुस्तकोमे क्षेपक डाले, और यह सब समाजके कल्याणके लिए, वर्मके उत्कर्षके लिए है, ऐसा कह कर वह आत्म-सतोप मानता है। और जिस ग्रथके विषयमे हमारा यह पक्का निच्चय हो कि उसमे ऐसी गडवड हुई है तथा जिस उपासनाके लिए हमारा यह मत हो कि वह कपोलकल्पित है, उसका भी हमे गुणगान करते रहना चाहिये। अवतारी या सत्पुरुषोके चरित्रोमे भी विना सिर-पैरकी गलत वाते दाखिल करनेमे सावुकी स्याति प्राप्त किये हुए लेखकोको भी शायद ही दोष लगा है। महाभारत, वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण, मनुस्मृति, पुराण चाहे जो ग्रथ लीजिये। एक भी ग्रथ ऐसा नहीं होगा, जिसमे क्षेपक न हो। सारी भगवद्गीता भी एक ही व्यक्तिकी रचना होगी या नहीं, ऐसी गका पैदा होनेके भी कारण है। योगवासिष्ठ जैसे कुछ ग्रथ तो किसी सप्रदाय-प्रवर्तकने लिखकर किसी दूसरे प्रसिद्ध मुनिके नाम पर चढा दिये हैं। इस जगद्रूपी मायकी अपेक्षा वर्म-प्रचारकोंकी नाया इतनी बलवान है कि प्रछतिगत असत्य-की अपेक्षा गास्त्रोके असत्योमे से सत्यकी ओर ले जानेके लिए भववानसे यह प्रार्थना करनेका मन होता है — 'असत्योमे नै, हे प्रभु! तू हमे परम सत्यकी ओर ले जा।'

हमारी वहुमान्य बनी हुड़ गीताको ही ले लीजिये। सता नहीं किस कारणसे उसके लेखककी कवि-कल्पनाको यह लगा कि उने अपना

आध्यात्मिक मत वृत्तराष्ट्र और सजयके सवादमे कृष्णार्जुनका उपसवाद रच कर समझाना चाहिये। आगे जाकर इतिहास-सशेषकोने अनुमान निकाला कि कौरव-पाण्डवोंका युद्ध किसी वर्षकी मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशीके दिन हुआ होगा। फिर तो इन दोनोंकी कड़ी जोड़ देनेमे कौनसी वादा आ सकती थी? लोगोंकी यह मान्यता तो है ही कि कृष्ण और अर्जुनका सवाद एक ऐतिहासिक घटना है। इस मान्यताका उपयोग करके मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशीके दिन गीता-जयतीका त्योहार मनानेका कार्यक्रम तैयार किया गया। भले ही यह काल्पनिक हो, परन्तु इसके बहाने गीताकी महिमा तो बढ़ती है, ऐसे हिंसाबोमे हम फस जाते हैं। हिन्दू धर्मकी बहुत बड़ी जनसत्त्वाके लिए मान्य अथवा आदरणीय हो सकनेवाला जो एक धर्मग्रथ वाकी रहा है, उसके साथ भी हम ऐसा ढोगका व्यवहार करते हैं, तो दूसरे ग्रथोंके बारेमे तो कहना ही क्या?

इस तरह धर्मके प्रतिपादनमे हमारे देशमे सत्यका बहुत बड़ा द्रोह हुआ है। इसके बाद हिन्दू उपासनाका विचार करे, तो ब्रह्म-चारिणी भक्ति बहुत अगमे लुप्त हो गई है और उसके स्थान पर व्यभिचारिणी भक्ति ही मानो सनातन हिन्दू धर्मकी सराहने लायक विगेपता बन बैठी है। ब्रह्मचारिणी — अर्थात् ब्रह्ममे विचरण करनेवाली — भक्ति तो रही ही नहीं, परन्तु सगुणोपासनामे भी किसी एक ही स्वरूप पर निष्ठा रखनेकी बात हमें कभी सिखायी नहीं जाती। आज रामनवमी है इसलिए रामकी मूर्तिकी स्थापना करके हम रामनामकी धुन लगाते हैं; आज जन्माष्टमी है इसलिए बालकृष्ण या मुरलीबरको बैठा कर हम गोपाल-कृष्णकी धुन लगाते हैं, आज गणपति-चतुर्थी है इसलिए 'वक्रनुण महाकाय' के साथ 'तू ही हमें निर्माण करनेवाला देव है' ऐसा कहकर हाथ जोड़ते हैं, आज गुरुवार है उमलिए आज दत्तात्रेयको बाद करना ही चाहिये। इसी तरह नागपञ्चमी, दुर्गाष्टमी वर्गेरा जो त्योहार आते हैं, उनमे से हरएकके लिए एक भिन्न आकृति, भिन्न नाम, भिन्न चरित्र, भिन्न कर्मकाण्ड रखनेवाला देव है ही। और यदि इस सारी उपासनाको हम योग्य मानते हैं, तो बेचारे भगियोंकी 'मेलडी माता' या रानीपरज (एक

आदिम जाति) के खेतकी सीमा पर तथा झाड़ोके नीचे रहनेवाले देवोका निषेध क्यों करना चाहिये? जिस वेदात-विचारसे गणपति, लक्ष्मी, पार्वती, शकर, इन्द्र, वरुण आदि देवोका समन्वय किया जा सकता है, वह विचार हरएक खेत और झाड़मे रहनेवाले देव, भूत, प्रेत वगैराका समन्वय करनेमें भी समर्थ है। 'सब काल्पनिक, मायिक, झूठ, असत्य होने पर भी सब शिव और सुन्दर है' — यह कैसा सुन्दर और सुविधाजनक समन्वय है?

ऐसा समन्वय भले ही किया जा सके, परतु उपासना, भक्ति अथवा श्रद्धाका ऐसा प्रकार किसी भी साधक या समाजको ऊचा नहीं उठा सकेगा। कुछ वैष्णव सप्रदायोमे कहे अनुसार यह सच्चमुच्च व्यभिचारी भक्ति है, अनन्य अव्यभिचारी भक्ति नहीं, और ब्रह्मचारिणी भक्ति तो बिलकुल ही नहीं है।

जो दपती परस्पर मन, वचन, कर्मसे अव्यभिचारी और एकनिष्ठ रहते हैं, उन्हे हम सज्जन और सती — अर्थात् सत्ययुक्त पुरुष तथा स्त्री — कहते हैं। ब्रह्मचारी तथा ब्रह्मचारिणीकी भूमिका इनसे ऊची है। उसमें पुरुष तथा स्त्री दोनों निरालम्ब होते हैं। उपासनामे पहले हमारा एकनिष्ठ और अव्यभिचारी होना जरूरी है। आपको सगुण — अथवा केवल सगुण ही नहीं परतु साकार सगुण — के अवलम्बनकी जरूरत महसूस होती हो, तो भी कोई हर्ज नहीं है। परतु अनेक देवी-देवताओंके पीछे लगकर और उनकी पूजा-विधिके आडवरमे पड़ कर आपका कभी कल्याण नहीं हो सकेगा, इससे हमारा धर्म कभी शुद्ध या प्राणवान नहीं बन सकेगा।

अमेरिकाके एक कारखानेका मालिक एक बार विलायतका एक कारखाना देखने गया था। अग्रेज व्यवस्थापक उसे कारखाना दिखा रहा था। एक यत्र देखकर अमेरिकनको कुतूहल हुआ और उसके बारेमे उसने पूछताछ की। व्यवस्थापकने कहा कि यह यत्र बहुत सालोंका पुराना है; यद्यपि यह बहुत अच्छा काम नहीं देता, फिर भी पुराना होनेसे उसे हटाया नहीं। 'हमारे कारखानेमे बहुतसे यत्र पुराने हैं' — ऐसा उसने अभिमानसे कहा। अमेरिकनने उतने ही अभिमानसे जवाब दिया,

‘हमारे कारब्बानेमें शायद ही कोई यत्र दो या तीन सालसे ज्यादा पुराना होगा। हम तो नई शोध होते ही पुराने यत्रोको कचरा समझ कर फेक देते हैं।’ हम हिन्दू लोगोंकी वृत्ति बहुत कुछ उस अग्रेज व्यवस्थापकके जैसी ही है। हिन्दू धर्मको हमने प्राचीन नमूनोंके सम्बन्ध-लय जैसा बना रखा है।

परन्तु यह विषयान्तर होगा। मेरे कहनेका मतलब यह है कि यदि आपको साकार संगुणोपासनाकी जरूरत मालूम होती हो तो भले कीजिये। पर आखिरमें किसी एक ही देव पर अनन्य निष्ठा रखिये। ऐसी सच्चारिणी भक्तिमें से ही आप ब्रह्मचारिणी — ब्रह्ममें विचरनेवाली — निरालव भक्तिकी ओर मुड़ सकेगे।

मैं निश्चित रूपसे मानता हूँ कि जीवनमें मुझे जो एक प्रकारका सतोष है, उसका कारण यह नहीं है कि मैंने धर्मग्रथोंका बहुत गहरा अध्ययन किया है। परन्तु वचनपनसे ही मुझ पर अनन्य — अव्यभिचारी भक्तिके सस्कार पड़े थे। अनेक देव-देवियोंके प्रति मुझमें कभी भक्ति पैदा नहीं हुई। राम, कृष्ण वगैरा सब एक ही ईश्वरके अवतार हैं, ऐसी साम्प्रदायिक मान्यता होने पर भी मुझे कुटुम्बमें जिस एक देवकी उपासना मिली थी उसके सिवा दूसरे किसी अवतारके प्रति भी मेरी बहुत रुचि नहीं थी, धर्मग्रथोंके प्रति भी नहीं थी। मैंने जब गीताका अनुवाद किया तब एक मित्रने मुझे सलाह यह दी कि श्री विनोदाजीकी ‘गीतार्ड’ की तरह इसका नाम ‘गीतामाता’ रखना चाहिये। परन्तु मैंने कहा कि श्री विनोदाने जो नाम दिया है वह उनके लिए योग्य है, मेरे लिए योग्य नहीं है। मेरे जीवनमें गीताने माताका काम नहीं किया है। मैं ऐसा नाम रखूँगा तो वह असत्य होगा। इसलिए मैंने संस्कृत गीताकी डिसमें ध्वनि है ऐसा सूचित करनेवाला भादा ‘गीताध्वनि’ नाम पसन्द किया।

मेरा कहना यह नहीं है कि धर्मग्रथोंका अनुशीलन जरूरी नहीं। मनुष्यका अपना कोई प्रिय ग्रन्थ होना चाहिये। उसका निरतर वाचन-चित्तन उने करना चाहिये। उसके उपदेशके अनुसार अपना जीवन बनानेका सदैव प्रयत्न करना चाहिये। इसके मिवा, माधु-मतोंके चरित्र

पढ़ने और भजन गानेका भी व्यासंग — अभ्यास — होना चाहिये। परतु वे ग्रन्थ और चरित्र सत्यकी रक्षा करके रखे हुए होने चाहिये। उनके अलावा कोई ग्रन्थ हाथमे आवे तो आप उसे आदरसे पढ़िये, परतु आपकी निष्ठा तो एक ही देव पर होनी चाहिये, और अपनी आध्यात्मिक खुराकके लिए एक-दो ग्रन्थ ही आपको पर्याप्त लगने चाहिये। दूसरा पठन अचार-चटनीकी तरह अथवा कभी कभी किये जानेवाले नये प्रकारके भोजनके जैसा होना चाहिये।

मुसलमान धर्मका जो विशेष तत्त्व मुझे पसद आता है, वह यह कि उसमे एकेश्वर-भक्ति पर खूब जोर दिया गया है। इस्लाममे ब्रह्मचर्यको या अव्यभिचारी दपती-धर्मको वहुत महत्त्व नहीं दिया जाता, ऐसा लग सकता है। परतु उपासनाके वारेमे उसकी निष्ठा सर्वथा ब्रह्मचारिणी नहीं हो तो भी वहुत अशमे सच्चारिणी है।

मैंने आपके सामने सत्य और ब्रह्मचर्यके कुछ भिन्न अर्थ सहज रूपमे रखे हैं। सत्य अर्थात् अव्यभिचारित्व,— वफादारी; ब्रह्मचर्य अर्थात् परम तत्त्वमे विचरण। सामान्य रूपसे हम जिस व्रतको ब्रह्मचर्यके नामसे पहचानते हैं, वह इस परम ब्रह्मचर्यका साधनरूप एक व्रत है।

भिन्न भिन्न धर्मोंका मुझे जो थोड़ा वहुत जान है, उसे आपके सामने रखनेका मुझे उत्साह नहीं है। इसका एक दूसरा कारण भी है। नेत्रा आज ऐसा विश्वास नहीं है कि जगत्में आज जो धर्म या उनके संब्रदाय प्रचलित हैं, उनमें से एक भी हमारा उद्धार करनेमें समर्थ है। सब धर्मोंका अभ्यास करके, हरएकका कुछ अश लेकर चार पडितो या समझदार लोगोको एकाघ नये धर्मकी स्थापना करनी चाहिये — ऐसा यदि कोई कहे, तो उसे भी मैं व्यर्थ प्रयत्न मानता हूँ। नये धर्मकी स्थापना इस तरह नहीं हो सकती। पडितोके द्वारा धर्मका प्रचार (प्रोपेगेन्डा) तो जरूर हो सकता है, परतु वर्म-स्थापना इन पडितोका विषय नहीं है। धर्म-स्थापनाका अर्थ पिछले धर्मोंका समन्वय या काट-चाट नहीं है, वह अनेक धर्मोंका संकर नहीं है, नये भाष्यकी रचना नहीं है, पुराने वृक्ष पर नड़ कलम वैठानेकी कला नहीं है। बुद्ध और मुहम्मदने जो वर्म स्थापित किये, उनके परिणाम-

स्वरूप पहलेके धर्मशास्त्र व्यर्थ और नि शेष हो गये । जिस तरह किसी पराक्रमी पुरुषसे नये वशकी स्थापना मानी जाती है और ऐसा लगते लगता है मानो उस पुरुषके कोई पूर्वज थे ही नहीं, उसी तरह जब स्वतंत्र दृष्टि प्राप्त किया हुआ कोई पुरुष उत्पन्न होता है तब नवधर्मकी स्थापना होती है । उसके वर्ममें पहलेके वर्मोंके तत्त्व होते ही नहीं ऐसा नहीं, परन्तु वह वर्म पुराने ग्रथोंसे नहीं, बल्कि उस पुरुषके अपने वचनसे — अनुभवसे प्रमाणभूत माना जाता है । महाराष्ट्रके सत ज्ञानेश्वरने ‘अमृतानुभव’ में कहा है उस तरह “यही मत शिवने शिवसूत्रमें और कृष्णने गीतामें प्रकट किया है, परन्तु शिवने या कृष्णने यह मत प्रकट किया है इसलिए मैं उसे नहीं कहता, बल्कि यह मेरा अपना अनुभव है इसलिए कहता हूँ ।” आपने एक राजाकी वात सुनी होगी । उसने एक दूसरे राजाकी पुत्रीसे विवाह करनेकी डच्छा प्रकट की । पुत्रीके पिताने उस राजाकी वशावली पूछी । राजाने कहला भेजा, “मैं अपनी तलवारसे उत्पन्न हुआ हूँ । मेरी तलवार ही मेरा आदि-पुरुष है ।” नववर्मकी स्थापना इस तरह होती है । जिस प्रकार किसी सपूर्ण कायदे (code) के पास हो जानेके बाद उसके पहलेके छुटपुट कायदे नहीं देखने पड़ते, उसी प्रकार नववर्म-स्थापकका निर्माण होनेके बाद वेद, कुरान, वाइबल वगैरा सब वर्मगास्त्रोंको निरुपयोगी बना देनेवाले गास्त्रका निर्माण होगा । ऐसे स्थापकके उत्पन्न होनेकी मैं बाबा करता हूँ ।

मेरा यह कहना आज आपके गले उतर ही जायगा, ऐसा मुझे विश्वास नहीं है । इसका दूसरा पहलू पेश करके ऐसी दलीले करता अनुभव नहीं है, जो आपको अच्छी तरह गडवड़ीमें डाल दे । परन्तु मैं आपको इतना विश्वास तो दिलाता हूँ कि मैं जो कुछ कहता हूँ वह जब तक आपके गले नहीं उतरेगा, तब तक आपके चित्तका मोक्ष नहीं होनेवाला है । फिर “नाह ह चित्त बबमोक्षी कुतो मे ?” ऐसा कह नर भले ही आप नतोप भान ले ।

(प्रस्थान, अक्टूबर १९३५)

ईश्वर-निष्ठाका बल*

भाषामे ऐसे बहुतसे शब्द हैं, जिनका हरएक व्यक्ति उपयोग करता है, फिर भी उनके अर्थके विषयमे किन्हीं दो दर्शनों, सप्रदायों या व्यक्तियोंका भी कभी एकमत नहीं होता। 'ईश्वर' शब्द ऐसे ही कठिन शब्दोंमे से एक है। कुछ समय पहले जब गाधीजीने यह कहा कि 'सत्याग्रहीकी ईश्वरमे श्रद्धा होनी ही चाहिये', तब वहुतसे राजनीतिक कार्यकर्ताओंके मनमे दुविधा पैदा हुई थी। ईश्वरके अस्तित्वके विषयमे या उसको अपना आधार माननेके विषयमें कुछ लोग शकाशील हैं, कुछ सिर्फ शकाशील ही नहीं हैं वल्कि निश्चयपूर्वक ईश्वरका इनकार करते हैं, फिर भी सत्याग्रहका उत्साह और लगन रखते हैं। उन्हे गाधीजीके ये शब्द अखरते हैं। और यदि सत्याग्रही होनेके लिए ईश्वर-निष्ठा जरूरी हो, तो फिर यह सवाल भी खड़ा होता है कि किसके ईश्वरमे अथवा कौनसे ईश्वरमें? ज्ञानी—सूफियोंके? स्मार्तके? वैष्णवके? आर्यसमाजके? मुसलमानके? ईसाईंके? पारसीके? सगुणमें? निर्गुणमें? या गाधीजीके 'सत्यरूपी ईश्वर' को समझकर उसीमें? और फिर निरीश्वरवादी साख्यो, जैनो, बौद्धोंका क्या होगा? क्या उनके लिए सत्याग्रहका मार्ग बन्द समझना चाहिये?

यह वस्तु समझनेके लिए धर्म और तत्त्वज्ञानकी सूक्ष्म चर्चाएं की जाती हैं। परन्तु ये चर्चाएं विषयको स्पष्ट करनेकी अपेक्षा उलझन ही पैदा करती हैं। मेरी दृष्टिसे विचारने योग्य वस्तु यह है:

दुनियाके इतिहासमे हमे सैकड़ो उदाहरण ऐसे मिलते हैं, जिनमें अकेला व्यक्ति—किसी समय वालक जैसा छोटा व्यक्ति भी—किसीकी मददके बिना जबरदस्त शक्तियोंका निडरता और दृढ़तासे मुकाबला करनेके लिए खड़ा होता है। इन शक्तियोंके सामने थोड़ा

* १९३९ के 'हरिजनवघु' मे छपे एक लेखके आवार पर।

झुक जानेसे जीवन वच सकता हो तथा लाभ भी हो सकता हो, तो भी वह झुकनेकी अपेक्षा टूटना या नष्ट हो जाना अधिक पसद करता है। ऐसे व्यक्तिके हृदयमें ऐसी किस वस्तुका अनुभव होता है, जो उसे इतना बल देती है? प्रल्हाद ऐसी किस वस्तुका अपने हृदयमें अनुभव करता था, जिसके बल पर वह अपने पिताकी कठोर यातनाओंकी अवगणना कर सका? या सुधन्वा तेलमें भुजे जानेकी, गुरु गोविन्द-सिंहके छोटे छोटे पुत्र दीवालमें जीवित चुने जानेकी और रोमका तरुण जलती हुई मशालमें अपना हाथ रख देनेकी यातना किसके बल पर सतोपूर्वक सहन कर सके थे? प्राणों और जीवनके सुखोंके विषयमें ऐसी लापरवाही बतानेका बल देनेवाली तथा शारीरिक जीवनकी अपेक्षा किसी अग्रीरी वस्तुके साथ अधिक आत्मीयताका अनुभव करानेवाली आखिर कौनसी वस्तु है?

इस तरह वरतनेके लिए किसी जवरदस्त 'भावना' का अनुभव होना चाहिये, ऐसा अनीच्वरवादीको भी स्वीकार किये बिना चारा नहीं है। यह भावना सामान्य इन्द्रियोंके विषयोंकी या सकल्प-विकल्पोंकी नहीं है। परतु यह एक ऐसा अनुभव है, जिसके कारण उस मनुष्यका यह विश्वास होता है कि उसमें कोई ऐसी शक्तिशाली प्रेरणा काम कर रही है, जो दुनियाकी दूसरी सब गवितयोंसे अधिक बलवान् है, जो उसके शरीर और प्राणोंकी अपेक्षा उसके अधिक समीप है।

इस शक्तिको कोई 'ईश्वर-निष्ठाका बल' कहना पसद करता है, कोई 'अव्यात्म-बल' (spiritual force) कहता है, कोई 'आत्म-बल' (soul-force) कहता है, कोई 'नैतिक बल' (moral force) कहता है, तो कोई 'प्रतीति-बल' (strength of conviction) कहता है। परतु इस बलकी परीक्षा यह है क्या आपको ऐसा कोई बलवान् अनुभव होता है, जो कस्तीटीके ममय आपके मनमें ऐसी कमज़ोरी पैदा न करे कि 'मुझे कोई बच्चा ले तो अच्छा' यथवा 'मैं जरा नभल कर चलूँ'? आपकी भयवृत्ति पर प्रभुत्व रखनेवाले इस अनुभवको आप चाहे जिस नामसे पहचानें, परतु यदि उसका बल आपको अपने नेफ मार्न और कार्यमें दृढ़ रहनेके लिए और उसके

खातिर सतोषपूर्वक अपना जान-माल तथा अपनी प्रवृत्तिका इष्ट माना हुआ फल भी खोनेके लिए तैयार रखनेवाला हो, तो आप सत्याग्रहके मार्ग पर डटे रह सकेगे ।

इस विषयमे एक दूसरी बात भी याद रखनी चाहिये । स्वदेश-भक्ति, प्रेम, लोभ, साहस वगैराके वेग भी कभी कभी असाधारण हिम्मत पैदा करते हैं । ऐसी भावनाओंके आवेग यदि हमारा ध्येय बुरे रास्ते जानेसे प्राप्त हो सकता हो, तो उसे छोड़नेके लिए तैयार नहीं होंगे । ऊपर वर्णन किये हुए बलका आधार रखनेवाले व्यक्तिमे ध्येयकी सिद्धिकी रीतिके विषयमे नैतिकताका भी एक निश्चित माप होता है । उस नैतिकताको छोड़कर वह अपना ध्येय सिद्ध करनेके लिए कभी तैयार नहीं होता ।

इस तरह “स्वयं आकाश भी दूट पड़े और मनुष्यके सब मनोरथ या सांसारिक ध्येय चूर चूर हो जायें, तो भी उसे अपने निश्चय पर अड़िगतासे — अकेला होने पर भी — चिपके रहनेकी शक्ति देनेवाला जो मूल स्रोत है, वही ‘अध्यात्म-बल’, ‘आत्मबल’ या ‘ईश्वर-निष्ठाका बल’ है । और इस बलका वह अंश, जिसके कारण मनुष्य अपने ध्येयको सिद्ध करनेके लिए अमुक नैतिकता या सदाचारसे चिपका रहता है अथवा अमुक मार्गोंका त्याग करनेके निश्चयको टिकाये रखता है, उसका नैतिक बल कहा जा सकता है ।”,

ऐसा बल पैदा करनेवाला विवास धर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, बल, तप, नियम, गास्त्र-चितन, विज्ञान वगैरा चाहे जिन निमित्तोंसे उत्पन्न हो, वही सत्याग्रहीका ईश्वर या आत्मा है । यह चीज गौण है कि वह उसे ईश्वर, आत्मा या अध्यात्मके नामसे पहचानता है या दूसरी किसी रीतिसे समझता है । तात्पर्य यह है कि यह बल उसे बाहरके साधनों या समाजमे से नहीं मिलता । वह अपने भीतर ही इसका अनुभव करता है । जिसके पास ऐसे बलका आधार नहीं होता और जो वाह्य योजना तथा विविव साधनों पर ही सत्याग्रह करनेका आधार रखता है, वह आखिर तक सत्याग्रही नहीं रह सकता ।

परोक्ष पूजा

“हमे तो ऐसा लगता है कि (जिसे) पूर्वजन्मका सस्कार होगा, वह भी सत्पुरुषके समागमसे प्राप्त हुआ होगा; और आज भी जिसे सस्कार होता है वह सत्पुरुषके समागमसे ही होता है। इसलिए ऐसे सत्पुरुषका सग प्राप्त होने पर भी जिसे सत्य समझमे नहीं आता, उसे अतिशय मद वुद्धिवाला मनुष्य समझना चाहिये। क्योंकि जैसी इवेत-द्वीपमे . . और जैसी गोलोक वैकुण्ठलोकमे . . और जैसी वद-रिकाश्रममे सभा है, उससे भी मैं इस सत्सगी सभाको अधिक मानता हूँ। इसमे यदि मैं रचमात्र भी मिथ्या कहता होऊँ, तो इस सत्सभाकी शपथ है। यह शपथ किसलिए लेनी पड़ती है? इसलिए कि ऐसी अलौकिकताको सब कोई समझ तथा देख नहीं सकते . . और . . जैसी परोक्ष देवके विषयमे जीवकी प्रतीति होती है वैसी यदि प्रत्यक्ष गुरुरूप हरिके विषयमें हो, तो जितने अर्थ प्राप्त होनेके लिए कहा गया है उतने सब अर्थ उसे प्राप्त होते हैं।”

(सहजानन्द स्वामीके वचनामृत · ग० म० २)

स्वामीनारायण सप्रदायने मुझ पर जो अनेक सुस्स्कार डाले हैं, उनमे से एक महत्वपूर्ण सस्कार मुझे यह लगा है कि उसने मुझे परोक्षकी तरह ही प्रत्यक्षकी महिमा समझना सिखाया है। मनुष्यकी एक बड़ी कमजोरी और वेसमझी यह है कि उसे भूतकालके पुरुष, उनके काम, उपदेश और ग्रन्थ वहुत ही दिव्य, भव्य, वहुमूल्य और सत्यसे भरे हुए लगते हैं, और जैसे जैसे वे प्राचीन होते जाते हैं वैसे वैसे उनके प्रति उसका आदर बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे कालकी नदीमें वे वहते जाते हैं वैसे वैसे उन्हें वचा लेनेकी ओर उनकी प्राचीनता खोजनेकी उसकी प्रवृत्ति तीव्र होती जाती है। सामान्य रूपसे मनुष्यको भूतकालमें भत्ययुग और नुवर्ण-युग बीता हुआ लगता है, और वर्तमान-काल नदैव कलियुग ही लगता है। इस कारणसे वह अपने समयके

बुद्धिमान, विद्वान, वीर्यवान, ज्ञानवान या चारित्र्यवान पुरुषोंकी महत्ता समझनेमें हमेशा पीछे ही रहता है, अथवा कभी कभी तो बिलकुल समझ ही नहीं सकता। उनके जीवन-कालमें वह उनका विरोध भी करता है, परन्तु उनके मरनेके बाद उनकी पूजा करने लगता है। यही भूल उसके बादकी पीढ़ी करती है। अर्थात् दूसरी पीढ़ी उन मरे हुए पुरुषोंकी पूजा करना शुरू करती है और अपने सामने विचरण करनेवाले उसके बादके नये महापुरुषकी अवगणना करती है। यह बुद्धि वैसी ही है जैसे कोई आदमी उसकी निगाहके सामनेसे हाथी जाता हो उस समय तो उसे हाथी माननेसे इनकार करे और बादमें उसके पदचिह्न देखकर कहे कि “अहो! अभी जो गया वह तो हाथी ही था।”

इस तरह लोग पाच-छह हजार वर्ष पहलेके वेदों और वेदाधियों तथा राम-कृष्णादि ‘अवतारों’, दो-तीन हजार वर्ष पहले हो गये बुद्ध, महावीर, हजारत ईसा वगैरा धर्मस्थापको, डेढ हजार वर्ष पहलेके मुहम्मद वगैरा पैगम्बरो, हजार वर्ष पहलेके शकर, रामानुज वगैरा आचार्यों, तीन चार सौ वर्ष पहलेके नानक, रामदास, चैतन्य, वल्लभाचार्य वगैरा, और अभी अभी हो गये परन्तु जीवितावस्थाकी अपेक्षा मरनेके बाद अधिक पूजा पाये हुए सहजानन्द स्वामी, रामकृष्ण परमहस, स्वामी दयानन्द वगैराकी इतनी महिमा समझते हैं कि उनके साथ हमारे समयके किसी भी पुरुषकी तुलना करनेकी कल्पना भी सामान्य रूपसे उन्हे सहन नहीं होती। जिस मनुष्य या प्रजाको अपनी उन्नति करनी हो, उसे यह कमजोरी और नासमझी छोड़नी चाहिये।

प्राचीन कालमें हो गये महापुरुषोंके जीवनको तथा उनके ग्रथोंको दोषरहित समझनेका कारण बहुत कुछ माता-पिता-गुरु वगैरा पर रहनेवाली श्रद्धा और उनके समागमसे बधी हुई श्रद्धा होती है। यदि उस श्रद्धाकी मददसे हम अपनी आखोंके सामने विचरनेवाले प्रत्यक्ष महापुरुषोंका आदर करनेकी शक्तिका विकास कर सकें, तो वह एक शुभ संस्कार है। यदि ऐसा न हो सके और हम यही मानें कि दिव्य पुरुष तथा दिव्य ग्रन्थ केवल भूतकालमें ही थे, वर्तमानमें तो कलियुग ही है, तो वह सात्त्विक दिखाई देनेवाला जड़ताका ही स्कार है।

स्वामी मुक्तानन्द एक पदमे जो कहते हैं, वह मनन करने योग्य है।
 “स्वामिनारायणनु समरण करता, अगम वात ओळखाणी रे;
 निगम निरतर नेति कही गावे प्रगटन परमाणी रे।
 मगलरूप प्रगटने मेली, परोक्षने भजे जे प्राणी रे,
 तप-तीरथ करे देवदेरा, मन न टळे मसाणी रे।
 कथा कीर्तन कहेता फरे छे, कर्मतणी जे कहाणी रे;
 श्रोता ने वक्ता वेय समज्या विना, पेटने अर्थे पुराणी रे।
 काशी, केदार के दुवारका दोडी, जोगनी जुगती न जाणी रे;
 ते पाढो घरनो घर माही, गोधो जोडाणो जेम धाणी रे।
 पीवा विना प्यास नव भागे, पड़ उपर ढोळो मर पाणी रे,
 मुक्तानन्द मोहन सग मळता मोज अमुलख माणी रे।”*

प्राचीन ग्रंथोंका पाडित्य अत्यन्त उपयोगी या विलकुल आवश्यक ही है सो वात नहीं। तत्त्वकी सच्ची समझ तत्त्वज्ञानीके प्रत्यक्ष और जीते-जागते परिचयके विना उत्पन्न नहीं होती। ऐसा परिचय किसी अक्यनीय रूपसे चिनगारीका काम करता है। उसी तरह वर्तमान जीवनके कर्तव्योंके वारेमें समाजके प्रत्यक्ष पुरुष ही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। किसी वातके लिए पुराने महापुरुषोंका और ग्रंथोंका समर्थन मिलना ही चाहिये, ऐसा आग्रह बुद्धिमें जड़ता पैदा करता है।

* स्वामीनारायणका स्मरण करते करते एक अगम्य वात समझमे आई, निगम हमेशा प्रगटको सच्चा मानकर नेति कहकर उसका वर्णन करते हैं। जो प्राणी मगलरूप प्रगटको छोड़कर परोक्षकी भक्ति-पूजा करता है, वह चाहे तप-तीरथ करे, चाहे देव-मंदिर जाय, लेकिन उसके मनकी दीनता दूर नहीं होती। कथा और कीर्तन जो कर्मकी कहानी है, उसे पुराणिक लोग अपने पेटके लिए कहते फिरते हैं, परतु कहनेवाला और सुननेवाला दोनों उसे समझते नहीं। काशी, केदार और द्वारिका जा कर भी जो योगकी सूखीको नहीं समझे, वे तो धानीके बैलकी तरह घर आकर फिर माया-मोहमे फस जाते हैं। पानी चाहे जितना शरीर पर ढालो, लेकिन उसे पिये विना प्यास नहीं बुझती। मुक्तानन्द कहते हैं, मोहनका सग मिलने पर मैंने तो अमूल्य बानन्दका उपभोग किया।

गलत भावुकता

एक दिन एक किसान कार्यकर्ता मिलने आये। मुझे प्रणाम करके सामने विछी हुई चटाई पर बैठ गये। कहासे आये, कैसे आये, क्या करते हैं, वगैरा मैंने पूछा। जवाबमें वे अपना नाम, स्थान आदि बता कर बोले। “पवनारमें विनोबा भगवानके दर्शन किये। उनके पास कुछ दिन ठहरा और भगवानसे खूब लाभ उठाया। अब (मेरी ओर इशारा करके) भगवानके दर्शनकी इच्छासे आया हूँ।”

इस भाषासे मुझे अचरज हुआ, दुख भी हुआ। लेकिन दुखको दबाकर मैंने पूछा “तब आपके कितने भगवान हैं?”

सवाल उन्हें कुछ विचित्र-सा मालूम हुआ। उन्होंने शायद माना होगा कि यह तो बोलनेकी सम्य रीति ही है, उस पर मुझे क्यों एतराज उठाना चाहिये? वे बोले

“जी, . . . भगवान तो वैसे सबका एक ही है। लेकिन जो कुछ है वह भी तो सब भगवान ही के रूप है, ऐसा मैं समझता हूँ। इसलिए आप जैसे महानुभावोंके लिए भगवान शब्दका प्रयोग करना मैं ठीक ही समझता हूँ।”

“सब भगवानके रूप हैं, ऐसा कहनेमें तो कुत्ता भी भगवान हो जाता है और स्वयं आप भी भगवान हो जाते हैं। क्या कुत्तेके लिए और खुद अपने लिए भी आप ‘कुत्ता भगवान’ और ‘मैं भगवान’ जैसी भाषा काममें लेते हैं?”

“जी, . . . लेकिन उसमें पामर प्राणीका और साधु-महात्माका भेद तो करना ही चाहिये। मैं अपने जैसे पामर मनुष्यको किस तरह भगवान कह सकता हूँ? कुत्ता है तो भगवानका ही रूप, लेकिन वह तो अभी हीन दशामें है। उसे भी भगवान कहना और आप जैसोंके लिए भी वही शब्द काममें लेना तो अनुचित होगा।”

“तब तो दुनियामे कोई छोटा है, कोई बड़ा है, इस भेदभावका आपको अच्छी तरह खयाल है। इसलिए जो सबसे बड़ा और श्रेष्ठ एक परमात्मा है, उसके लिए भी भगवान् शब्द काममें लेना और छोटी-मोटी योग्यताके आदमियोंके लिए भी वही शब्द काममें लेना क्या अनुचित नहीं है? परमात्मा भगवान्, गावी भगवान्, विनोदा भगवान्, जाजूजी भगवान्, मशरूवाला भगवान्, राजेन्द्रवावू भगवान्, जवाहरलाल भगवान् आदि सभीको एकसा भगवान् शब्द लगा सकते हैं?”

“जी, नहीं नहीं! मैंने जवाहरलालजीके लिए कभी भगवान् शब्द नहीं काममें लिया। वे हमारे बड़े नेता हैं। और पू० वापूजी कहते हैं कि वे उनके बाद देशके नेता होंगे, जब कि हमारे किसान लोग कहते हैं कि जयप्रकाश होंगे। लेकिन मैं उन्हे भगवान् नहीं समझता। मेरी तो वापूजी और विनोदा भगवान् और आप भगवानमें ही श्रद्धा है। मैं तो विनोदा भगवानको ही वापूजीका वारिस समझता हूँ। आपको सुनकर अचर्ज होगा कि जयप्रकाशजी हमारे गावके नजदीक कई बार आये हैं और भाषण भी दिये हैं। पर मैंने अभी तक उन्हे देखा ही नहीं। फोटोमें ही देखा है। उन्हे कभी सुना नहीं। मैं तो एक गावीजीको ही मानता हूँ और विनोदा भगवानको और आप भगवानको!”

“माफ कीजिये, मुझे आपकी श्रद्धा और भावुकता अच्छी नहीं लगती। और ऐसा शब्द न तो आप गावीजीके लिए, न विनोदाजीके लिए और न मेरे या और किसी आदमीके लिए लगाइये। पहले आपने कहा कि सब कोई भगवानके ही रूप है। अब जवाहरलालजी और जयप्रकाशजी जैसे बड़े और बलवान् नेताओंको तो आप उस शब्दके योग्य नहीं समझते और मेरे जैसे एक मामूली लेखकको भगवानकी बराबरीमें बिठाते हैं। आपको गावीजीमें जो श्रद्धा है, वह इसलिए नहीं है कि वे बुद्धिकी बातें बताते हैं। लेकिन इसलिए है कि वे एक पवित्र महात्मा पुरुष हैं, गरीबोंकी भलाई चाहते हैं और उनमें श्रद्धा रखनेसे जीवका कल्याण होगा। लेकिन आपको यह डर भी है कि गावीजीकी बातें बुद्धियुक्त न भी हों, और आपमें बुद्धि तो है। कहीं जयप्रकाशजीकी बातें आपकी बुद्धिको जच जाय और गावीजी

पर आपकी श्रद्धा कम हो जाय, तो फिर जीवका कल्याण कैसे हो? इसलिए आप जयप्रकाशजीकी बातोंको कान तक पहुँचने देनेमें भी डरते हैं। और यहा हम वर्धाविले गाधीजीकी बातोंको तरह तरहसे बदलकर या बढ़ा कर समझाते हैं। इसलिए यहाके छोटे-मोटे सबमें कल्पनासे भगवानका ख्याल करके आप अपनी श्रद्धाको मजबूत बनाये रखना चाहते हैं।”

यह बात उस वक्त तो यही पूरी हुई। जैसी हुई वैसी ही सब मैंने नहीं लिखी है, केवल उसका मतलब ही लिखा है। लेकिन इन सज्जनकी भावुकता और श्रद्धा पर मुझे जितना रज हुआ, उतना ही इस विषयमें हमारे सत्यरुणोंकी कायम की हुई विवेकहीन और गैर-जिम्मेदार परपराका भी हुआ। हमारे देशके सद्गुरुओं, महात्माओं, साधु-सत्तों, आचार्यों और सप्रदाय-प्रवर्तकोंने लोगोंको श्रद्धाके नाम पर अत्यन्त दुर्बल, नम्रताके नाम पर बिना कारण पामर, वेदान्तके नाम पर विवेकहीन और उल्टी-सुल्टी दलीले करनेमें होशियार और सगुण भक्तिके नाम पर अनुचित ढगसे मनुष्य-पूजक बना दिया है। “गुरु साक्षात् परब्रह्म” इस सूत्रकी हमने इस प्रकारकी स्थूल व्याख्या कर दी है और उसका हमें अब इतना मुहावरा हो गया है कि अपने शिष्यों और लोगों द्वारा ‘भगवान्’ शब्दसे पुकारे जानेमें, मदिरकी मूर्तिकी तरह पूजा-अर्चा पानेमें, परमेश्वर-वाचक सन्नाये और महिमाके शब्द अपने नामके साथ जोड़े जानेमें और अपनी मूर्तिकी पूजा करवानेमें हमें कुछ बुरा — आघात पहुँचानेवाला मालूम ही नहीं होता, वल्कि वही मोक्षका सच्चा रास्ता मालूम होता है! परिश्रम करके गिर्योंके गुणोंको बढ़ाने, उनकी बुद्धिको पैनी करने, उनकी विवेकगतिको तेज करने और उनको स्वतत्र, स्वाधीन मानव बनानेके बदले हम उन्हें परावलबी और पामर बनाकर गुरु-भक्तिसे ही मोक्ष पानेकी श्रद्धा रखनेवाले बना छोड़ते हैं। स्वयं अपने अहकारको तो हम ‘ब्रह्म’ — बहुत बड़ा — बनाते रहते हैं और शिष्यके अहकारको दिन दिन धुद्र बनाते हैं। खुद पुरुषोत्तमके पद पर आसू छ हो जाते हैं और गिर्योंको अपुरुष — पुरुषार्थीन बनाते हैं।

इसमें भगवानका द्रोह — यानी गुनाह है, भापाका द्रोह — यानी अविवेक है और स्वयं अपने मनुष्यत्वका द्रोह — यानी अपमान है। ज्ञानी महात्मा ब्रह्मनिष्ठ हो गया हो, तो भी हमें केवल एक परमात्माको ही भगवान कहना चाहिये। दूसरे किन्हींको भी — वे कितने ही बड़े और पवित्र क्यों न हो — यह शब्द न लगाना चाहिये। वे सब मनुष्य ही हैं।

मनुष्योंमें उमर, जान, पैसा, विद्वत्ता, सद्गुण, अधिकार वगैराकी कमी-वेशीके कारण छोटे-बड़ेके भेद ही सकते हैं, और उसके कारण कम-ज्यादा आदर-अदव भी दिखाया जाना अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन उसकी भी एक, हद होनी चाहिये। कुछ शब्द ऐसे हैं जो छोटे-बड़े सबके लिए एकसे लगाये जा सकते हैं, जैसे — 'जी'। गांधीजी, जवाहरलालजी, विनोवाजी, जाजूजी, मौलवीजी, पडितजी, गुरुजी, रामचन्द्रजी, कृष्णजी, भाईजी, वहनजी वगैरा चाहे जिस स्त्री-पुरुषके प्रति आदर बतानेके लिए उसे लगा सकते हैं। लेकिन उसे हम परमात्माके लिए लगाकर परमात्माजी, परमेश्वरजी, अल्लाहजी नहीं कहते और न जानवरोंको लगाकर हम गायजी, घोड़ाजी, कुत्ताजी कहते हैं। यानी हमने उसे मनुष्यके अदवके लिए ही रखा है।

लेकिन मनुष्योंमें आदरके और भी बहुतसे शब्द हैं, जो सभी मनुष्योंके लिए नहीं लगाये जाते, न भगवानके लिए ही। जैसे, गांधीजी को 'महात्मा' कहनेकी तो अब एक रूढ़ि हो गई है। लेकिन अगर महात्मा नेहरू, महात्मा विनोवा, महात्मा सुभापचन्द्र, महात्मा जिन्ना वगैरा कहने लगे, तो उन व्यक्तियोंके प्रति आदर होते हुए भी वह बेड़गा मालूम होगा। और अगर वैसी रूढ़ि चल पड़े तो उसका मतलब इतना ही होगा कि हमने 'महात्मा' शब्दको 'मिस्टर', 'जनाव' या 'श्रीमान्'का पर्यायवाची बना डाला है। फिर बहुत बड़े आदमीके लिए और कोई शब्द ढूढ़ा जायगा। और ऐसा हुथा भी है। किसी जमानेमें गायद महात्माका अर्थ भगवान, परमेश्वर ही होता होगा। और महाभारतमें मालूम होता है कि एक ऐसा भी जमाना था, जब महात्मा शब्द किसी भी बड़े आदमीके लिए बरता जाता था। जैसे, दुर्योग और कर्णके लिए भी महात्मा शब्द लगाया

गया है; और व्यास, कृष्ण, भीष्म धर्मराज, अर्जुन, सात्यकि आदिके लिए भी। वैसे ही हम गांधी भगवान्, विनोबा भगवान् वगैरा कहने लगे, तो उसका इतना ही मतलब हो जायगा कि 'भगवान्' शब्दको हमने 'साहब' या 'महाशय' का अर्थ दे दिया है। इस तरह हम कितने ही शब्दोंको अपनी ऊचाईसे फिजूल ही गिराते रहते हैं और फिर आदरके नये नये शब्द ढूढ़ते रहते हैं।

मनुष्य जिसे अपनेसे बड़ा मानता होगा, उसका आदर करेगा ही। सेवा भी करेगा। लेकिन अगर वह आदर और सेवा खुदको कमीना — क्षुद्र महसूस करानेवाली और उस बड़ेको 'देव' मनवानेवाली हो जाय, तो वह मानवको ऊचा उठानेवाली नहीं रहती। गुरुओंका और बड़े लोगोंका फर्ज है कि वे अपने ऊपर श्रद्धा रखनेवालोंके 'देव' न बन जाय। क्योंकि उनके मनुष्यरूपमें होकर देवपद स्वीकार करनेके मानी होते हैं शिष्योंमें — मनुष्यत्व होते हुए भी — पामरता — लघुता — का सत्कार पैदा करना।

सेवाग्राम, २५-५-१९४६

७

ईश्वर-विषयक कुछ भ्रम

आजकल दरिद्र समाजका दर्शन करानेवाले छोटे-बड़े उपन्यास अच्छी सख्त्यामें लिखे जाने लगे हैं। हमारे देशकी अत्यत दुखी, दरिद्री, अन्याय-पीड़ित जनता एव स्त्रियोंकी शोचनीय दशाके प्रति लेखकोंका — विगेषकर तरण लेखकोंका — समभावयुक्त ध्यान आकर्षित हो रहा है और पढ़े-लिखे लोगोंके हृदयको इस उपेक्षित मानव-समुदायके प्रति हिलानेका प्रयत्न हो रहा है, यह एक सुचिह्न है।

परंतु इन उपन्यासोंके दूसरे भी एक दो उद्देश्य नजर आते हैं। एक तो उपन्यासके चित्रको इस तरह खीचना, जिससे पूजीवाद और पूजीपतियोंके प्रति धृणा उत्पन्न हो। इसलिए इस उद्देश्यसे लिखे जानेवाले उपन्यासोंमें यदि यहीं बताया जाय कि जहा जहा दुख-

दारिद्र्य-अन्याय है, वहा वहा उसके कारण पूजीवाद या पूजीपति ही है, तो कोई आचर्य नहीं। परतु इस प्रयत्नके साथ साथ ऐसा उपदेश भी मिला दिया जाता है, जिससे ईश्वरके प्रति भी वृणा उत्पन्न हो और उसके अस्तित्वमें अविश्वास हो।

जब मनुष्य किसी भी वस्तुकी केवल आसक्तिसे ही नहीं, वल्कि पूर्वाग्रह और क्रोधसे भी जाच-पड़ताल करता है, तब न तो वह न्यायपूर्ण दृष्टिसे निरीक्षण कर सकता है और न स्वयं भ्रममुक्त हो सकता है। इस कारणसे इन उपन्यासोमें ईश्वरके विषयमें बहुत ही अपूर्ण और भ्रमयुक्त विचार दीख पड़ते हैं, और उससे जिस ईश्वरकी लेखक निन्दा करना चाहते हैं उस गवितके विषयमें स्वयं उनका ही अजान प्रकट होता है।

मार्क्स, एजिल्स आदि यूरोपीय लेखकोने इस विचारका प्रचार किया है कि ईश्वर और वर्ममत (religion, church, अनुगम) सब मत्तावारियों द्वारा अपनी मत्ताको मजबूत करनेके लिए निर्माण की हुई कपोल-कल्पित माया है। हमारे देशके अनेक तरूणोंने उस विचारको जैमेका तैसा अपना लिया है और भिन्न भिन्न प्रकारसे उसको वे हमारे साहित्यमें फैला रहे हैं। परतु यह बात उनके ध्यानमें आई मालूम नहीं होती कि यहूदी, ईसाई, मुस्लिम आदि किसी विशेष व्यक्ति द्वारा स्थापित किये हुए अर्थात् पौरुषेय अथवा दूत-प्रकाशित (revealed) वर्ममतोमें और हिन्दू, जैन, बौद्ध आदि किसी विशेष व्यक्ति द्वारा स्थापित न किये हुए अर्थात् अपौरुषेय अथवा अनुभूत (realized) वर्ममतोमें ईश्वरके स्वरूपकी समझमें एक बड़ा महत्वपूर्ण अन्तर है। वह अन्तर यह है कि दूत-प्रकाशित वर्ममतोमें ईश्वरको आकाशके पार और निराकार होते हुए भी बुद्धि तथा भावनायुक्त एक तत्त्व-विशेष माना गया है, और यह माना गया है कि जिस तरह एक कुम्हार मिट्टीसे अपनी डच्छानुसार वर्तन बनाता है, परतु मिट्टी और वर्तन दोनोंसे भिन्न रहता है, वैसे ही ईश्वरने नपूर्ण सृष्टि बनाई है। एवं जिस तरह मिट्टीसे किस स्वरूपका कैसा वर्तन बनाना है इसका सोच-विचार और निर्णय करके कुम्हार

उसे बनाता है, उसी तरह ईश्वरने जगत्‌के प्रत्येक जड़ पदार्थ तथा चेतन प्राणियोंके विषयमें पहले सोच-विचार और निर्णय करके फिर उसे बनाया है। अर्थात् जिसे उसने जैसा चाहा वैसा बनाया है। उसमें उस प्राणीके बलाबल या इच्छा-अनिच्छाका कोई सबब नहीं है। वादमें मनुष्यको यह धर्म समझाया गया है कि वह ईश्वर सर्वज्ञ, न्यायी और दयावान है। इसलिए उसने जो कुछ किया होगा वह ठीक ही किया होगा, इस श्रद्धासे उसकी निर्माण की हुई परिस्थितिमें सतोष मानना और उसकी शरणमें रहना ही उद्धारका मार्ग है। यह हुआ उनका ईश्वर-विचार। फिर ईश्वरकी इच्छाओंको जाननेवाले पैगबरोकी कल्पना की गई है, और उन्होंने अपने अपने काल और देशमें जो कुछ धार्मिक विधिया और सामाजिक रूढिया कायम की तथा प्रणालिकाये और सदाचारके नियम वाघ दिये, वे सब उन दूतों द्वारा ईश्वर-दत्त ही हैं, यह श्रद्धा रखी गयी है। अर्थात् वे सब रूढिया, प्रणालिकाये और नियम मिलकर एक-एक धर्ममत (religion) — अनुगम — हो गया है।

यद्यपि हमारे देशके भी धार्मिक साहित्य और लोकवाणीमें ऊपरके विचार वारवार प्राप्त होते हैं, और वर्णश्रम-व्यवस्था ईश्वरकी बनाई हुई है, वेद ईश्वरदत्त है, आदि विवान किये जाते हैं, तथापि यह केवल भाषागैथिल्य है। इसमें अपीरुषेयका अनुवाद ईश्वर शब्दसे कर दिया जाता है। वास्तवमें हमारे देशके किसी भी धर्ममत या उसके किसी भी पथमें ईश्वर-स्वरूप, समाज-धर्म तथा विविधर्मकी तात्त्विक नीव उपरोक्त नीवसे विलकुल भिन्न प्रकारकी है। अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, सेश्वर, निरीश्वर, वैदिक, जैन, बौद्ध चाहे जिस मतका मनुष्य हो, हिन्दू धर्म-विचारमें ईश्वरको सृष्टिका कुम्हार जैसा कर्ता नहीं समझा गया है। इसके अतिरिक्त हिन्दू धर्ममें ईश्वरके साथ साथ एक दूसरी शक्तिका भी अस्तित्व माना गया है। उसे हम 'कर्म' के नामसे पहचानते हैं। यह कहनेमें हरकत नहीं कि सेश्वर मतोंमें ईश्वर और कर्मका किसी न किसी प्रकारका द्विग्रन्थ-कर्तव माना गया है। अर्थात् न तो ईश्वर एक स्वेच्छाचारी सर्व-

विकारी (autocrat or dictator) है और न कर्म ही सपूर्णतया न्वाचीन है। इसी कारणसे ईश्वरको केवल कर्मफल-प्रदाता कहते हैं, अब्दा साक्षीमात्र और अकर्ता भी कहते हैं। निरीश्वर मतोमें ईश्वरका स्वान ही न होनेसे ईश्वर पर दोषारोपण करनेवाली भाषा निरर्थक हो जाती है।

सारांग यह है कि हिन्दू धर्ममें कोई कितना भी महान ईश्वर-भक्त हो और ईश्वरको अधिकसे अधिक सर्वाधिकार — कर्मोंका नाश करनेका भी अधिकार — देता हो, तो भी वह ईश्वरका सर्वाधिकारित्व अनन्य भावसे उसकी शरणमें गये हुए भक्तोंके लिए ही मानता है। जो उसके अनन्य भक्त नहीं है, उनके ऊपर तो भक्तके मतसे भी कर्मोंका ही आविष्ट्य होता है, और उसके लिए ईश्वर केवल कर्मफल-प्रदाता ही माना जाता है।

इसका अर्थ यह हुआ कि हिन्दुओंके विचारसे हमारे सुख-दुःखोंके लिए मुळ्य जवाबदारी कर्मकी मानी गई है, न कि ईश्वरकी। वह कर्म चाहे आजका हो, कलका हो, या बहुत पहलेका हो, वैयक्तिक हो, पूर्वजोंका हो या समग्र समाजका हो, इस जन्मका हो या पूर्वजन्म पर आरोपित किया गया हो — किसी न किसी प्रकारके कर्मके कारण ही हमारी वर्तमान अवस्था है, और उसीके कारण उसमें परिवर्तन होगा। भक्त इस मान्यतामें इतनी वात बढ़ा देता है कि यदि मनुष्य उसके साथ अनन्य भावसे ईश्वरकी शरण ले, तो यह पन्निवर्तन अधिक शीघ्र हो सकता है, वैसा न हो तो कर्मके नियमोंके अनुसार ही उसकी प्रगति हो सकती है। यह विचार ठीक है या नहीं, अब्दा कहा तक ठीक है, इसकी चर्चा यहा करनेकी जरूरत नहीं है। यहां केवल उनना ही बनाना है कि हिन्दुओंके विचारसे व्यक्ति या समाजकी आज जो भी अवस्था है, वह वर्तमान या भूतकालके वैयक्तिक अब्दा नामाजिक कर्मके परिणामस्वरूप है, और वर्तमान तथा भविष्य कालमें वैयक्तिक और नामाजिक कर्म द्वारा ही उसमें अन्दर या बाहर पन्निवर्तन होगा। हमारी आजकी अवस्था कोई अव्याप्तिशानारी ईश्वरों गेलका परिणाम नहीं है।

अब मेरी दृष्टिसे इस कर्मके विषयमें जो भूल हमारे विचारोमें आ गयी है, वह यह है कि हम आम तौर पर केवल वैयक्तिक कर्मोंके ऊपर ही सुख-दुःखका उत्तरदायित्व आरोपित करते हैं, और उसमें भी बहुत ही जल्दी एकदम पूर्वजन्मके कर्मोंका तर्क दौड़ाते हैं। यह विचार कुछ गलत है। सृष्टिके सब प्राणी और पदार्थ शरीरके अवयवोंकी तरह एक-दूसरेसे सबधित हैं, तथा अनादि भूतकालसे भी उनका सम्बन्ध है। एक-दूसरेसे बिलकुल ही स्वतंत्र और भिन्न तथा नया इस जगत्‌में कुछ नहीं है। यदि यह विधान सच है, तो किसीके सुख-दुःखका कारण केवल उसके वैयक्तिक कर्म ही नहीं, दूसरोंके कर्म भी हो सकते हैं, उसके पूर्वजोंके कर्म भी हो सकते हैं तथा उसके एवं दूसरे समाजोंके कर्म भी हो सकते हैं और सृष्टिकी प्राकृतिक शक्तिया भी हो सकती है, अर्थात्, यदि एक 'छोटी' बच्ची विवाह हो जाये तो उसके वैधव्यका कारण उसीका कर्म है, यह मानना गलत है। उसमें उसके माता-पिता और आप्तजन, जिस समाजमें उसका जन्म हुआ उस समाजकी रूढिया तथा उस रूढिको उत्पन्न करनेवाली सारी कर्म-परपरा ही विशेष कारणभूत है। जब वह रूढि बदल जाती है तब छोटी लड़कियोंको वैधव्य प्राप्त होना असभव हो जाता है। अर्थात् समाजकी कर्म-परपरा बदल जानेसे वैयक्तिक दुःख टल जाता है। यही बात हरिजन आदि दलित और दारिद्र्य-पीडित वर्ग, स्त्री-वर्ग, रियासतोंकी जनता और गाय, बैल वर्गरा पशुओंके दुःखोंके विषयमें भी कही जा सकती है। किसी जीवको स्त्रीत्व या पुरुषत्व प्राप्त होनेमें और अमुकके घर पैदा होनेमें उसका पूर्वकर्म भले ही कारण मान लिया जाय, परन्तु यदि वह स्त्री हो तो उस पर विशेष वधन डालने, अथवा उसके घरको अस्पृश्य मानकर उस पर विशेष प्रतिवध रखने, अथवा वह दारिद्र्य-पीडित हो ऐसी परिस्थिति निर्माण करनेमें उसके पूर्वकर्मकी अपेक्षा उसके माता-पिताके कर्म या उसकी सामाजिक कर्म-परपरा विशेष कारणभूत है।

परन्तु कर्म-सिद्धान्तकी गुद्ध दृष्टिका विचार करना इस लेखका उद्देश्य नहीं है, और न ईश्वरके विषयमें समुचित दृष्टि कौनसी है, इसका पूर्ण विवेचन करना ही इसका उद्देश्य है। इस लेखका उद्देश्य

सिर्फ इतना ही है कि ईश्वरके प्रति नास्तिक भाव पैदा करनेके लिए इन उपन्यासोंमें ईश्वर-विषयक जो विचार और निन्दात्मक विधान किये जाते हैं, वे हमारे समाजके लिए बड़े भ्रमसे भरे हुए होते हैं। वे हमें अपनी दग्गा सुधारनेमें किसी प्रकारकी सहायता देनेकी जगह केवल हममें निरागा, निर्वलता और पुरुषार्थगून्य असतोष निर्माण करनेका ही काम कर सकते हैं। हिन्दू जनताकी भावनामें ईश्वर या तो केवल साक्षीरूप, अकर्ता और कर्मफल-प्रदाता है, अथवा यदि वह भक्तोकी दृष्टिमें कर्ता है, तो उसका कर्तृत्व किसीको पीड़ा पहुचाने, पीड़ित रखने या पाप अथवा नरकमें ढकेलनेके लिए प्रवृत्त नहीं होता, परतु जो उसकी अनन्य शरण लेता है उसके कष्ट और पापोंको हटाने और उसके ज्ञान, वल, वुद्धि तथा सात्त्विक सपत्तिको बढ़ानेके लिए ही प्रवृत्त होता है। जो ईश्वरकी अनन्य भावसे शरण नहीं लेता उसके लिए ईश्वर नहीं-सा ही है, कर्म ही विशेष सावन है, फिर यह स्वकर्म हो या परकर्म हो। दूसरे शब्दोमें कहे तो मनुष्यकी शुभ वृत्तियोंको जागरित, प्रेरित और बलवती करनेवाले उसके गूढ़ सत्त्वका ही नाम ईश्वर है, और वह एक बड़ी बलवान् शक्ति है। यदि अपने अज्ञानयुक्त विवानोंसे हम जनताकी इस शक्तिको कुण्ठित करे, तो ऐसा ही कहना होगा कि जिस डाल पर हम बैठे हुए हैं उसीको काटना चाहते हैं। इससे जनतामें बल पैदा न होगा, नवजीवनका सचार नहीं होगा, वल्कि उसका विनाश होगा।

नवराजस्थान, वस्त पचमी, १९३६

संसार और धर्म

तीसरा भाग

धर्म

धर्मका नवनिर्माण

धारासभामें जब किसी विषयमें नया कायदा बनाया जाता है, तब उस विषयके पुराने कायदे और कलमें रद कर दी जाती है, बादमें उस नये कायदेका ही आधार दिया जा सकता है और पुराना निकम्मा हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि पुराने कायदेकी हरएक कलममें परिवर्तन किया जाता है और नयेमें उसका कोई अश्व नहीं दिखाई देता। परन्तु किसी भी नियमकी प्राचीनताका महत्त्व नहीं रहता। उसकी कीमत तो इसलिए है कि उसे नये कानूनमें स्थान मिल गया।

हिन्दू धर्ममें एक बड़ा दोष यह रहा है कि यद्यपि हर जमानेमें नये सद्गुरु, स्मृतिकार, आचार्य तथा सुधारक हुए हैं, तो भी इनमें से किसीने पुरानी श्रुति-स्मृतियों, भाष्यों और रूढियोंको आगेके लिए अप्रमाणित — रद्दी नहीं ठहराया। अथवा यह कहा जाय कि किसीको इतनी मान्यता नहीं मिली कि जिससे उसके उपदेश या शिक्षणसे भिन्न अथवा विरोधी शिक्षण देनेवाले ग्रथो, वाक्यो अथवा रूढियोंको अप्रमाणित माना जाय। इसके विपरीत, पुराना और नया शिक्षण एक-दूसरेसे विरुद्ध हो, तो भी दोनोंको एक समान महत्त्व देनेकी और हठपूर्वक दोनोंमें से एक ही अर्थ निकालनेका प्रयत्न करनेकी परपरा चली आई है। इसका नतीजा यह हुआ है कि हरएक विषयमें अनुकूल तथा प्रतिकूल प्रमाण दिये जा सकते हैं, और 'नैको मुनिर्यस्य मत न भिन्नम्' (हरएक मुनिका अलग अलग मत) जैसी वात होती है।

कदाचित् इस्लाममें ही यह वात पहले-पहल हुई है। वहा कुरानने अरबस्तानके सारे पुराने ग्रन्थों तथा रूढियोंको अप्रमाणित ठहरा दिया। उनमें से जो कुछ स्वीकार करने योग्य लगा होगा, उसका कुरानमें समावेश करके प्राचीन शास्त्रोंको ढूढ़ने और उन पर विचार

करनेकी जरूरत नहीं रहने दी गई, वल्कि ऐसा करना दोषपूर्ण माना गया। सिक्ख धर्ममें ग्रन्थसाहबने भी धर्मके एक क्षेत्रमें ऐसा ही कुछ किया, परतु मेरा ख्याल है कि उसने जीवनके सब अगोके विषयमें अपनी नई स्मृति नहीं बनाई।

मानव-जीवनका, भारतवर्षके जीवनका, कौटुम्बिक जीवनका, व्यक्तिगत जीवनका अथवा आसपासके समाजसे सबवित किसी भी सवालका जब जब मैं गहरा विचार करता हूँ, तब तब मैं आखिरमें इस निर्णय पर पहुँचता हूँ कि दुनियाके आजकलके धर्म-सप्रदायोमें से किसीमें भी इन प्रबन्धोंको सुलझानेका सामर्थ्य नहीं रहा है। मनुष्यों पर उनका अकुण अब ढीला हो गया है। सर्वधर्म-समभावकी दृष्टिसे सब धर्मोंसे से योड़े-श्रोडे अश लेकर एक नया मिश्र सप्रदाय बनावे, तो उसमें भी यह सामर्थ्य अथवा शक्ति नहीं आ सकती। मनुष्यके लिए परमात्मा और परमात्मासे अभिन्न ऐसे इस विश्वव्यापी जीवनका नया दर्शन और नया भाष्य (interpretation) प्राप्त होनेकी और उसके आधार पर मानव-जीवनके हरएक क्षेत्रमें आवश्यक सशोधन या नयी रचना करनेकी अब जरूरत है।

यह मैं नहीं कह सकता कि यह कौन करेगा,—किस तरहसे किया जा सकेगा और उसमें कितना समय लगेगा। मैं यह भी नहीं कह सकता कि इस नवदर्शन और नवभाष्यमें कुछ भी त्रुटि नहीं रहेगी अथवा वह यावच्चन्द्रदिवाकरी चलनेवाली रचना होगी। जिसमें कभी भी कोई कान्तिकारी सशोधन न करना पड़े, जो कभी भी नाश, ह्लाम या जीर्णताकी गिकार न हो, या जिसमें कुछ भी अगुम तत्त्व न हो, ऐसी कोई रचना दुनियामें ही ही नहीं सकती। परमात्मा सदैव आकृष्य और नतानन है, फिर भी हर युगमें उसके दर्शनमें नवीनता होनी है और नवदर्शनमें से नया धर्म और नया जीवन पैदा होता है। जब नया दर्शन होता है तब प्राचीन दर्शन और उस पर खड़ी धर्म-रचनाओं परकठ रगना दोष है। उस नयेमें भी दोष तो होगे ही, किन्तु भी नवे युगमें वही काम दे सकता है, प्राचीन नहीं। उस नयेमें प्राचीनता नारा म्बव्य नाश नहीं हो सकता; परतु उतना ही रह

सकता है जितनेको उस नये दर्शन और उसके विवेचनने मान्य रखा हो अथवा अमान्य न किया हो।

वर्तमान धर्म-सप्रदायोंके स्थान पर अपने ही सत्यके बलके प्रमाण पर आधार रखनेवाले नये धर्मका निर्माण हुए बिना मुझे कल्याणकी ओर प्रगति होनेकी कोई आशा नहीं दीखती।

सेवाग्राम, ७-६-'४२ (शिक्षण अने साहित्य)

२

नयी दृष्टि

१

दुनियाका सामान्य अनुभव यह है कि किसी कौमकी उन्नति होनेसे पहले उसमे एक नया धर्म, यानी जिंदगीके बारेमे एक नयी समझ या दृष्टि पैदा होती है। जब तक जीवनमे आगा पैदा करनेवाला एक नया सत्य लोगोंको नजर नहीं आता, तब तक लोकसेवाकी सारी कोशिशें ऊपर ऊपरकी ही होती हैं। अपने-आप आगे बढ़नेवाली शक्ति उनसे पैदा नहीं होती।

जीवनकी नयी दृष्टिके अग ये हैं

१. जीवन, उसके अन्त और उसके व्येयको एक नये अर्थमे समझना और अनुभव करना,

२ सदाचारकी नयी नियमावली बनाना। यह नियमावली एक तरफ तो प्रचलित आचारोंसे ज्यादा व्यापक पैमाने पर बनी हुई होगी, और दूसरी तरफ उसमे सयम, सादगी, शरीर और इर्दगिर्दकी सफाई तथा मनकी पवित्रताका विचार ज्यादा कड़ा होगा,

३ इस दृष्टिको अपनानेवालोंमे भाईचारेकी स्थापना,

४ व्यक्तिगत और सामूहिक रूपमे कुछ कामोंमे सभीका सहयोग,

५ मानो एक तरहका संयुक्त परिवार हो, इस तरह अपने मुख-दुख और धन-मालमे वरावरीका हिस्सा रखनेवाले मण्डल बनाना, और

६ शराव, व्यभिचार, चोरी, रिश्वत, धोखेवाजी, झूठ, आलस्य वर्गेरा वुराइयोंसे मुक्त रहना।

जिन लोगोंकी सेवा करनी है उनका नैतिक स्तर जब तक ऊचा नहीं उठना, तब तक वडे पैमाने पर उनकी आर्थिक उन्नतिको असभव मानना चाहिये। अगर जनताको जीवनका एक नया सदेश मिल जाय और वह अपने नैतिक सुधारकी जरूरत समझ ले, तो तालीम लेने, स्वच्छ आदतें डालने, कुछ बातोंमें काट-कसर करने और दूसरीमें उदार होने, मेहनती और ईमानदार रहते हुए भी अपना जीवन-मान (स्टैन्डर्ड) ऊचा करने और पूरा मेहनताना मागनेका आग्रह रखनेके लिए उसे मिश्रत करनेकी जरूरत न रहेगी। नयी दृष्टि पैदा होते ही मनमें वसा हुआ हीनग्रह (inferiority complex) दूर हो जायगा।

२

नयी दृष्टिके सम्बन्धमें नये प्रकारके कामोंको उठाने तथा तालीम, नियम-पालन वर्गेराकी जरूरत तो होगी ही। सभी चीजों और कामोंकी कीमत नये दृग्से आकी जायगी।

पुरानी जीवन-व्यवस्थामें मनुष्योंकी कीमत उनकी जाति, कुल, गिज्ञा, घन-दौलत, अविकार आदिसे आकी जाती है। कामकी कीमत काम लेनेवालेंकी नाकत और काम करनेवालेंकी मुश्किलोंसे तय होती है, और चीजोंकी कीमत उनकी कमी और लुभावनेपनसे आकी जाती है।

नयी जीवन-व्यवस्थामें मनुष्यकी कीमत उसके चरित्र और जरूरतोंमें ठहराई जानी चाहिये नथा कामकी कीमत वह जीवनकी जन्मरनोंको पूरा करनेमें कितना हाथ बटाता है, इस परसे तय रानी चाहिये, और वस्तुओंको कीमत ठहरानेके लिए यह दंखना होगा कि वे जीवनकी पहली जरूरते हैं या गौण, और जो पहली जन्मरने हो उन्हें अमूर्द कर दिया जाना चाहिये — यानी वे ज्यादासे रपादा आनानीमें नदको मिल जानी चाहिये।

मनन्तर यह कि मनुष्यमात्र समान माना जाय। परतु जो ऊचे चरित्रवाला हो उसकी सामन (क्रेटिट) या प्रतिष्ठा कम चरित्रवाले

आदमीसे ज्यादा हो। तगी और दुखमें पड़े हुए आदमी, स्त्री, बच्चे, अपग और वीभारकी जरूरतोंका ताकतवर आदमीके मुकावले ज्यादा खयाल किया जाय। अब, पानी और कपड़े जितने हो सके उतने सस्ते हों, और उन्हें पैदा करनेके लिए की जानेवाली मेहनतकी कीमत दूसरे सब श्रमोंसे ज्यादा मानी जाय। पैसेकी अपने-आपमे (स्वतंत्र रूपमे) कोई कीमत नहीं हो सकती, यानी उस पर सूद नहीं हो सकता। और जमीन-पानी और हवाकी तरह ही किसीकी निजी मिल्कियत न होनी चाहिये।

यदि इन सिद्धान्तों पर गाव, सस्थाए, सहकारी मडलिया या दूसरी तरहके तत्र (organizations) बनाये जाय, तो वे लोगोंके सामने अच्छे नमूने पेश करेंगे।

३

जगत्के बड़े घर्मोंने व्यक्तिकी जीवन-मुक्ति या विदेह-मुक्ति पर (जीतेजी या मरनेके बाद होनेवाले आत्माके मोक्ष पर) और व्यक्तिको दूसरी दुनियामे मिलनेवाले सुखो पर जोर दिया है। नास्तिक भी व्यक्तिको इस दुनियामे मिल सकनेवाले विषयोंके सुखो पर जोर देते हैं। दोनों व्यक्तिका ही विचार करते हैं।

नयी दृष्टिमे व्यक्ति और समाज दोनोंकी मुक्तिका विचार रहेगा, और इस दुनियामे स्वर्गको उतारनेकी कोशिश होगी। अर्थात् वह रोग, तगी, अज्ञान, विषमता, अन्याय, वैर, स्वार्थ, लडाई, व्यसन, अस्थम, बाहरी सत्ताओं और अन्त करणके विकारोंकी गुलामी वर्गराका नाश करनेका यत्न करेगी।

पुराने मजहबोंकी यह मान्यता है कि ऊपर बनाये हुए दुख न हो, ऐसी जिन्दगी दुनियामे वितानेकी बाबा ही न रखनी चाहिये। तगी, दुख और मनुष्यका मनुष्य पर जुत्स इस दुनियामे टल नहीं सकते। उनका अभाव तो परलोकमे ही हो सकता है। उन्होंने तो यहा तक कहा है कि इस दुनियामे जितनी ज्यादा तकलीफ होगी, उतना ही दूसरे लोकमे ज्यादा बदला मिलेगा। इनलिए जान-बूझकर सिर्फ दुख सहन करनेके लिए ही दुख उठानेके वृत्तिम तरीकोंको भी

उन्होंने कई बार प्रोत्साहन दिया है। सामाजिक अन्यायों और कुप्रथाओं, दुखों और रोगों तथा आदमीके बनाये हुए रीति-रिवाजों, कानूनों और भेदोंको अज्ञानसे अक्सर भगवानके बनाये हुए समझकर उन्हें बरदाष्ट करते रहनेकी सलाह दी है।

पुराने मजहबोंकी यह दृष्टि इतनी हद तक गलत है ऐसा मानना चाहिये।

हमें यह समझना चाहिये कि दुख ही जहा नियम हो, ऐसी दुनिया पैदा करनेका ईश्वरका व्येय ही ही नहीं सकता। लेकिन अज्ञान, व्यसन, अव्यवस्था और कुव्यवस्था मानवके बहुतेरे दुखों और मकानोंके कारण है, और चाहे मनुष्य द्वारा निर्माण की गई हो या कुदरती कारणोंसे हो, जीवनको दुखभय बनानेवाली शक्तियोंके सामने हमें आगड़ते रहना ही मोक्षकी साधना है।

मोक्ष यही -- इसी दुनियामें प्राप्त करनेकी चीज है; और वह व्यक्ति और समाज दोनोंके लिए है। इस मोक्षका कोई अन्त नहीं। वह सतत बढ़ता रहनेवाला मोक्ष है। लेकिन जो मनुष्य उसके लिए निरन्तर भावना करता है, उसे उसका पूरा-पूरा फल उसके अन्त करणमें तुरन्त ही मिल जाता है। उस फलके मानी हैं चित्तकी शानि और समाधान।

नयी दृष्टिमें

१. मिफं ईश्वरकी ही उपासना होगी,

२. जीवमात्रका आदर और उसकी सेवा होगी,

३. अवतारों, पैगम्बरों, गुरुओं तथा उनकी तसवीरों वर्गीके लिए आदर ही सकता है, परन्तु ईश्वरके बदले या ईश्वरके प्रतिनिधिके स्वप्नमें या ईश्वरगी नरह ही उनकी उपासना नहीं हो सकती। जो पृज्ञा ईश्वरान्ते ही अर्पण करने योग्य हो, वह उन्हे — भले वे किनने ही पूर्ण और बड़े महात्मा क्यों न हो — अर्पण नहीं की जा सकती।

४. जिनके लिए हमारे दिलमें आदर हो, उनके पास हम आदरनामने प्राये और उनकी भेवा भी करे, लेकिन उस आदर और

सेवामे यह भाव न होना चाहिये कि हम उनके सामने नीच, पामर, छोटे और नाचीज आदमी हैं।

४

तत्त्वज्ञानकी भाषा छोड़कर मैं आलकारिक भाषामे कहू, तो ईश्वर और शैतानके बीच ऐसी दुश्मनी नही है, जैसी दुश्मनीकी शास्त्रोंसे हमे कल्पना होती है। कई बार वे दोनों एक ही घ्येयके लिए काम करते पाये जाते हैं। दोनोंके बीच भेद सिर्फ साधनोंका होता है। शैतानको अच्छे साधनोंसे ही काम लेनेका आग्रह नही होता। ऐसा देखा गया है कि वह बहुत बार बुरे साधनोंसे अच्छी चीज पैदा करता है। इसलिए साधारण आदमीके दिलमे उस पर भी गहरी श्रद्धा होती है। दीर्घदृष्टिसे विचारने पर ही शैतानके स्थानेपन और दृष्टिकी विगलताके बारेमे शक पैदा होता है।

लेकिन दीर्घदृष्टिकी भी अपनी एक सीमा होती है। परीक्षाके समय दीर्घदृष्टिवाला मनुष्य भी फिसल जाता है और तुरन्त फलकी नीतिसे समझौता करनेके लिए तैयार हो जाता है। शैतानके कामोंका निषेध करनेकी उसमे हिम्मत नही होती।

किन्ही भी साधनोंसे काम लेनेके लालचको भी जिन्दगीकी लडाईका एक हिस्सा ही समझना चाहिये। उसमे कभी भूल कर बैठे, तो भी बार बार हमे ईश्वरके पक्षमे ही जानेका प्रयत्न करना चाहिये।

सेवाग्राम, १०-८-'४५ (कोडियु)

शास्त्रदृष्टिकी मर्यादा

मैंने अपनी 'व्यवहार्य अर्हिमा' शीर्पक लेखमालामें यह लिखा था कि "दुनियाके सब देशों और धर्मोंमें 'भद्र' और 'सन्त' ऐसी दो बुनियादी स्थितिया प्राचीन कालसे चली आई है। हमारा देश भी इस बारेमें अपवादरूप नहीं है।" * जहाँ तक मुझे पता है, भद्र शब्द किसी भी भाषामें अनादरसूचक नहीं है। मैंने जिस स्थितिका भद्र नामसे परिचय कराया है, उसके लिए मेरे दिलमें अनादर नहीं है और यह प्रकट करनेके लिए ही मैंने उसे भद्र कहा है। भद्र स्थितिने भी मानव-समाजमें बहुत बड़े बड़े काम किये हैं, यह वात भी मैंने अपनी लेखमालामें स्वीकार की है। फिर भी भद्र स्थितिकी एक मर्यादा है, जिससे ऊपर वह उठ नहीं सकती। यदि वह उस मर्यादासे ऊपर उठ जाय, तो सन्त स्थितिमें परिणत हो जायगी। भद्र स्थितिसे जो मनुष्य ऊपर उठते हैं, वे ही सन्त हैं।

मेरे इस कथन पर 'सिद्धान्त' साप्ताहिकके विद्वान् सपादनने आपत्ति उठाई है। १० जून, १९४१के अकमे वे लिखते हैं, "जिन्हें दो बुनियादी स्थितिया वतलाया गया है, वे वास्तवमें परस्पर-विरोधी नहीं हैं। इन दोनोंका मूल, इन दोनोंका आधार, एक ही है और वह है धर्मशास्त्र।"

दुनियाके सभी धर्मोंके शास्त्रियोंकी रायमें उनका अपना धर्मशास्त्र ही परम और अतिम प्रमाण होता है। 'नामूल लिख्यते किंचित्' यह उनकी प्रतिज्ञा होती है। इसलिए उनका यह आग्रह होता है कि किसी भी वस्तुको उचित या अनुचित ठहरानेके लिए अपने धर्मशास्त्रसे कोई-न-कोई प्रमाण खोजकर निकालना ही चाहिये। अगर ऐसा आधार न मिले, तो वह वस्तु मान्य नहीं हो सकती, चाहे वह कितनी ही बुद्धिग्राह्य और हृदयग्राह्य क्यों न हो।

* अर्हिमा-विवेचन, भाग २, लेख २२।

लेकिन ऐसी परिस्थितिमें बुद्धि अपनी हार स्वीकार करना ज्यादा समय तक बर्दित नहीं करती। वह कोई न-कोई रास्ता निकालनेकी चिन्तामे रहती है। शास्त्रसे जकड़ी हुई बुद्धि उसके वधनको तोड़कर आगे बढ़नेकी हिम्मत नहीं करती। लेकिन गास्त्र-वचनोंके नये नये भाष्य लिखनेकी हिम्मत वह कर लेती है। किसी-न-किसी तरह पुराने वाक्योमे से वह अपने अनुकूल नये अर्थ निकाल लेती है और फिर ऐसा प्रतिपादन करती है कि वह चीज शास्त्र-समत ही है।

इस प्रकार वे ही श्रुति-वचन और स्मृति-वचन निरीचवरवादी साख्यों तथा अद्वैत, द्वैत एव विशिष्टाद्वैतवादी वेदातियों और मीमांसकों-के लिए आधारभूत होते हैं। वे ही श्रुति-स्मृतिया अस्पृश्यताके स्वीकार और निवारण, दोनों मतोंके विद्वान् शास्त्रियोंके लिए प्रमाणभूत होती है। यावज्जीवन वैवद्य और विवावा-विवाह, स्थायी विवाह और तलाक, मासाहार और मास-निषेध, पशुयज्ञ और औषधि-यज्ञ आदि परस्पर-विरोधी विचार रखनेवाले शास्त्री वर्मशास्त्रोंके आधार पर ही अपने अपने मतोंका समर्थन करते हैं।

कोई ऐसा न समझे कि यह बात हमारे ही देशमे या सिर्फ हिन्दू वर्ममे ही होती है। कुरान या वाइबलवादी शास्त्रियोंका भी यही रखैया है। वाइबलका हवाला देकर गुलामीकी प्रथाकां समर्थन और विरोध करनेवाले बड़े बड़े पादरी थे। किसी मौलवीकी क्या मजाल है कि वह कुरानसे परे होकर विचार करनेकी गुस्ताखी करे? ऐसी हालतमे अगर किसी बातका समर्थन या निषेध करना हो, तो कुरान वगैरा वर्मशास्त्रोंके वचनोंकी अपने अनुकूल व्याख्या करके ही किया जा सकता है।

इस विचारधाराको माननेवाले वर्मशास्त्रीकी दृष्टिमे कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए सन्त नहीं माना जा सकता कि हमने अपने अनुभवसे उसे बहुत ही नेक पाया है; वल्कि इसलिए कि वे पुरुषको सन्त माननेके लिए वर्मशास्त्रमे प्रमाण माँजूद हैं। नतीजा यह है कि वैदिक वर्मके शास्त्रियोंकी दृष्टिमे एक जैन महात्मा सन्तपुरुष नहीं हो सकता, क्योंकि वह नास्तिक है। उसी तरह वैद-वर्ममे पलापुना

कोई व्यक्ति कितना ही साधु-स्वभावका क्यों न हो, जैन दृष्टिमें वह सन्त नहीं हो सकता, क्योंकि वह मिथ्या दृष्टिमें पला हुआ है। और न कोई हिन्दू महात्मा इस्लाम या ईसाई धर्मकी दृष्टिमें सत्पुरुष हो सकता है, क्योंकि वह उनके पैगम्बरोंका अनुगामी नहीं है।

जब शास्त्रोंका आश्रय लेनेकी दृष्टि इस हृदय नक पहुच जाती है, तब मेरी नम्र रायमें शास्त्रसे दृष्टि प्राप्त होनेके बदले अन्वत्व प्राप्त होता है, ठीक उसी तरह जिस तरह कि प्रखर सूर्यकी किण्णोंकी तरफ ताकते रहनेसे अन्वत्व प्राप्त होता है।

कई शास्त्रग्रथ अवश्य ही बड़े आदरणीय हैं, लेकिन वे इसलिए आदरणीय नहीं हैं कि शास्त्रके नामसे प्रसिद्ध हैं, बल्कि इसलिए हैं कि वे किसी न किसी सत्पुरुष द्वारा लिखे हुए माने जाते हैं।

आदि सत्पुरुषका निर्माण किसी शास्त्र द्वारा नहीं हुआ था, बल्कि आदि सत्पुरुषने ही किसी-न-किसी शास्त्रका निर्माण किया है। और दुनियाँके सभी शास्त्रग्रन्थ नष्ट हो जाय, तो भी दुनियाँमें सत्पुरुष होते ही रहेगे और नये नये शास्त्रोंका निर्माण भी होता रहेगा। यदि किसी शास्त्रने किसी सत्पुरुषका वहुमान किया हो या उसके व्यवहारोंको मान्य किया हो, तो ऐसा करके उसने उस सत्पुरुष पर कृपा नहीं की, बल्कि अपनी ही कीमत बढ़ाई है।

किसी शास्त्रको माननेवाला व्यक्ति उस शास्त्रसे बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी। सर जगदीशचन्द्र वसु या सर चंद्रशेखर व्यक्ट रामन जैसा कोई प्रथम श्रेणीका वैज्ञानिक जब किसी दूसरे वैज्ञानिक ग्रन्थका आदर करे या उसका हवाला दे, तब वह इस बुद्धिसे हवाला नहीं देता कि वह उस ग्रन्थमें लिखी हुई वातको केवल इसीलिए सही मानता है कि वह उस ग्रन्थमें पाई जाती है, बल्कि इस बुद्धिसे कि दूसरे वैज्ञानिकोंका अनुभव भी उनके अपने अनुभवका समर्थन करता है। लेकिन विज्ञानके साधारण पडित, जिन्हे अपना निजका कोई अनुभव नहीं है, केवल उस ग्रथके आधार पर ही उस वातको स्वीकार करते हैं इसलिए उसका प्रमाण देते हैं। यही वात धर्मशास्त्रों पर भी लागू होती है। श्री ज्ञानेश्वरने 'अमृतानुभव' में एक जगह अपना मत

वतलाकर आगे लिखा है—“और यही शिवगीता तथा भगवद्गीताका भी मत है। लेकिन ऐसा न माना जाय कि शिव और श्रीकृष्णके वचनोंके आधार पर ही मैंने अपना मत बनाया है। उनके ऐसे वचन न होते तो भी मैं यही कहता ।”

तुलसीदास और रामदास, नामदेव और तुकाराम, नानक और कबीर सभी असलमे वैदिक परपरामे पले हुए सन्त थे। लेकिन तुलसीदास और रामदासने शास्त्रोंको जितना माना, उतना नामदेव और तुकारामने नहीं माना, और नानक और कबीर तो उन्हे पार ही कर गये। सन्तोंकी पहली जोड़ी भद्र सस्कृतिमे पली हुई थी और आखिर तक किसी-न-किसी रूपमे उससे सलग्न रही। फिर भी तुलसीदासजीके राम और वाल्मीकिके राममे कितना अतर है? तुलसीदासजी अपने रामके द्वारा शम्बूकका वव न करा सके और न उनसे अस्पृश्यता तथा पक्षितभेदके नियमोंका पालन करा सके। रामदास इस ऊचाई तक नहीं पहुच सके। नामदेव और तुकाराम तो भद्रेतर ही थे। नानक और कबीरने साम्प्रदायिक शास्त्रोंका सहारा ही छोड़ दिया, केवल उनके सारको ही उन्होंने अपनाया।

और शास्त्रोंको अन्तिम प्रमाण मानने पर भी मनुष्य अपनी विवेकवुद्धिको चलानेसे कहा मुक्त होता है? एक ही शास्त्रके तीन भाष्यकार तीन अर्थ निकाले, जो परस्पर-विरोधी हो, तो हरएक मनुष्यको अपनी निजकी या किसी गुरुकी विवेकवुद्धिसे काम लेकर एकका स्वीकार और दूसरेका त्याग करना ही पड़ता है। मासाहार और मूर्ति-पूजाको भी शास्त्र-प्रमाण मिल जाता है तथा मास-वर्जन और मूर्ति-निषेधके लिए भी प्रमाण मौजूद है। हरएक अपनी अपनी रुचि, मस्कार या विवेकवुद्धिके अनुसार अपने लिए एक वस्तुको ग्राह्य और दूसरीको अग्राह्य मानता है। मतलब यह कि हमारी अपनी या हमारे माने हुए किसी गुरु अथवा सत्पुरुषकी विवेकवुद्धि ही अमुक शास्त्रको स्वीकार या अमुकको अस्वीकार या कम स्वीकार करती है।

सारांश यह कि विद्वान् या सन्त शास्त्रके निर्माता होते हैं शास्त्र विद्वानों या सन्तोंके निर्माता नहीं होते। विद्वान् अपनी वुद्धिकी

कुगलताके बल पर विद्वान है, सन्त अपने हृदयकी उन्नत अवस्थाके कारण सन्त है। सन्तको देवतेके बाद ही किसी गास्त्रकारने सन्तके लक्षण बतलाये हैं। मूल आधार पुरुष है, न कि ग्रथ। गास्त्रोकी इम मर्यादाको समझकर अगर हम उनका अध्ययन करे, तो वे हमारे जीवनमें महायक हो सकते हैं, नहीं तो वे जीवनमें भाररूप हो जाते हैं और फिर न केवल कवीर जैसोको ही, वरन् ज्ञानेश्वर जैसोको भी उनकी अल्पता बतलानी पड़ती है।

सर्वोदय, सितम्बर, १९४१

४

शास्त्र-विवेक

[मेरे 'शास्त्रदृष्टिकी मर्यादा' गीर्पक लेखको लेकर 'सिद्धान्त' चाप्ताहिकने कुछ चर्चा की और 'वादे वादे जायते तत्त्वबोध' इस न्यायसे वह चर्चा जारी रखी जाय, ऐसी मुझमें अपेक्षा भी रखी है। मेरी 'इच्छा' इस तरह चर्चा जारी रखनेकी नहीं थी। फिर भी अपने विचार स्पष्ट कर देना जरूरी था। इसलिए मैंने 'सिद्धान्त' में एक लेख लिख दिया था। उसीका आवश्यक अग्र यहा दिया जाता है।]

"वादे वादे जायते तत्त्वबोध" इस सुभापितमें अर्धसत्य है। श्री समर्थ रामदासने इसका दूसरा अर्धसत्य इन शब्दोमें कहा है — "तुटे वाद, सवाद तेयें करावा।" यानी जहा विवाद मिटकर सवाद उत्पन्न हो, वही चर्चा करनी चाहिये। मतलब यह कि वाद किस प्रकारका, किनके बीच, किस वृत्तिसे और किस समय होता है, इस पर भी उसमें से तत्त्वबोधका उत्पन्न होना या न होना अवलम्बित है। बुद्धि कितनी ही कुशाग्र क्यों न हो, कुछ सिद्धान्तोका बोव और चर्चाओका निर्णय वादसे नहीं होता, परन्तु अनुभवसे ही होता है, और अनुभव होने पर ही वाद समझमें आता है। इतना ही नहीं, कई बार अनुभव उस समय नहीं हो सकता, कालान्तरमें होता है।

जैसे यदि कोई मनुष्य फागुनके प्रारभमे कच्चे आमको रखकर कहे कि इतना खट्टा फल क्या कभी मीठा हो सकता है, तो उसका यह कहना बुद्धिके विरुद्ध है। लेकिन उससे चर्चा करनेसे फायदा नहीं होता। उस चर्चाको वैशाख या ज्येष्ठ तक मुलतबी ही रखना होगा। इसी तरह कई सिद्धान्त और मत, जिनका प्रारभमे तीव्र विरोध हुआ पाया जाता है, कुछ वर्षोंके बाद स्वयसिद्ध सत्योकी तरह सर्वस्वीकृत हो जाते हैं और आश्चर्य प्रकट किया जाता है कि उनके बारेमें भूतकालमे वहस क्यों हुई होगी। अस्तु ।

इसलिए शास्त्र, आप्तवाक्य और अनुमान-प्रमाणोंके बारेमें मैं जो कुछ सही-गलत राय रखता हूँ, उसे पाठकोंके सामने रखकर ही सतोष मानूगा। जिस नीरक्षीर न्यायको मैं मानता हूँ उस नीरक्षीर न्यायसे पाठक उसमे से जितना योग्य मालूम हो उतना मान्य कर लें और शेष छोड़ दें।

(१) अनुभव ही अतिम प्रमाण है। 'प्रत्यक्ष' शब्दके वास्तविक अर्थको यदि अच्छी तरह समझ लिया जाय, तो अनुभवको प्रत्यक्ष प्रमाण कहनेमें आपत्ति नहीं। 'प्रत्यक्ष' से सिर्फ 'इन्द्रिय-प्रत्यक्ष' ही नहीं समझना चाहिये। 'अन्त करण-प्रत्यक्ष' का भी उसमे समावेश होता है और वह इन्द्रिय या अन्त करण योग्य तालीम पाया हुआ, अविकल और अक्लिष्ट होना चाहिये तथा विपर्यय, विकल्प, अजागृति (अमनस्कता) की वृत्तियोंसे परे होना चाहिये।

(२) अनुभवकी मददके लिए शास्त्र, आप्तवाक्य और अनुमान-प्रमाणके लिए स्थान है। वे या तो साक्षीका अथवा पर्याप्रदर्शकका काम करते हैं। यानी उनके जरिये या तो हमारे अपने अनुभवके विषयमें निश्चिता पैदा होती है अथवा अनुभवकी दिग्गम्बे हम प्रयाण कर सकते हैं।

(३) जब तक हमे अनुभव नहीं होता अथवा न्वय अनुभव करके सिद्ध करनेकी किसी भी कारणसे हमारी तैयारी नहीं होती, तब तक किसी शास्त्र, आप्तवाक्य और 'कुछ अगमे' अनुमानको प्रमाण मानकर चलनेमें सुरक्षितता मालूम होती है।

(४) इसलिए सत्यके बोधमें शास्त्र, आप्तवाक्य और अनुमानका महत्वपूर्ण हाथ है और इसीलिए वे आदरके योग्य हैं।

(५) फिर भी, ये तीनों ही गलत भी हो सकते हैं। गलती दो प्रकारकी हो सकती है (क) जिन्हे हमने अनुमान माना हो, वे कोरी कल्पनाए ही हो और उनका आधार जो शास्त्र एवं आप्तवाक्य हो वह भी किसीका अनुभव नहीं, वल्कि केवल कल्पना ही हो। (ख) अथवा अनुभव तो सही हो, पर उसे भाषा द्वारा प्रकट करनेमें अथवा उसकी उपपत्ति लगानेमें दोष हो।

(६) यह सभव है कि कभी कभी एक ही प्रकारके अनुभवको समझानेके लिए भिन्न भिन्न उपपत्तिया दी जाय। साम्य, वेदान्त, जैन इत्यादि दर्शनभेद; द्वैत, अद्वैत आदि मतभेद तथा स्मार्त, वैष्णव, इस्लाम आदि सम्प्रदाय-भेदके निर्मणिका उपरोक्त गलतियोंके अलावा यह भी एक कारण है। यह कहना गलत है कि 'शास्त्रके अर्थ और धर्ममें भेदका कारण उच्छृङ्खल बुद्धि ही है।'

(७) कोई शास्त्र या आप्तवाक्य ऐसा नहीं, जिसमें नीर-क्षीर-न्याय करनेकी जरूरत न हो।

(८) इसलिए हरएक प्रमाण और हरएक उपपत्तिकी जाच अपनी विवेकबुद्धिसे करना सत्यगोवकका कर्तव्य है। 'अमुक एक मन्तव्यको मैं विवेकबुद्धिके क्षेत्रसे दूर ही रखूँगा' ऐसी प्रतिज्ञा करनेवालेकी श्रद्धा सद्भाग्यसे सत्य पर ही हो, तो भी वह अमूढ़ नहीं हो सकता। उसकी बुद्धि एक हृद तक पहुँच कर कुण्ठित हो जाती है। वह ऋम-युक्त और साम्प्रदायिक सकीर्णतासे परे नहीं हो सकता। 'ईसामसीहको स्वीकार किये विना मोक्ष नहीं मिलेगा' अथवा 'मुहम्मद पैगम्बरको स्वीकार किये विना मोक्ष नहीं मिलेगा' अथवा 'अमुक इष्टदेव, गुरु या ग्रन्थकी शरण लिये विना मोक्ष नहीं मिलेगा'— आदि मान्यताए और अभिमान इस तरह बुद्धिको कुण्ठित कर लेनेका ही परिणाम है। इनसे ऊपर उठे विना कोई पुरुष सत्यको सिद्ध नहीं कर सकता।

(९) विवेकबुद्धिको पैनी — कुशाग्र — करनेके लिए तर्कशास्त्रके ज्ञानकी अपेक्षा चित्तशुद्धिकी विशेष जरूरत है। वह अनिवार्य ही है — “नैषा तर्केण मतिरापनेया।”

सारांश यह कि अनुभव ही किसी सिद्धान्त या मतका अन्तिम प्रमाण है। विशुद्ध की हुई विवेकबुद्धि उसका अनिवार्य शस्त्र है। शास्त्र, आप्तवाक्य, अनुमान आदि उसके सहायक उपकरण हो सकते हैं।

सर्वोदय, दिसम्बर, १९४१

५

धर्म-सम्मेलनकी मर्यादा*

‘दिक्कालाद्यनवच्छानन्तचिन्मात्रमूर्तये ।

स्वानुभूत्यैकसाराय नम शान्ताय ब्रह्मणे ॥’

(भर्तृहरि, वैराग्यगतक-१)

सन्नारियो और सज्जनो,

भिन्न भिन्न धर्मतोमे श्रद्धा रखनेवाले विचारक स्त्री-पुरुषोंका यह सम्मेलन है। इस प्रकार एकत्र होकर मित्रभावसे एक-दूसरेसे धार्मिक सवाद करनेके लिए आपकी मनोवृत्ति पहलेसे ही तैयार हो चुकी है। इसलिए आपके सामने यह सावित करनेकी जरूरत नहीं रहती कि भिन्न भिन्न धर्मविलियोंमे समभाव हो सकता है अथवा होना चाहिये। वैसे समभावका अनुभव करके ही आप यहा आये हुए हैं।

तब हमारे सामने विचार करने योग्य सवाल यह नहीं है कि हम स्वयं किस तरह दूसरोंके वर्मोंके प्रति समभाव रखें, वल्कि यह है कि जिस तरह हम सर्वधर्म-समभावका अनुभव कर रहे हैं, वैसे ही हम-एक धर्मका व्यक्ति दूसरे धर्मवालोंके मतोंके प्रति समभाव कैसे अनुभव कर सकता है?

* वर्वाकी धर्म-परिपदमे दिया हुआ व्याख्यान।

“किसी भी वर्मको समन्वनेकी कुजी उसके धर्मग्रंथोंमें नहीं, किन्तु उसके सतोके पास होती है। किसी भी वर्मका परिपक्व फल उन उन धर्मोंके द्वारा निर्माण हुए मतपुरुष है, और वे ही उस धर्मके विषयमें प्रमाणरूप हैं, न कि उनके ग्रन्थ या उन ग्रन्थोंका अव्ययन करनेवाले विद्वान्। ऐसे सतपुरुषकी पहचान उसके हृदयमें होती है, न कि उसके शास्त्राभ्यास, कर्मकाड़ या प्रचार-कार्यसे।” ऐसा श्री जाजूजीने कहा है।

जब हम भिन्न भिन्न धर्मों द्वारा पैदा किये हुए सतोके हृदयकी ओर देखते हैं, तो हम अनुभव करते हैं कि सब धर्मोंका परिपक्व फल मोटे तीरसे समान ही होता है।

“वैष्णव-जन तो तेने कहीए जे पीड़ पराई जाणे रे,
परदुखे उपकार करे तोये, मन अभिमान न आणे रे १
सकळ लोकमा सहुने वंदे, निन्दा न करे केनी रे,
वाच काळ मन निश्चळ राखे, धन धन जननी तेनी रे २
समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, परस्त्री जेने मात रे;
जिह्वा थकी असत्य न बोले, परवन नव झाले हाथ रे ३
मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मनमा रे,
रामनामशु ताळी लागी, सकळ तीरथ तेना तनमा रे ४
वणलोभी ने कपटरहित छे, काम कोव निवार्या रे,
भणे नरसंयो तेनु दरशन करता, कुळ एकोतेर तार्या रे।”

*

“जे का रजले गाजले, त्यासि म्हणे जो आपुले ॥
तोचि सावु थोळखावा, देव तेयेची जाणावा ॥
मृदु सवाह्य नवनीत, तैमे सज्जनाचें चित्त ॥
ज्यासि आपगिता नाही, त्यासी घरी जो हृदयी ॥
दया करणे जे पुत्रासी, तेचि दासा आणि दासी ॥
तुका म्हणे सागू किती, तोचि भगवताची मूर्ति ॥”

*

“दया राखि धर्मको पालै, जगसो रहे उदासी।
 अपना-सा जीव सबको जानै, ताहि मिलै अविनासी।
 सहे कुशब्द, वादको त्यागे, छाडे गर्व गुमाना।
 सत नाम ताहिको मिलिहै, कहे कबीर सुजाना।”

मतलब यह है कि ‘अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्र करुण एव च’ आदि जो लक्षण गीताके १२ वे अध्यायमें बताये गये हैं, उनके अनुरूप जगत्‌में आचार-व्यवहार हो यह धार्मिकताका परिपक्व फल है। इस विषयमें सब धर्म सहमत हैं और ऐसा कोई देश या राष्ट्र नहीं है, जिसमें ऐसे सत्यरूप पैदा न हुए हों या नहीं हों सकते। वे बिना अपना धर्म छोड़े उसका अत्यन्त दृढ़ता और आस्थाके साथ पालन करके हीं ऐसी साधुताको पाते हैं। और इस साधुतामें से एक ऐसी ज्ञाननिष्ठा पैदा हो जाती है, जिसकी बदौलत उनमें यह भाव नहीं रहने पाता कि उनका ही देग, जाति, धर्म, सम्यता, भाषा, रीति-रिवाज आदि सबसे श्रेष्ठ हैं, वे ही सत्य या सपूर्णता तक पहुचे हुए हैं, सबके लिए उनका स्वीकार अपरिहार्य है; वे ही ईश्वरको अधिक मान्य या प्रिय हैं तथा उनमें कहीं पर भी सुधारके लिए गुजाइश नहीं है, और दूसरे सब देग, जाति, धर्म आदि उनसे न्यून है। जिस समाजमें वे रहते हैं उसमें उत्पन्न हुए अपने कर्तव्योंका और उस समाजके निर्दोष रीति-रिवाजोंका वे वरावर पालन करते हैं। फिर भी उनके मनमें यह अभिमान नहीं उठना कि इतर समाजोंकी अपेक्षा उनका समाज और उसकी सब वातें कुछ अलौकिक और दिव्य हैं। सच तो यह है कि मानव-समाजकी धर्मरूप सब नदिया एक ही पहाड़से निकली हुई है और सब एक ही समुद्रकी ओर वह रही है। एक नदी मार्गमें कहीं छिछली मालूम होती है कहीं निर्मल होती है, तो कहीं गदी भी होती है। दूसरी नदियोंका भी यही हाल है, लेकिन किसी दूसरे ढगसे। फिर भी साधारण तीर पर सबका पानी एकसा है, उपयोग एकसा है और अन्त भी एकसा ही है। गगा और नाइल, टेम्स और राइन, युकेटिन और मिसिसिपी सभी नदिया विशाल महासागरमें मिलती हैं। इसलिए उनमें से किसी एकको पवित्र और पाप घोनेवाला तीर्थ समझना और दूसरीको पानीका मामूली

प्रवाह समझना — इस तरहके भेदभावको सत-हृदयमें स्थान नहीं मिलता । बल्कि —

“इक नदिया इक नार कहावत, मैलो ही नीर भरो ।

जब दोऊ मिलकर डक बरन भये, सुरसरि नाम परो ॥”

ऐसा माननेकी ओर उनके मनका ज़ुकाव रहता है । यानी थोड़ा-बहुत मैल है, ऐसा देखकर भी उनके मनमें यह भाव नहीं उठता कि वह वृत्तापात्र है । तब वे किसीसे यह कैसे कहे कि तुम गगाजी द्वारा ही समुद्र तक पहुच सकोगे, और नाइल या युफेटिस द्वारा बीचमें ही ढूँढ़ जाओगे ? वे कहते हैं कि जिसे धर्मकी नदियों द्वारा समुद्रको पाना है, उसके लिए गगा या टेम्स वडे महत्वकी चीज नहीं है, उसकी अपनी नाव ही महत्वकी चीज है । वह नाव मज़बूत हो तब तो सब कुशल है, नहीं तो सभी नदिया खतरनाक है । वह नाव है उसका अपना एकनिष्ठ भाववल और आत्मशुद्धि । यह भाववल और आत्मशुद्धि उसके पास हो, तो फिर उसकी कोई फिक्र नहीं कि उसने गीता पढ़ी है या सिर्फ कुरान या वाइबल, सिर्फ रामका ही नाम लिया है, या सिर्फ वृद्ध, तीर्थंकर, ईसा या पैगम्बरका । इतना ही नहीं, उसने गीता, कुरान या कुछ भी न पढ़ा हो, न रामका या किसी तीर्थंकर, पैगम्बर या मसीहका ही नाम मुना हो, तो भी चिन्ता नहीं । और अगर वह वहरा और गूगा होनेके कारण ईश्वरको कोई नाम देने और उसका नाम लेनेमें तथा कोई धर्मग्रथ पढ़ने और मुननेमें असमर्थ हो, तब भी अगर उसके पास एकनिष्ठ भाववल और आन्मशुद्धिकी प्रवल डच्छारूपी नाव है, तो उसके लिए चिन्ताका कोई कारण नहीं है । दूजके चादको कभी हम स्वयं ढूढ़ नहीं पाने, लेकिन जिमने उसे किभी तरहसे या सयोगमें ही देख लिया है, तो वह हमें उसे बताता है । लेकिन यह बात तो नहीं है कि उस महायकने चद्रको लाकर वहा रख दिया है । अगर ऐसा सहायक न मिले, तो हमारे लिए चद्र-उर्घन करना असभव है ऐसा तो हम कह ही नहीं सकते । उसी तरह तीर्थंकर, पैगवर, मसीह, आत्मजानी, सद्गुरु और उनके धर्मग्रथ ईश्वरको पानेमें सहायक होते हैं । लेकिन यह बात

तो नहीं कि उन महात्माओंने या उनके धर्मग्रथोंने ईश्वरको पैदा किया है, और इसलिए जिसे वे किसी कारणसे अल्पभ्य है उसे ईश्वर-प्राप्ति हो ही नहीं सकती। जब सत्पुरुष सब धर्मोंके विषयमें समझाव प्रकट करते हैं, तब उनके कहनेका वही मतलब होता है, जैसा कबीरजीने कहा है

“मो को कहा ढूढ़े बन्दे, मैं तो तेरे पासमें ॥
ना मैं देवल, ना मैं मसजिद, ना काबे कैलासमें ।
ना तो कोऊ क्रिया कर्ममें, नहीं जोग बैरागमें ॥
खोजी होय तो तुरते मिलि हैं पलभरकी तलाशमें ।
कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सासोकी सासमें ॥”

एक भक्तने गाया है

“अजब तेरा कानून देखा खुदा या ।
जहा दिल दिया फिर वही तुझको पाया ॥
न यहा देखा जाता है मदिर औं’ मसजिद ।
फक्त यह कि तालिब^१ सिदक^२ दिलसे आया ॥
जो तुझ पै फिदा दिल हुआ एक बारी ।
उसे प्रेमका तूने जलवा^३ दिखाया ॥
तेरी पाक सीरत^४ का आशिक हुआ जो ।
वही रग रगा फिर जो तूने रगाया ॥
है गुमराह जिस दिलमें वाकी खुदी है ।
मिला तुझसे जिसने खुदीको गवाया ॥
हुआ तेरे विश्वासीको तेरा दरसन ।
गदा^५ को दुरे^६ वे-वहा^७ हाथ आया ॥”

और इस दृष्टिसे सतोने वार वार दृष्टान्त देकर गाया है कि

“चरणस्पर्शं परम पद पायो गौतम ऋषिकी नारी
गणिका शवरी^८ इन गति पाई वैठ विमान सिघारी ।”

५

१ शौवनेवाला, २ सच्चा, ३ वैभव, ४. स्वभाव, ५ फकीर,
६. मोती, ७ कीमती

“गज अरु गीव तारि है गणिका कुटिल अजामिल कामी
यही साख श्रवणे सुनि आयो चरण शरण सुखवामी।
मैं तो विरद भरोसे वहुनामी ॥”

*

“किव सच्चारा होडये किव कूड़ै तूटै पालि ?
हुकम रजाई चलणा, नानक लिखिया नालि ।”

मतलब यह है कि अगर ईश्वरकी पहचान ही जीवनका साध्य हो, तब तो अनन्य भावसे गरणागति और आत्मशुद्धिको छोड़कर धर्मकी दूसरी सब बाते गौण हो जाती है। और अगर वह (ईश्वरकी पहचान) जीवनका साध्य नहीं है, तो धर्मके नामसे प्रचलित मतव्य, विविधा, रीति-रिवाज आदिका उसी तरह विचार करना चाहिये, जैसे मनुष्योंकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि सस्याओंके बारेमें किया जाता है। यानी यह नहीं कहा जा सकता कि कोई खास सस्था, मतव्य, विवि, रीति-रिवाज आदि ईश्वर-प्रणीत है और उनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

यदि हम जगत्‌के सतोंकी ओर देखें, तो हमें उनमें दो प्रकारके व्यक्ति दिखाई देंगे। एक तो वे जिन्होंने अपने जीवनका साध्य सिर्फ ईश्वर-प्राप्तिको ही बना लिया और उसे अपने लिए सिद्ध कर लेनेके बाद केवल उन्हींके जीवनमें रस लिया, जो उनकी तरह मिर्फ ईश्वर-प्राप्तिके ही कायल थे। इन्होंने धार्मिक मतव्योंमें या दूसरे प्रकारके मतव्योंमें सशोधन करनेकी वहुत प्रवृत्ति नहीं की। और यदि कुछ की भी, तो एक-दो छोटी-छोटी बातोंमें। इन मन्तव्यों, विविधों आदिके विषयमें उन्होंने कभी तो उपेक्षाका भाव दिखाया अथवा उनको महत्व देनेवालोंको फटकार भी सुनाई और कभी उनको ज्योंका त्यो आदरपूर्वक निभाया। साधारणतया जिन्हे हम सतके नाममें पहचानते हैं, उनमें से अधिकतर इस प्रकारके थे। उदाहरणाम, एकनाथ, नरसिंह मेहता, भीरावाई आदि। ऐसे ही सन्त दूसरे धर्मोंमें भी हो गये हैं।

लेकिन एक दूसरे प्रकारके भी सन्त हो गये हैं, जिन्होने केवल अनन्य साधकोके जीवनमें ही रस नहीं लिया, बल्कि अपने समाजके दूसरे पामर और पुण्यशाली दोनों तरहके मनुष्योके जीवनकी ओर ध्यान दिया। मालूम होता है कि उन्होने यह सोचा कि यद्यपि ईश्वर-प्राप्ति ही जीवनका एकमात्र साध्य है, और जाने-अनजाने सब मानव उसीकी तरफ बढ़े जा रहे हैं (क्योंकि उसीमें तो उनका जीवन है), फिर भी अधिकांश मानवोंको यह समुद्र इतना दूर प्रतीत होता है कि वह मानो उनके जीवनका ध्येय ही न हो, लेकिन उनका ससारी जीवन यानी धर्म, अर्थ और काम ही उनका ध्येय हो। इसलिए इन महापुरुषोंने अपने समाज और कालकी धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि सब सम्प्राणों तथा मतव्यों, विविधों, रीति-रिवाजों आदिका भी सशोधन करनेके लिए उनमें हस्तक्षेप किया। परिणाम यह हुआ कि ये लोग नये नये समाजोंके आदिपुरुष बन गये। बुद्ध, महावीर, कन्फ्यूशियस, मूसा, ईसा, मुहम्मद, गोविन्दसिंह, ल्यूथर आदि इसी प्रकारके महापुरुष हो गये। और गावीजी भी वर्तमान कालमें इसी श्रेणीके युग-प्रवर्तक हैं। अलवत्ता, यहां पर एक ऐतिहासिक सत्य कहनेका अथवा इन सबकी तुलना करनेका या समानता बतानेका दावा मैं नहीं करता। सभव है कि इनमें से कई महापुरुष पहले प्रकारके ही सत हो और उनके गिर्जोंके काम उनके नाम चढ़ा दिये गये हों। लेकिन यह तभी हो सका होगा, जब उनके कुछ ऐसे गिर्जे भी रहे हों, जो केवल ईश्वराभिलापी नहीं होंगे बल्कि वर्म-अर्थ-कामके अभिलापी भी होंगे और उन्हें सुनाये गये उपदेशोंमें भिन्न समाज-रचनाके कुछ वीज डाले गये होंगे। मतलंब, इन महापुरुषों और उनके गिर्जोंके द्वारा जिन नदियोंके जरिये मानव-जाति समुद्रकी ओर जाती है, उन नदियोंके प्रदाह और पानीको मुघारने अथवा उनमें से नहरें निकालनेका इतना बलवान प्रयत्न हुआ कि कई बार विलकुल नई नदिया या वैगवान नहरे बहने लग गईं। अनेक घर्मों, एक एक घर्मके विविध पथों, अनेक प्रकारकी सम्यताओं तथा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक

सस्थाओ, छोटे-मोटे भेद रखनेवाले विविध कर्मकाड़ो, रीति-स्थिराजो आदिकी उत्पत्ति इसी तरह हुई है।

जहा किसी धर्मकी अनेक वातोंको प्रमाण मान कर कुछ विषयोंमें ही परिवर्तन किया जाता है, उसे हम 'पथ' कहेंगे। जहा किसी पुराने धर्मके प्रमाणको अमान्य करके नया मार्ग चलानका प्रयत्न हो, उसे हम 'नया धर्म' कहेंगे।

इन सबके उत्पादन तथा सचालनमें विविध स्वभाव और रूचिके लोगोंने हाथ बटाया है। यह नहीं कहा जा सकता कि वे सब शुभ वृत्तिके ही मनुष्य होंगे। इसलिए हमें इस नतीजे पर आना पड़ता है कि किसी भी धर्मको परिपूर्ण, गुद्ध और केवल मोक्षदायी नहीं कहा जा सकता। सबमें अनेक दोष पैठे हुए हैं। कुछ दोष मामूली और उपेक्षा करने लायक हैं, कुछ बड़े गभीर हैं। सब धर्मोंमें धर्मके ही नाम पर दक्षिण और वाममार्ग भी बन गये हैं।

साथ ही साधारण मनुष्य-स्वभावकी यह एक मर्यादा है कि वेंहें अपने देव, धर्म, जाति, भाषा आदिके गुणोंको ही देख पाता है। उसके अवगुण या तो उसे दीखते ही नहीं, अथवा गुणरूप ही प्रतीत होते हैं, अथवा वहुत उपेदय लगते हैं, अथवा वे कुछ नासमझ लोगोंकी चुटिया हैं ऐसा समझकर वह सतोष मान लेता है। लेकिन दूसरोंके देव, धर्म आदिके दोपो पर ही उसकी नजर पड़ती है और वे उसको पहाड़ जैसे मालूम होते हैं, जिनकी अवेरी छायामें उनके गुण नहींके बराबर हो जाते हैं।

ऐसी अवस्थामें सर्वधर्म-समझके मानी क्या हो सकते हैं? उदाहरणार्थ, प्राय मिगनरी लोग और वहुतसे मुसलमान तथा हिन्दू सम्प्रदायोंके भी कुछ अनुयायी पूछते हैं कि जिस धर्म या पथमें अनेक देव-देवियोंकी पूजा की जाती है, डरावने आकारके यक्ष-राक्षस-भूत-प्रेत-पितर-महामारी-गीतला आदिमें श्रद्धा रखी जाती है, निर्दोष प्राणियोंकी बलि चढाई जाती है, या पच मकारका भी धर्मके नाम पर सेवन किया जाता है, या दूसरे धर्मवालोंके साथ दुष्ट व्यवहार करनेका उपदेश ईश्वरके नाम पर दिया जाता है, उसके प्रति हम उतना

ही आदर किस तरह अनुभव करे, जितना कि हम अपने धर्मके लिए रख सकते हैं — जो एकेश्वर-भक्ति, अहिंसा या पवित्र चरित्रके ऊपर स्थित है? और अगर हमारा उस धर्मके प्रति सम्भाव न रख सकना दोष न हो, तो क्या हमारा यह एक स्वाभाविक कर्तव्य नहीं हो जाता कि हम उन मान्यताओंमें जकड़े हुए लोगोंको उच्चतर धर्मका उपदेश दे?

धार्मिक राग-द्वेष और धर्मान्तरकी प्रवृत्तिके मूलमें ये दो प्रश्न हैं।

इस विषयमें मेरे विचार इस प्रकार हैं.

जिस व्यक्तिका एकमेव स्थिर उद्देश्य ईश्वर-समुद्रको ही पानेका है, उसके रास्तेमें उसका जन्मप्राप्त धर्म या पथ — फिर वह कोई भी क्यों न हो — रुकावट नहीं डालता। क्योंकि उसकी सिद्धिके लिए एकनिष्ठ भावबल ही अनिवार्य शर्त है। अगर वह नहीं है तो किसी भी धर्म या पथके द्वारा उस साध्यको नहीं पहुंचा जा सकता। जिसे प्राणियोंकी बलि चढ़ाई जाती है, उस दुर्गा-कालीकी उपासना द्वारा एकनिष्ठ भावबलयुक्त श्री रामकृष्ण परमहंसको या रास्तेसे पथर उठाकर सिद्धूरसे उसकी पूजा करनेवाले किसी एकनिष्ठ भीलको भी मोक्ष मिल सकता है। लेकिन ऐसी एकनिष्ठाके विना हरी पत्तीको भी न तोड़नेवाला अहिंसक भिक्षु अज्ञानमें भटकता रह सकता है। इसकी वजह यह है कि जो एकनिष्ठ भक्त है वह अपने भावबलसे सब अशुद्ध मान्यताओं और कर्मकाढोंसे आप ही परे हो जाता है। ‘जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दन्नहाऽतिवर्तते’ (गीता, ६-४४)। और जब उसमें न्यूनता होती है तब वह वाह्य कर्मकाढोंमें ही चक्कर काटता रहता है और आगे नहीं बढ़ पाता।

फिर भी धर्म या पथके स्वकारोंका मनुष्यमें एकनिष्ठ भाव पैदा करनेमें तथा एकनिष्ठ भक्तमें भी अनेक मनुष्योचित सद्गुणोंका विकास करने और उन्हें पोपनमें महत्वका हिस्सा होता है। इसलिए उसके गुण-दोषोंका विचार अप्रस्तुत नहीं है। इन गुण-दोषोंका परिणाम धीरे धीरे ध्यानमें आता है और कम या ज्यादा समयके बाद वे बड़े

व्यापक और महत्त्वके बन जाते हैं। इसलिए किसी भी धर्म और पथके आचार, विचार आदि सशोधनसे परे कभी नहीं हो सकते। यही बजह है कि दुनियामें हरएक धर्ममें नये नये पथ और कभी कभी नये नये धर्म भी पैदा होते आये हैं। यह किया रोकी नहीं जा सकती। और जब उसे रोका नहीं जा सकता तब ऐसे सशोधनकी जरूरत समझनेवालों और न समझनेवालोंके बीच कुछ त कुछ सघर्ष पैदा हो ही जाता है। इन दो दलोंके आचार-विचारोंके बीच जितना अधिक अन्तर होगा, उतना ही सघर्षका भी ज्यादा तीव्र होना सभव है। यह भी असभव है कि जो सशोधनकी जरूरत महसूस करते हैं, वे उसका प्रचार न करे। यही धर्मांतर या परिवर्तनकी प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। क्या हिन्दू धर्ममें पैठी हुई ऊच-नीचकी वर्ण-भावना, अस्पृश्य-भावना आदिको हटानेके आन्दोलनसे गाधीजीको रोका जा सकता है? अगर नहीं रोका जा सकता, तब तो जो इस सशोधनकी जरूरत महसूस नहीं करते, उनकी तरफसे विरोध होगा ही। ऐसे प्रसगोंमें अगर सुवारक मजबूत हो, तो धीरे धीरे पुराना मत मिट्टा जाता है। अगर वह उतना मजबूत न हो, तो दो पथ उत्पन्न हो जाते हैं। और अगर वह निर्वल हो, तो स्वयं मिट जाता है। इस्लाम शायद पहले प्रकारके सशोधनका उदाहरण है। अरवस्तान, ईरान आदि देशोंमें उसने वहाके पुराने वर्मोंको नामशेष कर दिया। कवीर, स्वामी दयानन्द आदिके सशोधन दूसरे प्रकारके हैं। वे हिन्दू धर्मके सुवारक पथ बनकर रह गये। इसी तरह प्रोटेस्टेन्ट आदि पथ रोमन कैथोलिक पथको नामशेष नहीं कर सके — इसाई धर्मको सिर्फ पथोंमें विभक्त करके रह गये। जब नये पथका बल अधूरा होता है, तब पुरातनियों और नूतनियोंका सघर्ष रेलके मुसाफिरों जैसा होता है। नया मुग्गफिर डिव्वेमें आने लगता है तब उसका सब पुराने मुमाफिर तीव्र विरोध करते हैं, लेकिन अगर वह किसी तरह घुस ही जाता है, तो फिर पहले यात्री अपने दिलको मना लेते हैं। इतना ही नहीं, वल्कि उसके लिए जगह भी कर देते हैं। इसी तरह जब मुवारक बलवान प्रतीत होता है तब उसका पथ भी भले ही चले,

इस वृत्तिसे पुरातनी उससे समझौता कर लेते हैं और एक-दूसरेसे ज्ञगड़ते नहीं। इस तरह आज कैथोलिक और प्रोटेस्टेट, सुन्नी और शिया, स्मार्ट और बैण्डव, सनातनी और आर्य-समाजी एक-दूसरेसे क्वचित् ही लडते-ज्ञगड़ते हैं।

मानव-स्वभाव और धर्म आदि मानवी सस्थाओंकी ऐसी त्रुटि-पूर्ण दशामे जो लोग हमारी तरह मनुष्य-मनुष्यके बीच शाति, प्रेम, समझौता और साथ ही सस्थाओंका सुधार भी चाहते हैं, उनकी कैसी मनोवृत्ति और क्या कर्तव्य होना चाहिये? मेरे विचारसे अगर हम नीचे बताये हुए विचारों पर एकमत हो, तो हम सर्वधर्म-समभावके साथ साथ धर्मोंकी सशुद्धिका प्रयत्न भी कर सकते हैं।

१. मनुष्य-जाति जिन विविध धार्मिक और सामाजिक सस्थाओं-वाले समाजोंमे विभक्त हो गई है, उन सबका किसी न किसी प्रकारकी वास्तविक या काल्पनिक आवश्यकताओंसे उद्भव हुआ है। सभव है कि उनमे से कुछ सस्थाओंकी पूर्णरूपमे अथवा किसी अशमे आज उपयुक्तता न रही हो और उनका परस्पर मेल भी टूट गया हो। फिर भी जिन विविध परिस्थितियोंमे मानव-जीवन निर्माण हुआ है और सकलित हुआ है, उनकी वजहसे लोगोंकी स्वाभाविक मनोवृत्ति उन सस्थाओंको छोड़ने और उनमे परिवर्तन करनेके बारेमें मद होती है। अगर प्रचलित सस्थायें उन्हे थोड़ी भी उपयोगी मालूम होती हैं, तो उतने ही से सतोप माननेकी लोकवृत्ति होती है। इसलिए जहा हमे अपनेसे अत्यत भिन्न प्रकारके आचार-विचार दीख लड़ते हैं, वहा हमे अपनी दृष्टिसे नहीं, लेकिन उन लोगोंकी दृष्टिसे उन आचार-विचारोंकी तरफ देखना चाहिये और जिन वास्तविक या काल्पनिक जरूरतोंको वे पूरा करते हैं अथवा करते थे उनको खोजना चाहिये। वैसी ही वास्तविक या काल्पनिक जरूरत हम किन आचार-विचारोंद्वारा पूरी करते हैं, यह भी देखना चाहिये। अपने आचार-विचारोंको निष्पक्ष बुद्धिसे और दूसरोंके आचार-विचारोंको सहानुभूतिपूर्वक समझने-के प्रयत्नसे हम दोनोंका वास्तविक मूल्य आक सकेंगे। और अक्सर इस खोजमे से ही पता चलेगा कि उभय पक्षोंमे कुछ गुण हैं, कुछ दोष

है, कुछ वास्तविक महत्त्व है और कुछ काल्पनिक हो तो भी सतोषदायी लक्षण है। जहा यह मालूम होगा वहा अपने ही आचार-विचारोको सर्वश्रेष्ठ समझने या उन्हींको प्रस्थापित करनेका हमारा आग्रह गिथिल हो जायगा।

२. जब ऐसी समालोचनामे हमको यह साफ दीख पड़े कि हमारे और दूसरोके कुछ आचार-विचारोमे परस्पर विरोध ही है और अगर एक सत्य हो तो दूसरा असत्य ही हो सकता है, तब हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम शुद्ध सत्यान्वेषणकी दृष्टिसे इसकी छानबीन करे कि इनमे कौनसे आचार-विचार सत्य है और कौनसे सर्वथा असत्य हैं? अगर हमारे ही पक्षमें असत्य हो, तो हम स्वयं तो ऐसे आचार-विचारोको छोड़ ही दे। हमारे आचार-विचार असत्यकी वृनियाद पर रचे गये हो तो उनका त्याग करनेके बाद और यदि दूसरेके हो तो पहलेसे ही उन पर ज्यादा गहराईसे विचार करके हम इस वातकी खोज करे कि उन आचार-विचारोसे किस प्रकारका और किसका नुकसान होता है, और किसको अनुचित लाभ होता है? हमारी तारतम्य बुद्धि भी इसमें काम करेगी ही। जब तक हम यह न देखे कि हमने अपने जिन आचार-विचारोको असत्य पाया है, उनसे किसी मनुष्यको या प्राणीको पीड़ा या नुकसान पहुच रहा है, तब तक हम उन विषयों पर मनुष्य-मनुष्यमें कलह पैदा करनेवाली कोई प्रवृत्ति न करे। सिफँ जब ठीक भौका मिले तब अत्यन्त सहृदयता और सौम्य-भावसे जनताकी बुद्धि और हृदय पर उन आचार-विचारोके स्स्कार डाले, जो हमे सत्य या शुद्ध प्रतीत होते हो।

३ लेकिन जब हम स्पष्ट रूपसे यह देखे कि हमारे या दूसरोके आचार-विचार न केवल अशुद्ध या असत्य ही है, बल्कि उनके कारण हमारे या दूसरे समाजके मनुष्य या प्राणियोको पीड़ा या नुकसान पहुचता है, जो कि हमारी सहृदयताके लिए असह्य है, तब सारे सत्याग्रही सावनो द्वारा उनका उन्मूलन करनेकी कोशिश करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। ऐसा करनेमें कुछ कलह पैदा होना सभव है। वहा हम निरुपाय हैं। यदि हमारा वर्तवि शुद्ध सत्याग्रहीका हो, तो अन्तमे

समाजके लिए शुभ परिणाम ही होगा। विरोध-कालमे हमे तकलीफ जरूर होगी। परन्तु सत्याग्रहीको उसे बरदाश्त करना ही होगा।

४ जिस वक्त सत्याग्रही अपने या दूसरोंके असत्य और अशुद्ध आचार-विचारोंका तीव्र विरोध करता हो, उस वक्त भी वह अतिशयोक्ति न करे, मर्यादाका उल्लंघन न करे। यानी वह खास असत्य आचार-विचारोंका ही खड़न करे, सारी सत्था या समाज पर आक्षेप न करे और न उनका मजाक उड़ावे, और जो कुछ उसमे सत्य और शुद्ध हो, उसके प्रति पूरा आदरभाव रखे।

५. सर्वधर्म-समभावी दूसरोंकी निर्दोष विशिष्टताओंका खड़न या उपहास न करेगा और क्षतव्य त्रुटियों पर झगड़ा पैदा न करेगा। एक ढाँचेमें ढले हुए पदार्थोंकी तरह हमारी मानव-सत्थाओंको समान रूपकी बनानेकी वह मिथ्या अभिलाषा न रखेगा।

६ वह अपने आचार-विचारमे कृत्रिमता भी दाखिल न करेगा। वह अपनी एकनिष्ठ उपासना और निरुपद्रवी आचारको न छोड़ेगा। सर्वधर्म-समभाव बताने या सिद्ध करनेके लिए वह आज हिन्दू, कल मुसलमान और परसो ईसाई बननेका प्रयत्न न करेगा।

राम और कृष्णमे भेदबुद्धि न रखते हुए भी तुलसीदासने रामकी ही उपासना की और सूरदासने कृष्णकी ही की। ऐसी एकविवा भक्ति सर्वधर्म-समभावकी विरोधिनी नहीं है।

७ मैं इस प्रकारके सर्वधर्म-समभावको नहीं मानता, जिसमे परस्पर प्रशसाकी ही अपेक्षा रखी जाती हो। इससे परस्पर सच्ची मैत्री निर्माण नहीं होगी। वे दो व्यक्ति सच्चे अर्थमें मित्र नहीं हैं, जो एक-दूसरेकी त्रुटियोंको देखते हुए भी उन्हे साफ साफ कह देनेमें भय महसूस करते हैं और केवल एक-दूसरेकी स्तुतियोंको ही अपना कर्तव्य बना लेते हैं। न वे दो व्यक्ति ही मित्र हो सकते हैं, जो एक-दूसरेके गुणोंकी कद्र नहीं कर सकते और केवल त्रुटिया बताना ही अपना फर्ज मान लेते हैं। मित्रता तभी होती है जब सामनेवाला हमारे हृदयमे प्रेम और निर्भयताका अनुभव करता है। तब कटु वचन भी मीठे लगते हैं।

सारांश यह है कि :

(१) ईश्वर-प्राप्ति सप्रदायों से परे है। वह सप्रदायों या पथों में नहीं है, बल्कि एकनिष्ठ भाववल और चित्तशुद्धिमें है, जो हृदयकी चीज़े हैं।

(२) साम्प्रदायिक प्रणालिकाएं मनुष्यमें एकनिष्ठ भक्ति और हृदयके विकासके सस्कार डालनेमें उपयुक्त हो सकती है।

(३) लेकिन सब प्रणालिकाएं मानव-निर्मित ही हैं, इसलिए वे सपूर्ण शुद्ध नहीं होती हैं और न रहने पाती हैं। इसलिए उनमें हमेशा सशोधन होना चाहिये।

(४) वह सशोधन सत्याग्रहसे ही सफलतापूर्वक हो सकता है। सत्याग्रह भी हृदयकी वृत्ति है, न कि बुद्धिकी। क्योंकि विना समभावके कोई सत्याग्रही हो ही नहीं सकता। इसलिए सर्वधर्म-समभाव हृदयोंका मेल है, साप्रदायिकोंका समझौता या डकरार नहीं है।

(५) जहा सशोधनके कर्तव्य और प्रयत्नका स्वीकार है, वहां ज्ञान धर्म या पंथ पैदा होना भी सभव है। अगर वह सशोधन और उसका प्रचार शुद्ध सत्याग्रही पद्धतिसे हो, तो आखिरमें जिनका उनसे सवध है उन सवको उसे मान्य करना ही होगा। बीचके समयमें कम-ज्यादा सधर्ष हो सकता है। वह अनिवार्य है ऐसा जानकर सत्याग्रही उसे सहन करेगा। अगर वह सत्याग्रहके सावनोंको न छोड़ेगा, तो उससे किसीका अहित न होगा।

(६) सर्वधर्म-समभावी होते हुए भी सत्याग्रही किसीकी चाप-लसीमें नहीं पड़ सकता। वह दिखावेके लिए दूसरे धर्मोंका आचरण न करेगा। जो वातें उसे मजूर न हो, उनका समर्थन करनेकी जिम्मेदारी वह अपने ऊपर न लेगा। कर्तव्य पैदा होने पर अपनी या दूसरेकी जो वातें उसे असत्य लगती हो उनका वह निषेध भी करेगा।

ये मेरे विचार हैं। क्या आप सवको ये मान्य हो सकते हैं?

लेकिन इन पर हम सवकी एकराय हो या न हो, हम सब जो सत्यसमाजके गुभ सकल्पसे यहा इकट्ठे हुए हैं, वे इतना तो जरूर करे कि :

“आज मिल सब गीत गाओ।
 उस प्रभुके धन्यवाद ॥
 जिसका गुण नित्य गाते हैं
 गंधर्व मुनि सुर धन्यवाद ॥
 मदरोमे, कन्दरोमे, पर्वतोके शिखर पर ।
 देते हैं लगातार सी सी
 वार मुनिवर धन्यवाद ॥”

(१९३८)

६

संकल्प-सिद्धि

उपनिषदोमे कहा गया है कि हमारी आत्मा सत्यकाम है, सत्यसकल्प है, यानी वह इतनी बलवान है कि जो इच्छा करती है वह प्राप्त कर सकती है और जो विचार करती है वह जान सकती है। हरएक जीवने जो जो शक्तिया और स्थितिया आज तक सपादन की है, जो जो ज्ञान प्राप्त किया है, वह उसकी अपनी ही कामनाओं और सकल्पोका परिणाम है, ऐसा सतोका अनुभव है। और जो मनुष्य निश्चय कर ले वह ऐसा अनुभव कर सकता है। जिन शक्तियोकी जीवमे कमी मालूम होती है, वह खुद उसके भीतर रही हुई शक्तिके अनुपयोग अथवा दुरुपयोगका ही परिणाम है।

घक्-घक् होनेवाले इस हृदयके पीछे एक अनोखा बल रहता है। इस बलका ही उपयोग करके जीवमात्र अपनी वर्तमान दशा भोगता है और भविष्यकी दशा प्राप्त करता है। इसी बलके द्वारा विश्वामित्रने प्रतिसृष्टि उत्पन्न की, परगुरामने अकेले इक्कीस बार पृथ्वीको निक्षत्रिय बनाया, गिवाजीने स्वराज्यकी म्यापना की, नैपोलियनने यूरोपको कपाया, सिकदरने देश-विजय की, शकराचार्यने ज्ञान-विजय की, वुद्धने मोह-विजय की और हजरत ईसाने दया-विजय की। जगतके सब महान कार्य, सब पराक्रम, सब बड़ीसे बड़ी

सिद्धिया इस मुट्ठीभर हृदयको चलानेवाली अणु जितनी शक्तिमे से पैदा हुई है। प्राणीका यही श्रेष्ठसे श्रेष्ठ बल है, यही उत्तमसे उत्तम आलबन है। इस बल और इस आलबनको जाननेवाला परतत्र नहीं हो सकता और दयाका पात्र भी नहीं बनता। वह न तो दीन है, न कृपण है, और न 'विचारा' है। वह बाह्य साधनोका आश्रय लेनेवाला नहीं होता। उसकी वाटिकामे कल्पतरु उगता है, उसके बाडेमे कामधेनु रभाती है, उसकी पगडीमे चिन्तामणि चमकती है।

जो अपने हृदयमे रहे हुए इस बलको नहीं जानता, वही दूसरेके हृदयमे रहे हुए बलके अधीन रहता है। वह परतत्र रहता है, अनुकरण करनेवाला होता है, साधनोके अधीन रहता है। वह दूसरोके आधारके बिना चल नहीं सकता। उसमे आत्म-विश्वास और श्रद्धाकी हमेशा कमी रहती है। वह दूसरोसे डरता है, छिपकर मारता है और दुख देखकर भागता है। उसका बड़प्पन दूसरेके अनुग्रहके कारण है, उसके बलका आधार बाहरी साधन होते हैं।

परन्तु यह बात भी सच है कि सामान्य रूपसे हमें इस बलका अनुभव नहीं होता। आत्मा सत्यकाम-सत्यसकल्प है, ऐसा हमें नहीं लगता। हम प्रतिदिन देखते हैं कि हमारी कितनी ही इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। उलटे, हमें ऐसा लगता है कि इच्छाएं और सकल्प करना ही हमारे वशकी बात है, उन्हें पूर्ण करनेकी शक्ति हममे नहीं है। उपनिषद्मे कहे गये वाक्यसे उलटा अनुभव हमें क्यों होता है? इसका कारण ढूढ़ने पर मैं नीचेके नियम जान सका हूँ

(१) प्राणी एक समयमे एक ही इच्छा नहीं करता, परन्तु उसके हृदयमे अनेक इच्छाएं और कुछ परस्पर-विरोधी इच्छाएं भी चक्कर काटती रहती हैं। यदि उसका सपूर्ण इच्छाबल एक ही सकल्पके ऊपर दृढ़तासे केन्द्रित हो, तो वह सकल्प अवश्य सिद्ध होता है।

(२) सकल्पकी सिद्धि होनेमे चित्तकी अनन्यता और एकाग्रता ही श्रेष्ठ सहायक है, और चित्तकी व्यग्रता अथवा अनेक दिशायोमे ढौड़ना बड़ेसे बड़ा विघ्न है। जिस वस्तुको सिद्ध करना हो उसे छोड़कर यदि प्राणी अन्य वस्तुओका चिन्तन या अन्य विषयोका सेवन करता

है, तो वह सत्यकाम-सत्यसकल्प है या नहीं, इसका प्रमाण उसे कैसे मिल सकता है? जिस सकल्पको सिद्ध करना हो, उसका ही ध्यान रहे, उसकी ही उसे लगन लगी हो, उसीमें वह ओतप्रोत हो गया हो, तभी वह सिद्धिका द्वार देख सकता है। योगाभ्याससे सिद्धिया प्राप्त होती है और योगकलाका कुछ चमत्कार है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं; और दूसरे मानते हैं कि ये दोनों वस्तुएँ ज्ञूठी हैं। वस्तुत यह सकल्पमें तद्रूप होनेका केवल स्वाभाविक परिणाम है।

(३) सकल्प सिद्ध होगा या नहीं, इस दिशामें सशय-वृत्तिका होना सकल्प-सिद्धिमें दूसरा विध्न है। आत्माके विषयमें अश्रद्धा, अविश्वास ही हमारा शत्रु है। सशय प्राणीकी इच्छाशक्तिको बलवान् नहीं होने देता।

(४) अपनेसे सम्बन्ध रखनेवाले सकल्प सिद्ध करना हमारे हाथमें है, बाहरकी वस्तुसे सम्बन्ध रखनेवाले सकल्प सिद्ध करना विशेष कठिन है, और अन्य जनोसे सम्बन्ध रखनेवाले सकल्प सिद्ध करना इससे भी अधिक कठिन है। उदाहरणार्थ मुझमें अहिंसा-वृत्तिका विकास हो, यह सकल्प मैं शीघ्र सिद्ध कर सकता हूँ। मुझे खूब धन मिले, इस संकल्पके सिद्ध होनेमें अधिक देर लगेगी और इसमें अन्य सयोगों पर अवलबन होनेसे पूर्ण सिद्धि होनेमें रुकावट भी आ सकती है। मैं अनेक मनुष्योंको अमुक वस्तु दिलाऊ अथवा उन्हे अमुक प्रकारके बनाऊ, यह इससे भी अधिक कष्टसाध्य है, क्योंकि इसमें समस्त प्रजाके सकल्प-बलकी मदद चाहिये।

(५) सकल्प-सिद्धिमें दूसरे विध्न त्रिगुणके वेग है। निराशा, आलस्य, प्रमाद इत्यादि वेग उत्पन्न होकर हमारे सकल्पको कमजोर बना डालते हैं। ये तमोगुणी वेग हैं। खाने-पीने तथा देखने-सुननेकी बलवान् वृत्तिया, काम, क्रोध, मान, ईर्पादि भाव हमारे सकल्पके बलको नि शेष कर डालते हैं। ये रजोगुणी वेग हैं।

यद्यपि सकल्प-सिद्धिके लिए साधी जानेवाली एकाग्रता खुद सात्त्विक वेग है, फिर भी दूसरे सात्त्विक वेग उसमें विध्नरूप हो सकते हैं। कुछिका अहकार यह एक विध्नरूप वेग है। कभी कभी मानो हमारा सकल्प सिद्ध हो गया हो, इस तरह हम सकल्पकी तरगोमें फंस

कर उसके वादके विचार करना शुरू कर देते हैं। शोखचिल्लीकी तरह चवन्नी मिलनेके पहले चवन्नीकी व्यवस्था और उसके दूर दूरके परिणामोकी कल्पना करके सारे सकल्पको ही नष्ट कर डालते हैं। यह मानना भूल है कि ऐसे वेग अर्धमूर्ख मनुष्योमे ही पैदा होते हैं। वडे चतुर आदमी भी इसमे फस जाते हैं और उन्हे इसका पता भी नहीं रहता। क्योंकि यह वेग सुखकी भावना उत्पन्न करनेवाला है, मनोहर स्वप्न जैसा है। एक तरहसे वह आत्मा सत्यसकल्प है — इस कथनको सिद्ध करनेवाला है, क्योंकि इसमे काल्पनिक सिद्धि निहित है, और तात्त्विक दृष्टिसे स्थूल सिद्धि या काल्पनिक सिद्धि समान महत्वकी है।

परन्तु जिसे स्थूल सिद्धिकी आकाशा हो, उसे इस वेगको भी जीतना ही चाहिये।

ये सकल्प-सिद्धिके नियम हैं। इन नियमोका अनुसरण किये विना कोई भी सकल्प सिद्ध नहीं हो सकता। स्वराज्यका संकल्प भी इसी नियमसे सिद्ध होनेवाला है। दूसरी भाषामे इस नियमको समझना हो, तो ऐसा कह सकते हैं कि इष्ट वस्तुको सिद्ध करनेके लिए व्याकुलता होनी चाहिये। जैसे पानीके बाहर पड़ी हुई मछली पानीके लिए व्याकुल होती है, जिस तरह पतिव्रता स्त्री या माता अत्यन्त बीमार पति या बालकके लिए व्याकुल होती है, जिस तरह भक्त भगवानके दर्शनके लिए व्याकुल होता है, उसी तरह जब स्वराज्यके लिए सारी प्रजामे व्याकुलता उत्पन्न होगी, तब स्वराज्य दूर नहीं होगा और उसे प्राप्त करनेमे कोई रुकावट नहीं डाल सकेगा।

नवजीवन, ५-११-१९२२

टिप्पणी

इसमे एक चेतावनी जोड़ देना मैं जरूरी समझता हूँ।

आत्मा सत्यकाम-सत्यमकल्प है, यह विश्वास इस लेखको लिखनेके बाद भी उत्तरोत्तर बढ़ता गया है। यह जैसे एक अनुभव-सिद्ध श्रद्धा हो गई है, वैसे ही इसके साथ एक दूसरा अनुभव भी लिख देना चाहिये। वह यह है-

प्राणीका सकल्प सिद्ध होता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वह तत्काल सिद्ध होता है। आज की हुई कामनाके सिद्ध होनेमें पचीस वर्ष या इससे भी अधिक समय निकल जाता है। कोई सकल्प तत्काल सिद्ध होता है, कोई आमके वृक्षकी तरह बहुत वर्षोंके बाद फल देता है।

इससे, यह सभव है कि जिस समय वह सकल्प सिद्ध हो, उस समय तक मनुष्यके सकल्प बदल गये हो या वह दूसरी कामनाओंका सेवन करने लगा हो। इससे पुराने सकल्पकी सिद्धि सभवत उसे सुखदायक न मालूम हो, बल्कि विपत्तिरूप लगे। स्वयं उसने ऐसा सकल्प किया था, इसे वह शायद भूल भी गया हो। इसलिए परिणाम रूपसे जो कुछ आया हो, उसे वह आपत्ति — दुर्देवरूप भी समझे।

और सकल्प तत्काल सिद्ध हो या कालान्तरमें हो, परन्तु हो सकता है कि जिस रीतिसे वह सिद्ध हो, उस रीतिकी उसने कभी कल्पना भी न की हो। इससे यह सकल्प-सिद्धि उसके लिए सकल्प करनेके प्रायश्चित्तका रूप भी ले सकती है।

कुछ उदाहरणोंसे यह स्पष्ट होगा।

मैं बम्बईसे सावरमतीके बीच कार्यवश बार बार आता जाता था, परन्तु एक बार भी मैं बडोदा नहीं गया था और वहां जानेकी इच्छा हुआ करती थी। वह इच्छा पूर्ण हुई। परन्तु किस तरह? मेरा एक छोटा भतीजा एक मित्रके यहां बडोदा गया हुआ था। वहां सीढ़ियों परसे गिर जानेसे उसे गहरी चोट आई। उसका सावरमती तार आया! तुरन्त ही हमें जागरण करके बडोदा दीड़ना पड़ा, और दूसरे दिन सध्याके पहले ही दौड़ादौड़ करके वापिस आना पड़ा। इस तरह बहुत दिनोंका सकल्प सिद्ध तो हुआ, परन्तु उसमें से किसी तरहका सुख प्राप्त नहीं हुआ। बडोदेमें किसी दर्शनीय स्थानको तो मैं देख ही कैसे सकता था?

इसके बहुत वर्ष बाद जल-प्रलयके कारण फिर बडोदा जाना पड़ा। छह महीने तक वहां रहा। परन्तु छह महीने रहने पर भी बडोदा सुखरूप सिद्ध नहीं हुआ। क्योंकि इस निमित्तसे मुझे बडोदाका दर्घन हो, ऐसी मैंने इच्छा नहीं की थी। पहले तो कामका बहुत ज्यादा बोझ रहा और बादमें वीभारीका बोझ भी बढ़ गया।

वहुतसे मनुष्य कुवारे होने पर व्याह करनेकी इच्छा करते हैं, और व्याह करनेके बाद स्त्रीके त्राससे छुटकारा पानेकी इच्छा करते हैं। परन्तु यह दूसरा सकल्प फले इस बीच चार-पाच बच्चे हो जाते हैं और युवावस्थाका अस्त होने लगता है। परिणामस्वरूप चालीस वर्षके बाद जब विधुर होनेका सकल्प सिद्ध होता है, तब आधे रास्तेमे गृहस्थी टूटनेका दुख उसे भोगना पड़ता है।

इस तरह सकल्पकी सिद्धि और सुखका अनुभव ये दोनो वस्तुए स्वतत्र हैं।

लेखमे कहनेका तात्पर्य यह है कि आत्मा सत्यसकल्प है। परन्तु इसका अर्थ यह नही है कि सकल्प-सिद्धिका परिणाम हमेशा सुखदायी ही होता है।

इसमे से यह आदर्श उत्पन्न हुआ है कि कभी सकल्प करने ही नही चाहिये, सकल्प-मात्रका सन्यास करना चाहिये। परन्तु यह आदर्श बलात्कारसे सिद्ध होनेवाली वस्तु नही है। धीरे धीरे क्रमसे यह स्थिति भी आती है। तब तक सकल्पोका उत्तरोत्तर सशोधन साधन-मार्ग कहा जा सकता है।

जप

पिछले कुछ महीनोमें जपके विषयमें दो-चार उल्लेख करने योग्य पत्र आये। तीन भाइयोने अपने काम-विकारके नमनके लिए और एकने हस्त-मैथुनके दोषके लिए उसे सफल इलाज पाया। उनमें से एक भाई लिखते हैं :

“मेरी उम्र पचाससे ऊपर है। फिर भी मैं काम-विह्वल रहा करता था। आखिर कुछ दिनके लिए मैं एकान्त जगलमें चला गया। सात दिन तक उपवास या फलाहार करके रामनामका अनुष्ठान किया। इतने दिनों तक जमीन पर ही सोया। एक दिन मैंने अतीव शातिका अनुभव किया। मुझे निश्चय हो गया कि काम-विकार अब शात हो गया है और मैं दूसरा ही व्यक्ति बन गया हूँ। वह, इतना अनुभव आपसे निवेदन करके समाप्त करता हूँ।”

यह कहना मुश्किल है कि यह शाति स्थायी रहेगी या कुछ दिनके बाद फिर उसके भग होनेकी सभावना है। लेकिन इसमें यक नहीं कि जपमें यह शक्ति है और काम-प्रकोप वगैरा कई दोषोंके शमनके लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई इलाज नहीं है। इसके मानी यह भी नहीं कि जीवनको सात्त्विक और व्यवस्थित बनानेवाले दूसरे सारे प्रयत्नोंके अभावमें भी यह उपाय कामयाव हो सकता है। परन्तु इसके वगैर दूसरे प्रयत्नोंसे ज्यादा सफलता मिलनेकी सभावना नहीं है।

एक सज्जन, श्री श्रीनिवास पोद्दार, आज कई दिनोंसे गांधीजीको खुली और व्यक्तिगत चिट्ठिया लिखकर यह आग्रह कर रहे हैं कि हरएक सत्याग्रही पर किसी न किसी नामका जप करनेकी वर्त लगानी चाहिये। गांधीजीको जपमें श्रद्धा होते हुए भी वे उन्में सत्याग्रहकी वर्त क्यों नहीं बना सकते, यह समझानेकी कोशिश वे करते रहे हैं। लेकिन गांधीजीके समझाने पर भी इन सज्जनका नमामान नहीं होता।

हरएक मजहबके श्रद्धालु भक्तोंने नामजपकी महिमा गाई है और गीतामें भी उसे सबसे श्रेष्ठ यज्ञ वतलाया गया है। दूसरी तरफ तर्कपरायण लोगोंको ऐसी वातोमें श्रद्धा नहीं होती। उन्हे इस विषयमें इतना अविश्वास होता है कि ऐसी सूचना देनेवालोंको वे पागल ही मानते हैं।

इसलिए जीवनमें जपका क्या स्थान है, उसकी किस क्षेत्रमें और कितनी उपयोगिता है, और क्या मर्यादा है — इसका थोड़ा विचार करना उचित होगा।

इसे मैं एक रूपक द्वारा समझानेकी कोशिश करता हूँ

मान लीजिये कि एक मनुष्यने एक बड़ा भारी जगल खरीद लिया। उसमें तरह-तरहके असख्य बड़े-बड़े पेड़ हैं और हजारों किस्मके छोटे-छोटे पौधे भी हैं। इनमें से कुछ उपयोगी तथा रखने लायक और दूसरे कई वेकार और उखाड़ फेकने लायक हैं। अनायास खड़े हुए इस जगलमें कोई व्यवस्था तो भला कहासे होती? उपयोगी वनस्पतियों और वृक्षोंके साथ-साथ अनुपयोगी दरख्त और झुरमुट भी उग जाये हैं। कई जगह अनुपयोगी वनस्पतिया उपयोगी वनस्पतियोंको हटा-हटाकर खुद पनप रही हैं।

उस मनुष्यके सामने यह सवाल खड़ा हुआ कि इस जगलको किस तरह साफ करके खेतीके लायक बनाया जाय।

पहले तो उसने कामके और निकम्मे, सभी बड़े-बड़े पेड़ोंको ज्योंके त्यों रखकर छोटे-छोटे नमाम पौधे काटनेका तरीका आजमाया। उसमें कामके और वेकार पौधोंमें कोई भेद करना मुश्किल था, क्योंकि सब एक-दूसरेके साथ बुरी तरह उलझे और गुथे हुए थे। इसलिए उसे सब पौधोंको एक सिरेसे काट डालना ही आसान मालूम हुआ। उसने प्रतिदिन एक-एक एकड़ जमीन साफ करना शुरू किया। लेकिन कुछ समयके बाद ही उसने देखा कि वह एक तरफ नाफ करता हुआ मुश्किलसे जगलके मध्य तक पहुँचा था कि इधर साफ किये हुए हिस्सेमें नई-नई वनस्पतिया फिर उगने लगी हैं और फिर वहीं पुराना दृश्य नजर आने लगा है। इतना ही

नहीं, वरन् छोटे-छोटे पौधोंके हट जानेके कारण बड़े वृक्ष और ज्यादा पनपने लग गये हैं।

तब उसे अपना तरीका बदलना पड़ा। अब उसने बड़े-बड़े पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाना शुरू किया। बड़े वृक्षों पर ही जब उसने ध्यान दिया, तो उनमें से कुछ उसे बहुत ही कीमती और उपयोगी मालूम हुए और कुछ बिलकुल निकम्मे या उखाड़े जाने पर उपयोगी सिद्ध होनेवाले। इसलिए उसने इस दूसरे किस्मके पेड़ काटना शुरू किया। नतीजा यह हुआ कि उसे पैसा भी मिलने लगा और जंगल भी साफ होता हुआ नजर आया। ज्यो-ज्यो एक-एक भाग साफ होता गया, त्यो-त्यो वहासे घास-मोथा और झाड़ी-झुरमुट हटाकर खेती करना सभव होता गया।

अथवा एक दूसरा रूपक लीजिये। एक बड़ा वस्तुभडार—स्टोररूम—है। उसमें सैकड़ों तरहकी चीजें भरी पड़ी हैं। मगर किसी तरहकी व्यवस्था नहीं है। एक चीज लेने आइये, तो दस चीजें लुढ़क पड़ती हैं। पैरोंके नीचे आती हैं। उन्हे ठोकर लगती हैं। निकम्मी चीज हाथोंमें आती है और कभी कभी आवश्यक चीज कई दिन तक खोजनी पड़ती है। चीजोंकी अपेक्षा कमरा बड़ा होते हुए भी चीजोंकी मानो भीड़-सी लगी रहती है। उनका हिसाब लगाना तो असम्भव-सा मालूम होता है। उदाहरणमें से कुछ कम्बलोंके नीचे दबे पड़े हैं, कुछ छातोंके डेरके नीचे पड़े हैं, कुछ दबाइयोंकी आलमारीमें और कुछ पुस्तकोंकी आलमारीमें। हरएक जगह कई तरहके रूमाल पड़े हैं। थर्मामीटरका एक वक्स रुईकी गाठके नीचे पड़ा हुआ है। दूसरे कोनेमें तेजाव और कागज एक माय रखे हुए हैं। ऐसे भडारमें काम करनेवालोंको भी क्या किसी तरह नुख और जातिका अनुभव हो सकता है? क्या इसमें कोई गक है कि कुछ दिन उस भडारको व्यवस्थित करनेके लिए ही खर्च करने होगे?

मनुष्यका चित्त भी इसी तरह अच्छे-बुरे सकल्पों और भाव-नाओंका एक घना जगल अथवा भडार है। अविकाश लोगोंका यह जगल या भडार बहुत ही अस्तव्यस्त स्थितिमें होता है। वे जिन

चीजोकी रक्षा और वृद्धि करना चाहते हैं, वे टिकने नहीं पाती। और जिन्हे हटाना चाहते हैं, वे वहीकी वही बनी रहती हैं। जिन चीजोको याद रखना चाहते हैं, उन्हे बार बार कोशिश करने पर भी भूल जाते हैं। जो चीज वे भूलना चाहते हैं, वह विना प्रयत्नके वरख स याद आती है। वे किसी विचार या सकल्प पर देर तक स्थिर नहीं रह सकते। किसी सकल्पको पूरा करनेमें वे सफलता अनुभव नहीं कर सकते। क्योंकि उस अव्यवस्थित चित्तमें वे जिस सकल्पको पकड़ना चाहते हैं, वह कही दब जाता है और दूसरे सकल्प-विचार चित्तमें चक्कर काटते रहते हैं। क्या इसमें शक है कि कभी न कभी आवश्यक समय देकर इस भडारको व्यवस्थित किये विना उन्हे सुख और सतोषका अनुभव नहीं हो सकता?

इसे किस तरह व्यवस्थित किया जाय? तर्कपरायण लोगोका ख्याल है कि अगर हम अपने हरएक भाव और सकल्पकी वुनियाद तथा औचित्य और अनीचित्यको वुद्धिसे परख कर निश्चित निर्णय कर लें, तो चित्तमें व्यवस्था आ जायगी। परतु जीवनका अनुभव वताता है कि इसमें न तो प्रकाण्ड विद्वत्ता, न दर्शनोका अध्ययन, न सूक्ष्म तर्क-कुशलता काम आ सकती है और न भावनाको प्रवानता ही कामयाव हो सकती है। धार्मिक ग्रथोंके नित्य पाठ और अध्ययनसे तथा मदिरो और आश्रमो, मठो या वन-उपवनोमें रहनेसे भी कोई स्थायी लाभ होता नजर नहीं आता। उलटे आदत पड़ जाने पर इन वातोंके लिए आरभमें जो पवित्रताकी भावना रहती है, वह भी क्षीण हो जाती है। जिस तरह भडारमें कीन-कीनसी और कितनी चीजें हैं, इसकी फेहरिस्त रखने-भरसे भडारमें व्यवस्था नहीं आ जाती, सिर्फ उनका हिसाव व्यवस्थित हो जाता है, ठीक उसी तरह इन सब सावनोंसे हमारे चित्तमें कीन-कीनसे भाव भरे हुए हैं और वे क्यों हैं, इसका पता तो चलता है, पर इन भावों और मकल्पोंकी व्यवस्था नहीं हो पाती।

इतना होते हुए भी जिस तरह जगलमें वरगद-पीपल जैसे कुछ बड़े तंगड़े पेड़ होते हैं और उनकी हिफाजत न करने पर भी

वे बढ़ते चले जाते हैं, उसी तरह आदमीमें भी एकाध-दो भावनाएं या सकल्प इतने प्रबल होते हैं कि उनका उसे स्पष्ट रूपसे स्मरण रहे या न रहे, वे रात-दिन अपने-आप पनपते ही जाते हैं। व्यवस्था स्थापित करनेके लिए इनकी तरफ पहले ध्यान देना चाहिये। वे बढ़ाने योग्य हैं या उखाड़कर फेक देने लायक हैं, इसका विचार करना चाहिये। अगर वे निकम्मे हो तो उन पर कुल्हाड़ी चलानी चाहिये। और अगर कामके हों, तो उनके आसपासका घासफूस हटाकर उन्हें पनपनेके लिए अनुकूलता कर देनी चाहिये। मतलब यह कि बढ़ाने योग्य सकल्पों और भावोंको बेढ़नेकी सुविधा देनेके लिए या तो सामान्य सकल्पों और भावों पर अथवा उखाड़ने योग्य सकल्पों और भावों पर कुल्हाड़ी चलानी चाहिये।

जप एक प्रकारकी ऐसी मानसिक कुल्हाड़ी है। मान लीजिये कि एक आदमीको काम-वासना बहुत सताती है और वह उसका निराकरण करना चाहता है। दूसरे आदमीकी यह प्रबल इच्छा है कि वह अपने इष्टदेवका हृदयमें दर्शन करे। तीसरा मनुष्य बहुत ही दरिद्र है और चाहता है कि खूब मालदार बन जाय। चौथे आदमीका अपने आपको देगकी सेवामें खपा देनेका दृढ़ सकल्प है। परतु इनमें से हरएक किसी न किसी भीतरी विध्नके मारे परेशान है। पहलेके पूर्वजन्मके कुसस्कार बार बार उभर आते हैं और कुसस्कार जाग्रत करनेवाले निमित्त जीवनमें रोज ही पैदा होते रहते हैं। दूसरेका मन निकम्मा भटकता रहता है और तरह तरहकी स्मृतिया जाग्रत होकर इष्टदेवको भुला देती है। तीसरे और चौथेको अनुकूल वाह्य परिस्थिति नहीं मिलती। सामाजिक, पारिवारिक आदि अनेक कठिनाइयोंके कारण वे अपनी मर्जीके मुताबिक काम नहीं कर पाते।

फिर भी हरएकका सकल्प बलवान है। जिस समय उसे उसका स्मरण होता है, उस समय तो वह प्रधान होता ही है, पर जब वह दूसरे कामोंमें व्यस्त रहता है तब भी अगर उसका चिन्त टटोला जाय, तो वही सकल्प सबसे ज्यादा जोखदार मालूम होगा।

हरएकके सामने समस्या यह है कि उमका नकल्प कैसे हो? वृद्धिसे जो कुछ वाहरी उपाय सून पड़ते हैं, उन्हें तो हरएक

आजमाता ही है, फिर भी अक्सर निराशाके कीचड़में फस जाता है। उसे जरूरत किसी ऐसे साधनकी है, जिसमें वाह्य परिस्थिति बदल देनेकी और चित्तको निर्धारित सकल्प पर स्थिर रखनेकी शक्ति हो। शास्त्रोके अनुसार अखण्ड नाम-स्मरण ऐसा साधन है। उसके पीछे एक तो अनुभवगम्य आध्यात्मिक आधार है और दूसरा तर्कसिद्ध वैदिक आधार है। अनुभवगम्य आधार यह है कि आत्मा सत्यकाम-सत्यसकल्प है। इसीकी दूसरे शब्दोमें यह व्याख्या है कि परमात्मा सत्यसकल्पका दाता है। सरल भाषामें इसका मतलब यह है कि कोई भी वलवान सकल्प सिद्ध होकर ही रहता है। उसकी सिद्धि प्रत्यक्ष इन्द्रियगोचर प्रयत्नों पर जितनी निर्भर है उतनी ही, बल्कि उससे भी ज्यादा, चैतन्यकी अप्रत्यक्ष इन्द्रियातीत शक्ति पर भी निर्भर है। यह इन्द्रियातीत शक्ति सिर्फ सकल्पके अनुकूल बुद्धि ही नहीं देती, बल्कि किसी अगम्य रीतिसे वाह्य जगत्‌में भी अनुकूल परिस्थिति निर्माण कर देती है।

जगलके पेड़ोको नहीं मालूम कि वे आकाशके बादलोको किस तरह अपनी ओर खीच लेते हैं और उन्हें वरसनेके लिए प्रेरित करते हैं। पर वे प्यास जरूर महसूस करने लगते हैं और जब वारिश होती है तब अपनी कामना-सिद्धिका सुख भी अवश्य अनुभव करते हैं।

इसी तरह मनुष्यको यह पता नहीं होता कि वाहरी परिस्थिति ऐसी अनुकूल कैसे बन जायगी, जिससे वह अपने मनकी कामना पूरी कर सकेगा। कभी-कभी तो चारों तरफ अधेरा ही अधेरा नजर आता है। लेकिन यदि उसका सकल्प तीव्र और दृढ़ हो, तो न केवल उसके अपने पुर्वार्थकी बदौलत किन्तु दूसरे कई कारणोंकी सहायतासे भी वह परिस्थितिको आहिस्ता-आहिस्ता अनुकूल होनी हुई देखता है। जिस किसीने अपने जीवनमें प्रतिकूल परिस्थितिमें भी सफलता प्राप्त की होगी वह अगर आत्म-निरीक्षण करेगा, तो उसे इस कथनकी सत्यताकी प्रतीति जरूर मिलेगी। सभव है कि वह इसका कोई वैत्रानिक कारण न जानता हो और जब जब अनुकूल परिस्थिति पैदा हुई हो तब तब उसने उसे ईश्वर-कृपा, दैवयोग, सौभाग्य या ग्रहोंकी अनुकूलता माना हो।

अपने बलवान सकल्पको निरन्तर जाग्रत रखने और उसे धक्के देते रहनेका सबसे बढ़िया उपाय उसका सतत स्मरण रखना है। परंतु किसी सकल्पकी व्याख्या खासी बड़ी हो जायगी और इतनी लबी-चौड़ी व्याख्याका निरतर स्मरण करते रहना सुविवाजनक नही है। इसलिए जिस तरह लम्बे भावको सक्षेपमेव्यक्त करनेके लिए हम 'साकेतिक शब्द' (कोड-वर्ड) गढ़ लेते हैं, उसी तरह अपने सकल्पके लिए कोई छाटान्सा साकेतिक शब्द बना लेनेसे बहुत सुविवा होती है। अ॒, हरि, राम, कृष्ण, खुदा, अल्लाह आदि इसी प्रकारके साकेतिक शब्द हैं। इनका जप करना हरएकके लिए अपने सकल्पको पुष्ट करनेका वैज्ञानिक साधन है। यह समझना गलत है कि जब कोई मनुष्य 'रामनाम'का जप करता है, तब वह 'भगवान'का ही स्मरण करता है। उसके जपका वैज्ञानिक अर्थ केवल इतना ही है कि वह अपने मनके सबसे बलवान शुभ या अशुभ सकल्पको पुष्ट करता है। जब कोई काम-पीडित मनुष्य काम-विकारसे छूटनेके लिए 'रामनाम' जपता है, तब यह मानना चाहिये कि वह 'निष्कामता, निष्कामता'का जप कर रहा है। जब कोई घनेच्छु मनुष्य राम-राम रटने लगे, तब समझना चाहिये कि वह घनका ही जप कर रहा है। दोनोंके वाह्य प्रयत्न भी उसी सकल्पको पूरा करनेके लिए होते हैं। यही बात दूसरे सकल्पोंके लिए भी लागू होती है।

लेकिन चूंकि भक्तोंने जपके इन शब्दोंको वास्तवमेआध्यात्मिक साधनाका अग बनाया और माना है, इसलिए जब कोई आदमी घनकी या दूसरी किसी सासारिक कामनाके लिए नाम-स्मरण करता है तब वे विगड़ पड़ते हैं। कवीरने इसी तरह विगड़कर कहा है-

"माला तो करमे फिरे, जीभ फिरे मुख माहिं।

मनुका तो दस दिग फिरे, यह तो नुमिरन नाहिं॥

और दूसरे किसीने कहावत चला दी है कि 'मुखमेगम वगलमेछूरी'। वास्तवमेयह असगति केवल भक्तकी दृष्टिने ही है। भक्त 'राम' शब्दका सकेत अपने विशेष अभिप्रायसे करता है। मगर वगलमेछूरी रखनेवाले या दूनरे व्यक्तियोंके दिलमेकुछ और ही अभिप्राय होता है।

सारांश, नाम-स्मरण या जपयोग सकल्प-सिद्धिका एक वैज्ञानिक साधन है। परतु मनुष्य जिस सकल्पका सकेत करके जप करता है, उसीको सिद्ध कर सकता है। दस आदमी एक ही नामका जप करे, तो भी यह न मानना चाहिये कि वे सब एक ही सकल्पसे प्रेरित हैं। जो मन्त्र किसी निश्चित हेतुसे बनाये गये हैं और सिर्फ उसी सकल्पकी सिद्धिके उद्देश्यसे अपनाये जाते हैं, वे अपवादरूप हैं।

दूसरे, नाम-स्मरणकी सफलताके लिए उसका अखड जप करनेका अस्यास जरूरी है। किसी एक निश्चित समय पर जप करके बाकीके समयमें उसे भूल जानेसे न तो जपमें सफलता मिलती है और न सकल्प ही सिद्ध होता है।

तीसरे, जो नाम जपा जाता है, उसे हमने किस सकल्पका वाचक माना है, इसका हमे स्पष्ट ख्याल होना चाहिये। दिलमे अगर अनेक सकल्पोकी खिचडी हो और उनमे से किसी एकको भी मुख्य माननेमें मनुष्य अपने आपको असमर्थ पाता हो, तो उसे जपका क्या लाभ हुआ, इसका ठीक-ठीक पता भी शायद ही चलेगा। वह जप सर्वथा निष्फल तो नहीं होता, लेकिन उसकी सिद्धि कुछ अव्यवस्थित जरूर रहेगी। कभी कभी यह भी अनुभव होगा कि सकल्पकी पूर्ति होते होते उस सकल्प परसे दिल उच्चट जाता है और कोई दूसरा ही सकल्प दिल पर काढ़ कर लेता है।

चौथी बात, जपका और पुरुष-प्रयत्नका विरोध नहीं है। जप सकल्पका स्मरण दिलानेवाला साधन है। स्मरणके निरतर कायम रहनेसे दिमाग हमेशा उसकी सिद्धिके उपायोकी तलाशमें रहता है। जब कोई उपाय ख्यालमें आ जाता है, तब उसे आजमाना स्वाभाविक होता है। दूसरी तरफसे जिस चैतन्य-शक्तिसे वह सकल्प उत्पन्न होता है, वह जकित स्मरणके कारण जिस मात्रामें एकाग्र होती है, उस मात्रामें वाह्य जगत्को भी वह अनुकूल बनानेमें लगी रहती है।

जहा तक हो सके, जप मन ही मन — यानी बिना जीभ हिलाये ही — करना अच्छा है। जपके शब्द भी निश्चित ही होने चाहिये। कभी एक और कभी दूसरे शब्दोका प्रयोग करना ठीक नहीं

है। यह चचल और अस्थिर चित्तका लक्षण है। वचपनमें जिस मत्रका अभ्यास या श्रद्धा हो गई हो, वह अविक्षय अनुकूल होता है। उसके अभावमें किसी एक मत्रका निश्चय कर लेना चाहिये। जब हम स्वयं निश्चय न कर सके, तो किसी श्रद्धेय व्यक्तिसे निश्चय करा लेना चाहिये। दूसरेसे मत्र लेनेका यह भी एक अभिप्राय है।

एक निश्चित समयके लिए स्थिरासन होकर एकान्तमें चित्तकी धारणा द्वारा जप किया जाता है, तब उसे विशेष साधना अथवा योगाभ्यास कहते हैं। यह एक अलग चीज है। उसकी चर्चा करना यहां जरूरी नहीं है।

इस तरह सभी प्रकारके लोगोके लिए जप उपयोगी हो सकता है। आजकलके सार्वजनिक आन्दोलनोमें उसके आधुनिक स्वरूपको नारा (घोप या स्लोगन) कहते हैं। किसी एक घ्रेय पर सारी जनताको एकाग्र करनेके लिए आन्दोलनके सचालक अपना 'स्लोगन' या 'नारा' बना लेते हैं। इस जमानेमें यह एक फैशन-सी हो गई है। वास्तवमें यह जपयोगका ही एक उदाहरण है। उसकी तुलना रामनामकी उस धुनके साथ की जा सकती है, जो वडे समूहोमें गाई जाती है। ऐसी धुनका गान अक्सर निश्चित सकेतसे रहित होता है और इसलिए सात्त्विक मनोरजनसे अविक्षय परिणामदायी नहीं होता। लेकिन निश्चित अर्थके द्योतक होनेके कारण 'स्लोगन' अपने अल्प जीवनकालमें अपनी सामर्थ्य स्थूल रूपमें प्रगट करते हैं और जपकी महिमा तथा उपयोगिताका प्रमाण पेश करते हैं। ये 'स्लोगन' प्राय अल्पजीवी होते हैं, इसलिए उनकी सिद्धि भी अल्पजीवी होती है।

सर्वोदय, अक्टूबर, १९४१

यज्ञात्वा मोक्षसेऽशुभात्^१

भाई पाण्डुरग देवपाण्डने शरद-अकमे 'कवयोऽप्यत्र मोहिता'^२ इन शीर्पके नीचे कुछ नात्तिक गकाये उठाई है। यह वस्तु ही ऐसी है कि इसका सक्षिप्त लेखोंसे या बहुत बार बड़े ग्रथोंसे भी निवारण नहीं हो पाता है। इसके लिए तो

‘तद्विद्वि प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन सेवया।’^३

यही मार्ग है। फिर भी दो चार प्रश्नोंका खुलासा भाई देवपाण्डे तथा अन्य विद्यार्थी वबुओंको उपयोगी होगा, ऐसा समझकर उनकी चर्चा यहा करता हूँ :

“सदाचार विसने निश्चित किया है”, यह कहना सर्वथा शक्य नहीं है। कई बार तो भौगोलिक परिस्थितियों, ऐतिहासिक घटनाओं, सामाजिक आवश्यकताओं इत्यादिके कारण सदाचारके नियम अमुक स्वरूप ग्रहण करते हैं। ये सब नियम हमेशा प्राणीमात्रके कल्याणके लिए ही होते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता; तथा प्रत्येक नियम सनातन कालके लिए स्वीकार करने योग्य है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। सदाचारकी भावनाओंका भी देशकालानुसार सकोच और विकास हुआ है।

परतु “सदाचारके कानून कौन वनावे”, यह बताया जा सकता है। जगत्‌के प्राणीमात्रके कल्याणके लिए (अर्थात् ग्रातियुक्त मुन्द्रके लिए) सदाचारके कानून है, इसलिए यह बात स्पष्ट है कि

१. . . . जिसे जानकर तू पापसे छूटेगा। गीता, ४-१६

२. . . . इन विषयमे पण्डितोंको भी परेशानी हुई है। गीता, ४-१६

३. तू नेवा करके, नम्रभावसे प्रश्न पूछकर जान प्राप्त कर। गीता, ४-३४

जो प्राणीमात्रका मित्र हो, उसे ही सदाचारके कानून निश्चित करनेका अधिकार है। जिसके मनमे किसी व्यक्ति या (छोटे-बड़े) वर्गके लिए पक्षपात या वैरभावकी वृत्ति ही न हो, वही सदाचारके कानून बनावे यह उचित है, मेरे ख्यालसे ऐसा स्वीकार करनेमे किसीको आपत्ति न होगी।

जन्म, सामाजिक परिस्थिति और स्त्कारोके कारण जिस वातावरणमे मनुष्य पल-पुसकर बड़ा हुआ है, उस वातावरणके अनुकूल (और उससे स्वाभाविक रूपमे प्राप्त होनेवाला) नित्य-नैमित्तिक कर्म भक्तिभावसे, दृढ़तासे, अपनी सर्व भोगेच्छाओ और अनावश्यक भोगोंका त्याग करके, अपनी सर्व शक्तियो और भावनाओके शुभ विकासकी दृष्टिसे, विवेकसहित — जितने अशमे खुद निष्कामता समझ सकता हो उतने अशमे — निष्काम भावसे किया हुआ हो, तो वह मनुष्यको ऊचेसे ऊचा पद प्राप्त करनेमे समर्थ है। इस दशाके लिए पुरुषोत्तम-पद, सच्चिदानन्द-पद, कौवल्य-पद, निर्वाण, जीवन्मुक्ति या दुखनाश जैसे शब्दोमे से किस शब्दका प्रयोग किया जाय, यह महत्वपूर्ण वात नही है।

‘स्वे स्वे कर्मण्यभिरत ससिद्धि लभते नर ।’^४ तथा

‘स्वकर्मणा तमस्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव ।’^५ उसी प्रकार

‘कर्मणैव हि ससिद्धिमास्थिता जनकादय ।’^६

इसमे से मै ऐसा अर्थ करता हू।

(कर्म और वर्म गद्दोका मै यहा पर्यायरूपमे उपयोग करता हू। जो कर्म धर्मसे आवश्यक नही होता, वह निष्काम भावसे नही हो सकता ।)

४ स्वय अपने कर्ममे रत रहकर मनुष्य सनिद्धि प्राप्त करता है। नीता, १८-४५

५ उसे स्वकर्मसे पूजकर मनुष्य निद्धि प्राप्त करता है। नीता, १८-४६

६ जनकादिकने कर्मसे ही परम निद्धि प्राप्त की। नीता, ३-२०

“मनुष्यका अतिम व्येय आत्मन्साक्षात्कार है”, यह विवान भी मुझे अद्वूरा लगता है। इस दृष्टिसे आव्यात्मिक मार्गकी ओर जो ब्रुकाव होता है, वह वहुत वांछनीय नहीं लगता। मैं तो यह कहता हूँ कि मनुष्यका अतिम व्येय (वर्यात् पुरुपार्थ द्वारा प्राप्त करने योग्य वस्तु) चित्तशुद्धि है। स्वरूपनिष्ठा इसका स्वाभाविक फल है। (साक्षात्कार — दर्शन, अनुभव ये गद्व मेरे हेतुके लिए यहां आमक मालूम होने हैं, इसलिए मैं स्वरूपनिष्ठा शब्दका उपयोग करता हूँ।) इसके लिए वादमें विशेष पुरुपार्थ करनेकी जरूरत नहीं रहती।

“ईच्छकी लीलाके मार्ग अनत है। तो फिर अहिंसा, सत्य या ब्रह्मचर्य इत्यादि एकाग्री तत्त्व लेकर उनमे ही ईच्छको वांवनेका क्यों प्रयत्न करना चाहिये?” पुण्य-पाप, देव-दानव सबमे ईच्छर समान रूपसे हैं यह बात ठीक है।

‘समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय।’^७

परतु इस वस्तुको केवल वृद्धिसे स्वीकार करने मात्रसे शाति नहीं मिलती; इस सत्यमे निष्ठा हो तभी शाति मिलती है। और इस शातिका मार्ग तो यम-नियमोके द्वारा ही प्राप्त होता है।

‘ये भजति तु मा भक्त्या मयि ते तेषु चाऽप्यहम्।’^८

और एक सतके कहे अनुसार इन्द्रिय-निग्रह भजनका गरीर है और एकाग्रता भजनकी आत्मा है।

आत्मसमर्पण, ब्रह्ममे लय, गवित्की उपासना, भावना (abstract idea) का दास्य इत्यादि सबीं विचारोके पीछे मैं अनेक प्रकारके वादों (theories) और कल्पनाओके स्तर देखता हूँ। इसलिए इस विषयमे यहा कुछ भी लिखना और अविक गडवडी बढ़ानेवाला होगा।

परतु इन भाईसे तथा दूसरे विद्यार्थियोंसे भी मैं नब्रतापूर्वक उत्तना कह सकता हूँ कि अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह

^७ तद प्राणियोमे नै समभावसे रहता हूँ। मुझे कोई अत्रिय या प्रिय नहीं है। गीता, ९-२९

^८ लेकिन जो मुझे भक्तपूर्वक भजते हैं, वे मुझमे और मैं उनमे हूँ। गीता, ९-२९

इत्यादि यमों तथा तप, स्वाध्याय, ईश्वर-प्रणिधान, शीच इत्यादि नियमों और मैत्री, करुणा, (पूज्य जनोंके विषयमें) मुदिता और (हठी पापियोंके प्रति) उपेक्षा, इन भावनाओंके अनुशीलनके बिना ग्रातिकी, एक तुच्छ प्राणीका किसी भी कार्यक्षेत्रमें हित करनेकी या अपनी शुभ शक्तियोंका विकास करनेकी आशा रखना व्यर्थ है। मनुष्यको दुर्बलता अच्छी न लगे यह इष्ट है, परतु उसकी शक्तिकी उपासना हमेशा शुभ ही होती है ऐसा नहीं। सारे जगत्को पादाकान्त करनेकी इच्छा रखनेवाले सम्राट् भी शक्तिकी ही उपासना करते हैं और सारे जगत्का सद्वर्म द्वारा उद्धार करनेकी इच्छा रखनेवाले बुद्धने भी शक्तिकी ही उपासना की थी। किस शक्तिका विकास इष्ट है, इसका विवेकबुद्धिसे विचार करने पर ही यह अपने आप समझमें आ जायगा कि उसके लिए यम-नियमके अनुशीलन और भावना-शुद्धिका कितना महत्व है। ‘सत्त्वाद् ब्रह्मदर्गनम्’^९ यह श्रुति व्यर्थ नहीं है।

अनेक प्रकारके तत्त्वज्ञानों, वाद-विवादो, योगकी रुद्धियों और कल्पनाओंकी मायामें जीव फसा हुआ है। परमेश्वरकी साक्षात् भीतिक मायाकी अपेक्षा शास्त्रियों और पडितोंकी वाड़मायाका जाल विगेप बलवान् होता है। इसमें से किस पर श्रद्धा रखी जाय और किस पर न रखी जाय? श्रद्धेय गुरु या शास्त्र किसे समझा जाय? इसके उत्तरका आधार सारासारका निर्णय करनेवाली हरएककी विवेकशक्तिके विकास पर है। फिर भी जो इन्हीं सूचना स्वीकार करेगा, उसकी अवनति तो कभी नहीं होगी, ऐसा नित्यपूर्वक कहा जा सकता है। वह सूचना यह है कि जिन उपदेशोंमें इन्द्रिय-संयम, मनोनिग्रह, शुभ भावनाओंका विकास, माता-पिता और गुरुओंकी भक्ति, यम और नियमके प्रति पूर्ण आदरभाव न हो, वे उपदेश विद्वत्ता, योगारुद्धता या ज्ञानमें चाहे जितनी प्रगतिहिं पाये हुए पुरुषोंकी ओरसे किये गये हो, तो भी उन्हें त्याज्य समझना चाहिए।

^९ सत्त्व गुणके विकासने ब्रह्मदर्गन होता है।

भक्ति वा ज्ञानमालम्ब्य स्त्रीद्रव्यरसलोलुपा ।
पापे प्रवर्तमाना स्यु कार्यस्तेषां न सगमः ॥^{१०}

(गिक्षापत्री, २८)

जो कोणी ज्ञान वोवी । समूढ़ अविद्या छेदी ।
इन्द्रियदमन प्रतिपादी । तो सद्गुरु जाणावा ॥

ज्ञानवैराग्य आणी भजन । स्वधर्म कर्म सावन ।
क्यानिरूपण, श्रवण, मनन । नीति, न्याय, मर्यादा ॥
या मध्ये एक उणे असे । तेणे ते विलक्षण दिसे ।
म्हणोनी सर्व ही विलसे । सद्गुरुपाशी ॥
सद्गुपासना आणि सत्कर्म । सत्क्रिया आणि स्वधर्म ।
सत्सग आणि नित्यनेम । निरतर ॥
ऐसे हे अवधेचि मिळे । तरीच विमल ज्ञान निवळे ।
नाही तरी पापाड सचरे वळे । समुदायी ॥^{११}

(दासबोध, ५-२३)

मै इन सब वचनोंको यहा मान लेनेके लिए उद्धृत नहीं करता हूँ। परतु विवेकसे विचार करने पर ये ही वचन श्रद्धेय मालूम होते हैं या नहीं, इसे जाचनेके लिए उद्धृत करता हूँ। सब प्रकारकी दलीलोंसे

१०. भक्ति अथवा ज्ञानका वहाना वताकर जो लोग स्त्री, द्रव्य या रसमें लुड़व होकर पापमें प्रवृत्त होते हैं, उनका सग नहीं करना चाहिये ।

११. जो ज्ञान देता है, अज्ञानका जड़से नाश करता है, इन्द्रिय-दमनका मर्यादन करता है, उसे सद्गुरु ज्ञानना चाहिये । . . . ज्ञान, वैराग्य, भजन, स्वधर्माचरण, सावना, क्यानिरूपण, श्रवण, मनन, नीति, न्याय, मर्यादा इन सबमें से यदि एक भी कम हो, तो पूर्णतामें उननी त्रुटि समजना चाहिये, इसलिए सद्गुरुमें ये सभी गुण होने चाहिये । . . . सद्गुपासना और सत्कर्म, सत्क्रिया और स्वधर्म, सत्सग और नित्य नियमितता ये सब इकट्ठे हो तभी हृदयमें शोभा पाते हैं, नहीं तो समाजमें जहर पाखण्ड फैलता है ।

'ईश्वरके सिवा दूसरा मौलिक (absolute) तत्त्व नहीं है' ऐसा सिद्ध करनेवाला विशेष शाति प्राप्त करेगा और दूसरोंको भी करायेगा, या इस तत्त्वके बाद-विवादमें न पड़ कर सन्मार्ग पर चलनेसे और दैवी सपत्तिके विकाससे प्राप्त होनेवाला दलीलोंसे परे जो ज्ञान है उसे अपने हृदयमें प्राप्त करनेवाला विशेष शाति प्राप्त करेगा और दूसरोंको करायेगा — इस पर विचार करनेका काम मैं पाठकों पर ही छोड़ता हूँ।

सावरमती, अप्रैल, १९२३

९

ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह

कुछ दिन पहले लोकसेवकोंका एक छोटासा दल वर्षमें इकट्ठा हुआ था। जो व्यक्ति अपना जीवन जनता-जनार्दनकी सेवामें विताना चाहता हो, वह निजी परिग्रह रखे या न रखे, ऐसा एक प्रश्न वहा उपस्थित हुआ था। बहुतसे भाइयोंकी ऐसी राय मालूम हुई कि अगर अक्षरश न हो सके तो कम-से-कम जितना हो सके उतना तो लोकसेवको अवश्य अपरिग्रही होना चाहिये। उसका परिग्रह ऐसा और इतना अधिक न होना चाहिये कि उसके कारण उसकी सेवामें किसी तरहकी वादा पैदा हो और उसे अपने परिग्रहकी रक्खा तथा उसकी वृद्धिकी ओर ध्यान देना पड़े।

यह तो हुई व्यावहारिक दृष्टि। आध्यात्मिक दृष्टिसे भी नव भाइयोंका यही अभिग्राय था कि ईश्वरके महारे रहनेवाला लोक-सेवक किसी तरहका परिग्रह नहीं रख सकता। अपना या अपने बाल-बच्चोंका भविष्यमें क्या होगा, इसकी चिन्ता जिसने भगवान् पर ही छोड़ दी है, उसे परिग्रह रखनेसे क्या मतलब?

ये सब विचार मुझे भी स्वीकार हैं। लेकिन इसके बाद और जो बाते हुई, उन परसे मुझे इन विचारोंमें कुछ सद्विद्यन करनेकी जरूरत मालूम होती है।

जनताका सेवक ब्रह्मचारी होना चाहिये या नहीं, यह एक दूसरा प्रबन्ध विचारार्थ रखा गया था। प्राय सब भाइयोकी इस विषय पर यही सम्मति दिखाई दी कि इस व्रतको हम अनिवार्य नहीं बना सकते। आदर्शके रूपमें यह ठीक है, लेकिन इसे अनिवार्य कर देनेसे इसका पालन नहीं हो सकता। उलटा, उससे दभ और अनाचार ही बढ़ता है। इसलिए इस विषयमें प्रत्येक सेवकको अपनी गवितके अनुसार अपना प्रगतिक्रम निश्चित करनेकी छूट दे देनी चाहिये।

इन वातोको भी मैं मानता हूँ। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन दो ब्रतोमें यदि क्रम निश्चित करना हो, तो हमें पहले ब्रह्मचर्यकी ओर बढ़ना चाहिये या अपरिग्रहकी ओर?

इन वातोकी चर्चा यहा जिस डगसे हुई, उससे मुझे ऐसा लगा कि वहुतेरे भाइयोका जोर जितना अपरिग्रहकी ओर दीखता था, उतना ब्रह्मचर्यकी ओर नहीं दीखता था।

यदि यह सच हो तो यह विचारकी भूल है ऐसा मेरा नम्र मन्तव्य है। यह सच है कि परिग्रह छोड़नेकी अपेक्षा ब्रह्मचर्य रखना ज्यादा मुक्तिकल काम है। इसमें कोई आन्वर्य लगने जैसा भी नहीं है। परिग्रह छोड़ना स्थूल त्याग है, ब्रह्मचर्य पालना सूक्ष्म त्याग है। चोर या डाकू बलाकारसे हमें अपरिग्रही बना सकता है। इस प्रकारकी समाज-रचना भी बनाई जा सकती है, जिससे धीरे-धीरे समाजका परिग्रह क्रम होता जाय और थोड़े लोगोको छोड़कर जेष सब अर्किचन बन जाय। किन्तु कोई हमें बलाकारसे स्थिरवीर्य नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्मचर्यके भार्गमे बड़ी कठिनाइया है, इसे मैं स्वीकार करता हूँ।

परन्तु इस वातका भी हमें विचार करना चाहिये कि विना ब्रह्मचर्यके परिग्रह-त्याग अवगत. एक वृथा चेष्टा है, और समाज-हितकी दृष्टिमें हानिकर भी है। जो मनुष्य एक ओर तो सत्तान-वृद्धि किया करता है और दूसरी ओर परिग्रह छोड़ बैठता है, उसका अपरिग्रह अन्त तक नहीं टिकेगा, और अगर टिका भी तो न तो उसकी या उसकी भततिकी उस अपरिग्रहसे विशेष आघ्यातिक उन्नति होगी और न उसकी ईश्वर-अद्वा ही अन्त तक टिकेगी और उसे जाति देगी।

मनुष्यका प्रथम और विशेष महत्त्वका परिग्रह तो उसका परिवार है; और यह तो चेतन परिग्रह है। वह जब तक नहीं छूट सकता तब तक केवल जड़ और आर्थिक परिग्रहके त्यागसे क्या लाभ हो सकता है?

हमे यह बात ने भूलनी चाहिये कि जनताका सेवक जनताका ही एक अश है। इसलिए जो नियम सर्वसाधारणके लिए हानिकर हो, वह जनताके सेवकके लिए भी हानिकर ही होगा। क्या हम सर्व-साधारणको यह सलाह दे सकते हैं कि तुम सतति-वृद्धि तो करो, किन्तु अर्थकी वृद्धि और सख्त्य करनेकी कोई आवश्यकता नहीं? कुछ विद्वानोंकी यह राय हो, तो भी कम-से-कम मानव-समाजकी आजकी परिस्थितिमें न तो हम समाजके सामने ऐसा आदर्श रख सकते हैं और न उसकी स्वीकृतिकी आशा कर सकते हैं। उलटा यह कहा जा सकता है कि आज हमारी प्रधान चिन्ता यह है कि हम कोई ऐसा मार्ग निकालें, जिससे निर्वनोंको अधिक घनप्राप्ति हो, ताकि वे कुछ तो अधिक सुख-सौभाग्य प्राप्त कर सकें। हमारे चरखा-सघ, ग्राम-उद्योग-सघ, हरिजन-सेवक-सघ और हमारा अन्य रचनात्मक कार्यक्रम — सभीका प्राय एक ही ध्येय है कि गरीबोंका आर्थिक अभ्युदय किया जाय। जनताको आर्थिक नुख पहुचाये विना हम उसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकेंगे।

यही सिद्धान्त जनताके सेवकोंके लिए भी है। यदि उन्हे परिवार रखना और बढ़ाना स्वीकार है, तो स्पष्ट है कि वे परिग्रह-त्यागकी दिशामें अमुक मर्यादा तक ही बढ़ सकेंगे। कुछ-न-कुछ परिग्रह करना, रखना और उसे बढ़ाना उनके लिए अनिवार्य ही होगा।

अब दूसरा एक सवाल यह खड़ा होता है कि अगर लोकसेवक सपरिवार है, और आज वह अपने भीतर ब्रह्मचर्य-पालनकी शक्ति नहीं पाता, तो क्या उसे लोकसेवाका कार्य छोड़ देना चाहिये? या ननो-पार्जनमें लगकर अपना परिग्रह बढ़ाना चाहिये?

मेरे कहनेका मतलब यह नहीं है। मैं तो देशके सेवकोंका ध्यान इस बातकी ओर दीचना चाहता हूँ कि स्थूल परिग्रहका त्याग निष्ठ करनेसे पूर्व उन्हे ब्रह्मचर्यकी आवश्यकता समझ लेनी चाहिये और

उस दिग्में आगे वढ़नेका कोई-न-कोई क्रम सोच लेना चाहिये तथा प्रयत्न आरभ कर देना चाहिये ।

मेरी यह मान्यता है कि विद्याकी ही उपासना करनेका आदर्श सामने रखने और उस और स्वाभाविक अभिरुचि होने पर भी ब्राह्मण वर्णकी हमारे देशमें जो अवनति हुई है और ब्राह्मणोंका वहूत बड़ा भाग केवल नाममात्रका ही ब्राह्मण रह गया है, इसका प्रधान कारण यही है कि ब्राह्मण वर्ममें जितना अपरिग्रह पर जोर दिया गया उतना ब्रह्मचर्य पर नहीं दिया गया । दूसरे, अपरिग्रहका अर्थ केवल वन-मग्रह न करना ही नहीं समझा जाता था, वल्कि वन-निर्माण न करना भी माना जाता था । इसके कारण ब्राह्मण-समाज अत्यन्त परावलबी और शेष समाजके लिए भार-सा वन गया । पर यदि इसके माथ ही उसने कुछ ब्रह्मचर्य-पालनका नियम भी बनाया होता, तो आजकी तरह उच्च सस्कारकी परंपरा ब्राह्मण वर्ण खो न वैठता । परन्तु ऐसे किसी नियमके अभावमें वहाँ हुई ब्राह्मण-प्रजाके लिए शेष समाजसे पोषण पाना अविकाविक कठिन बनता गया और इस कारणसे उसकी उच्च सस्कार प्राप्त करनेकी तथा उनका पोषण करनेकी अनुकूलता कमशा घटती गई । अगर देशसेवक भी केवल अपरिग्रह पर जोर देंगे और ब्रह्मचर्यको कठिन समझकर उसमे फिलाई करेंगे, तो उनकी सन्ततिकी भी वही दगा होगी जो उन ब्राह्मणोंकी सन्ततिकी हुई ।

फिर, अपरिग्रहका अर्थ वनका अमग्रह इतना ही करना चाहिये । सेवक ब्रह्मचारी हो या भोगी, उसके अपरिग्रहका मतलब यह न होना चाहिये कि वह कुछ भी वर्योत्पत्ति न करे या स्वाश्रयी भी न हो । वस्तुत उसे यह समझ लेना चाहिये कि प्रत्येक मनुष्यका — चाहे वह अपनेको जनताका एक साधारण व्यक्ति मानता हो या उसका सेवक मानता हो — कर्तव्य है कि वह कुछ नया धन निर्माण करे; और अपना जो भी काम वह बाज दूसरोंके हाथसे कराता है, उसे खुद करने लग जाय, और इस तरह वनके अपव्ययको भी रोक दे ।

गलत तितिक्षा^१

सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास, सुख-दुख आदिको सहन करनेकी शक्ति प्राप्त करना एक प्रकारकी सिद्धि है। भगवद्गीताके उपदेशके आरभमे ही कहा गया है कि

मात्रास्पर्शाऽस्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुखदा ।
आगमापायिनोऽनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत ॥
य हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्पभ ।
समदुखमुख धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥३

(गीता, २-१४, १५)

१ सन् १९३५ मे जब गांधीजीने ग्राम-रचनाके कार्यको तेजीसे आगे बढ़ाया, उस वक्त इस वारेमे चेतावनी देनेके लिए मैंने दो लेख लिखे थे कि हम गावोके गलत आदर्शों और दोषोकी पूजामे न पड़े। उन्हे सुधार कर ये दो प्रकरण बनाये गये हैं। गावोमे अनेक उद्योग चल सकते हैं। अनेक उद्योगोका प्रायमिक ज्ञान रखनेवाले कारीगर हर गावमे हैं। लेकिन यह बात ध्यानमे रखना जरूरी है कि उनमे से बहुतेरे अनपढ़, अनगढ़ और आलसी भी हो गये हैं। उनकी सेवा हमे करनी हो तो उनकी कारीगरीमे हमे सुधार करनेकी जरूरत पड़ेगी ही। उनके जीवन और घरोमे भी सुधार करनेकी जरूरत है। गावोमे गहरोकी चीजे ले जाकर उन्हे बबईके छोटे छोटे उपनगर बनाना एक सिरेकी गलती होगी। ग्रामोद्योगके नाम पर वे जैसे हैं वैसे ही उन्हे रखकर उनका पोषण करना दूसरे सिरेकी गलती होगी। हमारा ध्येय यह होना चाहिये कि गावोमे जो चीजे बने, वे गावोमे मिलनेवाले साधनोसे ही यथागतित मेहनत करके व वुद्धि लगाकर सुन्दर बनार्ड जाय। जो असुविधा या अडचन गावोके सावनोसे दूर हो सकती हो, उसे गरीबी या ज्ञानयुक्त त्यागको छोड़कर दूसरे किसी कारणमे दूर

इस प्रकारकी तितिक्षा केवल सामान्य व्यायाम आदिके द्वारा गरीरको तालीम देनेसे प्राप्त होती है, ऐसा हमेशा देखनेमें नहीं आता। यह भी नहीं कि हप्ट-पुप्ट गरीरवाले मनुष्यमें वह पाई जाती है और दुखलेघनलेमें नहीं पाई जाती, या दर्ढिमें वह रहती है और बनिकमें नहीं रहती। कभी-कभी नाजुक गरीब भी देखे जाते हैं और कप्ट सहनेकी अक्षितवाले बनिक भी पाये जाते हैं। लेकिन यह कह सकते हैं कि गरीब लोगोंको मजबूरन ये कठिनाइयाँ सहन करनेकी आदत वना लेनी पड़ती है, और इस कारण उनमें अधिक तितिक्षा रहती है। मन सहन न कर सकता हो तो भी गरीरको सहन किये सिवा कोई चारा नहीं रहता।

परनु जिस तरह दान, व्या, तप आदि सद्गुणोंके वारेमें गीतामें कहा गया है, उसी तरह तितिक्षाके विषयमें भी कहा जा सकता है कि वह भी सात्त्विक (ज्ञानयुक्त), राजस (लोभसे प्रेरित) और तामस (जड़ता, आलस्य और प्रमादके कारण बढ़ी हुई) — तीन प्रकारकी हो सकती है। और जिस तरह हमारी प्रजामें दूसरे बहुतसे गुणोंके वारेमें हुआ है, उसी तरह तितिक्षाके वारेमें भी हुआ है। अर्थात् तितिक्षाके नाम पर हमने जड़ता, आलस्य और प्रमादको ही पोसा है।

जब हम यह मान लेने हैं कि एक वृत्ति अच्छी है, तब स्वाभाविक ही उससे चिनके रहनेका हमारा आग्रह वन जाता है, और उसका विकास करनेके लिए कृत्रिम उपाय काममें लेनेकी प्रवृत्ति होती है। और सभव है जिसमें यह गुण न हो या कम हो, उसके प्रति हमारे मनमें अनादर पैदा हो या समझाव न रहे। और उसके मूलमें यदि लोभ, जड़ता, अन्नान आदि हो, तो उस वृत्तिको बढ़ानेका प्रयत्न जनताको आगे ले जानेके बदले पीछे हटानेवाला सावित हो सकता है।

त करें, तो उसमें केवल आलस्य, प्रमाद और जड़ताको ही पोपण मिलेगा।

२. हे अर्जुन, डन्डियोंके विषय सर्दी, गर्मी, मुख और दुख देनेवाले होते हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं और अनित्य हैं। उन्हें तृ नहन कर। हे नरश्रेष्ठ, मुख-दुखमें सम रहनेवाला जो पुरुष इन वातोंमें व्याकुल नहीं होता, वह मोक्षका अविकारी होता है।

धर्मग्रथोके अवलोकनसे मालूम होता है कि तितिक्षा वढानेका प्रयत्न हमारे देशमें बहुत प्राचीन समयसे होता आया है। अनेक प्रकारके तपोकी योजनाका उद्देश्य यहीं दीख पड़ता है कि सहनशीलताकी वृद्धि हो। पञ्चान्नि-सेवन, गरमीमें घूपमें बठना, सर्दीमें खुलेमें रहना, वर्षमें बरसातमें बैठना, जान-बूझकर भूखे रहना, पानी न पीना इत्यादि तपके प्रकारोंका एक हेतु हमारे कोमल जानततुओंको धीरे-धीरे कठोर बनाना भी रहा है। इससे मनुष्यके तीन वलवान विकार — काम, क्रोध और लोभ — कहा तक जीते जाते होगे, इसमें मुझे सदेह ही है। कारण तपस्वी क्रोधी न हो, ऐसा शायद ही देखा जाता है। व्यापारियोंमें अतिलोभ और अतितितिक्षा एकसाथ देखे जाते हैं। 'डोरी और लोटे' की ही पूजीसे अपना जीवन शुरू करने-वाला वनिया 'गाढ़ी और तकिये' वाला वननेके समय तक तितिक्षाकी जो पराकाप्ता करता है, वह तपस्वी भी शायद न दिखा सके। जेवमें पैसा होते हुए भी एक ही बार खानेका निश्चय करना, घरका दूध-घी होते हुए तथा किसीका कर्ज न होते हुए भी सूखी रोटी खाना और घीको बेच देना, सर्दी लगती हो और नया कम्बल पासमें हो तो भी उसको मैला न करनेके विचारसे ठड़ सहन कर लेना — इस तरह वह लोभवश होकर अपनी हरएक इन्द्रियको सहनशील बनाता है। मुझे कई बार लगता है कि ऐसी सहनशीलताकी अपेक्षा दुख वरदाश्त करनेकी शक्ति कुछ कम होना ज्यादा अच्छा है। यदि हमारी तितिक्षा-शक्ति कुछ अशमें कम रहती, तो टीनकी दीवारों और छप्परवाले मकानमें हल्लाईकी दुकान चलाने जैसा आरोग्य-नाशक, मौन्दर्य-नाशक और देशके कारीगरोंके उद्योगका नाशक दृश्य कभी दिखाई न देता। आठ-दस हजार या उससे भी अधिक कीमतके मकानोंमें कुछ किफायत करनेकी दृष्टिसे दिखनेमें भड़े, गर्भोंमें भट्टीकी तरह तपनेवाले और सर्दीमें वर्फके समान ठड़े हो जानेवाले टीनके परदे, छप्पर या छज्जे मेरी नजरमें पड़ते हैं, तब मेरे मनमें केन्द्र होता है। उसमें रहनेवालोंकी तितिक्षा-शक्तिके लिए मृजने प्रांना या प्रसन्नताका भाव नहीं पैदा होता।

किसानको गर्मी, सर्दी और वर्षा तीनों क्रृतुओंमें खेत-खलिहानमें घटो खुलेमे काम करना पड़ता है। इस कारण उसे सर्दी-गर्मी-वरसात और भूख-प्यास-जागरणके कष्ट सहने पड़ते हैं। यह सच है कि उसे भी कुछ प्राप्तिकी आजा रहती है, फिर भी काम पूरा होने पर खानेके लिए पास होते हुए भी भूखों सोनेका और ओढ़नेको पास होते हुए भी कड़ाकेकी सर्दीमें खुले बदन सोनेका यदि वह आग्रह रखे, तो कहना होगा कि वह लोभवश होकर ही यह सब दुख सहता है।

जिस प्रकार लोभसे बढ़ाई हुई तितिक्षा कोई बड़ा गुण नहीं है, वैमे ही जड़ता या आलस्यसे बढ़ाई हुई तितिक्षा भी कोई सद्गुण नहीं है।

दरवाजेमें एक छोटीसी दरार है। उसमें से ठडे पवनकी लहर हमेशा आया करती है, और जब आती है तब छातीमें तीरकी तरह चुभती मालूम होती है। उस दरारको बन्द करना आवश्यक है। शिंगिरका आरभ है। गलेको ठड़ी हवा लग गई है। शाम या सबेरे हवा लगती है तब खासी शुरू हो जाती है और रातभर परेशान करती है। गले पर एक कपड़ा लपेट रखनेकी आवश्यकता है। वरसातमें एक खिड़कीमें से पानीकी बौछार घरमें आती है और उससे घरकी हवामें नमी रहती है। एक छज्जेकी जरूरत है। घरमें एक मनुष्य दमेसे बीमार रहता है, आधी रातको या बडे सबेरे उसे गौचादिके लिए उठना पड़ता है। सारी रात तो वह खुदको बचा रखता है। किन्तु दो-चार मिनिटके लिए उसको खुलेमे जाना पड़ता है और ठड़ी हवा या वरसात सहन करनी पड़ती है। उसके हाथ-पैर ठडे हो जाते हैं, अथवा पीठ या छातीको हवा लग जाती है, और एक क्षणमें उसका श्वास रुध जाता है। फिर सारा घर उसके समय उसको बाहर न निकलना पड़े, ऐसी उसके विछीनेके पास ही पानी-पेगावकी व्यवस्था रहनी चाहिये—इस जरूरतको न तो वह स्वयं समझता है, न उसके सर्गे-सवधी समझते हैं। दरवाजेकी दरारको बन्द करना, गलेको कपड़ा लपेटना, झोपड़ी-जैसे मकानको

छज्जेसे सुशोभित बनाना, बिछौनेके पास वर्तन रखना या पेशावधर बनाना — ये सब सुकुमारताके लक्षण माने जाते हैं। ऐसा करनेवाला बड़ा नाजुक समझा जाता है। और यह सब करनेमें आलस्य भी आता है। इन बातोमें खर्चका सवाल शायद ही उठता है। परतु अक्सर यह देखनेमें आता है कि इन कठिनाइयोको सहन कर लेना कुलधर्म-सा माना जाता है। इसलिए ऐसी अडचनोको सहन करना सद्गुण माना जाता है। यह तितिक्षा तो है, परतु प्रशसनीय नहीं।

इस प्रकारकी गलत तितिक्षाके कारण सहन करनेवालेंको जो असुविवाए उठानी पड़ती है, उनका विचार हम छोड़ दे। परतु इसका उसके मानसिक विकास पर कैसा असर होता है, उसका हम थोड़ा विचार करे। प्रायः देखा गया है कि इस तरहकी असुविवाए सहन करना जिसका स्वभाव बन जाता है, और ऐसा करने-करानेमें ही एक प्रकारकी शिक्षा है इस तरहकी जिसकी मान्यता हो जाती है, वह दूसरोके कष्टोके लिए विशेष सहानुभूति अनुभव नहीं करता। जो मनुष्य ठड़ लगने पर भी अपने पासके विछौने और कवलका उपयोग नहीं करता, और उनका उपयोग न करनेमें ही विशेषता मानकर बिना कुछ ओढ़े-बिछाये सोनेकी आदत बना लेता है, उसको यह खयाल ही नहीं आता कि दूसरेके लिए सोनेकी कैसी व्यवस्था करनी चाहिये। वह यह भी नहीं समझ सकता कि जिनके पास बिछाने और ओढ़नेके पूरे साधन नहीं हैं, उनको क्या कष्ट होता होगा।

दया-धर्म और अहिंसा-धर्मकी महिमा गानेवाले हमारे हिन्दू धर्ममें हरिजनादि दलित और दरिद्र जातियों एवं मूक प्राणियोंके प्रति व्यवहारमें जो अत्यत लापरवाही नजर आती है, उनका कारण मेरी समझमें यह नहीं है कि सवर्णोंमें स्वाभाविक निष्ठुरता होती है या अधिक स्वार्थवृत्ति होती है, मगर वहुतोके लिए तो उनका कारण केवल यही होता है कि दुखोंकी कल्पना करनेके विषयमें वे वहुत जड़ होते हैं। यह जड़ता वे स्वयं अपनी जीवन-चर्यामें भी दिखाते हैं। अग्रेज लोगोमें तितिक्षा कम है, ऐसा उनके परिचय या उन-

हाससे पाया नहीं जाता। परतु असुविधाओंको दूर करनेके विषयमें वे उदासोन नहीं रहते। इस कारण यदि कष्ट देनेका उनका इरादा न हो, तो वे दूसरोंके गारीरिक कष्टोंके प्रति हमसे अधिक सहृदयता बताते हैं। जेलमें मेरा दोनों बार (१९३० और १९३२) यह अनुभव रहा कि खुलेमें नहानेके कारण हवा लग जानेसे मुझे खासी हुआ करती थी, अत नहानेके लिए मुझे थोड़ी-सी ओटकी आवश्यकता थी। स्नान-घाट पर एक टटा बाघ देनेसे यह हो सकता था। परतु जेलके भारतीय डॉक्टरोंके मनमें यह न आ सका कि ऐसा कर देना आवश्यक है। लेकिन अग्रेज सुपरिएण्डेण्टके मनमें यह बात बैठ गई और उसने यह व्यवस्था करा दी। इसी तरह जब रातको मुझे दमा उठा करता था और बैठा रहना पड़ता था, तब पीठके लिए किसी सहरेकी आवश्यकता मालूम होती थी। लोहेकी चारपाईके साथ लगा हुआ पतरा या भीत अधिक ठड़ी होनेके कारण काम नहीं दे सकती थी। एक मीटेसे लकड़ीके तख्तेकी जरूरत थी। परतु डॉक्टरोंकी समझमें यह बात भी नहीं आती थी। इसमें भी सुपरिएण्डेण्टने समझदारी बताई। इसकी बजह यह नहीं थी कि डॉक्टर कम सहृदय थे, या ऐसा करनेका उन्हें अविकार नहीं था। परतु उनको स्वानुभवमें मालूम था कि जेलके बाहर भी हम लोग ऐसी असुविधाएं सहन कर लेते हैं, और ऐसी सहनशीलताको वे स्वयं उचित तितिक्षा समझते थे। इसलिए इन असुविधाओंको सहन करनेमें वे कोई विशेष कष्ट मान ही नहीं सकते थे। लेकिन ये मिसाले छोड़ दे, क्योंकि आसिरमें तो इनमें अविकारियोंसे हमारा सबध था, और सो भी जेलमें। लेकिन बाहरी समाजमें तो रिक्तेदार और मित्र भी इसी प्रकारकी अयोग्य तितिक्षाका आदर्श रखनेवाले होते हैं। इसलिए जिनके प्रति उनका प्रेम होता है उनके साथ भी वे इसी प्रकारका व्यवहार करते हैं।

कार्यालयों और दुकानोंमें जो कर्लक और अन्य कर्मचारी काम करते हैं, वे किन्तु घण्टे तक किस तरह बैठते हैं, खड़े रहते हैं, उनके लिखने वगैराके लिए क्या व्यवस्था है, उनको वायु और

प्रकाश मिलता है या नहीं, उनके पास भेज है या नहीं, है तो वह वरावर मापकी है या नहीं, इन वातोके प्रति मालिक लापरवाह होता है। वह स्वयं तो इस तरफ ध्यान देता ही नहीं, और यदि कर्मचारी इन सुविधाओंके विषयमें लापरवाह न हो तो वह उनका दोष माना जाता है। विद्यार्थियोंके विषयमें भी हम इस तरह लापरवाह रहते थे, पर अब उनकी ओर कुछ ध्यान दिया जाने लगा है। लेकिन सामान्यत तो यही उत्तर दिया जाता है—“हम तो आज तक इन साधनोंके बिना ही काम करते आये हैं, हमारा काम कभी इनके बिना रुका नहीं है।” यह उत्तर गलत भी नहीं है। पर प्रश्न तो यह है कि इस तरह काम चलाते आना कहा तक उचित था?

‘स्विस फेमिली रॉबिन्सन’ नामक उपन्यास कई पाठकोंने पढ़ा होगा। उसमें एक यूरोपीय परिवारके एक द्वीपमें फस जानेका वर्णन है। वह वहा अपने परिश्रमसे यूरोपीय ढगकी सुविधाएं धीरे-धीरे किस तरह उत्पन्न करता है इसका उसमें मुन्दर वर्णन है। चम्मच और कुरसीके बिना भी उसका काम नहीं चलता था। जगलमें भी उनके बिना काम चला लेनेमें उसने सतोष न माना। सीपसे चम्मच और पत्थर या मिट्टीकी कुर्सी बनानेका परिश्रम करने पर ही उसे सतोष होता है। मैं कई बार सोचता हूँ कि इसकी जगह कोई भारतीय उपन्यासकार ‘हिन्दू परिवार रविसेन’ का चित्र खीचे, तो उसमें जगलमें मगल करनेकी अपेक्षा बड़े महलमें रहते हुए भी वह परिवार किस प्रकारकी असुविधाये भोगता था, इसीका रसमय वर्णन करनेमें वह अच्छी सफलता प्राप्त कर सकेगा।

सात्त्विक तितिक्षा

पिछले प्रकरणमें तितिक्षाके अयोग्य प्रकारोंकी कल्पना हमने कराई है। अब यहाँ इस वातका विचार करेंगे कि उसके योग्य या सात्त्विक प्रकार क्या हैं। कोई ऐसा न समझे कि जिस गुणका महत्त्व बतलाते हुए गीताने यहा तक कहा है कि उसके होनेसे मनुष्य मोक्षपदके योग्य बनता है, उसे मैं तुच्छ समझता हूँ।

मनुष्य चाहे जितना घनाढ्य और समृद्ध हो और अपने गारीरिक स्वास्थ्यके लिए वह चाहे जितना प्रवृत्त करे, तो भी कृत्योंके फेरफार और परिस्थितिके भेदसे सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास आदिके सुख-दुख और उनके फलस्वरूप जरा, व्यावि आदिके कष्ट प्रत्येक मनुष्यके जीवनमें आते ही रहते हैं। हुमायूँ वगैरा बड़े बड़े वादशाहोंके जीवनमें कौसी कौसी क्रातिया हुईं, और उनके कारण उन्हें किस प्रकार सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास, आकस्मिक विपत्तियों आदिसे परेशान होना पड़ा, यह हम सबने इतिहासमें पढ़ा है, अनेक बार देखा भी है और हम सबको उमका थोड़ा-बहुत अनुभव भी होगा। यह तो हम जानते ही हैं कि वादगाह सप्तम एडवर्डकी मृत्यु सर्दी लग जानेसे हुई थी, और पचम जार्जको जुकाम होनेके समाचार तो हमने कई बार पढ़े हैं। हम यह नहीं कह सकते कि उन्हें सर्दीसे बचनेके साधनोंकी कोई कमी थी इस कारण वे बीमार पड़े। परतु जीवनमें ऐसे प्रमग आते ही रहते हैं, और कालके अवीन रहनेवाला कोई भी प्राणी इनसे सर्वथा मुक्त नहीं रह सकता। इससे यह सृष्टिका नियम ही है, ऐसा हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिये और ऐसे प्रसग हमारे जीवनमें भी कभी न कभी आने सभव है यह मान लेना चाहिये। यह जरूरी है कि इन विपत्तियोंके खयालसे और इनके बांजाने पर हम अवीर न बने, कर्तव्यसे हटनेका विचार न करें,

ईश्वरकी कृपा हम पर नहीं है, अथवा हम पर उसकी अवकृपा हुई है यह न मानें, अथवा यह न सोचें कि ईश्वर हमारे साथ अन्याय करता है या दूसरोंके साथ पक्षपात करता है। दुख आने पर जो मनुष्य इस प्रकारका वैर्य धारण नहीं कर सकता, अथवा दुखके भयसे अपना कर्तव्य करनेको तैयार नहीं होता, उसमे तितिक्षाका अभाव है और यह अभाव जीवनके उत्कर्षमे वाधक होता है।

फिर ऐसे कष्टोंके आ जाने पर उनको दूर करनेके लिए मनुष्य जिस प्रकारके उद्यम-उपाय करते हैं, उनमे प्रायः विवेक, न्याय और धर्म नहीं रहता। मैं भूखा हूँ, मेरी पत्नी भी भूखी है। दोनोंके लिए पर्याप्त अन्न धरमे नहीं हैं। जो कुछ थोड़ा-सा अन्न पड़ा है, उसे मैं खा लेता हूँ और पत्नीको उसके भाग्यको दोष देनेका उपदेश करता हूँ। मैं और मेरा एक साथी यात्रा कर रहे हैं। मेरे साथीने अपने साथ ओढ़नेके लिए एक कम्बल रख लिया है। मैं ठहरा आलसी। जहां पहुँचूगा वहा कुछ-न-कुछ तो मिल ही जायगा, इस विचारसे साथमे कुछ नहीं रखता। अब हम एक जगह पहुँचते हैं। वहा मुझे कम्बल नहीं मिल पाता। तब मेरा यह कर्तव्य हो जाता है कि मैं सर्दीको सहन कर लूँ। लेकिन आलस्यके साथ स्वार्थ न हो ऐसा कम ही देखनेमे आता है। अपने मित्रकी अनुपस्थितिमे मैं उसका कम्बल ओढ़कर सो जाता हूँ। वह जब सोनेके लिए आता है तो मुझे अपना कम्बल ओढ़े सोता हुआ देखता है। फिर वह वेचारा खुद सर्दीमे ठिठुरता हुआ पड़ा रहता है। मेरा तितिक्षाका यह अभाव दोषरूप है। और भी एक उदाहरण लीजिये। अत्यत गर्मी पड़ रही है। मैं कमरेमे बैठा हूँ। दरवाजे पर खसकी टट्टी लगा रखी है और सिर पर एक पखा टगा हुआ है। एक लड़का वाहर गर्म लूमे बैठा हुआ टट्टी पर थोड़ी-थोड़ी दरमे पानी छिड़कता है और पखा चलाता रहता है। उसके भी तो सर्दी-नर्मीका अनुभव करनेवाली ज्ञानेन्द्रियां हैं, इस वातका मुझे कभी संयाल ही नहीं आता। गर्मीसे उसे नीदका झोका आ जाता है। टट्टी सूख जाती है और पखा बन्द हो जाता है। मुझे गर्मी मालूम होती है। मैं लड़के पर गुस्सा होता हूँ। कष्ट-निवारणका यह उपाय दोष-

रूप है। मेरा यह कार्य मेरी अतितिक्षाका परिणाम है। हममे इतनी तितिक्षा तो अवश्य ही होनी चाहिये कि इस प्रकार अपना कष्ट-निवारण हम न करे।

अतितिक्षाका एक और भी उदाहरण देता हूँ। दूध और फल अपने स्वास्थ्यके लिए मैं आवश्यक समझता हूँ। मैं एक ऐसी जगह अतिथि होकर जाता हूँ, जहा इन पदार्थोंका मिलना असभव तो नहीं परन्तु महाकठिन है। तीन मीलके अदर दूध नहीं मिलता, फलोंके लिए २५ मील दूरके गहरमे ही आदमी भेजा जाय तब काम बन सकता है। मेरा यजमान भावुक होने पर भी निर्वन मनुष्य है, परन्तु स्वाभिमानी है। यदि मैं इस तरहका भाव दिखाऊ कि बिना दूध और फलके मुझे अत्यत असुविधा होगी, तो वह अपना यह धर्म मान लेगा कि उसे हर तरहका प्रयत्न और खर्च करके अतिथिके लिए दूध और फल मगाने ही चाहिये। ऐसे समय मेरा यह फर्ज है कि मैं दूध और फलकी गरज न रखूँ — न वताऊ, जो कुछ वहा मिल जाय उस पर ही अपना गुजारा कर लूँ और स्वास्थ्यको हानि पहुचाना भी मजूर कर लूँ। यह तितिक्षा आवश्यक है। अमुक प्रकारके कर्तव्य स्वीकार किये जाय तो इस प्रकारकी असुविधाएँ सहन करनी होगी, इस विचारसे यदि हम उन कर्तव्य-कर्मोंसे दूर भागते हैं तो वह भी अतितिक्षा है। कर्तव्य-कर्मके समय जो व्यक्ति इस प्रकारकी असुविधाओंका खयाल किया करता है, वह मोक्ष — श्रेय — पानेके योग्य नहीं हो सकता, गीताका यह वोव विलकुल ठीक है।

लेकिन ऊपरके दृष्टान्तोंसे कोई ऐसा मान ले कि आधा पेट भोजन करके, या सर्दीमें बिना कंबलके ही सोकर, अथवा गर्मीमें लूमे बैठकर और दूध व फलोंका परित्याग करके ही जीवन-निर्वाह करनेकी आदत डालनी चाहिये, तो मेरी नम्र समतिमें वह भुल है। जहा तक जीवन-धारण करनेका हमारे लिए कोई प्रयोजन है, वहा तक पर्याप्त अन्न प्राप्त करना, स्वास्थ्यके लिए आवश्यक और उपयुक्त अन्न, वस्त्र, गृह आदि प्राप्त करना और सब लोगोंको ये प्राप्त हो ऐसा प्रयत्न

करना हमारा धर्म है। जिस गावमें दूध-फलादि प्राप्त नहीं होते, वहासे भाग जाना भी धर्म नहीं है। दो-चार रोज ही ठहरना हो, तो उतने दिन भी उनके बिना न चला सकना धर्म नहीं कहा जायगा। लेकिन रोज वही रहना हो तो उस गावमें दूध-फल पैदा करनेका — और अपने ही लिए नहीं वलिक सबके लिए पैदा करनेका — प्रवध न करके तितिक्षाका सबक सिखाना भी धर्म नहीं है। किसी उदात्त ध्येयको सिद्ध करनेके लिए हम उस पर इस तरह मुख्य हो जाय कि 'रुखा सूखा रामका टुकड़ा, चिकना और सलोना क्या' वाली वृत्ति हमारी बन जाय, तो यह तितिक्षा आवश्यक है। लेकिन जब जनताके रुखे-सूखे टुकडे पर धी और नमक किस तरह लगाया जा सकता है, इस प्रश्नका हल करना ही कर्तव्य हो जाता है, तब तितिक्षाका विचार करना कर्तव्य नहीं माना जा सकता।

तितिक्षा शीर्यवृत्तिका एक प्रकार है। गूरवीर सिपाही शत्रुके बाणोसे विद्ध होने तथा युद्धके अन्य कष्टोकी कल्पनासे काप नहीं उठता, किन्तु उनका सामना करनेमें ही वह अपनी शोभा समझता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह युद्धके कष्टोसे बचनेका कोई प्रबन्ध नहीं करता। वह ढाल रखता है, जिरहबख्तर पहनता है और दूसरे साधन भी रखता है।

पेशवाई जमानेके एक मराठा सरदारकी बात प्रसिद्ध है। एक बार वह नाईसे हजामत बनवा रहा था। नाईकी लापरवाहीसे सरदारको उस्तरा लग गया। इससे सरदारने नाईको डाटा। नाई बोलनेमें पीछे रहनेवाला न था। उसने ताना मारा, "उस्तरेके इतनेसे धावसे आप घबराते हैं, तो लडाईमें तलवारके धाव कैसे सहेगे?" सरदार तुरन्त खड़ा हो गया और उसने नाईके पावको अपने पावने दबाकर एक भाला अपने पावके और दूसरा भाला नाईके पावके आरपार भोक दिया। नाई तो चीखने-चिल्लाने लगा। सरदारने उसी हालतमें शात खड़े रहकर कहा, "क्यों, तुझे मेरी सहनगति देखनी थी न? लेकिन लडाईमें तलवारके धाव सहन करने पड़ेगे, उसके लिए बिना बारण तेरे उस्तरेका धाव मुझे क्यों सहन करना चाहिये?" नाई

क्षमा मागकर अपने पावसे भाला खीचनेके लिए सरदारसे प्रार्थना करने लगा। तब सरदारने अपने और नाईके पावसे भाला निकाला।

मैं यह तो नहीं कहूँगा कि तितिक्षा केवल मनोवलका ही परिणाम है और उसके लिए थोड़ी आदत डालनेवाली तालीमकी विलकुल जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वह आदतकी ही तालीम हो, तो वह जड़ तितिक्षा हो जाती है।

१२

त्यागका आदर्श

१

निम्नलिखित आग्रहका एक पत्र मेरे पास आया है:

“जगत्‌में मनुष्यकी जो औसत आमदनी हो, उससे अधिक खर्च करना मैं एक तरहका अपराध समझता हूँ। इस मुख्य तत्त्वका अनुसरण करके मैंने अपने आहारके सववमें नीचे लिखे कुछ नियम बना लिये हैं:

(१) किसी भी प्रकारका पकवान न खाना, (२) किसी भी प्रकारकी साग-भाजी न खाना, (३) दूध, दही, छाछ, घी और तेल न खाना, (४) पिछ्ले आठ माससे ग्रामोद्योगके अन्नोंके अतिरिक्त अन्य अन्न न खाना, (६) शक्कर और गुड़ न खाना।

“इन नियमोंको मैं जेलसे छूटा तभीसे—करीब दो सालमे—पाल रहा हूँ। पर इन्हे अभी मैंने स्थायी व्रतोंके रूपमे ग्रहण नहीं किया है। ऐसा करनेके पहले मैं आपकी राय ले लेना चाहता हूँ। अभी हालमे मैं चावल, जुवार, वाजरा या गट्टका आटा, मिर्च, खटाई और नमक, इतनी ही चीजें खाता हूँ; नमक छोड़ दूँ या नहीं, इस विचारमें पड़ा हुआ हूँ। एक ही समयके भोजनमें भात और रोटी एक साथ नहीं लेता। फल खा सकता हूँ, पर यह नहीं कि हमेशा खाता हूँ; प्याज खाता

हूं, क्योंकि यह सबको सुलभ है, सस्ता है और पौष्टिक भी है। पकवान, शक्कर, भैसका दूध और ग्रामोद्योगी अन्नके अलावा दूसरे अन्न, इतनी चीजे तो मैंने स्थायी रूपमें छोड़ दी है, ऐसा समझिये। लेकिन दूसरी चीजोंके बारेमें आप जैसी सूचना देगे वैसा उनमें फेरफार कर लूगा।

“और भी कुछ नियम मैंने ले रखे हैं। वे ये हैं :

(१) नाटक, सिनेमा आदि राग-रग्से दूर रहना; (२) उन मदिरोंमें दर्शन करने न जाना जहा हरिजन न जा सकते हो; (३) जो धार्मिक समझी जानेवाली विविधा केवल रुढ़ि पर ही अवलम्बित हो, उनका वहिष्कार करना, (४) राष्ट्रहित-विरोधी कामोंमें सम्मिलित न होना।

“आजकल मैं बढ़ईका काम सीख रहा हूं। थोड़े दिन बाद इस कामकी परीक्षा होगी। उसके बाद किसी गावमें बैठ जानेका मेरा विचार है। मुझे अग्रेजी नहीं आती। मैं महाराष्ट्री ब्राह्मण हूं।”

इन सज्जनको मैंने स्वतंत्र उत्तर दे दिया है, और मेरी सलाहके अनुसार अपने आहारमें इन्होंने फेरफार भी किया है। पर इस प्रकारके कितने ही पत्र आते हैं। इसलिए उनमें बताई हुई विचार-पद्धतिकी चर्चा मैं यहा जरा विस्तारसे करना चाहता हूं।

एक जमाना वह था, जब साधारणतया लोग श्रीमत होनेका ही आदर्श अपने सामने रखते थे। दूसरोंके जितना पैसा हमारे पास भी हो, यह उनकी कामना रहती थी। पैसे पर ही दृष्टि रखकर उसीकी आरावना की जाती थी। गरीबको लोग धृणाकी दृष्टिसे देखते थे। वह एक अनिष्ट वस्तु मानी जाती थी। आसनासके बनवान स्पृहणीय मालूम होते थे, और लोगोंका मनोरथ यह रहता था कि ऐसी शक्ति प्राप्त की जाय, जिससे कि हम भी उनकी पक्षितमें बैठ सके। पर आज तो उस भावनाका प्रवाह उलटी दिशामें वह रहा है। आज पैसा आवश्यक भले ही मालूम होता हो, पर आदरणीय और पूजनीय मालूम नहीं होता। गरीबी भले ही कष्टप्रद लगती हो, पर उसके

प्रति अब आदर या समभाव मालूम होता है। सेवाभावी, आदर्शवादी और महत्त्वाकांक्षी युक्त गरीबोंके साथ अविकाविक एकरूप होनेकी इच्छा कर रहे हैं। वन प्राप्त करनेके लिए जो साहसके काम किसी समय किये जाते थे, उनसे भी अविक कठिन साहसके काम करनेका — अपना शरीर रोगी और समयसे पहले ही वृद्धावस्थाका शिकार बन जाय, अपने सगे-सववी भी सदा कष्ट भोगते रहे, ऐसे ऐसे जोखिम उठानेका — उत्साह आज युवकोंमे पाया जाता है। गांधीजीने जीवनके आदर्शके सबवमे समाजके दृष्टिर्विदुमे यह कितनी भारी क्रान्ति कर दी है! जैसा कि अभी सावलीमे उन्होंने कहा था, किसी सेवकको अगर ५० या ७५ रुपया मासिक लेना पड़ता है, तो वह इस अभिमानसे नहीं लेता कि वह खुद उतने रुपये लेनेके लिए योग्य है, उसका उतने रुपये लेनेका अविकार है, या इतने रुपये लेकर वह कोई त्याग करता है, वह तो इतना रुपया दुख मानकर लेता है। इससे कम्में उसका काम नहीं चल सकता, यह वात उसे काटेकी तरह चुभती रहती है। सरकारी या बेवाले सेवककी मनोवृत्ति इससे उलटी ही होती है। जिसे ५० मिलते हैं उसे अगर ७५ नहीं दिये जाते तो वह ऐसा समझता है कि उसके साथ अन्याय किया जा रहा है। और ७५ पानेवाला अपनेको १०० का अविकारी समझता है।

इस तरह उक्त सज्जनके त्यागके पीछे जो एक उदात्त भावना है वह सराहनीय है। दरिद्र जनताके प्रति अपनी करुणा-वृत्ति किसी भी प्रत्यक्ष रीतिसे दिखानेकी उत्कण्ठा तो सदा ही आदरणीय मालूम होती है। तो भी मुझे लगता है कि इस त्यागके पीछे थोड़ी गलत विचार-पद्धति भी है।

वनवान वननेका आदर्श जिस प्रकार गलत है, उसी प्रकार अविवेकसे दारिद्र्यको छातीसे लगाये रखनेका आदर्श भी गलत है। यह सही है कि खुद वनवान वनने या कुटुवियोंकी सुख-समृद्धिके लिए दिन-रात चिन्तामे पड़े रहना हमारा व्येय नहीं है, पर इसके साथ ही यह याद रखना चाहिये कि समाजको दारिद्र्यमे सड़ने देना भी हमारा व्येय नहीं है। हमारा व्येय उस दारूण दारिद्र्यको दूर करना

है, जो आज दुनियाको पीस रहा है, यानी हमारा ध्येय दारिद्र्यकी पूजा करना या उसे टिकाये रखना नहीं है, किन्तु उसे हटाना है। दारिद्र्यके टिके रहने या बढ़नेमें हमारा भोगमय जीवन जिस अब तक कारणरूप हो, उतने भोगका त्याग करना आवश्यक ही समझा जाना चाहिये; धनवानोंका धन पर अधिकार जितने अशमे इसका कारण है, उतने अशमे उनसे उसका त्याग कराना भी आवश्यक है। जमीन या आमदनीका अन्यायपूर्ण विभाजन जितने अशमे इसके लिए कारण-भूत है, उतने अशमे उसे भी जरूर सुधारना पड़ेगा, उत्पादन तथा व्यापारकी पद्धति जितने अब तक विषमताका पोषण करती है, उतने अशमे उसे भी बदलना पड़ेगा, पर इसके साथ ही हमे यह भी न भूलना चाहिये कि जितने अशमे उत्पादनकी कमी, अज्ञान, आलस्य, निरुद्धम, व्यसन, अतिभोग, उडाऊपन, खर्चाली रुद्धिया, अप्रामाणिकता, अनीति, परतंत्रता, साधनों या वुद्धिकी कमी आदि दारिद्र्यके कारण हैं, उतने अब मे उन्हें भी दूर करना होगा।

अर्थात् जिस स्तर पर आज दरिद्र लोग जीवन विताते हैं उसकी अथवा दुनियाकी औसत आमदनीके आकड़ोंकी मर्यादा निश्चित करके* उतनेसे जीवनका जो स्तर निश्चित किया जा सके वही उचित स्तर है, यह निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता। दरिद्रोंका स्तर एक हीन स्तर है, इसीलिए तो हमे उन पर दया आती है। इसलिए इस स्तरको

* औसत आमदनीके आकड़ोंके आधार पर अक्सर कल्पनाएं करनेमें भूल होती है। एक सामान्य कल्पना करनेके लिए ये आकड़े ठीक होते हैं। पर अधिकाश मनुष्य इसी स्तर पर जीते हैं, ऐसा हम न मानें। यह तो गणित है, और वहुत ही स्थूल गणित है। शास्त्रार्थ करनेमें ही इसका उपयोग होता है तब तक तो वह निर्दोष है। लेकिन जब इसके आधार पर जीवनके नियम निश्चित करनेका प्रयत्न होता है तब भारी भूल ही होती है। हिन्दुस्तानमें मनुष्यकी औसत आयु २३ वरसकी मानी जाती है। इसलिए क्या हम २३ वर्षनमें अविक न जीनेका आदर्श बना सकते हैं? इस गणितका हमें इस तरह उपयोग नहीं करना चाहिये।

जीवनका सच्चा स्तर नहीं समझना चाहिये। हम यह इच्छा करे कि इस स्तर पर कोई न रहे, किसीको न रहना पड़े। जो हम दूसरोंके लिए चाहे, उसीकी इच्छा हमें अपने लिए और अपने कुटुम्बियोंके लिए भी करनी चाहिये। नहीं तो खुद हमारे हाथोंसे हीन स्तर ठहरानेका या उसे अविक हीन बनानेका भी परिणाम आ सकता है।

इसलिए हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि दरिद्रोंके साथ एकरूप होनेके लिए हमें खुद दारिद्र्य-पीड़ित नहीं बनना है। साथ ही यह भी सत्य है कि स्वयं लक्ष्मीपति बनकर या रहकर दरिद्रोंके साथ एकरूप होनेकी बात नहीं की जा सकती। इसलिए उचित मार्ग रहा अब वीचका और विवेकका। दोनों रूण दशाओंको छोड़कर हमें स्वतत्र नीरोग जीवनका नियम खोजना चाहिये। हम यह इच्छा करे कि जगत्‌में हरएक मनुष्य दीर्घायि भोगे, जब तक जीये शरीरसे नीरोग और वलवान रहे, परिश्रम कर सकने लायक शक्ति उसके शरीरमें हो, यदि काम-वासना हो तो गृहस्थ बनकर वह ऐसी सतानका पिता और पालक बने, जो मानव-जातिके लिए भूपणरूप कही जा सके और वुद्धिमान बनकर समाजका एक आवश्यक और उपयोगी अग सिद्ध हो सके।

इस तरहके जीवनके लिए कितना और किस प्रकारका आहार चाहिये, कैसे और कितने कपड़े चाहिये, कैसा और कितना बड़ा मकान चाहिये, कितनी और कैसी शिक्षा चाहिये, कितनी अन्य सुख-सुविवाए चाहिये, इस सवका एक विलंकुल निश्चित स्तर न हो तो भी एक स्थूल और कामचलाऊ स्तर ठहराना अवश्य नहीं है। अर्थात् यह स्तर केवल काल्पनिक न हो, वल्कि हमारे विचारके अनुसार यदि समाज चले तो थोड़े वर्षोंमें उस पर अमल हो सके ऐसा व्यावहारिक वह होना चाहिये। मानव-जीवनके आवश्यक धारण-पोषणका यह हमारा कम-से-कम स्तर समझा जाय। इस सम्बन्धमें थोड़ा मतभेद हो सकता है। उदाहरणार्थ, गावीजीने आजके बाजार-भाव पर गावोंके ऐसे कुटुम्बके लिए, जिमें दो जन काम करनेवाले हो और तीन जन आश्रित हों, तीस रुपये मासिकका स्तर बतलाया है। सभव है किसीको

यह बहुत नीचा मालूम हो, और किसीको यह विचारसे भारी नहीं, पर अव्यावहारिक-सा लगे। हम भले ही कोई दूसरा स्तर ठीक और व्यावहारिक मानें; पर हम जो भी स्तर निश्चित करें, उससे उत्तरता हुआ स्तर अपने खुदके लिए भी न रखें। खास कर जिसे शरीरके प्रति तुरन्त ही आत्महत्या कर डालने जैसा वैराग्य पैदा नहीं हुआ है, जिसके जीवनमें कुछ भी रस वाकी रहा है, जो गृहस्थाश्रमी है, या जिसने दूसरोंका उत्तरदायित्व ले रखा है, उसे अपने धारण-पोषणके नियम ऐसे नहीं बनाने चाहिये, जो इन हेतुओंके सिद्ध होनेमें विघ्नरूप बन जाय।

हरिजनसेवक, २५-४-'३६

२

दरिद्रोंके साथ एकरूप होनेका दृष्टिविन्दु क्या है, इस विषयमें साधारणतया मैं अपने पिछले लेखमें कह चुका हूँ। उसमें किफायतगारी, सादगी, उद्योग आदिके लिए अवश्य स्थान है। परन्तु एक विचित्र प्रकारकी विचारसरणीके परिणाम-स्वरूप हमें एक ऐसी टेव पड़ गई है, जिससे मितव्ययिता तथा व्रत-नियमका क्षेत्र हमें केवल खाने-पीनेकी चीजोंमें ही सूझता है। भोजन-खर्च कम करनेकी मानो जनसेवकोंमें आज एक प्रतिस्पर्धा ही चल रही है। एक आश्रमने एक वर्ष तक साढे तीन रुपये भासिकमें खानेका प्रयोग किया और अभिमानपूर्वक इस वातका उल्लेख भी किया। मैंने पूछा, “इससे आप लोगोंको क्या अनुभव हुआ?” व्यवस्थापकने कहा, “सबके गरीर विगड़ गये, अतः हमें यह प्रयोग छोड़ देना पड़ा।” एक ब्राह्मण जेज्युएट सज्जनने दूध-घी छोड़ दिया। शुरूमें कई साल तक उन्होंने अव्यापकका काम किया, फिर वे जेल गये। वादमें उनकी आते ऐसी बन गई कि दाल अव उन्हें पच ही नहीं सकती। नतीजा क्या हुआ? अर्थ आदि बनेक वीमारियोंसे वे पीड़ित हो गये। मलेखियाने अलग घर दबाया। अभीन्ते बूढ़े जैसे दिन्हने लगे हैं। बुखार तो चला गया है, पर शरीरमें शक्ति नहीं आ रही है। खेती बगैरा मेहनतका काम खुद करनेका उल्लाह-

तो वहुत है, पर करे तो किस तरह? दूसरे एक सज्जन आध्यात्मिक दृष्टिसे इसी प्रकारके प्रयोग करके क्षयरोगके शिकार हो गये हैं।

मेरी राय है कि भोजन-खर्च १० या १२ रुपया मासिक हो तो भी महगा नहीं। अन्य अनावश्यक खर्चोंमें काट-चाट की जाय, तो भोजन-खर्च कभी भारी नहीं पड़ सकता। 'यह पापी पेट ही तो सब कुछ कराता है' ऐसा दोषारोपण भले ही बेचारे पेट पर किया जाय, पर आजके जमानेमें मैंने तो यह हिसाब लगाया है कि मनुष्य पेटके लिए जितना पैसा खर्च करता है उससे कही ज्यादा वह दूसरी, और वह भी अनावश्यक, चीजों पर खर्च करता है। वहुतसे गरीब आदमी भी इसके अपवाद नहीं हैं। हमारे बुजुर्ग तो हमेशा यह कहा करते थे कि किसी गृहस्थके यहा दो आदमी भोजन कर जायं, तो वे उसे कभी भारी मालूम नहीं पड़ते, भारी तो दूसरे-दूसरे खर्च ही पड़ते हैं। यह बात आज विशेषतः सत्य है।

त्याग-वैराग्यकी, विषय-विकारोके शमनके लिए देह-दमनकी या दर्खि भाई-वहनोंके प्रति अनुकपाकी भावनासे प्रेरित होकर खाने-पीनेमें त्यागके भारी भारी नियम बना लेनेसे व्यक्ति या समाजको कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि ऐसे नियमोंका लम्बे समय तक पालन नहीं किया जा सकता। एक बात जरूर याद रखनेकी है। वह यह कि जब तक मनुष्यके जीवनका अंतिम ध्येय सिद्ध नहीं होता, कुछ जानने, पाने या करनेको जीवनमें वाकी रह जाता है, तब तक वह अपने शरीरको जान-बूझकर मरने नहीं देता। विकारवश या भावनावश होकर वह अमुक हृद तक मरने या शरीरको विगड़ने देनेका प्रयत्न जरूर कर डालता है। पर उसके बाद उसका साहस रुक जाता है, और फिर जीवित रहने या शरीरको फिरसे ठिकाने पर लानेका प्रयत्न उसे करना पड़ता है। ऐसा करनके लिए उसे इतना मिथ्या प्रयत्न करना पड़ता है, जो उसकी स्थितिके मनुष्यके लिए अयोग्य माना जाता है, दूसरोंका आश्रय खोजना पड़ता है और सभी नियमों, व्रतों और सिद्धान्तोंको समेटकर एक तरफ रख देनेका भी मौका आ जाता है। और इतना सब करने पर भी शरीरकी रक्षा करनेमें उसे सफलता

नहीं मिलती। दरिद्रोंके साथ पूरी तरहसे एकरूप होनेमें या आध्यात्मिक साधनमें कभी रहनेकी अपेक्षा इस तरहका जो परिणाम आता है, उसमें मैं अधिक आध्यात्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक हानि देखता हूँ।

और किफायतकी दृष्टिसे भोजन-खर्चमें काट-चाट करना मुझे तो घरके दरवाजे खुले रखकर मोरीको बन्द कर देने जैसी बात लगती है। आज नवयुवकोंका — जिनमें अधिकाश कार्यकर्ता और उनकी संस्थाएं भी आ जाती हैं — तार, डाक, यात्रा, कागज-पत्रोंकी छपाई, फाउन्टेन पेन, केमेरा, टॉर्च, सुगंधित सावुन, बालोंकी कटाई आदिका खर्च इतना अधिक बढ़ गया है कि अगर उसमें वे काफी काट-चाट कर डालें, तो वे और उनके साथी तथा आश्रित विना किसी तरहकी कठिनाईके बड़े मजेमें खा-पी सकते हैं। पर ज्यादातर संस्थाओंमें इस तरहके खर्च हर साल बढ़ते ही जाते हैं। मेरे पास अनेक संस्थाओंकी रिपोर्ट आती रहती है। शायद ही कोई ऐसी रिपोर्ट मेरे देखनेमें आती है, जिसमें दो-चार फोटो न हो। गवर्नर संस्था देखने आते हैं तो उनके साथ ग्रूपका फोटो खिचाना जरूरी हो जाता है। महात्माजी आते हैं तो उनकी सभाका फोटो भी होना ही चाहिये। मेरे जैसा कोई साधारण मनुष्य अध्यक्ष बना हो, तो उसका भी फोटो तो चाहिये ही। सब लोग साथमें कातने वैठे तो उसका फोटो, साथ भोजन करने वैठे तो उसका भी एक फोटो और कुदाली-फावड़ा लेकर सफाई करने चले तो वहाका भी फोटो। अमुक जगह हरिजन-बालकोंको नहलाया जाता है। व्यवस्थापक महाशयको लगता है कि इतनी-सी बात रिपोर्टमें लिख देनेसे काम कैसे चल सकता है — फोटो तो देना ही चाहिये! मानो हमन ऐसा मान लिया है कि हमारे हरएक काममें कोई-न-कोई ऐसी अलीकिकता होती है, जिसका चित्र-प्रदर्शन करना भी समाजकी एक सेवा ही है। यह यहा तक होता है कि किसी जगह जब आग लगती है तब उबर तो कुछ तरुण पानीकी बालटी लेकर दौड़ते हैं और ड्वर कुछ युवक उनका फोटो खीचनेके लिए केमेरा लेकर दौड़ पड़ते हैं! भले हम यह मान लें कि सार्वजनिक फोटोकी एक पाई भी ऐसे फोटो पर खर्च नहीं होती, फिर भी यह घनका अपव्यय तो है ही।

यही स्थिति तार, डाक और प्रवासके खर्चकी भी है। पहले जिन खवरोंके लिए पोस्टकार्ड पर्याप्ति समझा जाता था, उन खवरोंके लिए अब तार दौड़ाये जाते हैं। कोई तारसे आशीर्वाद मागता या भेजता है, तो कोई पुत्रजन्मकी बधाई ही तारसे भेज देता है। कोई कोई तारसे लेख तक भेजते हैं, मागते तो है ही। राजा-महाराजाओं और बड़े-बड़े नेताओंके लिए यह आवश्यक या अनिवार्य हो सकता है, परन्तु हर कोई उनका अनुकरण करने लगे तो यह फिजूलखर्ची ही समझी जायगी। इस अपव्ययको बचाकर सस्थाए अपने भोजन-खर्चके लिए दस रुपया मासिक भी खर्च करे या ईट-चूनेके पक्के मकानमें रहे, तो मैं मानता हूँ कि वह पैसा काममें आ गया। परन्तु खर्च कम करनेकी दृष्टिसे खाने-पीनेके जो नियम और प्रयोग आज चल रहे हैं, वे घवराहट पैदा करनेवाले हैं।

सृष्टिके आदिकालसे कोई भी देहधारी अन्नमय कोशकी उपासनासे सम्पूर्णतया मुक्त नहीं हो सका। किन्तु हम हिन्दुओंने इसकी उपासना वैरभावसे ही करनेका धर्म सीखा है। मानो शरीर ही हमारे लिए आत्म-स्वरूपमें रहनेमें विघ्नरूप है, इस तरह वैराग्यके नाम पर, स्वराज्यके नाम पर, चित्तशुद्धिके नाम पर, ब्रह्मचर्य-रक्षाके नाम पर, अहिंसाके नाम पर हम खासकर अन्नसे सबध रखनेवाले व्रतोंकी ही खोज कर सकते हैं। इसमें दरिद्रोंके प्रति हमदर्दीका एक हेतु और जोड़ दिया गया है वस इतना ही। असलमें जब हम घवरा जाते हैं और कोई दूसरा उपाय खोज नहीं पाते, तब अपने आहारमें कुछ फेरफार करना हमें सबसे पहले सूझता है। कोई स्नेही मर जाता है तो हम दूध छोड़ देते हैं, चीमार पड़ता है तो चावल छोड़ देते हैं, व्यापारमें नुकसान आता है तो रविवारका व्रत करने लगते हैं, चीमासा आया कि एक बार भोजन करनेका नियम ले लेते हैं — ऐसी ऐसी बाते हमें सहज ही सूझ जाती हैं। अपने स्नेहीका तमाम उत्तरदायित्व खुद अपने ऊपर ले ले, व्यापारमें नुकसान आये तो मेहनत-मजदूरी करे, चीमासेमें असामियोंका व्याज-छोड़ दे, सावनमें क्रोधका सयम करें और चैतमें कामका सयम करे — इस प्रकारके व्रत शायद

ही कोई लेता है। इसका कारण यह है कि हमने अन्नमय कोशको ही आत्माका शत्रु मान लिया है। पर जिस तरह केवल यह मान लेनेसे कि सामने दिखाई देनेवाली दीवारका कोई अस्तित्व ही नहीं, वह तो एक मायिक आभास-मात्र है, कोई दीवारके आरपार नहीं जा सकता, उसी तरह यह मान लेनेसे कि देह और आत्मा भिन्न हैं, देहसे कोई अलग नहीं हो सकता या देहका ममत्व छूट नहीं सकता। फिर भी यह उलटा योगाभ्यास हम करते चले आ रहे हैं, और इससे हम स्वयं ही कष्ट भोगते रहे हैं। अन्नमय कोशको तो त्यागनेमें हम सफल नहीं हुए, पर अन्नमें वास करनेवाले ब्रह्मके साथ द्वेष करके हम अपने देशमें ढेरो अन्नके बीच आज भूखों मर रहे हैं और हमारे भावुक तरुण सहज ही प्राप्त होनेवाले अन्नके साथ कुछ समय द्वेष करके बादमें सारी जिन्दगी इसी चिन्तामें पड़े रहते हैं कि कमजोरीकी हालतमें भी गरीरको टिकाये रखनेके लिए अन्न और आत्मोके बीच किस तरह मेल कराया जा सकता है, अथवा जब इस भूलका उन्हें पता चलता है तब तमाम सयमोको छोड़कर मिष्टान्न आदि खानेखिलानेको ही वे साधुसेवा तथा एक महान धर्मकार्य समझ वैठते हैं।

तब इस सम्बन्धमें उचित वृत्ति क्या है? इसका विचार हम अगले लेखमें करेंगे।

हरिजनसेवक, २-५-'३६

३

पिछले दोनों लेखोमें मैंने अपनी सामान्य विचारस्तरणी रखी है। उसे व्यावहारिक रूपमें परिणत करके मैंने इन सज्जनको जो ज्ञाह दी, वह नीचे लिखे अनुनार है

हमारा धर्म न तो पिण्ड-पोषक बननेका है, न देह-दमनके मार्ग पर जानेका है। गरीरको नीरोग और परिश्रम करने योग्य रखनेके लिए जिनने और जिस प्रकारके आहारकी आवश्यकता होती है उतना हमें अवश्य नेना चाहिये। जहा अपनी ही गरीबी ऐसा करनेने आडे आती हो, वहां लाचारी नमझी जाव। लेकिन उन स्थितिमें हमारा

धर्म ईमानदारीसे दरिद्रताको दूर करना है, उसे आदर देने योग्य मानना नहीं।

शरीरको ठीक स्थितिमें रखनेके लिए गरीर-श्रम करनेवाले मनुष्यको दाल, तेल, साग-न्तरकारी और कभी कभी गुड़की भी जरूरत होती है। जिस मनुष्यका गरीर-श्रम थोड़ा हो, या किसी दूसरे कारणसे उसे दाल ठीक तरहसे न पचती हो, अथवा शरीर-श्रमके साथ साथ दिमागी श्रम भी करना पड़ता हो, उसके लिए दालकी जगह या दालके अलावा दूधकी जरूरत होती है। बढ़ती उम्रमें, बीमारीमें, कमजोरीमें, बुढ़ापेमें और दवाके साथ भी दूध चाहिये। जिसे तेल अनुकूल न पड़ता हो, उसके लिए मक्खन या धी जरूरी है। वैज्ञानिक भले ही कहते हो कि भिन्न भिन्न प्रकारके तेल सब एक समान ही है, अथवा धीकी जगह तेलसे काम चलाया जा सकता है, पर हमारे अपने अनुभवकी अपेक्षा ऐसे वैज्ञानिक मतोंका मूल्य अधिक न समझा जाय। घनिया, जीरा, मेथी, हल्दी, बगैरा कुछेक मसालोंकी सहायतासे दाल और कितने ही साग अधिक पचने योग्य बन जाते हैं, ऐसा अनुभव है। इसके कारण हम भले ही न बता सके या कारण मानसिक भी हो, पर इस अनुभवको केवल वैज्ञानिक मतसे कम महत्वका नहीं समझना चाहिये।

दूध, धी, गुड़, आटा, चावल, घनिया, जीरा आदि वैभोगकी चीजें नहीं हैं। पर इनके द्वारा वैभोग हो सकता है। यह आहार है, वैभोग नहीं। हलुवा, पूरी, खीर, लड्डू, वरफी आदि मिठाइयाँ, भजिया, सेव, दाल-मोठ, दहीवड़ा और खूब तेल, मिर्च, मसाला — ये सब वैभोग हैं। चाय, काफी, बीड़ी, तम्बाकू, सुपारी आदि व्यसन हैं। वैभोगों और व्यसनोंका त्याग करनेमें कोई हानि है ही नहीं। इनका त्याग न करनेवाला मनुष्य विवेकी होगा, तो इन्हे प्राप्त करनेका प्रयत्न कभी न करेगा। खानेका प्रसग आ ही जाय, तो एकदम वह फिसल न पड़ेगा। खाते हुए इनमें रस न लेगा, इनके लिए बहुत हाय हाय न करेगा। इनमें जो चीज अपने शरीरके अनुकूल न हो, उसे खानेके मोहमें न पड़ेगा। अध्यात्म, आरोग्य तथा सार्वजनिक हितकी दृष्टिसे भी ये स्वर्ण-नियम हैं।

इसमे ग्रामोद्योगकी वस्तुए ही उपयोगमे लानेका निश्चय उचित है। ग्रामोद्योग-सघकी सूचनाओमे दोहरी दृष्टि है। गावोकी आर्थिक दृष्टिसे सेवा करना और जनताको आरोग्यवर्धक आहार बतलाना।

सबको ऐसा आहार नही मिल सकता, यह हमारा दुर्भाग्य है। यह दुर्भाग्य दूर करनेके लिए हमे तनतोड प्रयत्न करना चाहिये। यानी जितना हमने खाया हो उससे अधिक पैदा करनेके लिए हम मेहनत करे। इस मेहनतमे भले ही सारी उम्र खप जाय। पर सामाजिक दुर्भाग्यको सामने रखकर हम पूरा आहार न ले, यह हमारे प्रयत्नका स्वरूप नही होना चाहिये। प्रयत्न तो पूरा आहार दिलाने और प्राप्त करनेका ही होना चाहिये। श्री विनोवाजीने सावलीमे समझाया था कि डूबते हुए मनुष्य पर तरस खाकर हम उसके साथ डूब जाय, यह हमारा धर्म नही, हमारा धर्म तो उसे बचानेका प्रयत्न करना है। इस प्रयत्नमे भले हम भी डूब जाय। इसमे कोई दोष नही है। पर हमारा उद्देश्य डूबनेका नही हो सकता, हमारा उद्देश्य तो स्वयं तरकर तारनेका ही हो सकता है।

लेकिन यह कैसे हो सकता है कि मेरा भाई तो भूखो मरे और मै खाऊ? भूखेको खिलाकर मै खाऊ, क्या यह मानव-धर्म नही है? मानव-धर्म तो है, पर इसकी मर्यादा हरएक व्यक्तिके लिए अलग-अलग है। धर्म-राज्यमे 'गृहमन्त्री' का ऐसा धर्म हो सकता है कि जब तक राज्यमे कोई प्रजाजन विना किसी अपराधके भूखा रहे तब तक वह खुद न खाये। यही धर्म एक गावके पटेलका हो सकता है, पर उसकी मर्यादा गाव तक ही होगी। गृहमन्त्री और पटेलके हाथमे अपनी-अपनी क्षेत्र-मर्यादामे प्रत्येक मनुष्यके लिए किसी-न-किसी तरह भोजन जुटानेकी व्यवस्था करनेका अधिकार है। यह उनका कर्तव्य और अभिवचन भी समझा जायगा। अत. देश या गावकी भुखमरीके लिए वे जवाबदार भी समझे जायगे। यही धर्म कुटुम्ब या सम्पदके बडे-बूढ़ोंको अपने कुटुम्बी, सम्बन्धी, साथी, अतिथि, नौकर-चाकर बांर घरके प्राणियोंकी मर्यादामे पालना है। इसके बलावा आकस्मिक प्रगतमे मनुष्यमात्रके लिए यह धर्म है। हमें यह पता चले कि किनी रान

आदमीको सारे दिन खाना नहीं मिला और हम इतने पास रहते हो कि उस व्यक्तिको भोजन पहुँचाया जा सके, तो हमारे लिए खुद भूखे रहकर भी उसे खिलानेका धर्म उत्पन्न हो जाता है। कोई मनुष्य केवल अपने गुजारे जितना ही प्राप्त कर सकता हो, तो भी यदि वह रोज एक भूखे मनुष्य या प्राणीकी परवरिश करता है और इस कारण वह खुद हमेशा ही अघपेट रह जाता है, तो उस पुरुषको बन्दनीय और उसके त्यागको एक महान जीवन-यज्ञ समझना चाहिये। पर दूसरोकी परवरिश किये वगैर या अन्न पैदा करनेके लिए कोई श्रम किये विना अथवा वैसा श्रम टालनेके लिए — केवल इस ज्ञानसे कि दुनियामें कुछ मनुष्योको भूखो मरनेका कष्ट सहना पड़ रहा है — यदि कोई मनुष्य अघपेट रहनेका व्रत ले ले, तो उसका वह त्याग भूलभरा है। क्योंकि उसका न खाया हुआ अन्न किसी अन्नार्थीके पास ही जायगा, ऐसा विवास नहीं है। इन दोनों त्यागोके पीछे कृपणताका दोष छिपा हुआ है।

“अन्नकी निन्दा न करना, अन्नको खराब न होने देना; अन्नको बढ़ाना, अन्नार्थीको खाली हाथो न लौटाना, यह व्रत हम ले” — इस आशयका उपनिषद्में एक उपदेश है और वह उचित है।

हरिजनसेवक, २३-५-'३६

लाचारी और आदर्श

‘त्यागका आदर्श’ गीर्षक मेरे लेखसे कुछ गलतफहमी पैदा हुई है। उसकी मैं सफाई कर देना चाहता हूँ। मेरे पास एक मित्रका पत्र आया है, जिसका कुछ अश मैं नीचे उद्धृत करता हूँ

“आपको यह मालूम है कि हमारा उत्कल प्रात बेहद गरीब है। औसतन् ९० फीसदी आदमियोंको यहां घी-दूध नहीं मिलता। ज्यादा-से-ज्यादा ३॥ ८० मासिक उनका भोजन-खर्च आता है। इस परिस्थितिमें जो ग्रामसेवक (जो कि टाँच, केमेरा आदि पर एक पाई भी खर्च करना पाप समझता है) इसी वर्गके लोगोंकी सेवा करेगा और अपने खाने-पीनेके लिए उन्हींके ऊपर निर्भर होगा, वह यदि उन ग्रामवासियोंसे १० या १२ रु० मासिककी आशा रखेगा, तो क्या यह उसकी हृदयहीनता न होगी? . . . अगर तीन आनेके दैनिक खर्चमें विज्ञान-सम्मत खुराककी व्यवस्था हो सकती है, तो फिर आप क्यों एक ग्रामसेवकको १० या १२ रु० मासिक खर्च करनेका उपदेश देते हैं?”

मेरे कहनेका मतलब यह नहीं है कि हमे भोजनके लिए १० या १२ रु० मासिक खर्च करना ही चाहिये, और जब तक भोजन-खर्च उस हृद तक नहीं पहुँचा है तब तक हमारा सारा भोजन-खर्च निर्दोष है। वास्तवमें १२, १०, ५, ३ या २ रुपयेसे कोई मर्यादा बताना भ्रमोत्पादक है। जो भोजन उडीसाके गावमें रु० ३॥ मेरे मिल जाता है, उसी पर बम्बईमें ८-९ रुपये खर्च हो जाते हैं और गुजरातमें ५-६ रुपये। मतलब यहां पैसेमें नहीं, परन्तु आरोग्यवर्धक अन्नें हैं। अगर रु० १ मासिकमें ही आरोग्यवर्धक भोजन मिल जाता हो, तो रु० १। तक जानेकी भी ज़रूरत नहीं है।

उडीसामें रु० ३॥ मेरे मनुष्यका गुजारा हो जाता है और नावली (मध्यप्रात) में कुछ लोगोंका गुजारा मिर्क एक रुपये नास्तिकमें ही हो

जाता है। इतनी खुराक पर वे जिन्दा रहते हैं, परिश्रम करते हैं और प्रजावृद्धि भी करते हैं। फिर भी यह खुराक शरीरके उचित धारण-पोषणके लिए पर्याप्त नहीं मानी जायगी। इतनी ही खुराक पर गुजारा करना यह हमारे लिए आपद-धर्म या लाचारीकी खुराक हो सकती है। क्या ग्रामसेवक और क्या सावारण जनता, सभीके लिए यह लाचारीकी खुराक लेना आवश्यक हो सकता है। पर इसे हम आदर्श नहीं बना सकते, न बनाना चाहिये। आदर्श खुराकका मतलब यह होता है कि उससे अविक प्राप्त करनेके लिए न तो हम खुद पुरुषार्थ करे, न जनताको ही उसके लिए प्रेरित करे; और अधिक प्राप्त हो भी जाय तो उसे स्वीकार न करे। वरफी, पेड़ा, लड्डू आदि पदार्थ आदर्श खुराकमें नहीं आ सकते। अर्थात् सहज ही मिल जाने पर भी उनका परित्याग करनेमें दोष नहीं है। दूध आदर्श खुराकमें त्याज्य नहीं है। उसे स्वय प्राप्त करना और जनताको भी वह प्राप्त हो इसके लिए प्रयत्न करना हमारा कर्तव्य हो जाता है, और वर्तमान-अवस्थामें तो अवश्य ही हमारा कर्तव्य है। लेकिन सबको दूध नहीं मिल सकता, इसलिए उसे छोड़नेका ब्रत लेकर बैठ जाना उचित नहीं है। इसी तरह यदि भिन्न-भिन्न प्रकारके गेहूं, चावल आदि धान्य उत्पन्न होते हों, तो जो गुणमें वढ़िया हों उन्हे प्राप्त करना और जनताको उन्हें उत्पन्न करने तथा उपयोगमें लानेके लिए प्रेरित करना हमारा कर्तव्य है, न कि हीन गुणवाले अन्नसे निर्वाह करनेका ब्रत लेना।

मेरा मतलब यह नहीं कि हम जनतासे यह कहे कि दूध-धी तथा दूसरी उत्तम खुराक प्राप्त होने पर ही हम उसकी सेवा करेंगे। सूखे चने फाककर भी हम सेवाकार्यमें डटे रहें। पर उसी खुराक पर गुजारा करना चाहिये, ऐसा आदर्श हम न मान ले। आदर्श तो जनताको उत्तम और पर्याप्त खुराक पर ले जानेका ही होना चाहिये।

उस लेखके द्वारा मं दूसरी बात यह समझाना चाहता था कि अपने जीवनकी आवश्यकतायें पूरी करनेमें सबसे पहले हम उत्तम अन्न, वस्त्र और वर प्राप्त करने पर व्यान दें, वादमें दूसरी चीजों पर। हो सकता है कि टाँच, केमेरा आदि पर उड़ीसाके ग्रामसेवक एक पाई भी खर्च न

कर सकते हों। अन्न, वस्त्र और घरके सिवा दूसरी चीजों पर उड़ीसाके सेवक या लोग कुछ भी खर्च नहीं करते और अच्छे अन्न, वस्त्र और घर प्राप्त करनेमें ही सर्वप्रथम वे अपनी गतिशीलता और घनका व्यय करते हैं, ऐसा कहा जाय तो उस पर मुझे जरूर शका होगी। कभी मुझे उड़ीसा जानेका मीका मिला और ऐसा अनुभव हुआ, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। यदि उड़ीसाकी जनताका और सेवकोका स्वभाव ही यह हो, तो वहांकी प्रख्यात दरिद्रताका कुछ और कारण होना चाहिये। यह लेख मैं विहारके देहातोंमें घूमते हुए लिख रहा हूँ। यहांके ग्रामसेवकोका भोजन-खर्च भी रु० ३ या ३॥ के अन्दर ही होता है। और भी वहुतसी कठिनाइया वे वरदाश्त करते हैं। इतनी खुराक भी वे लोग ज्यादातर मुट्ठी मुट्ठी अनाज मांगकर ही प्राप्त करते हैं या किसी गृहस्थ्यके घर जाकर भोजन कर लेते हैं। फिर भी इसमें वे कष्ट नहीं मानते। यह उनकी आदत-सी ही गई है। इसलिए इस परिस्थितिमें सुधार करनेकी ओर उनका वहुत ध्यान गया है, ऐसा मालूम नहीं होता। मेरा नम्र निवेदन यह है कि हम इस परिस्थितिको कष्ट समझकर सहन करे, न कि उसे आदर्श व्यवस्था समझकर उसीको ग्रहण करने योग्य मानें। प्रकृतिकी अत्यत कृपावाले इस प्रान्तमें भी वेचारे बैल धानके सूखे पुआल पर जिन्दा रहते हैं, और बैल इतने पर गुजारा कर सकता है इस खायालसे इतना ही उसके लिए काफी है ऐसा लोगोंने मान लिया है। इसके फलस्वरूप इस 'मुजला सुफला' भूमिमें भी बैलको देखकर मन प्रसन्न नहीं होता। उलटे आसू वहानेकी इच्छा होती है। लेकिन जहा मनुष्य भी अपने लिए उसी पैमानेको योग्य मानकर जीवन व्यतीत करता हो, वहा बैलकी हालत कैसे अच्छी हो?

मेरे कहनेका आशय यह नहीं है कि देहाती जनतासे ग्रामसेवक अपने भोजन-खर्च लिए रु० १० या १२ की मांग करे। पर वह खायाल गलत है कि देहाती जनता जिस खुराक पर अपना निर्वाह करती है वह पर्याप्त है। जिस पत्रके उत्तरमें मैंने ये लेख लिखे थे, वह वर्म्मर्झमें रहनेवाले एक युवकका पत्र था। रु० ३॥ मेरिलिए वर्म्मर्झकी

उस युवकके लिए उतने खर्चमें जितनी खुराक प्राप्त हो सके उतनीसे ही गुजारा करनेका व्रत लेना और वह मानना कि इसीसे जनताकी सेवा होती है, गलत है। यही मुझे बताना था। जनताके साथ रहते हुए उसके कष्टोंको स्वयं सहन करना और सहन करते हुए उन्हे मिटानेका प्रयत्न करना एक बात है, और केवल सहानुभूतिके कारण दूरसे अपने घरमें बैठे बैठे कष्ट सहनेका व्रत लेना दूसरी बात है। यह दूसरी बात गलत है।

आगा है, इससे मेरा अभिप्राय स्पष्ट समझमें आ जायगा और उसका अनर्थ न होगा।

हरिजनसेवक, ३०-५-'३६

१४

कार्यकर्ता, सावधान !

मैंने 'त्यागका आदर्श' गीर्षक लेखमें यह लिखा था कि कुछ कार्यकर्ता भोजनादिमें तो बहुत ही अल्प व्यय करते हैं, लेकिन डाक, केमेरा, टाँच आदिमें अधिक अपव्यय करते हैं। इस विचार पर एक सज्जनने प्रश्न किया था कि देहाती कार्यकर्ताओंके पास वैसे ही खर्चके लिए गुजाइग नहीं रहती, तब भला वे इस प्रकारका फिजूल खर्च कैसे करेंगे? अर्थात् मेरा कहना उन्हे कुछ अतिग्रयोक्तिपूर्ण मालूम हुआ।

अभी मेरे सामने पाच-छह उदाहरण ऐसे तरुण कार्यकर्ताओंके हैं, जिनमें मैं सिनेमा आदिका गोंक बढ़ता हुआ देखता हूँ। छोटे गहरमें अयवा उसके आमपासके गावोंमें कार्य करनेवाले तरुणोंमें — और कभी कभी प्रीडोमें भी — अपने दिल्को इस तरह बहलानेकी अभिलापा उत्पन्न होना — जिस परिस्थिति और प्रलोभनोंके बीच आज हम रहते हैं उनका विचार करे तो — आचर्यकी बात नहीं है। पर जयम और सेवामय जीवन व्यतीत करनेकी अभिलापा रखनेवाले सेवकोंको इस अमनसे खूब सावधान रहना चाहिये। एक तरफ तो

जनता पैसे-टकेसे तगदस्त हो रही है और दूसरी ओर उसके सामने नाटक-सिनेमा वगैराके प्रलोभन दिनोदिन ज्यादा तादादमे पेग किये जा रहे हैं। यह कोई मामूली आर्थिक सकट नहीं है। लेकिन सेवा-भावी युवकोंके लिए तो आर्थिक सकटसे भी अधिक अब पतनकी सामग्री लेकर यह चीज उपस्थित हो रही है।

यों तुलनात्मक दृष्टिसे देखा जाय तो नाटक और सिनेमा दिल-वहलावके निर्दोष साधन ही माने जाते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि अनेक बार ये जानवर्धक और कभी कभी शुभ भावनाओंके पोषक भी होते हैं। पूज्य गावीजीने खुद अपनी आत्मकथामे लिखा है कि वरसो पहले उन्होंने हरिश्चन्द्रका नाटक देखा था और उसका उनके दिल पर अमिट असर हुआ था। और भी कई लोग इसी तरहका अनुभव सुना सकते हैं। इसका अर्थ यही है कि नाटक और सिनेमामें मनुष्यके दिल पर असर पैदा करनेकी बड़ी तीव्र शक्ति होती है। पाठगाला-ओकी पढाईका भी इतना असर नहीं होता। पर इसी कारण नाटक और सिनेमा जहा एक तरफ अमृत-तुल्य है, वहा दूसरी तरफ वे हलाहल भी सिद्ध हो सकते हैं।

नाटक और सिनेमाका आकर्षण बढ़ानेके लिए वस्तु (विषय) के अतिरिक्त रगभूमि और पात्रोंकी सजावट व शृगारका भी हमेशा महत्व माना गया है। फिर भी ३०-४० वर्ष पहले यह सजावट उस समय उपलब्ध होनेवाले सीधे-सादे और थोड़ेसे साधनों तक ही मर्यादित थी। पर आज तो इस कलाका इतना विकास हो गया है कि अपने पुरखोंको हमने एक तरफ बैठा दिया है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि आजके हरिश्चन्द्र नाटकका अभिनय ३०-४० वर्ष पहलेके हरिश्चन्द्रके अभिनयके समान ही सात्त्विक होता है।

और नाटक तो आखिर नाटक ही छहरा। नाटकका अभिनय कम्पनिया जनताको मुस्स्कारी बनानेके लिए थोड़े ही कान्ती है। वे तो धन कमाना चाहती हैं। इसलिए वे उन तमाम तरकीबोंमें काम लेती हैं, जिनसे लोग आकर्षित होन्ऱ वहा आवे। इनलिए नात्त्विक नाटकोंमें भी थोड़ी-बहुत ऐरी राजन सामग्री रहती ही है, जिससे कि

हलकी वृत्तिवाले लोगोंकी चिकिता भी अनुरजन हो। “रंग भंगका लोटा” वाला गायन तो हरिचन्द्र नाटकमें ही है न? कहा सत्यवादी राजा हरिचन्द्रका जीवनादर्ग और कहां भग पीनेसे “मन मैल मिटे, तन तेज छडे” वाला उपदेश! परन्तु यदि अभिनय करनेवाले हरएक नाटकमें ऐसी थोड़ी-बहुत मनोरजक सामग्री न रखें, तो उनका काम चल ही नहीं सकता।

इस विषयमें भी ३०-४० वर्ष पहलेके मुकावलेमें आज वेहद तरक्की हो गई है। नाटकका स्थान अब सिनेमाने ले लिया है। और सिनेमामें एकाध ऐसा सात्त्विक खेल हो, तो भी उसके आरम्भ और अन्तमें हीन वृत्तियोंको उत्तेजित करनेवाले प्रहसन रहते ही हैं।

नाटक, सगीत वर्गीरा सब कलाये हैं। कला अपना हृदयगत आनंद व्यक्त करनेका एक स्थूल साधन है। पर जब वह अपने इस रूपको छोड़कर आजीविकाके लिए लोक-रजन करने निकल पड़ती है, तब वह मायाका रूप वारण कर लेती है। सीताजीको सोलहो आने शुद्ध वतानेके लिए तुलसीदासजीने रामचरित-मानसमें यह कल्पना की है कि रावणके आनेसे पहले असली सीताजी अत्तर्वान हो गई और अपने स्थान पर एक मायिक सीताको छोड़ गई। रावणने जिनका हरण किया, वह असली सीताजी नहीं थी। पर इस वातको सिवा राम-चंद्रजीके और कोई जान ही नहीं सका। इसी तरह पैसे कमानेके लिए जब कलाका उर्योग होता है तब वह असली कला नहीं होती, किन्तु कलाकी मायिक छायामात्र होती है।

इसलिए नाटक या सिनेमामें श्रीराम, सीताजी, तारा, तुकाराम, एकनाथ आदि वननेवाले लोग इन महान विभूतियोंका अभिनय करने पर भी ज्यो-केन्त्यों कोरे ही रहते हैं। कलाकी नहीं वल्कि कलाकी मायिक छायाकी उपासना करनेके कारण इन पेशेवर लोगोंमें से अधिकार्यका चरित्र भी दिनोदिन हीनताकी ओर जा रहा है और वे अनेक व्यसनोंके गिकार बनते जा रहे हैं। परिणाम-स्वरूप हरिचन्द्र और रामकी भूमिकाहपी घक्करके सायन्साथ इन अभिनेताओंके हीन चरित्रका विष भी प्रेक्षकोंको छुए बगैर नहीं रहता। इनकी आखो और

हाथ-पैरोंसे व्यक्त होनेवाले हावभावोंसे सात्त्विकता नहीं, किन्तु राजस वृत्ति ही प्रगट होती है।

इसलिए ये सात्त्विक कहे जानेवाले सिनेमा तथा नाटक भी उन युवकोंके लिए खतरनाक हैं, जो अपने सयम और सेवावृत्तिकी रक्षा करना चाहते हैं। मुझे तो आजके थियेटरोमें दिखाये जानेवाले नाटक-निनेमा गराब और तम्बाकूके विषेमे भी अविक भयानक मालूम होते हैं। अनुभवी लोग कहते हैं कि तम्बाकू और गराबका व्यमन करनेवाले स्थिरवीर्य नहीं रह सकते। फिर भी इन व्यसनोंका सेवन करनेके कुछ समय बाद गायद इनका कोई असर नहीं रहता होगा। पर नाटक-सिनेमाके एक बारके सेवनका असर गायद जीवनभर बना रह सकता है। और आजीवन न रहे तो भी काफी लंबे समय तक तो वह रहता ही है। कोई-न-कोई विलासी दृश्य, हावभाव या सूक्ष्म सूचन युवकोंके चित्त पर सस्कार छोड़ ही जाता है और इच्छा न होने पर भी उसकी स्मृति जाग उठती है और उनकी तमाम सयम-साधनाओं मिट्टीमें मिला देती है, जिसकी उन्होंने बड़ी मेहनतके साथ बरसो उपासना की है। उनकी वासनाएं जागृत हो जाती हैं और कितने ही दिनोंकी संगृहीत शक्तिका बाघ टूट जाता है।

कितने ही युवक देवप्रेमकी भावनासे सेवाक्षेत्रमें आये हैं। मानू-भूमिकी सेवामें ही हमारा सारा जीवन अर्पित हो जाय, ऐसी उदान साध वे अपने मनमें रखते हैं। इनमें से अनेकोंने तो अपने परिवारका विरोध भी बरदाश्त किया है, द्रव्यार्जनके लोभ और अवमरोका जन-वृद्धकर त्याग किया है, कभी कभी कुटुम्बी जनोंको रुलाया तक है। अगर वे अपने मनोरंयोंको मिद्द करना चाहते हैं, अपनी मानू-भूमिरे लिए अपने मुखोंकी कुरवानी करनेकी जकिन सपादन करना चाहते हैं, उनकी रक्षा करना चाहते हैं और सेवाक्षेत्रमें टटे रहना चाहते हैं, तो उन्हे गराब जीर तम्बाकूके व्यसनोंकी अपेक्षा नाटक-निनेमा अद्वितीय सेवनमें अविक सावधान रहनेकी जहाज है। अगर वे इन नशाओं में प्राप्त कर सकते हैं।

इस्लाम और ईसाई धर्ममें मुहम्मद और ईसाके नाटक खेलनेकी सख्त मनाही है। हिन्दू धर्ममें ऐसी मनाही नहीं है। मेरी अपनी राय यह है कि धार्मिक व्यक्तियोंके नाटक पेशेवर नटों द्वारा नहीं खेले जाने चाहिये, और न ऐसे नाटकोंके प्रयोगों पर किसी प्रकारका टिकट होना चाहिये। नाट्यकलाके जानकार प्रौढ़ आयुके चरित्रवान् स्त्री-पुरुष केवल भक्तिभावसे एकाध बार ऐसे नाटकोंका अभिनय करके दिखाना चाहे, तो भले ही दिखावे। अगर ऐसे लोग न मिले, तो छोटे छोटे बच्चों द्वारा भी ऐसे प्रयोग हो सकते हैं।

हरिजनसेवक, २८-११-'३६

१५

कमजोर सात्त्विकता

हमारे देशमें एक अच्छासा वर्ग ऐसे पढ़े-लिये और विचार करनेवाले लोगोंका पाया जाता है, जो दिलसे भले हैं, भलाई चाहते हैं और भलाईकी राह पर चलकर अपने मन और कर्मोंको ज्यादासे ज्यादा पवित्र बनाते रहना चाहते हैं। लेकिन साथ ही वे अपनेमें एक तरहकी कमजोरी भी महसूस करते हैं। वे अपने निश्चयों पर स्थिर रहने या उन पर अमल करनेकी अपनेमें शक्ति नहीं पाते। इसलिए वे चाहते हैं कि कोई ऐसा अच्छासा आधार उन्हे मिल जाय, जिसे पकड़ कर वे आमानीमें उन्नतिके मार्ग पर चल सके। अपने आसपास वे ऐसा कोई वायु-मण्डल नहीं पाते, जो उन्हे अच्छे कामों और विचारोंकी हमेशा प्रेरणा देता रहे, उनका जोश और उत्साह बढ़ा दे और उनकी सद्भावनाको अमलमें लानेका कोई तैयार उपाय और युक्ति उन्हें देता दे। उलटे वे अपने आसपासका वायु-मण्डल — घरमें, जातिमें, गावमें, मदिरोंमें और मठोंमें, सरकारी दफ्तरोंमें तथा सार्वजनिक संस्थाओंमें — स्वार्थ, तगदिली, दम, छल-कपट आदिसे भरा हुआ देखते हैं। परिणाम-स्वरूप कही भी उनका मन शान्ति नहीं पाता।

ऐसे प्रतिकूल वातावरणसे परेशान होकर कुछ तरुण एक दिन जोशमे आकर घर छोड़ देते हैं और किसी दूरके स्थान पर किसी प्रभिन्दु पुरुष और उसके आथ्रमका आश्रय खोजते हैं। उत्तरका तरुण दक्षिणमे जाता है और दक्षिणका उत्तरमे। प्रायः वहासे भी निराश होकर वे वापिस घर लौटते हैं और फिर भलाई तथा उन्नति परसे उनकी थद्वा ही उठ जाती है। “दुनियामे भलाई करनेमे कोई लाभ नहीं”, यह उनके अनुभवका निचोड़ हो जाता है।

लेकिन इस तरह एक बार भी घर-बार छोड़ सकनेवाले लोग इने-गिने ही होते हैं। हजारो आदमियोके लिए यह रास्ता भी बन्द-सा होता है। वचपनसे ही पारिवारिक वधनोमे वे इस कदर फसे हुए होते हैं कि घरसे दूर जाना और अपने जीवनका रास्ता विलकुल निराला कर लेना उनके लिए असभव होता है। एक ओर उनमे इतना जोश और कर्तृत्व नहीं होता कि वे अपने आसपासकी कठिनाइयोका सामना करके उच्च ध्येयकी ओर अपने कदम स्थिरतासे बढ़ा सके। दूसरी ओर उनमे उच्च जीवन और वायु-मण्डलकी भूख बनी रहती है। परिणाम-स्वरूप उनका जीवन “न मिला ही खुदा न मिला ही सनम, न इधरके - रहे न उधरके रहे” के अनुसार निराग, अतृप्त और अप्रसन्न रहता है और धीरे-धीरे उनका स्वभाव भी सात्त्विकता और सत्प्रवृत्तिकी ओर बढ़नेके बजाय क्रोध, आलस्य, कोरी तत्त्वचर्चा व धोन्ने वेदान्तकी ओर बढ़नेवाला, हरएककी कमियोकी सूक्ष्म खोज करनेवाला बनता जाता है और अकर्मण्यताके प्रति झुक्का जाता है।

मैं जहा तक सोच सकता हूँ, इन सबके जीवनकी मुम्ब्य समस्या यह है— उनकी कर्तृत्व-जक्ति, त्यागशक्ति और आत्म-मयमकी जक्ति मर्यादित है, फिर भी उनकी उन्नतिकी अभिलापा मच्ची है। वे विस तरह अपने इर्द-गिर्द ही उन्नतिकी ओर ले जानेवाला वायु-मण्डल पैदा करे?

विचार करने पर मालूम होगा कि इस मनोदण्डाके पीछे एक तरफ सात्त्विकता और दूसरी तरफ कमजोरीका भिन्न है। हमारे समाजमें ऐसी घेमेल अवस्था पैदा होनेके कारण यदि हम ज्ञोजेंगे,

तो मेरा ख्याल है कि अक्सर नीचे लिखी परिस्थितियोंमें से कोई एक या अधिक उसके लिए कारणभूत मालूम होगी

१. वचनमें और जवानीके शुरुके दिनोंमें प्रसन्नताके साथ गारीरिक मेहनत करनेकी रुचि और आदतका अभाव, घरके काम, खेल-कूद, बायाम, हाथ-पैर चलाकर कोई वस्तु बनाने या सुधारनेकी मेहनत और कलाके प्रति अरुचि ।

२. दिनचर्याका बहुनसा हिस्सा पढ़ने-लिखनेमें लगानेका शौक; फिर वह पढ़ना-लिखना चाहे पाठशालाके विषयोंका हो, उपन्यासोंका हो या धार्मिक साहित्यका ही क्यों न हो ।

३. अथवा उसमें भी अरुचि और केवल सुस्त बैठे रहने, बहुत सोने या निकम्मी ग्रामचर्चाएं करनेकी आदत ।

४. अपनेमें जो कुछ शक्तिया अथवा सद्गुण हो, उन्हे बढ़ानेका विचार करनेके बदले अपनी कमियोंका ही चिन्तन करते रहनेकी आदत ।

५. सर्वत्र अनास्था, अश्रद्धा और भावनाओंकी शुष्कता ।

६. तत्त्वज्ञानके अन्तिम सिद्धातोंकी निरीक्षण, अम्यास और अनुभवके द्वारा प्रतीति पानेकी कोशिश करनेके बदले कल्पना, तर्क और गास्त्रार्थ द्वारा तथा अव्यास और केवल तोता-रटत करके निश्चय करनेकी कोशिश ।

७. धार्मिक ग्रयोंकी अत्युक्तिपूर्ण और एकाग्री कथाओंको वर्तनका आदर्श समझनेकी भूल । उदाहरणके लिए, अतिथि-सत्कारके विषयमें करीरका या चेलैयाका आस्थान, नाम-स्मरणके बारेमें अजामिलकी कथा आदि ।

८. किमी एक गुण, धर्म या साधनको सब गुणों, धर्मों और साधनोंको परिस्पूर्ण करनेवाला समझनेकी भूल । उदाहरणार्थ 'अहिंसा परमो धर्म' कहा गया है । लेकिन इसके मानी यह नहीं कि दूसरे गुण, धर्म और साधनोंकी कोई जरूरत नहीं है और एक अहिंसाकी परकाढ़ा हो जाय तो जैसे शरीरके साथ छाया आती है वैसे ही दूसरे गुण, धर्म या साधन अपने-आप ही पूर्ण हो जायगे ।

९ व्रत-तप-सयमोके विषयमें एक और बहुत ही ऊचे और असाध्य आदर्शकी कल्पना और दूसरी और भोगोंमें सामान्य नियमोका पालन करनेकी भी अशक्ति और मानसिक अस्थिरता ।

१० ऐसा साधन या युक्ति खोजनेकी इच्छा, जिससे जीवन सुखसे बीते, बहुत पुरुषार्थ या त्याग न करना पड़े, साधन-नयन आदिका कष्ट न उठाना पड़े और फिर भी जीवनका पूर्ण उत्कर्ष और शाति प्राप्त हो ।

११ “सर्ववर्मन्त्परित्यज्य मामेक शरण व्रज ।

अह त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच ॥”*

(गीता, १८-६६)

यह कहकर ऐसी साधना और कर्तव्य-पाठनके परिश्रममें मुक्ति देनेवाले गुरुकी खोज ।

और भी कुछ कारण बताये जा सकते हैं — जैसे अमस्कारी, केवल धन-लोलुप और पुराने खयालोमें मगगूल परिवारके बीच जीवन, वाल-विवाह आदि ।

अगर कमजोर सात्त्विकताका यह निदान मही हो, तो स्पष्ट है कि इन कारणोको जितनी हृद तक एक आदमी हटा सकेगा, उन्नी हृद तक वह अपनी प्रगति कर सकेगा और जीवनमें सहेतुकता, प्रमन्त्रना और शातिका अनुभव कर सकेगा तथा अपने इर्द-गिर्द अपने और दूसरोके लिए भी एक अच्छा वायु-मण्डल पैदा कर सकेगा ।

इन कारणोको हटानेके लिए तीन कम्तुओंकी जरूरत है (१) कुछ वातोके विषयमें ऋम-निरास, (२) वृति अर्थात् स्थिन्नापूर्वक सतत प्रयत्न, और (३) अनुकूल कर्मयोग ।

हरएकके विषयमें मैं थोड़ासा यहां लिख देना है ।

१ ऋम-निरास — धर्म और साधन-योगने नवध रूपनेवाली अनेक वातोमें हमारे दिल पर गलत तन्वज्ञान या नच्चे तन्वज्ञानकी

* नव घरोंको छोड़कर तू मेरी ही घर्णामें जा । मैं तुम्हे नव पापोंसे छुटा दृगा । तू चिन्ता न रह ।

गलत समझके और गलत आदर्श या सच्चे आदर्शकी गलत कल्पनाओंके सस्कार पड़े होते हैं। मेरे खयालसे मनुष्यकी कर्तृत्व-शक्तिके प्रवाहको सुखा देने या रोक देनेमें शुद्ध ज्ञानकी अपेक्षा भ्रमयुक्त ज्ञानका हिस्सा बहुत जबरदस्त होता है। उदाहरणके तौर पर कुछ ऐसे गलत खयाल ये हैं

(क) ज्ञान और मोक्ष — “कृते ज्ञानान्न मुक्ति ।” ज्ञानके बिना मोक्ष नहीं, ऐसा उपनिषद्का सूत्र है। सूत्र तो अच्छा है। लेकिन ज्ञान क्या और मोक्ष क्या — इसके बारेमें हमारे दिल पर विचित्र खयालोंका सस्कार पड़ा हुआ है। ज्ञान परसे साक्षात्कार अथवा किसी अनोखी — गूढ़ वस्तुका दर्शन, चौबीस तत्त्वोंकी सूक्ष्म छान-वीन, मायावाद, अलिप्तता आदिके खयाल बने हुए हैं। और मोक्षके मानी जन्म-मृत्युसे छुटकारा — इसे हमने जीवनका सबसे ऊचा और श्रेष्ठ पुरुषार्थ माना है। फिर जीवनसे सबध रखनेवाली सैकड़ों बातोंके बारेमें घोर अज्ञान और भ्रम रखते हुए और मानव-उत्कर्षके लिए अनेक आवश्यक गुणोंका अभाव होते हुए भी हम अपनी वासनाओंका परीक्षण किये विचार और उन्हे दूर करनेका उचित उपाय प्राप्त किये विना एकदम ज्ञान और मोक्षकी प्राप्तिको अपना ध्येय बनानेका खयाल करते हैं और कृत्रिम सावनोंके पीछे लगते हैं।

हमे गर्व है कि हमारे देशने अध्यात्म-विद्यामें पराकाण्डा प्राप्त की है और न सिर्फ आत्माका अविनाशित्व बल्कि उसका ब्रह्म या विश्वके मूल तत्त्वके साथ तादात्म्य भी सिद्ध किया है। फिर भी कितने आश्चर्यकी बात है कि जन्म-मृत्युका जितना डर हमे है उतना किसी दूसरी अज्ञान मानी हुई मानव या मानवेतर जातियोंको भी नहीं है। वास्तवमें देखें तो जन्म तो हो गया और गर्भवास तथा जन्मके समयके दुख-मुखका हमें कोई स्मरण नहीं है। सच तो यह है कि जन्मपूर्वकी परिस्थितिमें १० मासका गर्भवास ही जीवनके लिए मुरक्खित स्थान होता है और उसके बाद योग्य समय पर ही उसका बाहर आना हितावह है। लेकिन कल्पनासे हम भविष्य कालके जन्मोंका चित्र खड़ा कर लेते हैं। और कविने गर्भवासकी यातनाओंका

जो काल्पनिक वर्णन धार्मिक ग्रथोमे प्रस्तुत किया है, उसे सच्चा मानकर उससे बचनेकी चिन्ता करते हैं। यही बात मृत्युकी है। मृत्युका डर एक तरहसे स्वाभाविक कहा जा सकता है। उसके लिए आत्म-अनात्म विवेक ठीक है। अगर उतना ही मनुष्य दृढ़ कर सके तो काफी है। वह न कर सके तो भी,

“जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च ।

तस्मादपरिहार्येऽर्थं न त्व शोचितुमर्हसि ॥” *

(गीता, २-२७)

— यह विचार वह पक्का कर ले तो भी बस है। लेकिन हमारे दिल पर तो इस देहकी मृत्युका नहीं, बल्कि अनेक जन्मोकी भावी मृत्युओंका डर सबार रहता है और कल्पनासे बने हुए जन्म-मृत्युके भयसे छुटकारा पाना हमारे जीवनका लक्ष्य बन जाता है।

(ख) नाम-स्मरण — हमारे साधन-मार्गमे भी ऐसी बहुतमी कृत्रिमताये और विलक्षणताये पैदा हो गई हैं। चित्त-गुद्धिकी साधनामे नाम-स्मरण एक अच्छा सहारा अवश्य है और उसमे जपकी मस्त्राकी अपेक्षा सतत जागृतिका महत्त्व है। लेकिन कविने उनकी महिमाका वर्णन करते समय अनेक गलत दृष्टान्त खड़े कर दिये हैं। इस कारण किसी भी तरह माला फेरते रहने और जप-वैक्षणे जपोकी रकम जमा करनेको ही साधना माना जाता है।

(ग) संयम — मन, ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियोंके स्थान — नियन्त्रणके बिना कोई पुरुष या स्त्री अपना गारीरिक, वौद्धिक या मानसिक विकास और गुणोत्कर्ष नहीं कर सकता। लेकिन उनकी एक एक बातका जब व्योरेवार वर्णन दिया जाता है, तब हरएकका बड़ा विलक्षण आदर्श और माहात्म्य खड़ा कर दिया जाता है। स्वभावदी प्राकृतिक-नैसर्गिक प्रेरणाओंको सुमन्दृत करने और उन पर अपना स्वामित्व जमानेका क्रम-मार्ग निर्माण करनेकी अपेक्षा उन प्रेरणाओंको

जो जन्मा है उनका सरण निश्चित है, और जो नग है उनका जन्म निश्चित है। इसलिए जो बात टल नहीं सकती, उनका तुझे जोर न करना चाहिये।

नष्ट करनेका आदर्श रखा जाता है और तरह-तरहके इन्द्रिय-दमनके व्रत-न्तप और कृत्रिम नियम वरते जाते हैं। परिणाम यह होता है कि इन प्रेरणाओंको दबाते रहनेके निष्फल प्रयत्नमें ही सात्त्विक वृत्तिके लोगोंकी बहुतसी शक्ति खर्च हो जाती है। जीवनके अन्त तक दमनमें पूरी सिद्धि तो मिलती ही नहीं। वीच-वीचमें जोरोंसे प्रकृति थपना बल बताती है और एकाध भयकर और लज्जाजनक गलती कराके मनुष्यकी वर्पोंकी साधना और प्रतिष्ठा पर पानी फेर देती है और कभी-कभी दम्भके नरकमें फेक देती है। इसकी अपेक्षा जो लोग साधनाके पीछे न पड़कर वर्तनकी एक धर्म्य मर्यादामें रहते हुए सयमी जीवन व्यतीत करते हैं, वे ज्यादा तेजस्वी, कर्तव्यनिष्ठ, प्रसन्नचित्त और नीरोग भी पाये जाते हैं।

“कर्मेन्द्रियाणि सयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् ।

इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते ॥

यस्त्वन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन ।

कर्मेन्द्रियै कर्मयोगमसक्त स विगिष्यते ॥”*

(गीता, ३-६, ७)

इस तरह अनेक तरहके आदर्श, साधना, पूजा-विधि, सदाचार-दुराचारके नियम, पूर्णता-अपूर्णताके मापदण्ड वर्गोंरके बारेमें गलत ख्यालोंके हमारे मन पर गहरे सस्कार पड़े हुए हैं। वे हमारी शक्तिको नष्ट करते हैं और जिन प्रत्यक्ष अज्ञान, रोग, दारिद्र्य, आपसी वैर, छल-कपट, गुलामी वर्गोंरा दुखोंसे मुक्त होनेमें हमारी सात्त्विक वुद्धिका उपयोग होना चाहिये और हमारी कर्तृत्व-शक्ति लगनी चाहिये, उनके लिए पुरुषार्थ करनेसे हमें रोक देते हैं। भ्रमोंकी शिलाके नीचे हमारे पुरुषार्थका न्योत छिपा रहता है। इस शिलाको हटाये बिना वह स्रोत बाहर नहीं निकल पायेगा।

कर्मेन्द्रियोंका सयम करके, इन्द्रियोंके विपर्योंका जो मृदृ मनुष्य मनमें स्मरण किया करता है, उसका संयम मिथ्याचार है। परन्तु जो इन्द्रियोंको मनसे नियममें रखता हुआ, इन्द्रियोंके जरिये अनासक्ति-पूर्वक कर्मयोगका आचरण करता है, वह मनुष्य विशेष है।

२. धृति — यह दूसरी महत्त्वकी वस्तु है। गीतामें बुद्धि और धृतिके भेदोका पास-पास ही वर्णन है। फिर भी हमारे गास्त्रीय ग्रथोंमें मनुष्यकी उन्नतिमें धृतिके महत्त्व और विकास पर बहुत कम व्यान दिया गया है। बुद्धिके नाम पर सूक्ष्म तार्किकताका हमारे विद्वानोंमें बहुत ही ज्यादा विकास हुआ है, लेकिन धृतिका बहुत कम ख्याल पाया जाता है। धृतिके मानी है धारण-वक्ति। बुद्धिसे एक सिद्धान्तका निर्णय तो हमने कर लिया, लेकिन निष्ठासे उसी सिद्धान्त पर अपनी जीवन-व्यवस्था करनेके लिए जो दृढ़ता चाहिये उसमें हम बड़े ढीले हैं। सिद्धान्तमें हम सब वेद-वर्मी, जैन-वर्मी या बौद्ध-वर्मी प्राणीमात्रकी समानताके सिद्धान्तका इतने व्यापक रूपमें प्रतिपादन करेगे कि किसी मुसलमान या ईसाईकी तो वैसा करनेकी हिम्मत ही नहीं होगी।

“विद्या-विनय-सप्त्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि।
शुनि चैव श्वपाके च पडिता समदगिन ॥”*

(गीता, ५-१८)

इतने विशाल रूपमें समताका प्रतिपादन करनेकी साधारण मुसलमान या ईसाईकी हिम्मत न होगी। कमसे कम मनुष्य और इतर प्राणियोके बीच भेद-दृष्टि रखना शायद वह अपना फर्ज भी बतायेगा। लेकिन इतने बड़े सिद्धान्तकी शिक्षा पाने पर भी न हमारे धर्मात्मा या ब्रह्मनिष्ठ पडितोकी और न हमारे अनेक सुधारवादी विचारणील — परतु बड़े परिवारमें रहनेवाले — कार्यकर्ताओंकी यह हिम्मत होती है कि वे अपने घरके भीतरके भागमें किसी अछूतको ले जाय और उसे अपने आसन पर बिठावे तथा उसके साथ भोजन करे। कारण यह है कि हमने बुद्धिको बढ़ाया है, धृतिको नहीं बढ़ाया। आचारके नम्य हम कादम-कदम पर व्यावहारिक मुद्दिकलोका ख्याल करते हैं, परन्तु नामोंसे यानी अपने पर आनेवाली कठिनाइयोंमें हम टरते हैं और कुछ न कुछ बहाना निकालकर सिद्धान्त पर चलनेको टालते हैं। हमारे देशमें अपनी धृतिशवितको बढ़ानेकी न केवल अपने लिए बल्कि

* विद्या-विनययुक्त ब्राह्मण, गाय, कुत्ता, हाथी या नाड़ील मवमें पडित समदृष्टि रखते हैं।

बुद्धिकी नुद्धि-नृद्धिके लिए भी बहुत बड़ी जरूरत है। क्योंकि जब हम इन दृष्टिसे हरएक सिद्धान्तकी जाच करेगे कि उस पर हम किस हड़तक चल सकते हैं, तब हमारे सिद्धान्तोंके प्रतिपादनमें अगर कुछ मंशोवनकी जरूरत हुई तो हम उसे खोज सकेंगे और हमारे सिद्धान्त और वर्तनमें मेल विठा सकेंगे। यह बाद रहे कि जब तक सिद्धान्त और वर्तनमें मेल नहीं बैठता, तब तक कोई प्रामाणिक मनुष्य शानि नहीं पा सकता।

३. अनुकूल कर्मयोग—यदि हम वृत्तिके महत्त्वको समझ ले, तो उसके लिए अनुकूल कर्मयोगकी अनिवार्यता तुरन्त ही मालूम हो जायगी। एक सिद्धान्तको अगर हमने मान लिया और उस पर दृढ़ रहनेकी जरूरत स्वीकार कर ली, तो उसे — छोटे पैमाने पर ही क्यों न हो — शुरू करना लाजिमी हो जाता है। किसी वाह्य सावनकी जरूरत हो, तो उसे प्राप्त करनेकी चेष्टा की जाय, किसीके साथकी जरूरत हो, तो माथी ढँढा जाय; जानकारी हासिल करना हो, तो साहित्य खोजा जाय; शारीरिक गतिया सयमकी कमी हो, तो उसे बढ़ानेकी कोशिश की जाय, उपासनाकी कमी हो, तो उसे तीव्र किया जाय। थोड़ेमें, मनुष्य बैठा नहीं रह सकता, वह उद्योग-प्रायण हो जाता है। वह अपने पासमें ही अनुकूल वायु-मण्डल बनानेमें सफल होता है।

मैं आगा करता हूँ कि ये थोड़े विचार अपनी सात्त्विकताकी कमजोरी मिटानेकी डच्छा रखनेवाले मित्रोंके लिए कुछ मददगार होंगे।

कर्मक्षय और प्रवृत्ति

एक सज्जन मित्र लिखते हैं “कुछ साधु कहते हैं कि कर्मका सपूर्ण क्षय हुए विना मोक्षकी प्राप्ति नहीं हो सकती। और कर्मसे निवृत्त हुए विना कर्मक्षयकी सभावना नहीं है। इसलिए निवृत्ति-मार्ग ही आत्मज्ञान अथवा मोक्षका मार्ग है। क्योंकि जो भी कर्म किया जाता है, उसका फल अवश्य मिलता है। अर्थात् मनुष्य जब तक कर्मसे प्रवृत्त रहेगा तब तक, वह चाहे अनासन्तिसे कर्म करता हो तो भी, कर्मफलके भारसे मुक्त नहीं हो सकता। इससे कर्म-वधनका आवरण हटनेके बदले उलटा घना होगा। इसके फलस्वरूप उसकी साधना खड़ित होगी। लोक-कल्याणकी दृष्टिसे भले ही अनासन्तिवाला कर्मयोग इष्ट हो, परन्तु उससे आत्मज्ञानकी साधना सफल नहीं होगी। इस विषयमे मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ।”

मेरी नम्र रायमे कर्म, कर्मका वधन और क्षय, प्रवृत्ति और निवृत्ति, आत्मज्ञान और मोक्ष — इत्यादि की हमारी कल्पनाए बहुत अस्पष्ट हैं। अतएव इस सववमे हम उलझनमे पड़ जाते हैं और साधनोमे गोते लगाते रहते हैं।

इस सववमे पहले हमे यह समझ लेना चाहिये कि शरीर, वाणी और मनकी क्रियामात्र कर्म है। कर्मका यदि हम यह अर्थ लेते हैं, तो जब तक देह है तब तक कोई भी मनुष्य कर्म करना विलकुल छोड़ नहीं सकता। कथाओमे आता है उस तरह कोई मुनि चाहं सी वर्ष तक निर्विकल्प समाधिमे निश्चेष्ट रहकर पड़ा रहे, परन्तु जिस क्षण वह उठेगा उस क्षण वह कुछ न कुछ कर्म अवश्य ही करेगा। इसके अलावा, यदि हमारी कल्पना ऐसी हो कि हमारा व्यक्तित्व देहगे परे जन्म-जन्मान्तर पानेवाला जीवन्त्प है, तब तो देहके बिना भी वह त्रियावान रहेगा। यदि कर्मसे निवृत्त हुए विना कर्मक्षय न हो गके, तो इनमा यह अर्थ हुआ कि कर्मक्षय होनेकी कभी भी नभावना नहीं है।

इसलिए निवृत्ति अथवा निष्कर्मताका अर्थ स्थूल निष्क्रियता समझनेमे भूल होती है। निष्कर्मता एक सूक्ष्म वस्तु है। वह आध्यात्मिक अर्थात् बीद्धिक, मानसिक, नैतिक, भावना-विषयक और इससे भी परे वोवात्मक (सवेदनात्मक) है। क, ख, ग, घ नामके चार व्यक्ति प, फ, ब, भ नामके चार भूखे आदभियोंको एकसा अन्न देते हैं। चारों वाह्य कर्म करते हैं और चारोंको समान स्थूल तृप्ति होती है। परतु सभव है क लोभसे देता हो, ख तिरस्कारसे देता हो, ग पुण्येच्छासे देता हो और घ आत्मभावसे स्वभावत देता हो। उसी तरह प दुख मानकर लेता हो, फ मेहरवानी मान कर लेता हो, ब उपकारक भावसे लेता हो और भ मित्रभावसे लेता हो। अन्नव्यय और क्षुधातृप्ति रूपी सबका वाह्य फल समान होने पर भी इन भेदोंके कारण कर्मके वधन और क्षयकी दृष्टिसे बहुत फर्क हो जाता है। उसी तरह क, ख, ग, घ से प, फ, ब, भ अन्न मागे और चारों व्यक्ति उन्हे भोजन नहीं करावे, तो इसमे कर्मसे समान परावृत्ति है; और चारोंकी स्थूल भूख पर समान परिणाम होता है। फिर भी भोजन न कराने या अन्न न पानेके पीछे रही बुद्धि, भावना, नीति, सवेदना इत्यादिके भेदसे इस कर्म-परावृत्तिसे भी कर्मके वधन और क्षय एकसे नहीं होगे।

यहा प्रवृत्ति और निवृत्तिके साथ परावृत्ति और वृत्ति शब्द भी याद रखने जैसे हैं। परावृत्तिका अर्थ निवृत्ति नहीं है। परतु वहुतसे लोग परावृत्तिको ही निवृत्ति मान बैठते हैं। और वृत्ति अथवा वर्तनका अर्थ प्रवृत्ति नहीं है। परतु वहुतसे लोग वृत्तिको ही प्रवृत्ति समझते हैं। वृत्तिका अर्थ है केवल वरतना। प्रवृत्तिका अर्थ है विशेष प्रकारके आध्यात्मिक भावोंसे वरतना। परावृत्तिका अर्थ है वर्तनका अभाव; निवृत्तिका अर्थ है वृत्ति तथा परावृत्ति-सबधी प्रवृत्तिसे भिन्न प्रकारकी एक विशिष्ट आध्यात्मिक सवेदना।

कर्म-वन्नन और कर्मक्षयके विपर्यमे वहुतोंका ऐसा ख्याल मालूम होता है, मानो कर्म नामकी हरएकके पास एक तरहकी पूजी है। पांच हजार रूपये ट्रकमे रखे हुए हों और उनमे किसी तरहकी वृद्धि न

हो, परन्तु उनका खर्च होता रहे, तो दो-चार वर्षमें या पच्चीस वर्षमें तो वे सब अवश्य खर्च हो जायेगे। परन्तु यदि मनुष्य उन्हे किसी कारोबारमें लगाता है, तो उनमें कमीवेशी होगी और सभव है कि पाच हजारके लाख भी हो जाय या लाख न होकर उलटा कर्ज हो जाय। तो यह घाटा भी चिंता और दुख उत्पन्न करता है। सामान्य रूपसे मनुष्य ऐसी चिंता और दुखकी सभावनासे घबराते नहीं और लाख होनेकी सभावनासे अप्रसन्न नहीं होते। वे न तो रूपयोका क्षय करना चाहते हैं और न रूपयोके बधनमें पड़नेसे दुखी होते हैं। निवृत्ति-मार्गी साधु भी मदिरोमें और पुस्तकालयोमें बढ़नेवाले परिग्रहसे चिंतातुर नहीं होते। परन्तु कर्म नामकी पूजीकी हमने ऐसी कल्पना की है, मानो वह एक बड़ी गठरी है और उसको खोलकर, जैसे बने वैसे, उसे खत्म कर डालनेमें ही श्रेय है, कर्मका व्यापार करके उससे लाभ उठानेमें नहीं। कर्मको पूजीकी तरह समझनेके कारण उसे खत्म करनेकी ऐसी कल्पना पैदा हुई है।

परन्तु कर्मका बन्धन रूपयोकी गठरी जैसा नहीं है। और वृत्ति-परावृत्ति (अथवा स्थूल प्रवृत्ति-निवृत्ति) से यह गठरी घटती-घटती नहीं है। जगत्में कोई भी क्रिया हो — जानमें हो या अनजानमें हो, वह विविध प्रकारके स्थूल और सूक्ष्म परिणाम एक ही समयमें या भिन्न भिन्न समयमें, तुरत या कालान्तरमें, एक ही साथ या नह रहकर, पैदा करती है। इन परिणामोमें से एक परिणाम कर्म करनेवालेके ज्ञान और चरित्रके ऊपर किसी तरहका रजकण जितना ही असर उपजानेका होता है। करोड़ों कर्मोंके ऐसे करोड़ों असरोंके परिणामस्वरूप हरएक जीवका ज्ञान-चरित्रका व्यक्तित्व बनता है। यह निर्माण यदि उत्तरोन्तर शुद्ध होता जाय और ज्ञान, धर्म, वैराग्य इत्यादिकी ओर अधिकात्रिक झुकता जाय, तो उसके कर्मका क्षय होता है ऐसा कहा जायगा। यदि वह उत्तरोत्तर अशुद्ध होता जाय — अज्ञान, अधर्म, गग इत्यादिये प्रति बढ़ता जाय, तो उसके कर्मका मन्य होना है ऐसा कहा जायगा।

इन तरह कर्मोंकी वृत्ति-परावृत्ति नहीं परन्तु कर्मका जीवके ज्ञान-चरित्र पर होनेवाला अन्तर ही बधन और मोक्षका कारण है। जीवन-

कालमे मोक्ष प्राप्त करनेका अर्थ है एक ऐसी उच्च स्थितिका आदर्श, जिस स्थितिके प्राप्त होनेके बाद उस व्यक्तिके ज्ञान-चारित्र्य पर ऐसा असर पैदा ही न हो कि उसमे पुन अशुद्धि घुस सके।

इसके लिए कर्तव्य कर्मोंका विवेक तो अवश्य करना पड़ेगा। उदाहरणार्थ, अपकर्म नहीं करने चाहिये, सत्कर्म ही करने चाहिये, कर्तव्यरूप कर्म तो करने ही चाहिये, अकर्तव्य कर्म छोड़ने ही चाहिये, चित्तशुद्धिमे सहायक सिद्ध होनेवाले दान, तप और भक्तिके कर्म करने चाहिये इत्यादि। इसी तरह कर्म करनेकी रीतिमे भी विवेक करना पड़ेगा, जैसे ज्ञानपूर्वक करना, सावधानीपूर्वक करना, सत्य-अर्हिसा आदि नियमोंका पालन करते हुए करना, निष्काम भावसे अथवा अनासक्तिसे करना इत्यादि। परतु यह कल्पना गलत है कि कर्मोंसे परावृत्त होनेसे कर्मक्षय होता है। कर्तव्यरूप कर्मसे परावृत्त होने पर कदाचित् सकाम भावसे अथवा आसक्तिसे किये हुए सत्कर्मोंसे भी अधिक कर्म-ववन होनेकी पूरी सभावना है।

इसकी अधिक सविस्तर चर्चाके लिए मेरी 'गीता-मथन' पुस्तक पढ़ियेगा।

दिसम्बर, १९४१

(‘महावीर जैन विद्यालय रजत-स्मारक’)

धर्म और तत्त्वज्ञान*

यह सत्य है कि मैं तत्त्वज्ञान और धर्मके विषय पर लिखता आया हूँ। परतु इससे यदि कोई यह कल्पना करे कि मैंने इस विषयके बहुतसे ग्रन्थ देख लिये होगे और कुछ ग्रन्थोंका तो अत्यन्त सूक्ष्मतासे अभ्यास किया होगा तो वह गलत होगा। 'नाडमूल लिख्यते किंचित्' इस प्राचीन प्रणालिकाका पालन करनेकी योग्यता मुझमें नहीं है। इस प्रकार इस विषयमें विद्वत्ताकी कर्सीटी पर सभव है मैं नापास हो जाऊँ।

तत्त्वज्ञान और धर्मके विषयोंका मैंने साहित्यिक अभ्यासकी दृष्टिसे या धार्मिक वाचनके गोंककी दृष्टिसे शायद ही विचार किया है। भक्तिमय जीवन मुझे माके दूधके साथ ही मिला था, परतु जब तक तत्त्वज्ञान और धर्मका गहरा विचार किये विना मुझे अपना जीवन निस्सार जैसा नहीं लगा, तब तक मैं इसमें अधिक गहरा उत्तरा नहीं था। जब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि 'ज्या लगी आत्मा तत्त्व चीन्यो नहीं, त्या लगी साधना सर्व जृठी' — जब तक आत्मतत्त्वको पहचाना न जाय तब तक सारी साधना वर्थ है, तब मेरे लिए इनके पीछे लगे सिवा कोई चारा नहीं रह गया। इस प्रकार मुझे इनकी साधना और शोधमें लगना पड़ा। इसमें मुझे जितनी जहरत नहसून हुई उतना ही मैंने पढ़ा। और जितना पढ़ा उसमें से जितने उपयोगी मालूम हुए उतने सस्कार मैंने ले लिये, वाकीका छूट गया।

इननी मर्यादाओंके माध्य पाठकको मेरे विचार नम्रतने चाहिये।

आज धर्म और तत्त्वज्ञानमें सबब नम्रतेवाने जितने ही प्रबन्ध विद्वानोंको उल्लङ्घनमें डाले हुए हैं। कुछ दिवयों पर मेरे विचार आजकी

* दिसम्बर, १९३७में करानीमें हुए गुजराती साहित्य नम्रतनके धर्म और तत्त्वज्ञान विभागके मभाषनि-पदमें दिया हुआ व्याख्यान।

सामान्यत प्रचलित मान्यताओंसे भिन्न दिग्गमे वह रहे हैं। इन सबकी यहा सविस्तर चर्चा करना शक्य नहीं है। इसलिए मैंने ऐसा विचार किया है कि अपने मतव्योंको, दलीलोंके बिना, लगभग सूत्र-रूपमें और इसके परिणिष्टके रूपमें रख दू और उसकी प्रस्तावनाके रूपमें कुछ विचार यहा पेश करू।

पाश्चात्य सस्कृति भौतिक अथवा आसुरी है और पूर्वकी अथवा आर्योंकी सस्कृति आध्यात्मिक अथवा दैवी है, हिन्दुस्तानकी प्रजा वहुत वर्म-परायण है और यही उसके पतनका कारण है, वगैरा वाते कहनेका हमारे देशमें रिवाज है। मैं ऐसा नहीं मानता, यह कहने पर यदि किसीको चोट पहुँचे तो मुझे क्षमा करे। यह बात सच है कि वेदान्तकी भाषा और जप-वाक्य (नारे) हमारे देशके कोने कोनेमें फैल गये हैं, हमारे देशमें वर्पक्षितुकी घासकी तरह सप्रदाय फृट निकलते हैं, साधुओंके बुड़ सारे देशमें इवर उवर दिखाई देते हैं, राजनीतिक नेताओंकी अपेक्षा ब्रह्मज्ञानियोंकी सस्था अविक होनेकी सभावना है और ससारके दुखोंसे दरव कितने ही लोगोंको भर जवानीमें वैराग्य आ जाता है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नहीं तो लगभग एक हजार वर्षों हमारे देशमें वर्मका हास हो गया है, तत्त्वकी कहो या ईश्वरकी कहो, प्राण-वान निष्ठाका वहुत अंगोंमें लोप हो गया है, और हमारी सस्कृतिमें न तो अव्यात्मका, न वर्मका और न भौतिक विद्याका ही बल रहा है। परन्तु अव्यात्मका चोला पहने क्लोरोफार्म सूधती हुई किसी सस्कृतिका चरीर पड़ा हुआ है। ऐसे बड़े देशमें बीच बीचमें कवीर, नानक, सहजानंद, दयानंद या गावीजी जैसे दो चार अलौकिक व्यक्ति निकल आवे और समाजको झकझोर दे, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। परन्तु इनमें से हरएककी देनके बारेमें विचार करनेसे मालूम पड़ेगा कि, उन्होंने प्रचलित तत्त्वज्ञान या वर्ममें जो कुछ नवीन वृद्धि की है उसकी अपेक्षा उस पर प्रहार ही ज्यादा किये हैं। जिस प्रकार खेतमें उगे हुए कुशको केवल ऊपरसे काटनेसे वह नष्ट नहीं होता, उसे खोदना और जलाना पड़ता है, उसी प्रकार तत्त्वज्ञान और वर्मके क्षेत्रमें उगे हुए कुशको उखाड़नेके लिए इनमें से कुछ लोगोंने प्रयत्न किये और

उसीमें उनकी सारी जिन्दगी चली गई। उनमें से किसीको फसल लेनेका शायद ही अवसर मिला। उनके बाद रहनेवालोंने तो फिर थोड़े समयमें उतना ही कुश बढ़ा दिया।

हिन्दुस्तानमें दिखाई देनेवाले भक्तिभावके विषयमें कवीर एक पदमें कहते हैं

ऐसी दिवानी दुनिया भक्तिभाव नहीं वूँजेजी ।
कोई आवे तो बेटा मागे यही गुसाई दीजेजी ।
कोई आवे दुखका मारा हम पर किरपा कीजेजी ।
कोई आवे तो दीलत मागे भेट रूपैया लीजेजी ।
साचेका कोई गाहक नाही झूठे जगत खोजेजी ।
कहे कवीर सुनो भाई साधो अधोको क्या कीजेजी ।

परन्तु अव्यात्म और धर्मके विरुद्ध किये गये इन प्रहारोंमें और आजके युनिवर्सिटियोंसे निकले हुए विद्वानोंके प्रहारोंमें बहुत अतर है। सतोने अपने देशके लोगोंको अधिक निकट और गहराईसे देखा था और वे खुद क्लोरोफार्मके नगेका अनुभव ले चुके थे। इसलिए उनका प्रयत्न सिर्फ़ क्लोरोफार्मका नगा उतारनेके लिए था। अर्वाचीन विद्वान् ऐसा नहीं मानते। वे मानते हैं कि यदि अव्यात्म और धर्मका चोला फाड़ डाला जाय, तो क्लोरोफार्मका नगा उत्तर जायगा और हमारी प्रजामें नवीन प्राणोंका सचार होगा। यह कपड़े बदलकर साहब बनने जैमा है। इससे 'साहब' तो हम जहर कहला सकते हैं, परन्तु यदि मनमें हीनताका स्वकार रह गया हो, तब तो गोरे साहबके आगे तेजोहीन होकर ही खड़ा रहना पड़ता है।

सब तरहकी ज्ञानप्राप्तिमें एक काल मस्तीका आता ही है। नया अग्रेजी सीखनेवाला लड़का माताको 'निंग वॉटर', 'मी वॉट्ट हॉट हॉट ब्रेड' का हुक्म देता है, बादमें मस्तुत सीखना शुरू करता है। तब वह 'जल आनंद', 'उण्णा उण्णा गंद्यापत्रिका यच्छ' के हुक्म देता है। ऐसी ही मस्तीका काल तत्त्वज्ञानमें भी आता है। 'मैं ब्रह्म हूँ, मैं इस विद्यका आत्मा हूँ, मैं ही राम ह, मैं ही कृष्ण ह' — उन तरह बोलते बोलते साधक आनन्दमें झूमने लगता है। भौतिक

विद्याओमें भी ऐसी मस्ती चढ़ती है। जिस तरह कोई भक्त 'राम राम' या 'शिव शिव' कहता है, उसी तरह वह 'अणु, अणु' या 'मेट्र, मेट्र' कहता है। परन्तु मस्ती कभी ज्ञान नहीं हो सकती। वह वदहजमीकी निशानी है। आत्मामे मस्तीके लिए मुझे कही भी अवकाश दिखाई नहीं देता। यदि मैं आत्मा या ब्रह्म हूं, तो क्या वाकीका जगत् ठीकरा है? यदि मैं ही राम हूं, कृष्ण हूं, ईशु हूं, मुहम्मद हूं, तो जगत्‌के दूसरे प्राणी क्या है? और किसीको ऐसी कहनेकी मस्ती क्यों नहीं आती है कि 'मैं ही रामा भगी हूं, मैं ही काना चमार हूं, जगत्‌की हीनसे हीन वस्तु मैं ही हूं?' यदि ऐसी दृढ़ प्रतीति हो गई हो कि सारा जगत् एक ही चैतन्य तत्त्व है, तो ज्ञानन्दकी खुमारीके लिए अवकाश कहा रहता है? चित्तमे मैं और ब्रह्म इन दोनोंके एक ही समय रहनेके लिए जगह ही कहा है?

सच्चाई यह है कि हमारे पूर्वजोने सारे जगत्‌मे एक अखण्ड, अविनाशी, अमेय चैतन्यके अस्तित्वका अनुभव किया, पर हमने उसे इस तरह साधा कि हमारा प्रत्यगभिमान मिटनेके बदले उलटा पक्का हुआ। हम पक्के व्यक्तिवादी बन गये। जो अपने ही हितकी अधिक चिंता रखता हो और जगत्‌के हितकी ओर बिलकुल उदासीन वृत्ति रखता हो, वह अधिक सच्चा मुमुक्षु कहलाता है।

हमने जिस तरहसे तत्त्वज्ञान सिद्ध किया, उसका परिणाम भक्तिमार्ग पर भी अच्छा नहीं हुआ। इससे भक्तिमार्ग कृत्रिम बननेके साथ साथ व्यभिचारी भी बना। एकेश्वर-निष्ठा, अनन्याश्रय, एकान्तिक भक्ति, अहैतुकी भक्तिके बढ़नेके लिए वातावरण ही न रहा। वैदिक देवोंसे भी देवोंकी सख्त्या बढ़ गई और गुरुशाहीके लिए रास्ता ज्यादा खुला हो गया सो अलग। “छोड़िके श्रीकृष्ण देव, औरकी जो करू सेव, काटि डारो कर मेरो तीखी तलवारसे” — ऐसी अनन्यता कुछ व्यक्तियोंकी ही विशिष्टता बनी। और वह कुछ लोगोंके मतानुसार अनुदारता भी मानी जाती है। ज्ञानी तो सबके स्तोत्र रचता है, सबको पूजता है और सबकी महिमा बढ़ाता है, और दूसरे ही क्षण कहता है, “कौन देव और कौन भक्त, सभी अज्ञानियोंका आचार है!”

इस स्थितिमें तत्त्वज्ञान और धर्म मूढ़, अविकासशील और प्रगतिविरोधी बन जाय तो कोई आश्चर्य नहीं।

श्री शक्तराचार्यने जिस प्रकार अनुभूतिमात्र आत्माका निरूपण किया है, और श्री वल्लभाचार्यने जिस तरह जगत्‌का व्रह्मरूपमें वर्णन किया है, वह मुझे बहुत अशame मान्य है। परन्तु इनके मायावाद और लीलावाद मुझे स्थूल या सूक्ष्म किसी भी अवलोकनमें सच्चे नहीं लगते। इसकी अपेक्षा श्री रामानुजका 'जड़ और जीवरूपी शरीरवारी व्रह्म' का निरूपण अधिक सरल और कमसे कम स्थूल अवलोकनमें सच्चा लगता है। 'शरीरवारी' के बदले 'स्वभाववारी' कहे, तो गीताके सातवें अध्यायके निरूपणसे वह मिल जाता है। जिस प्रकार व्यवहार-दृष्टिसे वेदान्तको साख्य-दर्शनका निरूपण लगभग साराका सारा स्वीकार कर लेना पड़ा है, उसी तरह शाकरवेदान्ती तथा वल्लभवेदातीके लिए जगत्‌के व्यवहारोमें विशिष्टाद्वैतकी भूमिका रखनी ही पड़ती है। विशिष्टाद्वैत अर्थात् आकाश जैसा एक नहीं, सफेद और काले जैसा द्वैत नहीं, परन्तु कड़े और कुण्डल जैसी विगेपतावाला अद्वैत। दूसरी तरह कहे तो समानतावाला द्वैत भी कह सकते हैं। "मैं ही राम और कृष्ण हूँ" या "मैं ही रामा भगी या काना चमार हूँ" ये दोनों अध्यासयोग हैं, कल्पनाका विहार है, साक्षात् अनुभव नहीं है। परन्तु जो राम है, जो कृष्ण है, जो भगी है, जो चमार है तथा जो मैं हूँ, वे सब एक ही परम चैतन्यके रूप और घटक हैं और अनेक तरहसे एक ही शरीरके अवयवोंकी तरह एक-दूसरेके साथ जुड़े हुए हैं, वह एक ऐसा सत्य है जो अनुभवमें आ सकता है, व्यवहारमें उतारा जा सकता है और सावारण वुद्धिके मनुष्यकी समझमें भी आ सकता है। सामनेकी दीवार जिसे दिखाई देती है वह 'दिखाई देती है' ऐसा कहे तो अज्ञानी है, 'है ही नहीं' ऐसा कहकर भी जो व्यक्ति दीवार है ऐसा मानकर व्यवहार करे वह जानी है। आत्मामें अज्ञान नहीं रह सकता, फिर भी अज्ञानके कारण जगत्‌का भास होना है, परन्तु उस अज्ञानका भी वास्तविक अस्तित्व नहीं है। इन उपपत्तिनें परमेश्वरको ऐसा गूढ़ बना दिया है कि जो वस्तु खुल्मे आत्मोंसे चारों

ओर फैली हुई दिखाई देनी चाहिये, वह लुप्त हो गई जैसी या केवल काल्पनिक और 'इनकार' करने जैसी लगती है।

"पानी विच मीन पियासी,
मोहि सुन सुन आवत हासी;
घरमे वस्तु नजर नहि आवत,
वन वन फिरत उदासी ।"

इसका कारण मुझे यह लगता है कि तत्त्वज्ञान और धर्मका विकास आज कितनी ही सदियोंसे हमारे देशमे केवल तार्किक तथा साहित्यिक विलासका विषय बन गया है, शोधनका नहीं। जो लोग उसका केवल शौक या घबेके लिए ही अभ्यास करते हैं, वे बच जाते हैं, परन्तु जो सत्यको प्राप्त करनेके लिए उसका आधार लेते हैं, वे बेचारे हैरान होते हैं। इसीलिए कबीर कटाक्ष करते हैं

"गौतम, कपिल, कणाद अरु शेष, जैमिनी, व्यास,
षड् धीवर षड् जाल रची डालै जीवको फास ।"

जब तर्कशास्त्र और साहित्यका विकास इस प्रकारसे होता है कि जिस वस्तुको अविद्यान मनुष्य सरलतासे समझ जाता है, उसे समझनेमे विद्यान उलझनमे पड़ जाय अथवा उसे बहुत विस्तारसे समझाना पड़े, तब यह मानना चाहिये कि उसके विकासमें कही बहुत बड़ा दोष रह गया है। विद्यानोकी बहुतसी चर्चाए इस प्रकारकी होती है। उदाहरणके लिए, अविद्यानोकी किसी सभामे जाकर हम पूछे कि गाधीजीको साहित्यकार कह सकते हैं या नहीं, तो वे कहेंगे कि हम तो केवल उनके ही लेख पढ़कर मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और हमें उन्हींके लेख सबसे ज्यादा समझमे आते हैं। उन्हे यदि साहित्यकार न कहा जाय तो किसे कहा जाय? फिर भी, विद्यानोकी सभामें इस प्रश्न पर कमसे कम दो दो दिन तक चर्चा चलाना कठिन नहीं होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अन्तमें बहुमतसे वे इस निर्णय पर पहुचे कि गाधीजीको लेखक तो कह सकते हैं, परन्तु साहित्यकार नहीं।

इसी तरह किसी अविद्यानसे हम पूछे कि मिठास किसे कहते हैं, तो वह कहेगा कि गुड़के जैसा स्वाद मिठास है। वह मान लेगा कि या

तो आपने गुड़ चखा होगा या चख कर जान लेगे। और यदि उससे अधिक पूछे कि गुड़ मीठा क्यों लगता है, तो अधिक पिष्ट-पेपण किये बिना एकदम उत्तर देगा कि यह उसका स्वाभाविक धर्म ही है। परन्तु यदि किसी विद्वानसे यह प्रश्न पूछेंगे, तो वह बहुत विचार करके कदाचित् यह उत्तर देगा। “पदार्थोंमें रहनेवाले कुछ कार्बोहाइड्रेट तथा कुछ सल्फाइड रसायनोंका जीभकी लारमें रहनेवाले अमुक निश्चित रसायनोंके साथ सम्बन्ध होनेसे जीभके ज्ञानततुओं पर जो असर होता है, उसे लोग मिठासके नामसे पहचानते हैं। और उसका ऐसा ही असर क्यों होता है, इसके विषयमें अभी तक निश्चित रूपसे नहीं जाना जा सका है।” यह उत्तर बेचारा अविद्वान तो समझ ही नहीं सकेगा, और विद्वान समझकर भी ज्ञानमें अविद्वानसे आगे नहीं बढ़ सकेगा।

इसी प्रकार किसी अविद्वानसे हम पूछे कि पाप क्या है और वह कैसा होता है तो वह कहेगा कि हमारी विवेक-वुद्धि और अन्त-करण जो न करनेके लिए कहे उसे करना पाप है, अथवा ऐसा काम पाप है जिससे दूसरेके साथ अन्याय हो या दूसरेको पीड़ा पहुँचे, और वह हममें रही हुई काम, क्रोध, लोभ इत्यादि वलवान वासनाओंके कारण होता है। सावारण जिज्ञासु परन्तु अविद्वान मनुष्य इतने निरूपणसे व्यवहारोपयोगी नियम बना लेगा। परन्तु यदि किसी विद्वानसे ये प्रश्न पूछेंगे, तो वह कहेगा कि पापके स्वरूपके विषयमें विद्वान लोग अभी तक छानबीन कर रहे हैं और किसी निर्णय पर नहीं पहुँच सके हैं, क्योंकि पाप-पुण्य सापेक्ष है या निरपेक्ष, सर्वदेशीय और सर्वकालीन है या देशकालानुसारी, इन प्रबन्धोंका अभी तक निश्चित निर्णय नहीं हो सका है। ऐसा क्यों होता है, यह निश्चित करना तो और भी कठिन है। क्योंकि काम-क्रोध-लोभ इत्यादि वृत्तियोंको इनमें जो खराब ही मान लेना पड़ता है, उसके लिए कोई आज्ञा नहीं है। इस तरह विद्वान उल्लङ्घनमें पड़ जाते हैं। अविद्वान उल्लङ्घनमें नहीं पड़ता, क्योंकि वह जानता है कि जिस तरह मनुष्यमें सफेद और कालेंकी परीक्षा करनेकी स्वाभाविक नेत्रशयिन है, उसी तरह काम-क्रोध-लोभ इत्यादिकी योग्य और अयोग्य वृत्तिया कौनसी है, उन्हें परन्मनेकी भी तुच्छ कुदरती

शक्ति उसमें रहती है। उसके निर्णयों पर आधार रखकर जीवनके सामान्य काम हल हो जाते हैं। जिस तरह अमुक रगको लाल कहना या हरा, यह उलझन गायद ही पैदा होती है, उसी तरह अमुक कामको पाप कहना या पुण्य, यह उलझन भी रोज रोज पैदा नहीं होती। किसी समय ऐसा प्रसग आने पर किसी अधिक अनुभवी और चतुर व्यक्तिसे पूछकर इसका निर्णय कर लिया जाता है।

सरल वस्तुको कठिन बनानेकी कलाका तत्त्वज्ञान और धर्मके विषयमें काफी विकास हुआ है। और यह कला ही बहुतसे धार्मिक झगड़ोंका मूल है। जो वस्तु प्रत्यक्ष अनुभवसे या प्रयोग द्वारा जानी जा सकती है, उसे वाद-विवाद द्वारा सिद्ध करनेकी कोशिश करनेके ऐसे ही परिणाम आते हैं। चार्ल्स द्वितीयकी एक बात है। उसने रॉयल सोसायटीके सामने एक समस्या रखी कि लवालब भरे हुए पानीके बर्तनमें मरी हुई मछली छोड़नेसे थोड़ा पानी बाहर निकल जाता है, परन्तु जीवित मछली छोड़नेसे नहीं निकलता। इसका क्या कारण है? कहते हैं कि रॉयल सोसायटीके विद्वानोंने इसके लिए अनेक प्रकारके खुलासे लिख कर भेजे। परन्तु किसीके ख्यालमें यह नहीं आया कि पहले इसका तो निर्णय कर लें कि जीवित मछली छोड़ने पर पानी बाहर निकलता है या नहीं! इसी तरह तत्त्वज्ञानका पचीकरणका विषय लीजिये। आकाशसे बायु, बायुसे तेज, तेजसे जल, जलसे पृथ्वी होती है, इस तरह हम पिछले एक हजार वर्षसे रटते आये हैं। इस प्रेर बड़े बड़े स्स्कृत और प्राकृत विवेचन लिखे गये हैं। और एक पचपचीकृत गणित भी है। उसमें कहा गया है कि हरएक महाभूतमें उस महाभूतका आवा और दूसरे चार महाभूतोंमें से हरएकका आठवा भाग है। यह कितना काल्पनिक गणित है? कपिलने अथवा जो कोई इसका मूल उत्पादक रहा हो उसने तो कुछ अवलोकन करनेके बाद इस कार्यकारणकी परपराकी व्यवस्था की है। परन्तु उसके बाद गायद ही किसीने उसमें सगोवन-परिवर्वन करनेकी या उसके सत्यको कसीटी पर कसनेकी तकलीफ उठाई है। हाँ, उसे केवल अधिक दृढ़ बनानेके लिए कल्पना-विलास जरूर किया है।

इसी तरह साधारण मनुष्यको यह बात समझनेमें देर नहीं लगेगी कि जगत्‌में निश्चित नियमाधीनता है। कुदरतके कुछ अचल नियम हैं। जगत्‌का तत्र हमारी इच्छानुसार भले न चलता हो, लेकिन उसमें अव्यवस्था नहीं है। सूखा पत्ता भी किसी नियमके वश होकर ही अपनी जगहसे खिसकता है। फिर भी योगवासिष्ठके विद्वान् रचयिताने जगत् केवल मायिक है, इसमें किसी प्रकारकी निश्चित व्यवस्था है ही नहीं, यह सिद्ध करनेके लिए अरेवियन नाइट्सको भी मात कर देनेवाली आश्चर्यजनक कथाओंकी कल्पना की है। उसने पत्थरमें कमल उगाये हैं, साथ्य कार्य-कारण-परपरासे विभिन्न प्रकारकी परपराओंवाली सृष्टियोंका वर्णन किया है। प्रत्येक कल्पमें और प्रत्येक ब्रह्माण्डमें राम, कृष्णादिके अवतारोंकी आवृत्तिया निकाली है, और सयमी-स्वच्छदी, चतुर-प्यागल, दैवी-राक्षसी सब प्रकारके ब्रह्मनिष्ठ समाजके सामने रखे हैं। वेचारे साधकको इन सबका वारवार पारायण करना पड़ता है और यह सब ऐसा ही है, इस तरह अपनी बुद्धिमें उत्तारनेके लिए उसे प्रयत्न करना पड़ता है, और जब इसमें शकाये पैदा हो अथवा यह वस्तु अनुभवमें न उतरे, तब अपनी साधनामें कुछ न कुछ त्रुटि समझकर उसे उद्धिग्न रहना पड़ता है। जो व्यक्ति इन सबका शास्त्रकी रीतिये बार बार निरूपण कर सकता है, वह हमारे देशमें ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु बनता है!

तत्त्वज्ञानमें सूक्ष्मता और कठिनता जर्सर है। बुद्धिमें न उत्तर सकें ऐसी अनेक विद्याएं जगत्‌में हैं। केवल तत्त्वज्ञान ही कठिन है ऐसा नहीं। परतु इसे गूढ़ (mysterious) मनवाने या बनानेके जो प्रयत्न होते हैं, उनमें मुझे कोई रुचि नहीं है। स्वामीनारायण सप्रदायमें इसे 'खूणियु ज्ञान' — गुप्त रीतिसे शिष्य पर अनुग्रह करके दिया जानेवाला ज्ञान कहा जाता है। ऐसे गूढ़ ज्ञानके प्रति शकाकी दृष्टिसे देखा जाता है। इसमें बहुतसी गूढ़ता तो केवल शब्दाभ्यर्थ बढ़ावर ही पैदा की जाती है। तीन देह, तीन अवस्थाये, उनके तीन अभिमानी, तीन मृष्टिया, तीन सृष्टियोंकी अवस्थाये और उनके अभिमानी तीन ईश्वर, नार व्यूह, पाच कोश, सात भूमिकाएं, चौदह प्रकारका ब्रह्मानद, स्वर्ग, वैकुण्ठ, गोलोक, अक्षरधाम, जीव-ईश्वर-माया-ब्रह्म-परब्रह्म, जीवन्मुक्ति, विदेह-

मुक्ति, इत्यादि इत्यादिके पीछे कितना शब्द-विलास हुआ है। यह शब्द-विलास मनुष्योंकी वास्तविक समस्याको हल करनेमें अधिक मदद नहीं देता। इन सबमें कुछ विचारने या समझने जैसा है ही नहीं, यह बात नहीं। परन्तु इनके आसपास जिस गूढ़ताका कुहरा छा जाता है, उससे तत्त्वज्ञान या धर्मको लाभ नहीं होता।

इसी तरह धर्म-निरूपणमें मूलको छोड़कर गाखाओंको पोसने और उन्हें चमत्कारोंके श्रृंगारसे सुसज्जित करनेका आडवर हुआ है। ढाई हजार वर्ष पहले बुद्धने लोगोंके सामने पाच व्रत रखे थे । शराव नहीं पीना, हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना और असत्य नहीं बोलना। वौद्वर्वर्ममें इससे अधिक गहन विचार और विषय भी है; उसका एक अलग तत्त्वज्ञान भी है। परन्तु ये पाच नियम सप्रदायोंसे परे सार्वजनिक उपदेश हैं। इस उपदेशको किये २५०० वर्ष हो गये। परन्तु सबा सी वर्ष पहले हो गये स्वामीनारायणको भी,

“दारू, माटी,’ चोरी, अवेरी,^३ चारनो त्याग करी,
भजी ल्योने सहजानद हरि ।”

ऐसे उपदेशके द्वारा गुजरात-काठियावाड़की आम प्रजामें अपनी प्रवृत्ति बदलनी पड़ी। पाचमें से एक नियम उन्हें कम करना पड़ा, और वह भी चौबीस सी वर्षके बाद। परन्तु आज भी क्या स्थिति है? अधिकसे अधिक हम लोगोंको शराव छोड़नेके लिए कह सकते हैं। मासाहारका निषेध करनेकी आज हमारी हिम्मत नहीं है। उलटे शाकाहारियोंमें भी उनका प्रचार होनेके चिह्न दिखाई देते हैं। दवाके नाम पर तो वह लिया ही जाता है। व्यभिचार, असत्य और चोरीके प्रति तो लगभग उपेक्षाकी वृत्ति रखकर ही चलना पड़ता है। ऐसी हालतमें आम प्रजाके लिए धर्मोपदेश कितनी बातोंमें मर्यादित होना चाहिये, इसकी कल्पना करनी चाहिये।

शराव, मास, चोरी, व्यभिचार और असत्य — इन बातोंमें विद्वान और स्स्कारी कहे जानेवाले वर्ग अविद्वान और अस्स्कारी लोगोंसे ज्यादा ऊचे उठे होते हैं ऐसी बात नहीं है। फिर भी यदि कोई

१. माटी = मास, २ अवेरी = व्यभिचार।

धर्मोपदेशक केवल इतनी ही बातो पर भार देकर विद्वानोंके सामने व्याख्यान दे, तो वह प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए धर्म-विवेचकोंने मूलोंको छोड़कर शाखाओंको पोसनेका अधिक श्रम किया है। खाद्य भोजन कौनसा, अखाद्य भोजन कौनसा, जूठा क्या, साफ क्या, कौन स्पृश्य, कौन अस्पृश्य इत्यादिका सूक्ष्म विवेचन हम करते हैं, नहानेसे, खेती करनेसे, सन्ध्या हो जानेके बाद भोजन करनेसे, विना उवाला हुआ पानी पीनेसे तथा पैदल चलनेसे कितनी हिंसा होती है, इसकी सूक्ष्म समीक्षा हम करते हैं, परतु धर्मके मूलोंको बेघड़क उखाड़ते हैं। अर्थात् चोरी, व्यभिचार, मानव-हिंसा या मोती अथवा रेशम जैसी धन देनेवाली व्यापारिक हिंसा पर हम मौन रखते हैं। फिर भी हम धर्मका कितनी सूक्ष्मतासे विचार करते हैं या कितनी बारीकीसे उसका पालन करते हैं, इसका हमें अभिमान होता है! इससे यह सिद्ध होता है कि हमारी विचार करनेकी रीति कितनी विकृतिपूर्ण है।

हम किसी धार्मिक पुरुषका जीवन-चरित्र तथा सम्प्रदायकी पुस्तकें देखे। उनमें से सच्चे या बनावटी चमत्कारोंकी बातें, पूजाये, स्वागत-समारोह, भैंट-पूजा, भोज, शृगार इत्यादिकी बातें निकाल डाले और केवल चरित्र-नायकका इतिहास और उसके चरित्र और गुणोंका चिन्ह देखनेका प्रयत्न करे। ऐसा करके देखेंगे तो पता चलेगा कि यह काम धूलमें से धानके कण ढूढ़नेके समान कठिन है, और फिर भी हमें ऐसा विश्वास नहीं होगा कि हमने कहीं भी धूल नहीं की है।

मेरे कहनेका आशय यह नहीं है कि यह हकीकत केवल हमाने ही देशकी है। सब देशोंके तत्त्वज्ञान और धर्ममें ये दूषण धूमे हुए हैं। परन्तु हमारा तत्त्वज्ञान और धर्म-विचार जगत्‌में सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा हमारा दावा है। इसलिए ये दूषण हमारे लिए नो अविकल्पजास्पद है और उनका सम्मोहन अधिक आवश्यक है।

विद्वानोंको उल्जनमें डालनेवाले अनेक प्रद्वनोंमें से ये दो प्रद्वन भी हैं — परमेश्वर हैं या नहीं? और हैं नो जगत्‌में अन्याय, दुःख इत्यादि क्यों हैं? इनकी यहा पूरी चर्चा करना कठिन है। यहाँ नो मैं इतना ही कहूँगा

परमेश्वर है या नहीं, इस प्रश्नका केवल तर्कके द्वारा हम निर्णय करना चाहें, तो वह कभी नहीं हो सकता। इसमे अनुभव-शुद्धि, विचार-शुद्धि और भाषाशुद्धि तथा पहली दो शुद्धियोके आधारके रूपमें भावना-शुद्धि — इन चारोकी अपेक्षा है। जगत् केवल जड़ तत्त्वका बना हुआ है, या जड़ और जीव दो तत्त्वोका बना हुआ है, या उनके सिवा एक परमात्मा तत्त्व भी है, या न तो पुरुष है और न प्रकृति है, केवल शून्यमें से ही सब कुछ पैदा हुआ है, और यह आत्मा या परमात्मा (दोमें से जो भी हो) सगुण है या निर्गुण, कर्ता है या अकर्ता, इन दोनोके बीचमें द्वैत है, अद्वैत है या विशिष्टाद्वैत है? — ऐसे ऐसे कई प्रश्न तत्त्वज्ञानके मार्गसे जानेवाले हरएकके मनमे उठते हैं। प्राचीन कालसे इन प्रश्नो पर चर्चा होती आई है और भविष्यमें भी होगी। जगत्-में परमेश्वर है तो दुख और अन्याय क्यो होते हैं, इसका उत्तर भी इन मूल प्रश्नोके योग्य निराकरणसे सम्बन्ध रखता है। जिनके मनमे प्रामाणिक शोधन करते समय ये शकाए उठती हैं, उनमें परस्पर इनकी चर्चा हो तो भी झगड़ा होनेका कोई कारण नहीं है। परमेश्वरके अस्तित्वके विषयमें अश्रद्धा होने मात्रसे कोई तत्त्व-जिज्ञासु दुराचारी नहीं हो जाता। परमेश्वरमें श्रद्धा रखने जितनी ही महत्त्वपूर्ण वस्तु मानवतामें श्रद्धा रखना है। मानवतामें जिनकी श्रद्धा नहीं, वे परमेश्वरका अस्तित्व स्वीकार करे या न करे, नास्तिक ही हैं। उनके मनमे ये प्रश्न श्रेय-शोधन करते हुए नहीं उठते, वे तो व्यक्तिगत प्रेय-शोधनको अनुकूल बनानेके लिए इन प्रश्नोकी आड़ लेते हैं।

धार्मिक झगड़ोको देखेंगे तो मालूम होगा कि सब धर्म अनेक-ध्वरवादी हैं। इनमे पहला ईश्वर सब धर्मोंमे एक ही होता है। उसका स्वस्प सदृश्य माना गया हो या असदृश्य, उसकी सदृश्यता तथा असदृश्यता सनातन और स्वाभाविक मानी गई हैं। परतु इस ईश्वरके साथ हरएक धर्म एक या अधिक दूसरे ईश्वर — अथवा उसके पेशवा या प्रतिनिधि — रखना चाहता है, और यही किसे रखना तथा किम स्पर्में रखना इसके लिए झगड़े खड़े होते हैं। क्योंकि उसके लिए यह दावा किया जाता है कि वह तारनहार है। और इस

तरहका दावा करनेवालोंको सिर्फ अपने उद्धारकी चिंता नहीं होती, परतु दूसरोंके उद्धारकी चिंता होती है तथा आवश्यकता पड़ने पर बल-त्कारसे, घोखा देकर या लालच बताकर भी यह उद्धार करनेका आग्रह होता है। इसलिए दूसरे धर्मोंके प्रतिस्पर्धी पेशवाओंको पदभ्रष्ट करनेके लिए लड़ाई करना जरूरी लगता है। जितनी जिहादे पुकारी जाती है, वे सब इन पेशवाओंके नामसे ही पुकारी जाती है। एकको गिवकी उपासना चालू करनी होती है, दूसरेको विष्णुकी, तीसरेको विष्णुके किसी खास अवतारकी, चौथेको गणपतिकी, पाचवेको देवीकी, छठेको तीर्थंकरोंकी, सातवेको बुद्धकी, आठवेको पैगम्बरोंकी, नवेको मसीहकी और दसवेको आखिरी पैगम्बरकी ही। इसके अलावा, हिन्दू धर्मके भिन्न भिन्न गुरु-सप्रदायोंमें अपने अपने गुरु-परत्रहायकी। हरएकको ऐसा लगता है कि मेरा पेशवा ही सच्चा है, दूसरे गौण अधिकारी, पदच्युत हुए अथवा ढोगी है। मराठाशाहीके समयमें धीरे धीरे छत्रपतिकी गद्दी एक कोनेमें रह गई और पेशवाओंका पद महत्वपूर्ण हो गया था। बादमें छत्रपतिके कारण पेशवाकी पेशवाई नहीं रही, परतु पेशवाओंके कारण छत्रपतिकी 'सत्त्व्याति' हुई और छत्रपतिकी आज्ञाओंकी अपेक्षा पेशवाकी आज्ञाओंका अधिक डर लगने लगा। इसी तरह धर्म-सप्रदायोंमें परमेश्वरके कारण उसके पेशवाओंको नहीं, परतु पेशवाओंके कारण परमेश्वरको 'सत्त्व्याति' मिलती है और ईश्वरके नियमोंकी अपेक्षा इन पेशवाओंके नियमोंका अधिक डर लगता है।

सत्य यह है कि मनुष्यको जो बुद्धि मिली है वह केवल आजीवाद-रूप नहीं, शापरूप भी है। उसके कारण वह मूलको छोड़कर जात्याओंमें फस जाता है और धर्मको पालनेके प्रयत्नमें ही यधर्म करने लगता है। क्या वह आश्चर्यकी बात नहीं है कि विभिन्न धर्मोंने ईश्वरके मूरुपका और धर्मके विविध अगोका बहुत ही मूद्दम विचार किया है, मूद्दम जतुओंकी भी हिसाबा विचार करके उसका नियेध किया है, परन्तु एक भी महान् धर्ममें म्वय मनुष्यकी हिसाबा सर्वेषां नियेव नहीं किया गया है? मनुष्यने दूसरे बहुतमें पाप माने हैं, परन्तु स्वज्ञानिन्महारम्भे यादव ही पाप माना है। इसलिए एक नहीं तो दूसरे निमित्तमें, ऐहिरु न

मिलता हो तो पारलौकिक निमित्त उपस्थित करके भी, वह स्वजातिका सहार करनेके लिए तत्पर होता है। 'चेतनका गल काटत है, घर पत्थर पाहन मानत है।' जगत्में नास्तिकता और मूर्तिपूजाका विरोध करनेवाले अनेक सप्रदाय हैं। परन्तु खुद नास्तिकता या मूर्तिपूजामें न पड़ा हो, ऐसा एक भी धर्म नहीं है। कारण यह है कि नास्तिकता और मूर्तिपूजा ईश्वर-विषयक ज्ञान-अज्ञानमें से ही नहीं पैदा होती है, परन्तु स्वजाति-शत्रुत्व और उसकी हिंसा करनेकी तत्परतामें से तथा ईश्वरके बदलेमें किसे स्वीकार करना चाहिये, इसके आग्रहमें से पैदा होती है। चेतनकी अपेक्षा जड़की अधिक महिमा समझना और जड़के प्रति रहे आदरके लिए चेतनका सहार करना, इसीका नाम नास्तिकता और मूर्तिपूजा है।

इसका उपाय क्या है? कितने ही लोग कहते हैं कि धर्मका उच्छेद करना चाहिये। खूनकी नदिया बहाकर भी धर्मका उच्छेद करना शक्य नहीं है। जब तक मनुष्य विचारी प्राणी है, श्रेयका शोधक है, ज्ञानका शोधक है, तब तक धार्मिक समाजोकी रचना होती ही रहेगी। और जब तक उसकी वुद्धि और चरित्रका विकास अपूर्ण है, तब तक अज्ञान, अधिविश्वास, पक्ष और झगड़े भी होते ही रहेगे। धर्मके अलावा दूसरे क्षेत्रोमें भी कुछ कम झगड़े नहीं होते। इस सारी परिस्थितिमें से हमें मानव-कल्याणके मार्ग ढूढ़ने हैं। परिशिष्टमें दिये हुए सूत्र इसी हेतुसे लिखे गये हैं। पाठकोंसे निवेदन है कि वे उन पर मनन करें।

*

अन्तमें मानवकी हिंसा न करना, सब मनुष्योके प्रति समवृत्ति, सर्वधर्म-समभाव, असत्य-मद्य-चोरी और व्यभिचारसे परहेज, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक स्वच्छता और जगत्के प्रति कर्तव्य-निष्ठा -- ये मनुष्यके कमसे कम सदाचार अयवा धर्म हैं। इनके विना वाकी सारा तत्त्व-चितन, योगाभ्यास या धर्म-यालन अपनी छायाको पकड़नेके लिए की गई होड़ ही है, और सारी सूक्ष्म चर्चा परिणाममें केवल धुधली वुद्धि ही है।

"हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याऽपिहित मुखम् ।

तत्त्वं पूपन्नपावृण् सत्यवर्मयि दृष्टये ॥" ईश - १५

तत्त्वज्ञान

प्रस्तावना

१. वेद अर्थात् ज्ञान, अर्थात् अनुभव। वेदान्त अर्थात् ज्ञानका — अनुभवका अत, जिस मर्यादासे आगे अनुभव नहीं हो सकता। केवल वेद नामक ग्रथ या वेदान्त नामक दर्शन ही वेद या वेदान्त नहीं है।

२. तत्त्वज्ञानमें ग्रथका या अनुभवी पुरुषका महत्त्व या प्रामाण्य उतने ही अश तक माना जाना चाहिये, जितने अश तक वह अनुभवको ग्रकट करता है या उसकी ओर हमे ले जाता है।

३ इस तरह प्राचीन श्रुति-स्मृतियोमें, मध्यकालीन सत्त्वाणीमें, अर्वाचीन ग्रथोमें, बाइबल और कुरानमें, बीद्यग्रन्थोमें, जैनग्रन्थोमें या जगत्की किसी भी भाषाकी प्राचीन या अर्वाचीन पुस्तकोमें तथा देशके किसी भी जीवित सतकी वाणीमें वेद तथा वेदान्तके वचन हो सकते हैं और उनसे विरुद्ध वचन भी हो सकते हैं। इसके लिए ग्रन्थ पढ़नेका उत्माह रखनेवालेको सब ग्रथोको समान आदर तथा विवेचक वृद्धिसे देखना चाहिये। इस अवलोकनका हेतु है अपने अनुभवको दूनरोके अनुभवसे मिलाना और अपने उत्कर्पके लिए उसमे से मूचना प्राप्त करना।

४ सब शास्त्रोके बीच किसी भी तरह एकवाक्यता वैठानेका प्रयत्न करना ठीक नहीं है।

५. अनुभव और अनुभवकी उपसत्ति अर्वात् भाषाके द्वारा नम-ज्ञाना और सजाना एक बात नहीं है। एक ही तरहका अनुभव होने पर भी अलग अलग अनुभव करनेवालोके समझाने और सजानेमें फर्क हो सकता है, अथवा इसके विपरीत एक ही प्रकारकी भाषाका प्रयोग

होने पर भी उनके अनुभवमें फर्क हो सकता है। इसलिए एक ही विषयके निरूपणमें परिभाषाका तथा मण्डनका फर्क पड़ता है अथवा एक ही परिभाषा और मण्डनमें से अनेक अर्थ निकलते हैं।

६. खास करके जब मूल वस्तु अदृश्य होती है और उसके परिणाम ही दृश्य होते हैं, तब उस वस्तुके स्वरूपके विषयमें तथा उसके और परिणामके बीच हुए व्यापारोंके विषयमें ऐसी उपपत्तिके बारेमें बारबार फर्क पड़नेकी सभावना रहती है।

७. ज्ञानततुओंके द्वारा होनेवाले (जैसे कि ज्ञानेन्द्रियों, षड्गियों, भावनाओं इत्यादिके) सब अनुभवोंका भाषा द्वारा पूर्ण रूपसे वर्णन नहीं किया जा सकता। केवल उनका अगुलि-निर्देश ही किया जा सकता है। जैसे कि मिठास अथवा दया इन दोनोंका हम सबको अनुभव है, ऐसा मानकर ही इन शब्दोंका हम सफल उपयोग कर सकते हैं। ऐसा भी सभव है कि एक मनुष्यको अमुक अनुभव होने पर भी उसके प्रति उसका व्यान न जाता हो। उसके लिए भी भाषा द्वारा किया हुआ निरूपण उपयोगी हो सकता है। परन्तु जिस वेदनाका किसी मनुष्यको कभी अनुभव ही नहीं हुआ हो, उसे शब्दोंसे समझानेमें पूरी सफलता नहीं मिलती। जैसे, जिसे कभी महारोग (कुण्ठ) न हुआ हो उसे महारोगीकी वेदनाका पूरा ख्याल वर्णनसे नहीं आ सकता।

८. अदृश्य पदार्थोंके स्वरूपको, दृश्य परिणामोंके अदृश्य कारणोंके स्वरूपको, कारण और कार्यके बीचके व्यापारोंके स्वरूपको तथा जिस अनुभवके प्रति व्यान न गया हो और जो अनुभव कभी हुआ ही न हो उसे मनुष्य उपमा या रूपकोंके द्वारा समझने-समझानेका प्रयत्न करता है। अर्थात् उसकी किसी स्थूल पदार्थ या स्थूल व्यापारके साथ तुलना करता है और उसके जैसा ही यह पदार्थ या व्यापार होगा ऐसी कल्पना करता है। इस तरह अदृश्यको दृश्यकी परिभाषामें समझाने-सजानेको 'वाद' कह सकते हैं। ऐसे वादोंका विज्ञानगास्त्रों तथा तत्त्वज्ञान दोनोंमें उपयोग होता है। विश्वके मूल तत्त्वके अदृश्य स्वरूपके विषयमें तथा उसके और दृश्य विश्वके बीचके संबंधके विषयमें इस-

तरह वाद रखे जाते हैं। मायावाद, लीलावाद, पुनर्जन्मवाद इत्यादि इसी तरहके वाद हैं।

९. वाद कोई सिद्धान्त — नियम अथवा अटल कानून नहीं है, परन्तु एक कामचलाऊ समझ है। हरएक पीढ़ीमें जैसे जैसे जीवनमें अनुभव और अवलोकन बढ़ता है और सूक्ष्म होता है तथा विज्ञान-ग्रास्त्रोका विकास होता है, वैसे वैसे वादोके स्वरूपमें परिवर्तन होता रहता है। कलकी उपपत्ति आज छोड़ दी जाती है और नवीन उपपत्ति प्रस्तुत की जाती है। इस वादके द्वारा हम जितने अशमें अदृश्य पदार्थों या व्यापारोको समझा सकते हैं, उतने अशमें वह एक उपयोगी साधन होता है। जब इस वादके द्वारा किसी अनुभवको ठीक तरहसे नहीं समझाया जा सकता तब उसे छोड़ना पड़ता है। अब तकके सारे अनुभवोको उसके द्वारा समझनेमें हम सफल हो, तो वह अधिक श्रद्धायोग्य होता है। ऐसा करते हुए कोई वाद सिद्धान्त अथवा नियमके रूपमें भी सिद्ध हो जाता है। परन्तु तब तक अमुक वादको ही पकड़े रखनेका आग्रह सत्य-शोधनमें विघ्नरूप होता है।

१०. तत्त्वज्ञानका विज्ञानके साथ अधिक निकटका सवध है। विज्ञानका विचार सूक्ष्म होने पर तत्त्वज्ञानमें पहुच जाता है और तत्त्वज्ञानका विचार तफसीलोमें उत्तरते उत्तरते विज्ञानके क्षेत्रमें पहुच जाता है। तत्त्वज्ञान विज्ञानका निचोड़ और विज्ञान तत्त्वज्ञानका प्रमाण वने, तो वे परस्पर पूरक माने जा सकते हैं।

११. अनुभवोको ढूढ़ने, सुधारने, विचारने, तीलने तथा भाषाके द्वारा प्रकट करनेके लिए तर्कशास्त्र इन दोनोंका सहायक हो सकता है।

१२. परन्तु हमारे देशमें तत्त्वज्ञानको विज्ञानमें अलग करके मानो वह तर्कशास्त्रका एक परिशिष्ट हो इस तरह उनका अन्याय करनेकी प्रथा पड़ गई है। वादोको निद्धान्तों अथवा नियमोंका महत्व दिया गया है और वे साम्प्रदायिक ममत्वके विषय वन गये हैं। अनुभवोंको वादोंकी मददसे समझानेके बदले केवल वादोंको समझानेके लिए बड़ी बड़ी क्वाएं रची गई हैं। इसमें तर्कशास्त्रका तथा कल्पना-शक्तिका दुरपर्योग हुआ है और तत्त्वज्ञान बहुत अशोमें तार्किक और काल्पनिक वन गया है।

१३. इसका परिणाम यह हुआ है कि जिज्ञासुके लिए तत्त्वज्ञानका पाण्डित्य सहायक होनेके बदले वाघक होता है।

१४ और तत्त्वज्ञानका जीवनके सामान्य व्यवहारोके साथ — अर्थात् धर्म, अर्थ और कामके पुरुषार्थोंके साथ — निकटका सबध है। ये चारो एक-दूसरे पर आधार रखनेवाले और परस्पर उपकारक पुरुषार्थ हैं।

१५ परतु इन तीनोंके और तत्त्वज्ञानके बीच रात और दिनका-सा विरोध है, ऐसा समझानेसे ज्ञानकी साधना उल्टी दिशामें मुड़ गई है, और कभी कभी तो वह आलस्य, स्वार्थ तथा दुराचारकी तरफ भी झुक गई है।

१६. सत्यकी शोधके लिए हमारे देशमें अनेक मनुष्योंने काफी त्याग करके अपार परिश्रम किया है, फिर भी ऊपरकी मान्यताके परिणाम-स्वरूप तत्त्वज्ञानने ज्यादातर व्यक्तिवादका ही पोषण किया है।

१७ और, उसीके परिणाम-स्वरूप वेदातके लेखकोंने वाल, उन्मत्त और पिगाच वृत्तिके ज्ञानियोंका एक वर्ग पैदा किया है। इसमें विचार-दोष है। ऐसी वृत्तिको आचार, विचार या साधनामें हुई किसी भारी भूलका परिणाम समझना चाहिये और वैसे लोगोंकी वह अपूर्णता मानी जानी चाहिये।

१८. ऐसी ही दूसरी भूल ज्ञानियोंको चरित्र और शीलके नियमोंसे परे माननेमें हुई है। ज्ञानीका चरित्र और शील सामान्य मनुष्योंसे बहुत ऊचा होना चाहिये और उसके द्वारा इस तरह संशोधन और मार्गदर्थन होना चाहिये, जिससे भूतमात्रका कल्याण हो।

परमेश्वर

१९ अपने अस्तित्व-सबधी अनुभवो और जगत्‌में मिलनेवाले अनुभवोंके स्वरूपको सूक्ष्मतासे देखने पर वेशक यह प्रतीति होती है कि सबके मूलमें एक ही तत्त्व है। जगत्‌के सब गोचर और अगोचर पदार्थ तथा शक्तिया इसी तत्त्वमें से निकली है, इसीमें रहती है और जब लय होती हुई दिखाई देती है तब इसीके किन्ही कार्योंमें —

अर्थात् एक प्रकारके दृश्योमे से दूसरे प्रकारके दृश्योमे — केवल रूपान्तरित होती है।

२०. इस परम तत्त्वको क्रियाशून्य, चेतना-शून्य, ज्ञानशून्य, प्रेम-शून्य, सुखशून्य अथवा जड़ या विनाशी नहीं कहा जा सकता। इसे जड़ अथवा आदि-अतवाला समझनेमें विचार और अवलोकनकी पूर्ण सूक्ष्मताका अभाव है। इस सूक्ष्म तत्त्वके स्वरूपका और चाहे जिस तरह वर्णन किया गया हो, फिर भी इतना तो इस विषयमें अवश्य कहा जा सकता है कि इसकी सत्ता अविनाशी है तथा इसमें क्रिया, ज्ञान, प्रेम और मुखकी शक्तिमत्ता अथवा वीजरूप शक्ति है।

२१. अपने अस्तित्व-सबधी सारे अनुभवोंका विश्लेषण करते करते आत्माका स्वरूप अनुभूतिमात्र, ज्ञप्तिमात्र, चिन्मात्र और निरह-कार अर्थात् व्यक्तित्व-शून्य मालूम पड़ता है। इस विश्लेषणको कुछ कम सूक्ष्म करके कहे, तो वह अनुभविता, ज्ञाता, चैतन्य, साक्षी और सत्य-व्यक्ति (अर्थात् सदा एक रूपमें रहनेवाला) होने पर भी अहतायुक्त प्रत्यगात्मा लगता है। इससे भी कुछ कम सूक्ष्मतासे कहे, तो वह कर्ता, भोक्ता तथा उन्नति-अवनतिको प्राप्त करनेवाला जीव लगता है।

२२. इसी तरह जगत्‌में प्राप्त होनेवाले अनुभवोंके स्वरूपको बहुत सूक्ष्मतासे देखे, तो उसके मूलतत्त्वका स्वरूप अनुभूतिमात्र, ज्ञप्तिमात्र, चिन्मात्र और व्यक्तित्व-शून्य मालूम पड़ता है। अपने तथा जगत्‌के अति सूक्ष्म परीक्षणमें व्यक्तित्व दिवार्ड न देनेमें दोनोंको एकताकी प्रतीति होती है। परन्तु इस सूक्ष्मताको कुछ कम करके कहे तो ऐसा लगता है कि जगत्‌में कोई सर्वज्ञ, सर्वसाक्षी, नर्व-व्यापक, कर्मफल-प्रदाता और तटस्य सत्त्व है। इससे भी कम नूद्वमतासे कहे तो ऐसा लगता है कि वह उत्तमतापालन-सहारकर्ता, सबका भोक्ता और नवका स्वामी तथा नियामक है।

२३. इस परम तत्त्वको भगवान्, परमात्मा, ऋह्य, अल्लाह, यहा इत्यादिके नाममें पहचाने और वहे कि एक पन्नेवन्ना ही ननानन अस्तित्व है और जो कुछ अलग अलग दिवार्ड देना है, उसमें भी इनके निवा कोई भिन्न तत्त्व मिला हुआ नहीं है।

२४. सब सतोकी यह निश्चित प्रतीति है। परतु परमेश्वरके स्वरूपकी उपपत्ति देनेमें सतोके निरूपणमें भेद हो जाता है। कुछ सत परमेश्वरको जप्तिमात्र, अनुभूतिमात्र, चिन्मात्र और सत्तामात्र कहते हैं। कुछ उसे सत्यकाम, सत्यसकल्प, सर्वकल्याणकारी, गुणोका भण्डार और आनदघन कहते हैं, और कुछ उसे सबका स्वामी, सबका कर्ता, नियामक, पालक और सहारक कहते हैं। जिस तरह कोई सिनेमाको शीघ्र गतिसे चलनेवाली चित्रमालासे नेत्रको होनेवाला आभास कहे और कोई गतिमान पदार्थोंकी चित्र-परपरा कहे और कोई हिलनेवाले चित्र कहे, उसी तरह इन निरूपणोंका भेद है। जिस तरह सामान्य मनुष्योंको 'हिलनेवाले चित्र' इतना निरूपण पर्याप्त लगता है, उसी तरह उन्हे परमेश्वरका सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सृष्टिका उत्पत्ति-पालन-प्रलय करनेवाला और सबका स्वामी यह निरूपण पर्याप्त लगता है। इन निरूपणोंमें यह अनुभव तो समान है कि सबसे परे एक सच्चित् परमेश्वर तत्त्व ही है, परतु उसके सबधमें विचार या निरूपणकी सूक्ष्मतामें भेद है।

२५. मेरी दृष्टिसे परमेश्वर इस विश्वका सनातन और सर्वत्र फैला हुआ चैतन्य-बीज है। चैतन्य अर्थात् इच्छा (अथवा संकल्प)-शक्ति, ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति। परमेश्वरका अस्तित्व काल्पनिक नहीं बल्कि सत्य होनेसे ही उसकी सकल्प-शक्ति भी सत्य सिद्ध होती है। अर्थात् सकल्पके अनुसार जगत्में परिणाम उत्पन्न होते हैं।

२६. जिस तरह सोनेके अनेक आकार गढ़े जाने पर भी उसका सुवर्णत्व बदलता नहीं है, उसी तरह विश्वमें होनेवाली सब तोड़-फोड़, जन्म-मृत्यु और उत्पत्ति-प्रलयकी घटनाओंसे परमेश्वरके सिवा कोई नया या भिन्न तत्त्व आता-जाता नहीं है।

२७. इस तरह परमेश्वर निर्विकार और अकर्ता (अर्थात् अपने सिवा अन्यको उत्पन्न न करनेवाला) है, परतु वह निष्क्रिय या स्थूल दृष्टिसे अपरिणामशील नहीं है।

२८. परमेश्वरकी इच्छा, ज्ञान और क्रियाशक्तियोंके व्यापार निरतर और सर्वत्र चलते रहते हैं। इस कारणसे जगत्‌में एक

विपल भी विना परिवर्तनके व्यतीत नहीं होता। और ये परिवर्तन अनत प्रकारके और अनत रीतियोसे होते हैं, अतः उनमे सदैव नवीनता रहती है। इसलिए जगत्‌मे विगत क्षणकी स्थिति वैसीकी वैसी फिर कभी नहीं आती। ये व्यापार सर्वत्र चलते रहते हैं, अतएव हरएक व्यापारमे कुछ व्यक्तित्व और मर्यादा भी आ ही जाती है। ये दोनो मिलकर हमें काल और देशका अनुभव कराते हैं।

२९. परमेश्वर सकल्प, ज्ञान और क्रियाशक्ति-रूप हैं और वह सर्वत्र तथा सत्य है। इस कारणसे एक प्रकारकी इच्छा-ज्ञान-क्रियामे से दूसरे किसी प्रकारकी इच्छा-ज्ञान-क्रिया आदिमे रूपान्तर होनेका व्यापार कुछ व्यवस्थापूर्वक चलता है, चाहे जैसे उलटा सीधा नहीं चलता। इस व्यवस्थाके सब नियमोका अन्वेषण हम कर सके या न कर सके और जगत्‌मे हमारी आशाके अनुसार घटनाए घटित हो या न हो, परन्तु इसके व्यापारोमे कहीं पर भी नियम-शून्यता नहीं है, ऐसा कहनेके लिए हमारे पास जगत्‌का पर्याप्त अनुभव है।

३०. इस तरह किसी प्रकारकी व्यवस्थावाले, सर्वत्र फैले हुए, इच्छा, ज्ञान या क्रियाओके व्यापारोके हमे जो अनेक तरहके अनुभव होते हैं, वे यह जगत्‌ हैं।

३१. बीता हुआ क्षण वापस नहीं आता और स्वप्नवत्‌ हो जाता है तथा भविष्य-काल केवल आशा ही है और वह सिद्ध हो तो भी क्षणभर ही रहती है, फिर भी जगत्‌ रज्जुमे सर्पके भ्रगके समान, या स्वप्नके भोगोके समान, या गर्वन् नगरीकी तरह केवल झूठी माया अथवा काल्पनिक भारा नहीं है, किंतु जिस तरह नदी पानीकी साथ तरहकी गतिका सच्चा अनुभव है, उसी तरह जगत्‌ चारों ओर भृत्य चलते रहनेवाले व्यापारोका सच्चा अनुभव है।

३२. और जगत्‌ किसी टाड-प्यारो विंडे हुए, ऊँची या स्वच्छन्द लड़के जैसा, परन्तु अत्यत नविनमान सच्चकी लौला जर्यात्‌ खेल नहीं है, लेकिन एन भहान शक्तिमे उसके न्वभावानुसार नियम-पूर्वक चलनेवाले व्यापार है।

जीव और जड़

३३. अनादि और अविनाशी केवल परमेश्वर ही है। उसके सिवा दूसरा कोई अत्यन्त अनादि या अत्यन्त अविनाशी नहीं है। अर्थात् जीव या जड़ तत्त्व चाहे जितने लिए समय तक एकरूप रहे हुए प्रतीत हो, फिर भी उनका आदि तथा अत है। परंतु आदिका अर्थ गून्यमें से उत्पन्न होना नहीं और उनका अर्थ गून्य होना नहीं है। उनका अर्थ एक प्रकारके दृश्योंसे दूसरे प्रकारके दृश्योंमें परिवर्तित होना है।

३४. जीव और जड़के बीच भी कोई सनातन और नित्य भेद हो, ऐसा मालूम नहीं होता। अर्थात् जीवमें से जड़ और जड़में से जीवका परिवर्तन होना असभव नहीं है।

३५. जिसे अलगसे पहचाना जा सके, ऐसा कोई भी जड़ या चेतन पदार्थ या व्यापार जब तक उसका अलगाव रहता है तब तक भिन्न व्यक्ति है। इस तरह हरएक व्यक्तिका सच्चा अस्तित्व है।

३६. ऐसा कोई भी व्यक्ति विश्वसे विलक्षुल अलग और स्वतंत्र नहीं हो सकता। सब एक-दूसरेके साथ और जगत्के साथ किसी न किसी तरह जुड़े हुए है।

३७. परतु व्यक्तिमात्रका उपादान-कारण परमेश्वर ही होनेसे यह कहा जा सकता है कि ये सब परमेश्वरके रूप हैं और परमेश्वरसे कोई अलग नहीं है। परतु ऐसा कोई भी व्यक्ति एक ही समयमें परमेश्वरकी सब प्रकारकी व्यक्तियों या व्यापारोंको प्रकट नहीं कर सकता। इसलिए किसी भी जड़ या चेतन व्यक्तिके वारेमें यह कहना ठीक नहीं कि वह परमेश्वर अर्थात् समग्र ब्रह्म है। परतु यह कहना ठीक है कि वह स्वयं या कोई दूसरा ब्रह्मसे अलग नहीं है या तत्त्वतः ब्रह्म है।

३८. ब्रह्मके विषयमें 'मैं'का प्रयोग नहीं हो सकता। इस तरह प्रत्यगात्माको विणिष्ट ब्रह्म कहनेकी रीति ज्यादा ठीक लगती है।

३९. हममें जो भी इच्छाए, ज्ञान और क्रियाए मालूम होती है और जिन्हे हम अपनी इच्छाए, ज्ञान और क्रियाए मानते हैं, वे नचमुच वैनी न भी हो और सम्भव है कि हम विश्वमें व्याप्त अनेक

तरहकी इच्छा-ज्ञान-क्रियाकी तरगोको झेलनेवाले और प्रकट करनेवाले भिन्न प्रकारसे रचे हुए द्रष्टा अथवा साक्षी और कदाचित् उन्हें किसी भिन्न दिग्गमे ले जानेवाले निमित्त ही हो।

४० इससे देहके बिना अथवा अलग अलग देहोंको वारण करके हमारा व्यक्तित्व सदैव बना रहे, अथवा सारे जगत्‌का चाहे जो हो और वह चाहे जितना परिवर्तनशील हो, परतु हमारा व्यक्तित्व अपरिवर्तनशील और नित्य टिकनेवाला अथवा जगत्‌से भिन्न, स्वतंत्र और परे हो, अथवा जगत्‌में हमारा व्यक्तित्व दूसरोंसे भिन्न मार्ग निकालकर अपनी विशेषता प्रकट करनेका सरोप हमें दे — इन सब इच्छाओंमें व्यक्तित्वाद है और आत्माका अगुद्ध अभिमान है।

४१ परमेश्वरमें विश्वरूपमें चलनेवाले इच्छा-ज्ञान-क्रियाके अनत व्यापारोंमें से कुछको प्रकट करने, रूपान्तर करने और पहचाननेके हम एक खास रचनावाले साधन अथवा यत्र हैं। यह यत्र जगत्‌के महायत्रका एक अग है और उसके साथ सलग्न हैं। जगत्‌में चलनेवाले व्यापारोंका इस यत्र पर प्रभाव पड़ता है और इसमें चलनेवाले व्यापारोंका जगत्‌पर प्रभाव पड़ता है। हममें मालूम होनेवाले व्यक्तित्वके भानका योग्य उपयोग यह है कि परमेश्वरके लिए, अर्यात् जगत्‌के हितके लिए, इस यत्रको अर्पण कर दिया जाय। इसकी विशेषताएं स्वार्थके लिए नहीं परन्तु परमार्थके लिए हो। इसमें प्रकट होनेवाली इच्छा-ज्ञान-क्रियाओंमें अपने लाभकी या सरोपकी वृत्ति नहीं, परन्तु यवासभव जगत्‌के हितकी वृत्ति हो। इस दिग्गमे क्रिया जानेवाला प्रयत्न व्यक्तित्वकी शुद्धि अथवा आत्माके शुद्ध अभिमान और निरहं-कारिताके प्रति प्रयाण है।

४२ मरनेके बाद हममें दिनाई देनेवाले वर्तमान व्यक्तित्वका क्या होना, इसकी चिता अथवा उसे टिकानेकी इच्छा योग्य नहीं है। सभव है कि छादोग्योपनिषद्‌के क्यनानुसार, जिन तन्ह अलग अलग फलोंवा मधु छत्तेमें एकन होनेके बाद अथवा विभिन्न नरियोंना पानी समुद्रमें निकलेके बाद, उनमें वह इस फूलका मधु है अथवा वह उन नदीका पानी है ऐसा व्यक्तित्व मालूम नहीं होता अथवा पानीदी

बूदके भाष बनकर उड़ जानेके बाद उस बूदके अशोका इतिहास नहीं ढूढ़ा जा सकता, उसी तरह 'इमा सर्वा. प्रजा. सति सपद्य न विदु सति सपद्यामह इति ।' १६-९-२ (सब प्रजाए सत्मे जानेके बाद हम सत्मे चली गई हैं ऐसा नहीं जानती, अर्थात् अपना भिन्न व्यक्तित्व नहीं रख सकती ।)

२

धर्म

(अ) सामान्य रूपसे

१ प्राणीमें विचार और विवेक उत्पन्न होनेके साथ ही धर्म उत्पन्न हो जाता है ।

२ धर्म अर्थात् आचारके नियम — विधि-निषेध, क्या, कव, कैसे, कितना, किस तरह अमुक काम करना या न करना — यह सब धर्म-विचार है ।

३ जो वचन सब मनुष्योंके सब प्रकारके श्रेय और प्रेयका समवृत्तिसे विचार करके तथा अन्य भूतोंके हितोंका भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करके आचार-व्यवहार और प्रायश्चित्तके नियम सूचित करते हैं, उनका नाम है धर्मशास्त्र । भले ये वचन इस देशके पुरुषोंके हो या परदेशके हो, प्राचीन हो या अर्वाचीन हो और धार्मिक पुस्तकोंके नामसे उनकी ख्याति हो या न हो । इससे उलटे, धर्मशास्त्रके नामसे पहचाने जानेवाले प्राचीन या अर्वाचीन ग्रथोंमें तथा सतोकी वाणीमें धर्मशास्त्रकी कोटिमें न आ सकनेवाले वचन भी हो सकते हैं । जितने बंशमें वे वचन मनुष्यमें सद्बुद्धि और सत्प्रवृत्ति प्रेरित करते हैं तथा सर्वभूतोंके प्रति समभाव प्रकट करते हैं, उतने अगमें वे धर्मशास्त्र माने जा सकते हैं ।

४. अकेले रहनेवाले व्यक्तिको भी अपने श्रेय (चित्तके नतोष) और प्रेय (भौतिक सुख) के लिए धर्मका पालन करना पड़ता है । परन्तु

विगाल दृष्टिसे कोई भी प्राणी विलकुल अकेला रहता ही नहीं। सजातीय जीव न हो तो विजातीय जीव नाथमें होते हैं और उनके साथ भी किसी न किसी प्रकारका समाज और उसका वर्म उत्पन्न हो जाता है।

५ धर्मका पालन व्यक्तिके तथा समाजके सुखके लिए है। उसमें होनेवाले भगका परिणाम दोनोंको भोगना पड़ता है। किसी समय भग करनेवालेको अधिक भोगना पड़ता है और किसी समय समाजको।

६ इससे सजातीय समाजोंमें हरएक व्यक्तिसे उसके कर्तव्योंका पालन करनेके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं उत्पन्न होती हैं।

७ मनुष्यके सिवा दूसरे प्राणियोंमें भी ऐसी व्यवस्थाएं देखनेमें आती हैं। यह अलग बात है कि उन्हें हम धर्मका नाम नहीं देते।

(आ) मानव-समाज और धर्म

अब हम मानव-समाज और धर्मका विचार करें।

८ समाजकी व्यवस्थाओं और नियमोंके पीछे उसके आधारके रूपमें जीवन तथा जगत्‌के स्वरूप और सम्बन्धके विषयमें, जीवनके आदर्शोंके विषयमें, जिन्हें नियमोंका पालन करना है और जिनमें नियमोंका पालन करना है उनके बीचके सम्बन्धके विषयमें, व्यक्ति तथा नमाजके सम्बन्धके विषयमें तथा समाजकी व्याप्ति और मर्यादाके विषयमें, कम-ज्यादा विकसित कोई दृष्टि तथा भावना रहती है, अर्थात् तत्त्वज्ञान भौतिक तथा सामाजिक विज्ञान और वुद्धि तथा हृदयका (अर्थात् दृष्टि तथा भावनाकी विशालताका) कम-ज्यादा विकास है।

९ इस तरह तत्त्वज्ञानकी, वुद्धिकी और हृदयकी विभिन्न भूमिकाओंके अनुसार अलग अलग नियमोंको धर्म माननेवाले अलग अलग समाज हैं।

१० धर्मकी नीव गहरी हो या छिठ्ठी, मजबूत हो या बमजोर, व्यापक धोनमें फैली हुई हो या नीमित धोनमें, परन्तु धर्मका हेतु अपने धोनमें आनेवाले समाजका श्रेय और प्रेय बरना होता है।

११. कुछ धर्म मुख्यतः श्रेयकी दृष्टिसे विचारे गये होते हैं, और कुछ प्रेयकी दृष्टिसे। दोनोंमें कभी तत्त्वदृष्टि प्रधान होती है, तो कभी विज्ञान-दृष्टि।

१२. जिस समाजकी रचनामें तत्त्वदृष्टि और विज्ञान-दृष्टि, अथवा श्रेयदृष्टि और प्रेयदृष्टि, एक-दूसरेके साथ खूब घुलमिल जाती है, वह समाज और उसका धर्म दोनों एकरूप हो जाते हैं, जैसे कि हिन्दू समाज और हिन्दू धर्म, मुसलमान समाज और इस्लाम। ऐसे समाजोंको हम जातीय (कौमी) समाजके नामसे पहचानते हैं।

१३ जिस समाजकी रचना प्रधान रूपसे तत्त्वदृष्टि द्वारा श्रेय और प्रेय दोनोंकी सिद्धिके लिए होती है, वह धार्मिक मत, पथ और नम्प्रदायका रूप वारण करता है। कालान्तरमें, उसमें से उपर्युक्त प्रकारका समाज भी अस्तित्वमें आ सकता है। इसे हम साम्प्रदायिक समाज कहेंगे।

१४ जिस समाजकी रचना प्रधान रूपसे तत्त्वदृष्टि या विज्ञान-दृष्टिके द्वारा केवल श्रेवप्राप्ति (मानसिक सतोष) के लिए होती है, वह विभिन्न वर्गों (schools, academies) का रूप लेता है। उसे हम दार्शनिक समाज कहेंगे।

१५ जिस समाजकी रचना मुख्यतः विज्ञान-दृष्टिके द्वारा केवल प्रेयप्राप्तिके लिए होती है, उसके भौतिक, राजकीय, आर्थिक, सामाजिक इत्यादि समाज वनते हैं और वे प्रजाओं, वर्गों, दलों या पारियोंके नामसे पहचाने जाते हैं। इन्हें हम भौगोलिक समाज कहेंगे।

१६ इन चारों तरहके समाजोंमें परस्पर सघर्ष और कलहकी तथा न्यौह और भाईचारेकी शक्यता रहती है।

१७. इनमें से यहां हमने भौतिक समाजोंका विचार छोड़ दिया है। केवल इतना कहना चाहिये कि इन समाजोंमें भी अवविश्वास, अवश्वास, अज्ञान, जान-वृज्जकर गलत मार्गदर्शन इत्यादि पहले तीन प्रकारके समाजोंकी अपेक्षा कम होते हैं, ऐसा माननेके लिए कोई कारण नहीं है।

१८ जातीय समाज, साम्प्रदायिक समाज और दार्शनिक समाजोंमें जहीं या गलत कुछ श्रेयदृष्टि रहती ही है और धर्म शब्दके रूढ़ अर्थमें

श्रेयका भाव समझा जाता है, इसलिए सुविवाके खातिर इन तीनोंको हम धार्मिक समाज अथवा धर्मों (वहुवचनमे) के नामसे पहचानेगे। अनुगम इनका सही नाम होगा।

(इ) धार्मिक समाज'

१९. मनुष्यका स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि केवल प्रेयोकी प्राप्तिने ही उसे पूरा सतोप और गानि नहीं होती। सब तरहके प्रेय होने पर भी उसे जीवनमे कुछ ऐसी कमी महसूस होती रहती है, जिसके कारण वह सतोप और शातिका अनुभव नहीं कर पाता। सतोप तथा शातिकी गोध ही श्रेयकी शोध है।

२०. कुछ मनुष्योंमे वह इच्छा इन्हीं तीव्र होती है कि वे न केवल प्रेयको छूड़ते नहीं हैं, परन्तु प्राप्त हुए प्रेयोको भी छूड़ देते हैं। परन्तु कई बार ऐसा होता है कि जिन्होंने श्रेयके लिए प्रेयको छूड़ दिया है, वे अमुक कालके बाद फिर प्रेयार्थी बन जाते हैं। वर्मोंमें पाखड़का प्रवेग ज्यादातर इसी वर्गके मनुष्यों द्वारा होता है। इन दोनोंको छूड़कर बाकीका बड़ा जनसमुदाय श्रेय और प्रेय दोनोंकी इच्छा करनेवाला होता है।

२१. ज्यादातर धर्मोंका और सम्प्रदायोंका उद्भव और प्रचार पहले दो वर्गके मनुष्य करते हैं, और वहुजन समाजमे ने उनके अनुयायी बनते हैं। जिस तरह सामान्य मनुष्य अनने दुनियावी कामोंमें भी डॉक्टर, वकील, इंजीनियर जैसे अलग अलग धर्मोंके निष्णातों पर उस उन कामके लिए विश्वास रखते हैं, उसी तरह वे श्रेयके सम्बन्धमें ऊपरके दो वर्गोंके मनुष्योंका अनुसरण करते हैं। जिस तरह स्वार्थी निष्णात अपने पर विश्वास रखनेवाले मुद्रकिलोंके विद्वान और उन कामके बारेमें उनके कम जानका नाजायज फायदा उठाता है, उसी तरह वार्षिक निष्णातोंका भी होता है।

२२. इसके सिवा, मनुष्यका चित्त कुछ इन तरहमें बना हुआ मालूम होता है कि कोई वस्तु अस्त्य अथवा क्या नहीं है, ऐसा जानने हुए भी उसे सत्य अथवा पूर्ण नहींके स्वर्गमें प्रस्तुत करना नहीं बाकी मनुष्य धीरे धीरे ऐसा ही जानने लग जाता है। इन तरह अनद्यमें

सत्याग्रह-निष्ठा जमनेकी सभावना रहती है। इस प्रकार पाखण्ड भी धार्मिक बन जाता है, और उसमे यदि अनीति स्पष्ट न दिखाई दे, तो उसे सहिष्णु वृत्तिसे देखनेके प्रसग आते हैं। धर्मोंकी अनेक रूढियों और मान्यताओं इत्यादिके सम्बन्धमे ऐसा ही हुआ है। पर-धर्म-सहिष्णुता, पर-अधर्म-सहिष्णुता तथा पुराने अन्यायोंके प्रति क्षमादृष्टि रखनेके पीछे ऐसी उदारता रहती है।

२३ सामान्यत धर्मोंका स्वरूप जाचने पर उनमे नीचेकी असत्य या अर्धसत्य वातोमे सत्यनिष्ठासे प्रचार और पोषण किया हुआ देखनेमें आता है।

- (१) परमेश्वरके संगुण निरूपणमे,
- (२) किसी व्यक्तिको तारनहारके रूपमे प्रस्तुत करनेमे,
- (३) किसी वादको अचल सिद्धान्तके रूपमे प्रस्तुत करनेमे,
- (४) समीपवर्ती समाजकी तत्कालीन स्थितिमे से पैदा होनेवाले आचारके नियमोंको सर्वव्यापक और सर्वकालीन माननेमे,
- (५) किसी ग्रथको विवेचक-बुद्धिसे परे समझकर प्रमाणभूत माननेमे,
- (६) सामान्यत ज्ञान, आलबन (उपासना अथवा आश्रय), भक्ति, सावना, तप और धर्म (अर्थात् आचार, व्यवहार और प्रायशिच्छा) तथा सदाचारके मूलोंका पोषण करनेके बदले केवल शाखाओंको सभालनेमे,
- (७) वाममार्ग अथवा दुराचार उत्पन्न करनेमे।

२४ जैसा कि परमेश्वर विषयक सूत्रमे कहा गया है, परमेश्वरका सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सारी सृष्टिका उत्पत्ति-पालन-प्रलयकर्ता, सबका स्वामी और सर्वश्रेष्ठ गुणोंका भण्डार आदि शब्दोंमे वर्णित स्वरूप सामान्य मनुष्योंके लिए पर्याप्त तथा समझनेमे सरल होता है। इस निरूपणमे परमेश्वरके विषयमे किसी आकारका आरोपण या मृष्टिकी रचनामे किसी दूसरे उपादान-कारणकी कल्पना नहीं है। परन्तु विभिन्न धर्मोंमे परमेश्वरके लिए राजा या योगीके रूपकोकी कल्पना की गई है। अर्थात् समाजमे एकाध चकवर्ती राजा या योगीश्वर और उसके वैभवके विषयमे जो कल्पना होती है, उसमे अनेक गुनी वटी-चढ़ी

कल्पना परमेश्वर तथा उसके धाम, वैभव और व्यवस्थाके विषयमें की जाती है। इन कल्पनाओंके लिए रखी जानेवाली आग्रह-त्रुद्धि धर्मोंके वीचके कलहका एक कारण होती है। इन कल्पनाओंके परिणाम-स्वरूप बड़े बड़े पड़ितों और धर्माचार्योंमें भी यह मान्यता पाई जाती है कि परमेश्वर जगत्‌का निमित्त-कारण ही है, अथवा मनुष्यके जैसी योजना और विचार करनेकी पद्धतिसे जगत्‌की व्यवस्था चलती होगी। और सामान्य मनुष्योंके मनमें ऐसी कल्पना तक नहीं उठती कि परमेश्वर जगत्‌का उपादान-कारण है।

२५. राजारूप या योगीरूप परमेश्वरवादमें से ही उसके अवतार, पुत्र, प्रतिनिधि, पैगम्बर तथा उसके विरोधी गैतान, मार, कलि इत्यादिकी कल्पनाए हुई हैं। समाजको ऊपर उठानेवाले किसी लोकोत्तर पराक्रमी अथवा सत पुरुषको परमेश्वरका पूर्ण स्वरूप या उसकी ओरसे नियुक्त किये हुए तारक-रूपमें प्रस्तुत करके उसके आस-पास एक समाजकी रचना करना विभिन्न धर्मोंकी विशेषताए हैं। धर्म धर्मके वीचके झगड़ोंमें इन तारनहारोंके प्रति रहे अनुचित अभिमानका बड़ा हाथ रहता है।

२६. एक नवीन समाज रचनेवाला पुरुष अपने कालके और आसपासके लोगोंकी अपेक्षा चाहे जितना ऊचा हुआ हो और वह अपने नवीन समाजमें उस समय चाहे जितने भारी परिवर्तन करता दिखाई देता हो, फिर भी सूक्ष्मतामें देखने पर वह अपने कालकी सैकड़ों रुद्धियोंमें से कुछ इनीगिनी रुद्धियोंमें भी मुश्किलसे मूल परिवर्तन कर सकता है। दूसरी रुद्धियोंको वह जैसीकी तौसी रखकर, उन पर अपनी स्वीकृतिकी मुहर लगाकर, कदाचित् उन्हे और अधिक नज़रूत भी कर जाता है। सभव है कि वे रुद्धिया भी उसके आसपानके बीर उसीके समयके समाजके लिए अयोग्य न हों। परन्तु उन पुरुषोंके पीछे जब एक धार्मिक समाज उत्पन्न होता है, तब उन रुद्धियों तथा उसके द्वारा किये हुए परिवर्तनोंको नववालीन और नवदेशीय बनानेता और उनमें परिवर्तन न होने देनेका आग्रह पैदा होता है। ननाननी वृत्तिका तथा इन धर्मोंके वीच कलहोंका और धर्मके विकानको रोकनेका दह-

भी एक कारण है। जब इन रुद्धियोंके पीछे किसी वर्गके प्रेय भी जुड़े रहते हैं तब वह वर्ग कलह और प्रगति-विरोधका अधिक बलवान् कारण बनता है।

२७. मनुष्योंकी वुद्धिया और वृत्तिया विविध प्रकारकी होती है। परन्तु जाथ ही उनमें समानताये भी होती है। इससे थोड़ी-वहुत समान वुद्धि और वृत्तिवाले मनुष्योंके अलग अलग झुड़ बब जाते हैं। कुछ झुड़ विन्द्र जाते हैं, तो थोड़े ही समयमें दूसरे नये झुड़ पैदा हो जाते हैं। समाजके बीच रहनेवाला ऐसा गायद ही कोई मनुष्य मिल सकता है, जो किसी झुड़में शरीक न हो। फिर मनुष्योंकी वुद्धि तथा उसके अनुनार आन्चरण करनेकी व्यक्तिमें वहुत अतर रहता है। इस तरह सारी मानव-जातिके लिए एक ही विधान होना कठिन है। ऐसा मानकर ही चलना चाहिये कि मनुष्य अलग अलग तरहके, कहीं परस्पर सकलित और कहीं स्वतंत्र समाजोंकी रचना करके रहेगे। यह बात वार्मिक तथा दूसरी तरहके समाजोंको भी लागू होती है। सारा मानव-समाज किसी एक ही वर्म या मतका बनाया जा सकता है अयत्रा प्रत्येक व्यक्तिका स्वतंत्र ही वर्ममत होना चाहिये — ये दोनों मान्यताएं अव्यवहार्य हैं।

२८. इसलिए जगत्के वर्तमान हिन्दू-मुसलमान इत्यादि धर्म मिट जाय, तो भी जब तक मनुष्य विचारी प्राणी है तब तक विभिन्न वर्ममतोंका निर्माण होता ही रहेगा। इन सबका निर्माण मानव-समाजके मुख और जातिके लिए हो और वे सर्वोदयको बढ़ानेमें हिस्सा लें, ऐसी ही गतें ढूढ़नी चाहिये; और इन शर्तोंका पालन हो नके, इस प्रकार प्रचलित धर्मोंका सशोब्दन और नवीन धर्मोंकी रचना होनी चाहिये।

(ई) धर्मोंका संग्रहालय

२९. मनुष्यके श्रेय-साधनके प्रयत्नोंको पोसनेके लिए अलग-अलग धर्मोंने अलग-अलग बातों पर जोर दिया है। फिर भी सब धर्मोंमें नीचेके छह अग सामान्य रूपसे दिखाई देते हैं — तत्त्वज्ञान, आलबन (उत्तरानना अयत्रा आथव), भक्ति, साधन-मार्ग, तप और सदाचार।

३०. हरएक धार्मिक समाज इन अगरोंका विगिष्ट ढगसे पोपण करे इसमे दोष नहीं है। परन्तु इस पोपणमे नीचेके नियमोका पालन करना चाहिये, और जिस हद तक किसी धर्म या उसके ग्रथोमे इन नियमोका भग होता हो उस हद तक इनमे सशोधन करके दोष दूर कर देने चाहिये।

३१. पहला नियम है मानव-अर्हिसाका। सब धर्मोंने थोड़े-बहुत प्रमाणमे अर्हिसा-वृत्तिको पोपण दिया है तथा उसके ऊपर भार भी दिया है। परन्तु मानव-हिंसाका पूरा निषेध शायद ही प्राचीन धर्मोंने किया है। इन धर्मोंकी उत्पत्ति जिस कालमे हुई उस कालमे मनुष्योंकी परस्पर हिंसा लगभग प्रतिदिनकी वस्तु थी, अतएव उस समय प्राणी-हिंसाकी अपेक्षा मानव-हिंसाका निषेध करना ज्यादा कठिन मालूम हुआ होगा। इस कारण धर्म-प्रवर्तकोंको शायद उस दिशामे अपने दिचार-प्रस्तुत करनेकी बात ही नहीं सूझी। इसके परिणाम-स्वरूप अर्हिनावादी या भूतदयावादी धर्मोंमे भी मानव-हिंसाके प्रति शायद ही ध्यान दिया गया है; उलटे कई बार तो उसे उत्तेजन भी मिला है। स्वयं धर्मके प्रचारके लिए भी मानव-हिंसा हुई है और उसे पुण्यकार्य भी माना गया है। धर्मोंकी इस त्रुटिको सुधारना चाहिये। और, अर्हिनावादीके पालनमे मानव-हिंसाके निषेधको प्रथम और दूसरे प्राणियोंकी हिंसाको द्वितीय स्थान दिया जाना चाहिये। अपने धर्मके पालन, प्रचार या विकासमे कही भी मानव-हिंसा करनेकी छूट नहीं होनी चाहिये। इसमे आततायीके सामने अपना या दूसरेका प्रत्यक्ष रक्षण करनेमे जो हिंसा अनिवार्य रूपरो करनी पड़े, उसीको अपवाद माना जाय। कोई अपराध हो जानेके बाद अपराधीको तजाके तौर पर देहान्त-दण्ड देनेकी या उसका अगच्छेद करनेकी प्रथा विलकुल बन्द हो जानी चाहिये।

३२. दूसरा नियम है नर्ववर्म-समभावका। अर्वात् ननुप्त आत्मी वुद्धि या वृत्तिके अनुभार अलग-अलग गुरुओं, सतों, मार्गदर्शकों, वारों तथा ऐतिहासिक, पीराणिक या रूपकात्मक व्यक्तियोंके प्रति भने ही भवित्वभाव रखे और उनके उपदेशोंका अनुसरण करें, परन्तु किन्ति भी धर्मका अनुयायी ऐसा न करें कि वह व्यक्ति नमग्र परमेश्वर है,

अथवा परमेश्वरका अवतार, पैगम्बर या दूसरा प्रतिनिधि है, या वैसे व्यक्तियोंमें सर्वश्रेष्ठ है; तथा ऐसा भी न कहे कि उसके आलंबनके विना किसीका उद्धार नहीं होगा। वल्कि ऐसा समझकर कि अपने जैसी वृत्तिके मनुष्योंके लिए वह योग्य मार्गदर्शक हो तो, भी दूसरी वृत्तिके मनुष्योंके लिए दूसरे भी उतने ही योग्य मार्गदर्शक हो सकते हैं, वह सब धर्मों और उनके प्रामाणिक अनुयायियोंके प्रति आदरभाव रखे और ऐसा आदर रखकर ही अपने मार्गदर्शकके प्रति रही अपनी भक्ति और समझको दूसरोंके सामने प्रकट करनेकी जरूरत मालूम होने पर वैसा करे।

३३. तीसरा नियम है पाखण्ड-निपेघका। सब धर्मोंकी अनेक वातोंमें अशुद्धि, मूढ़ता, त्रुटिया आदि है। हरएकमें कुछ पाखण्ड, प्रत्यक्ष दुराचार इत्यादि भी घुस गये हैं। ऐसा कह सकते हैं कि हरएक वार्मिक समाजमें दक्षिण-मार्गी और वाममार्गी पथ है। फिर, कुछ दक्षिण-मार्गी होनेका ढोग करते हैं, और कुछ सच्ची निष्ठासे वाम-मार्गी होते हैं। सर्वधर्म-समभावका अर्थ यह नहीं है कि अपने या दूसरेके धर्ममें दिखाई देनेवाली त्रुटि, अशुद्धि अथवा मूढ़ताकी टीका ही नहीं की जा सकती, दभ और स्वार्थ प्रकाशमें नहीं लाये जा सकते अथवा पाखण्ड और दुराचारोंका विरोध नहीं किया जा सकता। परन्तु टीका और विरोध तीव्र होते हुए भी अहिंसात्मक ढगसे ही होने चाहिये, असत्य या अतिशयोक्तिपूर्ण आक्षेप, विडम्बना, गाली-गलीज, उद्धतता या असम्मताके लिए उनमें स्थान नहीं होना चाहिये। सत्याग्रहका आचरण किया जा सकता है, परन्तु वलात्कारका प्रयोग कदापि नहीं किया जा सकता।

३४ चौथा नियम है समाज-व्यवस्थाके पालनका और पडोसी-धर्मका। अर्थात् कोई मनुष्य भले अपनी सच्चिके अनुसार भक्ति या अनुष्ठानकी विधि अपनाये, व्रतोंका पालन या उद्यापन करे, परन्तु वह भव मार्वजनिक हितके विरुद्ध न हो और पडोसीकी उचित भावनाओंका व्यान रखकर ही होना चाहिये।

३५. पाचवा नियम है सदाचारका। किसी भी धर्मको दुराचारका बचाव नहीं करने दिया जा सकता। जैसे सत्य, अहिंसा, नियताचार, स्वच्छता, अमत्तता (non-drunkenness) इत्यादि सार्वजनिक सम्यताएँ हैं। इसलिए विच्वासघात, व्यभिचार, अत्याचार, चोरी, लूट इत्यादि आततायी कर्म, सार्वभीम अधर्म अथवा दुराचार हैं और अविनय, गढ़गी, शराबखोरी इत्यादि सार्वजनिक असम्यताएँ हैं। ऐसे कार्यों या आदतोंमें वार्षिकताका ख्याल बढ़ानेवाले उपदेशोंको त्याज्य समझ-कर निकाल डालना चाहिये।

३६ छठा नियम है सार्वजनिक प्रेवसिद्धिका। राज्य, समाज, कुटुम्ब, लग्न, उत्तराधिकार, उद्योग, नगर इत्यादिकी व्यवस्थाओंमें विभिन्न धर्म अपने अनुयायियोंके लिए जो विशेष नियम निरचित करे या प्रचलित रूढियोंमें परिवर्तन करे, वे ऐसी मर्यादामें होने चाहिये कि जिससे वे उस धर्मके अनुयायियोंकी अपेक्षा अधिक विशाल समाजके लिए हितकारी हों अथवा अनुकरण करने योग्य लगे, न कि केवल उस धर्मके अनुयायियोंका ही प्रेय बढ़ानेवाले अथवा विशाल समाज पर भार बढ़ानेवाले हो। उदाहरणके लिए, आसपासके समाजमें अनेक स्त्रियोंने विवाह करनेकी प्रथा हो तो कोई धर्म अपने अनुयायियों पर एकपत्नी-व्रतका नियम लाद सकता है, परन्तु आसपासके समाजमें एकपत्नी-व्रतकी प्रथा हो तो वह वहृपत्नीत्वका अधिकार सामने नहीं रख सकता। अथवा आसपासके समाजमें स्त्रियोंका उत्तराधिकार कम हो तो कोई धर्म उसे बढ़ा तो सकता है, परन्तु आसपासके समाजमें जितना अधिकार प्रचलित हो उसे कम वह नहीं कर सकता। इसी तरह वर्मोंके धोनको इस सम्बन्धमें इतना मर्यादित समझना चाहिये कि विशाल समाज इस सम्बन्धमें सामाजिक हित बढ़ानेके लिए जो परिवर्तन करना चाहे, उसमें धार्मिक समाजोंकी ओरसे बाधा नहीं खड़ी की जा सकती। यह नियम नवीन वर्मों, वाहरने आकर नये धोनमें प्रवेश करनेवाले वर्मों नया वर्मान्तर करनेवाले वर्मों — तीनोंको लागू होना चाहिये। मतलब यह है कि धार्मिक समाज प्रेरोंहे धोनमें जो विग्रहना आने

* स्त्री-उत्तरपक्षके सम्बन्धोंमें गति-पत्नीने दीन भी आचार-मर्यादा।

अनुयायियोंके लिए दाखिल करे, वह श्रेयकी दृष्टिने और समयमकी दिगामे होनी चाहिये, भोगवृद्धिकी तथा अपने ही अनुयायियोंके अधिकारोंकी वृद्धिकी दिगामे नहीं होनी चाहिये।

३७ इस दृष्टिसे सब धर्ममतोंका सशोधन और उनका नवा विवेचन होनेकी जरूरत है। उदार वार्मिक वृत्तिवाले, सर्वधर्म-समभावी तथा धर्म और तत्त्वज्ञानके बम्यासी इस तरहसे अलग अलग धर्मोंका सशोधित स्वरूप प्रजाके सामने रखें, तो वह अच्छी सेवा हो सकती है।

३८ यह सशोधित विवेचन इस तरहका होना चाहिये कि वहुत सकुचित दृष्टिसे न देखनेवाले अनुयायीको भी वह मान्य हो और अन्य वर्मियोंको उसमे कुछ खटकनेवाली वात न मालूम हो। वह केवल उन उन धर्मोंकी प्रगतिस्थित-मात्र न हो। उनमे घुमे हुए दोपोका तथा छोड़ देने योग्य अशोका निडरता परन्तु समभावसे किया हुआ निष्फलण भी उसमे होना चाहिये।

३९ उन उन धर्मोंकी अनुयायियोंको यह काम करनेका स्वभावत ज्यादा अधिकार है। उन्हे इसके लिए ज्यादा अनुकूलता होनेके कारण ऐसा करना उनका कर्तव्य भी माना जा सकता है। परन्तु वह नहीं मानना चाहिये कि दूसरे धर्मके अधिकारी पुरुष पैसा नहीं कर सकते।

४०. सकुचित दृष्टिवाले अनुयायियों तथा जिनके स्वार्थ और वामाचारको आधात पहुचे ऐसे पाखण्डी पुरुषोंकी ओरसे इस प्रयत्नका विरोध होनेकी सभावना है। परन्तु ये ग्रथ यृदि सामान्य मनुष्योंकी अपने अपने धर्ममे विकसित वार्मिक वृत्तिका उचित पोषण करनेवाले और उनके ज्ञान, आलबन, भक्ति, तप, साधन और सदाचारको योग्य दिगामें ले जानेवाले होंगे, तो वे मान्यता और प्रतिष्ठा प्राप्त किये विना नहीं रहेंगे।

४१ इसी सम्बन्धमे प्राचीन या अर्वाचीन वहुमान्य धर्मग्रन्थोंकी सशोधित (expurgated) आवृत्तियों तथा उनके प्रमाणभूत सरल और युद्ध अनुवादोंकी भी जरूरत है। जिस तरह वहुत बड़े विद्वानोंके निका हूसरा कोड़ वाडवलको हिन्दू, ग्रीक या लेटिनमें नहीं पढ़ना है, उन्हीं तरह उपनिषद्, गीता, कुरान, जंद अवेस्ता इत्यादिके मूल ग्रन्थोंके

समान ही प्रमाणभूत माने जानेवाले अनुवाद वर्तमान लोकभाषाओंमें मिलने चाहिये।

(उ) लोकधर्म

४२. उपर्युक्त विचार और सूचनाए अलग-अलग प्रचलित धर्मोंके विषयमें हुईं। परन्तु जिस तरह नैतिक वातोमें कुछ लोग दृढ़तापूर्वक एक पक्ष या दूसरे पक्षके आग्रही होते हैं, परन्तु सामान्य जनता किसी भी पक्षके लिए बहुत अभिमान रखे विना हरएक मीके पर अपनी समझके अनुसार जो पक्ष उसे अच्छा लगता है उसका समर्थन करती है, उसी तरह धार्मिक विषयोमें भी होता है। धर्मके आग्रही अनुयायी बहुत थोड़े होते हैं। सामान्य जनसमाज आम तौर पर जन्मधर्मका अनुसरण करता है, फिर भी उस विषयमें अत्यत अभिमान नहीं रखता। धर्म बदलनेवालोंका बहुत बड़ा भाग इन्हीं लोगोंमें से निकलता है।

४३. इसलिए सब प्रसिद्ध धर्मोंसे तटस्थ रहकर प्रजाकी धार्मिक और सदाचार-प्रिय वृत्तिका विकास करनेवाले ढगसे तत्त्वज्ञान और धर्मके सरल निष्पणकी आवश्यकता है। इसमें तत्त्वज्ञानकी सरलसे सरल समझ, आल्घन (उपासना) का शुद्ध स्वरूप, भक्तिकी असाम्प्रदायिक और अकर्मकाण्डी रीति, साधना और तपके वुद्धिगम्य प्रकार तथा सामान्य मनुष्योंकी नैतिक शक्तिको अनजानमें बढ़ानेवाली पद्धतिसे सदाचारके सरल नियमोंका निष्पण होना चाहिये तथा जगत्‌में जो धार्मिक पुरुष हो गये हैं उनके जीवनसे चमत्कारोंको अलग करके उनकी धर्म-भावना, ईश्वर-परायणता तथा उच्च चारित्र्यको दिखलानेवाले जीवन-चरित्र होने चाहिये। आम जनता और शुद्ध जिज्ञानुभोक्ति लिए तो ये ही वर्म और धर्मग्रन्थ हो जायगे।

४४ वर्म और तत्त्वज्ञानके चरित्रवान अन्यासी और धार्मिक वृत्तियोंके प्रशुद्ध कवि तथा लेखक इस तरहके साहित्य द्वारा जननाकी अच्छी सेवा कर सकते हैं।

परिशिष्ट

स्वकर्मयोग

गीताके कुछ श्लोकोमें थोड़ा परिवर्तन करके तथा कुछ श्लोक नये जोड़कर मैंने स्वकर्मयोगके बारेमें अपने विचार नीचे प्रस्तुत करनेका प्रयत्न किया है।

यत् प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिद ततम् ।
 स्वकर्मणा तमन्यर्च्य सिर्द्धि विन्दति मानव ॥ १ ॥

सहज कर्म मेवावि सदोपमपि न त्यजेत् ।
 सर्वारम्भा हि दोपेण धूमेनाग्निरिवाऽवृता ॥ २ ॥

स्वे स्वे कर्मण्यभिरत् ससिर्द्धि लभते नर ।
 युक्त स्वभावजं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम् ॥ ३ ॥

न्याय्य वा विपरीत वा पुरुषस्येह कर्मण् ।
 अनिष्टमिष्टमिश्र च भवति त्रिविष फलम् ॥ ४ ॥

नेह देहभृता शक्य प्राप्तुमिष्ट ह्यशेषत् ।
 अनिष्टफलसयोगे ह्यनुष्टिग्नमना वशी ॥ ५ ॥

कर्मण्येवाऽविकारस्ते साफल्ये न तु कर्मण् ।
 मा दुखेनाऽभिभूतो भूर्मा ते सगोऽस्त्वकर्मणि ॥ ६ ॥

जनियतेन्द्रियग्रामा दक्षा ब्रह्मविहारिणी ।
 सर्वत्र समदृष्टिर्या सर्वभूतहिते रता ॥ ७ ॥

लोकसग्रह सपश्यत् सदा कर्मण्यतन्द्रिता ।
 हर्षमिर्षमयोद्घेगैर्मुक्ता प्रसादसयुता ॥ ८ ॥

सत्य भूतहित ज्ञान विज्ञान च समाश्रिता ।
 भक्त्या चाव्यभिचारिण्या पूजा कर्तव्यनिष्ठया ॥ ९ ॥

एतैर्लक्षणैर्युक्ता वुद्धि युद्धा स्थिरा भवेत् ।
 अधीताऽप्यविगुद्धास्यादन्यथालक्षणा हि या ॥ १० ॥

अवर सहज कर्म दुर्विद्धयाऽविद्यया कृतम् ।
फल चैव समुद्दिश्य यत्तत् शातिप्रद न हि ॥ ११ ॥

सद्बेतुश्रद्धया युक्तमज्ञानेनाऽविविना कृतम् ।
सहजमपि तत्कर्म कुर्वन्प्राप्नोति किल्विषम् ॥ १२ ॥

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन ।
स यत्प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ १३ ॥

तस्माद्विद्या समाश्रित्य कार्याऽकार्यव्यवस्थिती ।
जोषयेत् सर्वकर्मणि विद्वान्युक्त समाचरत् ॥ १४ ॥

वुद्धया विशुद्धया दृष्टो नियतो विद्यया कृतः ।
स्वभावज. सदाचार स्वकर्मयोग उच्यते ॥ १५ ॥

स धर्म इति सप्रेक्ष्य समाचरितुमर्हसि ।
स्वकर्माचरणाच्छ्रेयोऽन्यन्मनुप्यस्य न विद्यते ॥ १६ ॥

मा स्ववर्मणि भीतो भूर्मा ह्यनिष्टफलोद्गमे ।
स्ववर्मे निघन श्रेय परवर्मो भयावह ॥ १७ ॥

योगस्य कुरु कर्मणि भय त्यक्त्वा फलस्य च ।
सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ १८ ॥

सुखदुखे समे कृत्वा लाभालाभी जयाजयी ।
ततो धर्माय युज्यस्व नैव पापमवाप्यसि ॥ १९ ॥

स्वकर्मणि भय त्यक्त्वा वुद्धियुक्ता मनीषिण ।
सर्ववन्विनिर्मुक्ता पद गच्छन्त्यनामयम् ॥ २० ॥

वुद्धियुक्तो जहातीह उभे मुष्टिदुपृष्ठते ।
वुद्धी गरणमन्विच्छ कृपणा. फलदुखिन. ॥ २१ ॥

एपा तेऽभिहिता वुद्धिर्वत्स योगे स्वकर्मण ।
वुद्धया युक्तो यथा तात कर्मवंव प्रहास्यसि ॥ २२ ॥

नेहाभिकरमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ।
स्वल्पमप्यन्य वर्मस्य द्रायते महतो भयात् ॥ २३ ॥

मृतो वा प्राप्यसि धान्ति जीवन्वा भोक्ष्यने यग ।
तस्मादुन्निष्ठ मेघावि धर्माय कृतनिश्चय ॥ २४ ॥

१ जिसमे से भूतोकी प्रवृत्ति होती है, जिससे यह सब व्याप्त है, उसकी स्वकर्मसे पूजा करके मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है।

२ अपने सहज कर्ममे दोप हो तो भी उसे नहीं छोड़ना चाहिये, जिस प्रकार अग्निमे घूम होता है उसी प्रकार सब कर्मोंमे दोप रहता है।

३ मनुष्य स्वकर्ममे मग्न होकर सिद्धि प्राप्त करता है। योग-पूर्वक किये जानेवाले स्वभाव-जन्य कर्मोंमें दोष नहीं होता।

*

४ मनुष्यका कर्म न्यायपूर्ण हो या अन्यायपूर्ण, उसका अच्छा, बुरा और मिश्र तीन प्रकारका फल होता है।

५. इस जगत्‌में मनुष्यके लिए केवल इष्टकी ही प्राप्ति सभव नहीं है, अनिष्ट फल मिलने पर योगी उद्वेग नहीं करता।

६ तुम कर्म करनेके ही अधिकारी हो, कर्मकी सफलताके नहीं; तुम दुखसे अभिभूत मत हो और न तुम्हारी अकर्ममे प्रीति हो।

*

७. जो इन्द्रियोको नियममे रखती है, दक्ष है, ब्रह्मविहारिणी * है; जो सर्वत्र समदर्शी है और सर्वभूतहितमे रत है।

८ जो लोक-कल्याणको देखती हुई कर्ममे सदा निरालस रहती है, जो हर्ष-क्रोध-भय-क्षोभसे मुक्त और नित्य प्रसन्न है।

९ सत्य, भूतहित, ज्ञान और विज्ञानका आश्रय लेकर जो अनन्य भक्तिसे पूत है और दृढ़निश्चयी है।

१० (ऐसे लक्षणोसे युक्त) वह वुद्धि स्थिर है और शुद्ध है, इनसे विपरीत लक्षणोवाली वुद्धि अघीत होकर भी अगुद्ध है।

* मुदिता, मैत्री, करुणा और उपेक्षा अर्थात् गुरुजनो और सुखी लोगोंके प्रति हर्षकी, समान स्थितिके लोगोंके प्रति मित्रताकी, दुखीके प्रति करुणाकी और दुराग्रहीके प्रति उपेक्षाकी भावनाको ब्रह्मविहार कहते हैं।

११. सहज कर्म अज्ञानसे, दुष्ट वुद्धिसे तथा केवल फलकी इच्छासे किया जाय, तो वह हीन है और उससे शाति प्राप्त नहीं होती।

१२. विवि या ज्ञानके विना श्रद्धा और सद्हेतुसे किया हुआ सहज कर्म करनेमें भी दोष लगता है।

१३. श्रेष्ठ मनुष्य जो कुछ करते हैं, वही अन्य मनुष्य भी करते हैं, वे जिसे मान्यता देते हैं, उसीका सामान्य लोग आचरण करते हैं।

१४. इसलिए विद्याका आश्रय लेकर कार्यकार्यका निश्चय करनेके लिए ज्ञानीको योगपूर्वक सब कर्मोंका शोधन करना चाहिये।

१५. विशुद्ध वुद्धिसे खोजा और गुद्ध किया हुआ, नियममे रहकर ज्ञानपूर्वक किया हुआ स्वभावज (अपनी प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ) सदा-चार स्वकर्मयोग कहा गया है।

१६. 'वह वर्म' है ऐसा समझकर भलीभाति उसका आचरण करना चाहिये; स्वकर्मचिरणसे बढ़कर मनुष्यके लिए दूसरा कोई श्रेय नहीं है।

१७. स्वर्वमें भय नहीं होना चाहिये और न अनिष्ट फलकी उत्पत्तिका भय रखना चाहिये। स्वर्वमें मृत्यु भी श्रेयस्कर है, परवर्म भयावह है।

१८. फलके भयको त्यागकर, योगयुक्त होकर और यशायशको समान समझकर कर्म करो। समता ही योग है।

१९. लाभ-हानि, सुख-दुःख, हार-जीतको समान समझते हुए वर्मके लिए सज्ज हो जाओ, तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा।

२०. भयको त्यागकर स्वकर्ममे निरत रहनेवाले वुद्धियुक्त मुनी-श्वर सब वन्धनोंसे छूट कर निर्दोष पदको प्राप्त करते हैं।

२१. वुद्धियुक्त पुरुष इस जगत्‌में पाप और पुण्य दोनोंको छोड़ देता है। तुम वुद्धिकी शरण खोजो। फलमे दुखी होनेवाले दीन होते हैं।

२२. यह मैंने तुम्हे स्वकर्मयोगकी बुद्धि कही । इस बुद्धिसे युक्त होकर तुम कर्मके वन्वनोको तोड़ दोगे ।

२३. यहां न तो आरभ किये हुए कार्यका नाग होता है और न उसमें विघ्न उत्पन्न होता है । इस धर्मका थोड़ासा अश भी मनुष्यको बड़े भयसे बचा देता है ।

२४. स्वकर्म करते हुए मर जाओगे तो शाति प्राप्त होगी और करके जीवित रहोगे तो यग मिलेगा । इसलिए है मेवावि, तुम दृढ़ निश्चय करके धर्मके आचरणके लिए खड़े हो जाओ ।

संसार और धर्म

चौथा भाग

पूज्य नाथजीकी पूर्ति

तत्त्वज्ञानका साध्य

तत्त्वज्ञानकी निर्मिति

ससारके किसी भी प्राणीसे मनुष्यमें विचार-गतिश अविक है। मानव-जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें इस गतिका प्रभाव दिखाई देता है। दुखका नाश करके सुखकी वृद्धि करनेके उपाय मनुष्यने अपनी वीर्धिक शक्तिसे ही निर्माण किये हैं। सुख-दुखके कार्य-कारण-सम्बन्ध जानने और इस ज्ञानकी मददसे सुखको बढ़ाकर दुखका नाश करनेके उपाय ढूँढ़ निकालने और उन्हे अमलमें लानेका प्रयत्न करनेसे ही अनेक शास्त्रों और कलाओंका विकास होता रहा है। मनुष्य-जाति ठेठ प्रारम्भिक कालसे इसी हेतुके पीछे लगी हुई दिखाई देती है। मानव-शरीरमें जो भी नई नई शक्तिया प्रगट होती गई, उन सब शक्तियों द्वारा मनुष्य यही हेतु पूरा करनेका प्रयत्न करता रहा है। कर्मन्दियों और ज्ञानेन्द्रियों द्वारा अलग अलग विषयोंका जितनी अलग अलग तरहसे रसास्वादन किया जा सके उतनी तरहने करने और हर तरफसे दुखसे बचनेका उसका सदासे प्रयत्न रहा है। इस प्रयत्नसे आगे बढ़कर विचारवान मनुष्यके मनमें यह शका पैदा हुई कि क्या ये शास्त्र, ये विद्याएं और ये कलाएं मनुष्यके दुख और भय दूर करके उसे सचमुच स्थायी रूपमें सुखी बना सकेगी? बड़ेसे बड़े प्रयत्नों द्वारा प्राप्त किया हुआ सुख आखिर तो अगाश्वत ही होता है। सुखानुभूति क्षणिक होती है, और एक भय अथवा दुखको टाल दे, तो दूसरा सामने खड़ा ही रहता है। इस प्रकारके मानव-जीवनमें और ऐसी परिस्थितिमें क्या मनुष्य सचमुच कभी भी स्थायी रूपसे दुखरहित और सुखी हो सकेगा? कितने ही प्रयत्न बरे और तरह तरहकी खोज और उपाय करे, तो भी मनुष्य बुटाएँगों नहीं टाल सकता, उनको व्याधि नहीं टलती और मृत्यु नों किनींसे बचनी

दाली ही नहीं जा सकती। किस क्षण वह हम पर आक्रमण कर देगी, यह नहीं कहा जा सकता। मनुष्यकी जीनेकी आशा कभी नहीं छूटती; उपभोगकी — इन्द्रियग्राह्य रसोकी — इच्छा कभी क्षीण नहीं होती। गरीर-मुखकी इच्छा उसे हमेशा रहा करती है। ऐसी स्थितिमें जरा, व्याधि और मृत्युका भय मनुष्यको हमेशा लगता ही रहेगा। इस बारेमें विद्वान्-अविद्वानका भेद नहीं है, सबल-निर्वल, अमीर-नारीब, राजा-रक्का भेद नहीं है। सारी मानव-जाति इस दुख और भयमें हमेशासे फसी हुई है। इस प्रकारकी शकाओं और प्रश्नोंके कारण विचारवान् मनुष्यका मन अधिक विचार करने लगा।

सुखकी अपेक्षा दुखके अवसर पर मनुष्यका मन ज्यादा जाग्रत बनता है और उसके कारणोंकी खोज करनेकी तरफ झुकता है। ऐसे ही माँकोंके कारण विचारशील मनुष्य जरा, व्याधि और मृत्युके बारेमें मूळमतामें विचार करने लगा, इनके कारणोंकी खोज करने लगा। मृत्युके साथ साथ जन्मका भी उसे सहज विचार करना पड़ा। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि — इन चार अवस्थाओंमें से उसे खास तौर पर जन्म और मृत्युका ही विचार करना पड़ा होगा, क्योंकि जन्म मानव-जीवनका आरम्भ है और मृत्यु उसका अन्त है। जरा और व्याधिकी अवस्थाएं मनुष्यको जन्मके कारण ही प्राप्त होती हैं। जन्म-मृत्युकी तरह ये अवस्थाएं भी स्पष्ट हैं, परन्तु जन्मके पहले और मृत्युके पीछेकी दो अवस्थाएं गूढ़ हैं। मनुष्यको मृत्युकी अवस्था भी जन्मके कारण ही प्राप्त होती है। इसलिए यदि जरा, व्याधि और मृत्यु नहीं चाहिये, तो जन्मसे ही उसे बचना चाहिये। परन्तु विचारवान् मनुष्यको यह मालूम हुआ होगा कि जन्म-मरणके रहस्यका पता लगाये विना और उनके कारण जाने विना यह बात सिद्ध नहीं हो सकती। इसलिए वह जन्म-मृत्युके कारणोंकी खोज करनेकी तरफ मुड़ा होगा। मानव-जीवनमें मृत्यु जैसी भयानक, दुखरूप और अनिवार्य दूसरी कोई आपत्ति नहीं है। मृत्युने ही मनुष्यको जीवनके विषयमें मूळम और गहरा विचार करनेके लिए प्रेरित किया होगा। मृत्युके कारणों और उसके वादकी न्यतिका विचार करते करते उसे जन्म और उसके कारणोंका

विचार करना पड़ा होगा। शरीर और उसकी भिन्न भिन्न अवस्थाओंका, मन-बुद्धि-चित्त-प्राण, चैतन्य, कर्मेन्द्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, उनके कार्य और परिणाम, सृष्टि और पचमहाभूत — इन सबका वह विचार करने लगा होगा। इसी तरह मानव-स्वभाव, विकार, भावना, संस्कार, गुण, वर्म, जागृति-स्वप्न-सुवृप्ति, त्रिगुण, प्राणिवर्ग तथा वनस्पति-वर्ग, उनके भेद, उनकी अवस्थायें, जीवमात्रका परस्पर आकर्षण-अपकर्षण आदि सभी सचेतन-अचेतन वस्तुओंकी शोध करते करते उसे अपना रास्ता निकालना पड़ा होगा। शरीरकी घटना-विघटना, सृष्टिका प्रिय-अप्रिय निर्माण और नाश और विश्वका अखड़ रूपमें चलनेवाला प्रचड़ व्यापार — इन सबका कर्ता कौन है? जन्म और मृत्यु किसकी आजासे होते हैं? विचारशील लोगोंके मनमें कुदरती तीर पर इस विषयके विचार और प्रश्न उठे होगे। उनके विचारो, प्रश्नो, शकाओं और खोजोंसे ही तत्त्वज्ञानका निर्माण हुआ है। उसीसे ईश्वर-परमेश्वर, प्रकृति-पुरुष, ब्रह्म-परब्रह्म, आत्मा-परमात्मा, पूर्वजन्म और पुनर्जन्म आदि कल्पनाएं और विचार मनुष्यको सूझे हैं।

खोजके अन्तमें कृतार्थता

हरएक विचारककी ज्ञान-सबूती जिज्ञासा, उत्कठा और व्याकुलता, उसके वैराग्य, सचेतन-अचेतन सृष्टिके उसके अवलोकन, निरीक्षण और परीक्षण, उसकी वौद्धिक सूक्ष्मता और व्यापकता तथा अन्तमें उसकी निर्णय-शक्तिके अनुसार उसे अपनी खोजमें सिद्धि प्राप्त हुई होगी। उस परसे उसने जन्म-मृत्यु और समग्र मृष्टिके वारेमें सिद्धान्त निकाले होगे। इसीमें उसे तृप्ति, समावान, प्रसन्नता और जीवनकी कृतार्थता मालूम हुई होगी। आगे चलकर बढ़ते हुए अनुभव वीर जानके कारण, निरीक्षण और निर्णय-शक्तिके कारण अपनी पहली मान्यतामें समय पाकर किसीके मनमें शकाये पैदा हुई होगी और उन नई जग्नाओंके साथ वह फिर जोड़ करने लगा होगा। अयवा वादका विचारक प्रथम सिद्धान्तोंके स्वीकार न होनेके कारण अपनी शकाओंके नाथ वधिक सूक्ष्मता और व्यापकतासे उसी जोड़के पीछे लग गया होगा। उस प्रकार सारे चराचर तत्त्वोंकी वार-वार जोड़ करते-कर्ते किमी

विचारकके तर्ककी मंजिल विश्वके आदि-कारण तक पहुँच गई होगी। उसके बाद उसे निश्चयपूर्वक लगा होगा कि सबका आदि-कारण-स्वरूप एक ही सनातन, अविभाज्य तत्त्व सकल विश्वमें व्याप्त है, और उसकी सूक्ष्मता, विश्वालता और व्यापकता परसे उसने उसीको ब्रह्मतत्त्व कहा होगा। और विश्वके सजीव-निर्जीव अणुसे लेकर ठेठ ब्रह्माद तक जो कुछ भी दृश्य-अदृश्य, गोचर-अगोचर, ज्ञात-अज्ञात, कल्पनामें आनेवाला और न-आनेवाला है, वह सब — विचारक स्वयं भी — उस महान और मूल तत्त्वका आविर्भाव है, इस दृढ तर्क या अनुमान पर वह निश्चित रूपमें पहुँचा होगा और इस ज्ञानको उसने ब्रह्मज्ञान कहा होगा। विचारक जिस तत्त्वमें स्थिर हुआ, जिसके आगे विचार करनेकी उसकी गति रुकी, जिस तत्त्व तक पहुँचकर उसकी व्याकुलता जान्त हुई, उस तत्त्व या तर्कको मुख्य मानकर उसने अपने अतिम निर्णयको उस तत्त्वका वोवक या सूचक नाम दिया। जिस विचारकको सृष्टिके आदि-कारणमें मुख्यत नियामकता और वक्तिमत्ता दिखाई दी, उसने उसे ईश्वरका नाम दिया, जिसे व्यापकता और अनतिता दिखाई दी, उसने उसे ब्रह्म कहा, जिसे यह लगा कि मनुष्य खुद भी उसी विश्वाल तत्त्वका आविर्भाव है — जिसमें यह निश्चय दृढ हुआ कि गरीरका मुख्य तत्त्व यही है — उसने उसे आत्मतत्त्व माना। जिन्हे अत्यन्त परिश्रम, सतत सूक्ष्म अवलोकन और अन्यास आदिकी मददसे अपनी खोजके अन्तमें यग मिला होगा, जिनके जीवनमें सत्य-ज्ञानके सिवा और कोई हेतु नहीं रहा होगा, जो वासना-तृप्ति, समस्त भौतिक विषयोके प्रति अनासक्त, ज्ञानके लिए अत्यन्त व्याकुल और समर्थ होते हुए भी विरक्त होंगे, उन्हें अपनी खोजके अन्तमें मिली हुई सफलतासे कितना आनन्द, कितनी प्रभन्नता और कितनी कृतकृत्यता महसूस हुई होगी, इसकी कल्पना हम जैसोंको कैसे हो सकती है। एक ही उच्च हेतुके पीछे तन-मन-वन मर्वन्म्ब न्योद्धावर करके, उसीको जीवनका एकमात्र हेतु बनाकर, उसके लिए अपार परिश्रम करनेके परिणाम-स्वरूप जब उन्हें उसमें सफलता मिली होगी तब उन्हें कैसा लगा होगा? उन्हें यदि यह अनुभव

हुथा हो कि जीवन सार्थक हो गया है, जीवनमे कोई भी हेतु वाकी नहीं रहा है और कोई भी कार्य या कर्तव्य अब करनेको रह नहीं गया है, और इससे उन्हे परमानन्द हुआ हो, तो इसमे आश्चर्य क्या? सृष्टिमे या अपनेमे, भीतर या बाहर अब कुछ भी जाननेको नहीं रह गया है, ऐसा प्रतीत होने पर उन्हे परम कृतार्थता भी मालूम हुई होगी। ज्ञानसे परिपूर्ण होनेके बाद जीवनकी इच्छा नहीं और मृत्युका भय भी नहीं — ऐसी उनकी अवस्था हुई होगी। किसी प्रकारका बन्धन नहीं, किसी तरहकी इच्छा नहीं — ऐसी स्थितिमे उनके मनमे मोक्षकी कल्पना आई हो तो वह भी स्वाभाविक था। इसमे शक नहीं कि सत्यकी खोजका मूल हेतु, उसके लिए किया गया परिश्रम, चिन्तन, मनन, निदिव्यास, विरक्ति स्थिति, स्वार्थका पूरी तरह अभाव, सब तत्त्वोकी हो चुकी खोज, अपने प्रयत्नमे मिली हुई सफलता और उससे प्राप्त हुई ज्ञानावस्था — इन सबका वह स्थिति स्वाभाविक परिणाम होनी चाहिये। इस प्रकार एकसे एक बढ़कर प्रखर, सूक्ष्म और गाढ़ विचारशील शोधको द्वारा किये गये प्रयत्नोंसे निर्माण हुआ तत्त्वज्ञान हमे प्राप्त हुआ है। यह सब उन महाभागोंकी कमाई है।

दर्शनकारोंका मानव-जाति पर उपकार

उन मूल दार्शनिकोंके बारेमे विचार करने पर उनकी सत्यज्ञान-सबधी जिज्ञासा, उत्कठा और व्याकुलता; उसके लिए किया गया उनका परिश्रम, उनकी सूक्ष्म, कुण्डल, मर्मस्पर्शी परन्तु व्यापक वुद्धिमत्ता, विषयको आरपार भेदकर ठेठ सत्य तक जा पहुचनेवाली उनकी दीर्घ, भेदक और पवित्र दृष्टि आदिका ख्याल आते ही उनके प्रति अत्यन्त आदर पैदा हुए बिना नहीं रहता। भाँतिक उन्नियजन्य सुखके प्रति उनका वैराग्य, प्रवृत्ति — पञ्चमहाभूतोंसे लेकर मानव-शरीर, मन, प्राण, चित्त, जन्म, मृत्यु, जरा, व्यावि आदि तक मारी चराचर सृष्टिका उनका सूक्ष्म अवलोकन और निरीक्षण, नाथ ही इन मवके गुण-वर्म और मन्त्रारोक्ता उनका ज्ञान बहुत ही आश्चर्य-कारक लगता है। मोह और ज्ञानमे गोते ज्ञानदाले नक्तान्मे तत्त्व-

शोधनके पीछे पड़कर जिन महापुरुषोंने सत्यकी उपासना की और अपने लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त किया, वे सचमुच धन्य हैं। मानव-जाति पर उनके भारी उपकार हैं। सारी मानव-जातिको इस विषयमें सदैव उनकी कृणी रहना चाहिये।

तत्त्वज्ञानका विकास बादमें कैसे रुका?

परन्तु मालूम होता है कि तत्त्वज्ञोंवनका यह प्रथलं भारतवर्षमें पहले जैसा जारी नहीं रहा। वह किसी समय रुक गया। इससे तत्त्वज्ञानका विकास हमारे देशमें और आगे नहीं हो पाया। इसके कारणोंका विचार करने पर ऐसा मालूम होता है कि हमने किसी समय तत्त्वज्ञानके साथ मोक्षका सम्बन्ध जोड़ दिया। तबसे हमारा गोवक्षयन खत्म हो गया, केवल श्रद्धालुपन बढ़ता रहा और ज्ञानकी उपासना बन्द हो गई। मूल गोवको और दार्शनिकोंको अपनी जिज्ञासा और परिश्रमका फल ज्ञान, शान्ति और प्रसन्नताके रूपमें मिल गया। इस परमे किसी समय हममें यह गलत ख्याल पैदा हो गया कि उनकी तत्त्वज्ञान-सम्बन्धी विचारसरणीको केवल मान लेनेसे ही हमें भी वैसा ही ज्ञान, शान्ति और प्रसन्नता मिल जायगी। ऐसी यका होती है कि यह सब उसीका परिणाम होना चाहिये। एक बार ऐमा मजबूत ख्याल बन जानेके बाद उसीसे ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म-साक्षात्कार, आत्म-साक्षात्कार आदि कल्पनाये पैदा हुई हैं और तत्त्वज्ञोंवक दार्शनिकोंके बानद परसे ब्रह्मानन्द, आत्मानन्द, नित्यानन्द आदि अलग अलग आनन्दोंकी कल्पना करके हमने आनन्दकी उपासना आरम्भ की है। ज्ञान, आनन्द, कृतार्थता और वन्धनरहित अवस्था आदि नब किसके परिणाम हैं, इसका विचार न करके हमने यह मान लिया कि इन दार्शनिकों और विचारको द्वारा प्रस्तुत की गई विचारसरणी ही इन सब वातोंका साधन है। अनेक प्रकारके परिश्रम करनेके बाद, हेतु सफल होनेके बाद और शोधकोकी ज्ञानकी आनुन्ता जान्त होनेके बाद उनके चित्तकी जो स्वाभाविक अवस्था हुई, वह इन सबके परिणाम-व्यष्टि थी। इस बात पर ध्यान न देकर हम केवल विचारसरणीमें या आनन्दकी कल्पनासे कृतार्थता मानने

लगे और मोक्ष प्राप्त करनेका प्रयत्न करने लगे। किसी न किसी समय हममे इस प्रकारका भ्रामक विचार पैदा हो गया और परम्परासे दृढ़ होते होते उसने श्रद्धाका स्वरूप धारण कर लिया।

अमरीकाका प्रथम दर्शन होने पर कोलम्बसको अतिशय आनंद हुआ और उस भूमि पर पहला कदम रखने पर उसने कृतार्थता अनुभव की। न्यूटनको अपनी खोजमे सफलता मिलने पर आनन्द और धन्यता अनुभव हुई। आज भी बड़े बड़े शोधको और वैज्ञानिकोको अपनी अपनी खोजो और प्रयत्नोमे सफलता मिलने पर आनन्द और कृतार्थताका अनुभव होता है। इस परसे यह मानकर कि अमरीकाके दर्शन और उस जमीन पर कदम रखनेमे ही आनन्द और कृतार्थता प्रतीत होनेका गुण है, या न्यूटनका सिद्धान्त समझ लेनेसे न्यूटनको हुआ आनन्द प्राप्त हो जाता है, या आजके शोधकोकी खोजोकी उपपत्ति समझ लेनेसे उन्हे होनेवाला आनन्द और कृतार्थता हमे भी मिल जायगी, कोई उसके अनुसार प्रयत्न करने लगे तो क्या यह उचित होगा? हम उसे ठीक मानेगे? ज्ञानके दूसरे क्षेत्रोमे जिस वातको हम ठीक नहीं समझते या कभी ठीक नहीं समझेगे, उसको तत्त्वज्ञानके विषयमे उसे दिये गये आध्यात्मिक स्वरूपके कारण हम ठीक समझते हैं, उस पर श्रद्धा रखते आये हैं और उस पर आज बड़े बड़े सम्प्रदाय चल रहे हैं।

मोक्ष-सम्बन्धी कल्पनाका आनन्द

इन सब वातोका विचार करने पर ऐसा मालूम होता है कि ज्ञान किसे कहा जाय? आनन्द और कृतार्थताका स्वरूप क्या है? इन भावो या अवस्थाओका निमणि किस वस्तुसे होता है? ये किसके परिणाम हैं? — इन सब प्रश्नोका हमने सूक्ष्मतासे विचार नहीं किया। हम तत्त्वशोधक नहीं हैं। हममे शोधकी, जिजासाकी आतुरता नहीं है। हमे आनन्दकी इच्छा है। मोक्षकी इच्छा भी किसी किसीको होगी। परन्तु मूल शोधकको होनेवाले आनन्द या कृतार्थताकी इच्छा हमें नहीं है। इतने पर भी हम यह मानते रहे हैं कि शोधककों खोज पूरी होने पर उसे जो वस्तु निर्णयके रूपमे मिली, उन निर्णयको हम अपने चित्तमे अनेक प्रकारसे उतार ले, तो जन्म-मरणसे मुक्त हो जायगे। यह

मानकर कि उस निर्णयको चित्तमे उतार लेना साध्य है और उसकी वताई हुई तात्त्विक विचारसरणी सावन है, उसीको अलग अलग रूपको, आलकारिक भाषा और पाडित्यपूर्ण तर्कवाद द्वारा प्रस्तुत करके, उस पर ग्रथ लिखकर और काव्य रचकर हम अपने और दूसरोंके चित्तमे उतारने लगे। यह हिन्दोटिज्मका एक प्रकार है, किन्तु ज्ञान नहीं है। इसमें कृतार्थता नहीं है। उन्हीं कल्पनाओंको अलग अलग ढगसे रंगकर हम अपने ऊपर उनका रंग छढ़ाते रहे और दूसरोंको भी उनका रंग छढ़ाने और उनमें रमाने लगे। इससे हमें जो आनन्द मिलता है, वह खोजके अन्तमे होनेवाले ज्ञानका आनन्द नहीं होता, परन्तु हमारे ही द्वारा अपने चित्तमे उतारी हुई कल्पनाका, हमारे ही मनमे यह उतारते रहनेका कि हम स्वयं कोई द्विव्य, अजर, अमर तत्त्व हैं, और आनन्दकी धारणा रखकर पैदा किया हुआ आनन्द होता है। प्रत्यक्ष खोजसे होनेवाले ज्ञानका आनन्द और खोजकी विचारसरणीसे तथा आनन्दकी धारणा कर लेनेसे होनेवाला आनन्द, इन दोनोंमे बड़ा अन्तर है। हमारे तत्त्वज्ञानके सम्बन्धमे ऐसा ही कुछ हुआ होगा। मोक्ष हमारे जीवनका ध्येय है। तत्त्वज्ञानियोंको मोक्ष मिला है। ज्ञानसे मोक्ष मिलता है। तत्त्वज्ञानीके ज्ञानको हमने मान लिया और उसे अपने चित्तमे उतार लिया कि हमें भी मोक्ष मिल जायगा, ऐसी हमारी श्रद्धा है। इस श्रद्धाके दृढ़ होने पर मोक्ष निश्चित समझिये। इस क्रमसे हममे एक प्रकारकी जो श्रद्धा निर्माण हुई, वह परम्परासे आज उन्हीं दृढ़ हो गई है कि जिस दृष्टिसे मैं यह लिख रहा हूँ उस दृष्टिने इस विषयमें विचार करनेको गायद ही कोई तैयार होगा।

गोधक और श्रद्धालुके बीचका भेद

तत्त्वज्ञानको कई अलग अलग प्रणालिया हैं। उन सबमे एक-वाक्यता हो नो वात भी नहीं है। अन्तिम सिद्धान्तके विषयमे तो उनके बीच परस्पर विरोध भी जान पड़ेगा। तो भी जो मनुष्य जिस मतको एक वार स्वीकार कर लेता है, वह उससे ऐसा चिपट जाता है कि उने किनना ही नमझाया जाय वह अपनी विचारसरणीको नहीं छोड़ता। कारण, वह शोवक नहीं परन्तु श्रद्धालु होता है। और हमारे तत्त्वज्ञानमे

कोई भूल है यह मान लिया जाय या सिद्ध हो जाय, तो हमारा तत्त्वज्ञान अपूर्ण सिद्ध हो जायगा, इससे हमारे नोक्समें और सद्गतिमें बाधा पड़ेगी, उतना ही नहीं परन्तु हम जिस सम्प्रदायके हैं उसकी और उसके मूल प्रवर्तककी यह वृटि मानी जायगी, इससे मूल प्रवर्तककी दिव्यता या अवतारीपतके बारेमें शका पैदा होगी, उस पर हमारी श्रद्धा कम हो जायगी और स्वयं हम तथा हमारी परम्पराके समस्त साम्प्रदायिक अज्ञानी ठहरेगे — इस प्रकारकी अनेक गकाओं और भयके कारण आव्यात्मिक दृष्टिसे सर्वश्रेष्ठ माने गये तत्त्वज्ञानकी जाच करनेके लिए कोई तैयार नहीं होता। इस तरहके श्रद्धालु सिर्फ साम्प्रदायिक लोगोमें ही होते हैं ऐसी बात नहीं। कोई सम्प्रदाय स्वीकार न किया हो तो भी आव्यात्मिक हेतुके लिए किसी विगेप तत्त्वज्ञानको माननेवाले लोगोमें भी अधिकतर किसी महापुरुषकी दृष्टिसे ही तत्त्वज्ञानका विचार करनेवाले होते हैं। श्रद्धालु होनेके कारण वे भी इसी दृष्टिसे विचार करते हैं कि अपनी विचारनरणीके बारेमें हमारे मनमें अश्रद्धा उत्पन्न न हो और श्रद्धा बढ़ती रहे। साम्प्रदायिकोमें या असाम्प्रदायिकोमें कोई अस्यासी नहीं होता यह बात नहीं। परन्तु उनके अस्यासकी पद्धति एक निश्चित रूप धारण कर लेती है। वे अपनी मूल श्रद्धाको कायम रखकर अस्यास करते हैं, इसलिए उनमें शोषक-वृत्ति होनेकी बहुत ही कम सम्भावना रहती है। जो सचमुच शोषक होते हैं, वे केवल श्रद्धासे कोई बात माननेको तैयार नहीं होते। वे हर बातको अनुभवने सावित करनेको कोशिश करते हैं। जितनी शकाये और तक उठें उन सबको दूर करके उन्हें सत्यज्ञान प्राप्त करना होता है, इसलिए वे शका और तर्कमें डरते नहीं। परन्तु जिनकी तत्त्वज्ञान पर जमी श्रद्धाकी जड़में नोक्सकी आधा होती है, वे भावुक भक्त जैसे अपनी पूज्य मूर्तिकी रक्षा करते हैं वैसे ही अपने तत्त्वज्ञानकी भी रक्षा करते हैं। जैसे वे भक्त अपनी मूर्तिको अलग अलग ढगमें शृगार करा कर या भजाकर अपनेमें आनन्द पैदा करनेकी कोशिश करते हैं, उसी तरह ये तत्त्वज्ञानी भी अपने माने हुए तत्त्वज्ञानको भिन्न भिन्न रूपों और आनन्दायिक भाषामें रोचक

वनाकर आनन्द पैदा करनेका प्रयत्न करते हैं। और उस आनन्दके आवार पर आत्मा ब्रह्म है, आनन्दरूप है आदि आदि वर्णन करते हैं।

तत्त्वज्ञान और कल्पनाजन्य आनन्दके बीच भेद

सत्य-शोवन तत्त्वज्ञानका मुख्य हेतु है। उसमें जो आनन्द है, वह सत्यज्ञानका है। उस सत्यको शब्दोंसे समझाना नहीं पड़ता और न उपमा और अलकार द्वारा उसमे माधुर्य लाना पड़ता है। ज्ञानसे आनन्द प्राप्त करनेके लिए पहले जानकी आतुरताकी जरूरत होती है। ज्ञान प्राप्त करनेके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जीवनका यही एक उद्देश्य रखकर तथा सर्वस्वका त्याग करके उसके पीछे लगना पड़ता है। इस मार्गमे प्रखर बुद्धि और अत्यन्त लगनकी आवश्यकता होती है। और इन सबके अतिरिक्त सत्यकी परख और निर्णय-शक्तिकी जरूरत होती है। ये चीजे जितनी मात्रामे हममे होती है, उतनी ही मात्रामे हमें ज्ञानसे आनन्द मिलता है। वेदान्त या और किसी विचारसरणीको केवल मान लेनेसे, विश्वकी उत्पत्ति या सहारका उलटा-मुलटा क्रम ग्रथ द्वारा समझ लेनेसे, पचीकरण पद्धति द्वारा पच-महाभूतोंकी अलग अलग पद्धतिका वटवारा समझ लेनेसे और अन्तमे 'आत्मा अथवा ब्रह्म मैं ही हूँ' ऐसी धारणा चित्तमे सतत उतारते रहनेसे वह आनन्द हमे नहीं मिल सकता, जो शोधके अन्तमे प्राप्त होनेवाली नफलतासे मिलता है। मोक्षकी आगासे 'मैं कौन हूँ?' की जाच करनेका प्रयत्न करनेवाला श्रद्धालु सावक ऊपर बताई हुई विचारसरणी द्वारा अपने मनको समझाते और मनाते हुए अन्तमे 'मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, वाकीका सारा व्यापार — शरीर, मन, बुद्धि, प्राण आदि सब प्रकृतिका खेल है' इस समझ पर पहुच कर 'अह ब्रह्मास्मि' के महावाक्य पर अपनी चित्तवृत्तिको दृढ़ करनेका प्रयत्न करता है। यतत अन्याससे उसकी यह वृत्ति इतनी दृढ़ हो जाती है कि वह मानने लगता है कि यही सत्यका अनुभव है और यही आनंदवोद्ध नहीं बल्कि वेदान्त-प्रणालीके आवार पर हमारी ही वनाई हुई एवं चिनवृत्ति है। जन्म-मृत्युके डरके कारण 'मैं कौन हूँ?'

की जाच होनी चाहिये, ऐसी व्याकुलतासे और साधक-दग्धाकी वैराग्य-निष्ठासे उसमें कुछ कुछ सथम और सद्गुण आ जाते हैं। बादमें तत्त्वज्ञानके एकाध सिद्धान्तको मानकर यह समझ दृढ़ कर लेनेसे कि 'वही मैं हूँ' उसके चित्तकी व्याकुलता जान्त हो जाती है। ऐसी स्थितिमें श्रद्धालु अभ्यासीका यह खयाल हो जाता है कि मुझे आत्म-साक्षात्कार हो गया, और इससे उसे समाधान हो जाता है। तत्त्वज्ञानका एकाध सिद्धान्त इस तरह मानकर, उसे अलग अलग रूपकोंसे सजाकर और उसमें भिन्न भिन्न रस और आनन्द पैदा करके हम मन ही मन अपना रजन करने लगे। और हमारे चारों ओर जमा होनेवाले भावुकोंके मनमें उस आनन्दकी इच्छा उत्पन्न करने लगे। भूतकालमें अध्यात्म-ज्ञानमें श्रेष्ठ मानी गई या अवतारी समझी गई विभूतिया हम खुद ही हैं, ऐसी कल्पना करके और ऐसा मानकर कोई मनुष्य मस्तीका, तो कोई श्रेष्ठताका ढोग दिखाने लगा। इस प्रकार हम अपनी भ्रामक वृत्तिका ही अपने तत्त्वज्ञानके नाम पर पोषण करने लगे और इसके लिए उस तत्त्वज्ञानमें से मार्ग निकालने लगे। हममें शोवकका गुण होता, तो ज्ञानके नाम पर ऐसी भ्रामक वाते न होती, हमने उस गास्त्रका विकास किया होता, उससे हमें अनेक भीतिक और सात्त्विक लाभ हुए होते और हम उन्नत बने होते। परन्तु तत्त्वज्ञानका सम्बन्ध केवल मोक्षके साथ जोड़ दिये जानेसे वे लाभ नहीं हो सके। हरएक सम्प्रदायने तत्त्वज्ञानकी कोई न कोई प्रणाली अवश्य स्वीकार की है। इसका कारण हमारे महापुरुषों और मर्वसाधारण लोगोंमें चली आ रही यह श्रद्धा है कि तत्त्वज्ञानके विना मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इसीसे इस मार्गमें जानकी खोज न होकर श्रद्धालुपन बढ़ता रहा है।

तत्त्वज्ञानकी सिद्धि

सचमुच हम तत्त्वोंके गोधक और अभ्यासी बन जायें, तो पञ्च-भूतात्मक सृष्टिके सारे स्थूल-सूक्ष्म पदार्थों और माथ हीं उनके गुण-घर्मोंका जान हमें हुए विना नहीं रहेगा। व्वनि, प्रकाश और विद्युत् जैसे गूढ़ और महान् तत्त्वोंके कार्यकारण-भावोंका हँसे जान होगा। मनुष्य और अन्य प्राणियोंके गुण-घर्म, मस्कार, स्वभाव आदिका भी

हमें ज्ञान होगा। मन, वुद्धि, चित्त, प्राण, चैतन्य आदि सबका सूक्ष्मानिसूक्ष्म ज्ञान हमारे सामने प्रगट होगा। सारी चराचर सृष्टि और साथ ही उसके सूक्ष्म तत्त्वोंके हम जानकार बनेगे। इस प्रकार समस्त तत्त्वोंकी खोज करते करते अगर हम तत्त्वज्ञानके आखिरी ओर तक पहुच जाय, तो इस विश्वमें हमसे कुछ भी अज्ञात नहीं रहेगा और वादमें इस सारे ज्ञानका उपयोग हम मानव-जातिके उत्कर्ष और कल्याणके लिए आसानीसे कर सकेंगे। उस ज्ञानसे हमारे जीवनका स्वाभाविक ब्रुकाव भूतमात्रका हित करनेकी ओर ही रहेगा। परन्तु इनमें से किसी भी तत्त्वकी शोध हम न कर पाये हो और इनमें से किसी वातसे हम मानव-जातिका कल्याण और भूतमात्रका हित न कर सकते हो, तो ज्ञानमार्गमें यह वस्तु सभव प्रतीत नहीं होती कि केवल आत्मतत्त्वका ज्ञान होनेसे हमें व्रह्म-साक्षात्कार हो जायगा। सत्यकी दृष्टिसे देखा जाय तो यह प्रकार केवल कल्पित और श्रद्धाका विषय ठहरेगा। उसे ज्ञानकी सिद्धि नहीं कहा जा सकता।

तत्त्वज्ञानका जीवन-सिद्धिमें पर्यवसान

इन सब वातों पर विचार करनेसे मालूम होता है कि तत्त्वज्ञानका सम्बन्ध मोक्षके साथ न मानकर हमारी जीवन-शुद्धि और सिद्धिके साथ उसे जोड़ना चाहिये। मानवताके लिए आवश्यक मालूम होनेवाली हरएक वातको अविक शुद्ध, अविक तेजस्वी और अविक प्रभावशाली बनानेकी सामर्थ्य तत्त्वज्ञानमें होनी चाहिये। मानव-जीवनमें वर्म, अर्थ और काम ये तीन बड़े पुरुषार्थ हैं। मनुष्य-मात्रका मारा जीवन इन तीन पुरुषार्थोंमें बंटा हुआ है। इन तीनोंकी शुद्धि द्वारा ही जीवन-शुद्धि और जीवन-सिद्धि प्राप्त हो सकेगी। ज्ञानके विना यह शुद्धि और सिद्धि सभव नहीं है। इसलिए वर्म, अर्थ और कामको शुद्ध करनेकी शक्ति ज्ञानमें होनी चाहिये। व्यक्ति और समष्टिका कल्याण परस्पर विरोधी या विवातक न होकर एक दूसरेका भवायक बने, इस दृष्टिसे वर्म, अर्थ और कामका विचार होनेके लिए तत्त्वज्ञानकी विगेप रूपसे आवश्यकता है। यह आवश्यकता पूरी करनेकी शक्ति तत्त्वज्ञानमें होगी, तो ही वर्म, अर्थ और कामकी

शुद्धि होगी और मानव-धर्मकी सिद्धि होगी। हम जिसे तत्त्वज्ञान कहते हैं उसमें यह शक्ति न हो, तो उस तत्त्वज्ञानका विकास करके उसमें यह शक्ति लानी चाहिये। ज्ञानमें यदि 'पुरुषार्थ' न हो, शक्ति निर्माण करनेका गुण न हो, तो उस ज्ञानमें और अज्ञानमें कोई भेद नहीं है। दीपक और अग्निमें प्रकाश देनेकी शक्ति जरूर होगी। अगर यह अनुभव होता हो कि दीपकमें और अग्निमें वह शक्ति नहीं है, तो यह निश्चित समझना चाहिये कि वहां दीपक और अग्नि नहीं, परन्तु उनके वारेमें कुछ ऋति ही है।

सक्षेपमें, तत्त्वज्ञानके आभास पर विश्वास न रखकर हमें ऐसे तत्त्वज्ञानका आश्रय लेना चाहिये, जिसमें मानव-जीवनको सब तरहसे सफल बनानेकी सामर्थ्य हो। भ्रमके पीछे न पड़कर यदि हम सचमुच ज्ञानकी प्राप्ति कर ले, तो उसके साथ हममें पुरुषार्थ अवश्य आना चाहिये। ज्ञान प्राप्त कर लेनेके बाद उसका उपयोग करना उस ज्ञानका स्वाभाविक परिणाम है।

२

ईश्वर-भावना

जीवमात्रमें जिज्ञासा-वृत्ति होती है। पशु-पक्षियोंमें वह विलकुल मर्यादित रूपमें होनेके कारण आसानीसे हमारे व्यानमें नहीं आती। परतु मनुष्यमें वह वच्चपनसे ही स्पष्ट मालूम होती है, और उनकी वीद्धिक वृद्धिके साथ वह भी बढ़ती जाती है। इस जिज्ञासा-वृत्तिमें से ही मनुष्यमें ईश्वर-स्वधी कल्पना पैदा हुई है। किसी महत्त्वकी वस्तुको हम यथार्थ रूपमें न जान सके, तो उसे जाननेकी डच्छा हमारे मनमें रहती है। उस वस्तुका हमारा जान जिस्त हृद तक कम होता है, उसी हृद तक उसके विषयमें हमें कुछ तर्क या अनुमान करने पड़ते हैं। वे तर्क या अनुमान ही हमारी कल्पना या मान्यता होते हैं। अधिकतर हम उन्हींको उस वस्तुके विषयमें हमारा जान मातते हैं। जैसे जैसे हमारा अनुभव बढ़ता जाता है, हमारे ज्ञानमें

वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे पहली कल्पनाओंका अयथार्थ भाग कम होता जाता है और यथार्थ भाग बना रहता है। और उसीमें नवीन तकों या कल्पनाओंकी वृद्धि होती रहती है। इसी क्रमसे एकके बाद दूसरी अयथार्थ कल्पनासे बाहर निकलकर मनुष्य सत्यकी ओर बढ़ता है। ईश्वर अनन्त, अपार और अगम्य है, तो भी अपने ज्ञानकी वृद्धिके साथ हम उसके स्वरूप और स्वभावकी कल्पना बदलते आये हैं। और जब तक हमें उसका सम्पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक उसके विषयकी हमारी कल्पनामें व मान्यतामें परिवर्तन और सुधार होते ही रहेगे। हमारी मूल जिज्ञासा-वृत्ति और हमारा बढ़ता हुआ ज्ञान, हमारी आवश्यकताएँ और हमारी भावनाएँ — इन सबका वह परिणाम होगा। कल्पना द्वारा होनेवाली और अनुभवमें आनेवाली दुख-निवृत्ति और सुखानुभवके अनुरूप मनुष्यके मनमें ईश्वरके विषयमें प्रेम और कृतज्ञताके भाव पैदा होते हैं और इससे कल्पनाका पर्यवसान भावनामें होकर ईश्वर-सबंधी मूल कल्पना भावनाका रूप लेती है। इष्टकी सिद्धि होने तक टिकी रहनेवाली दृढ़ और प्रबल भावना ही श्रद्धा है। श्रद्धासे उत्पन्न होनेवाली समर्पण-वृत्तिमें से भक्तिका उद्भव हुआ होगा और कौसी भी विपरीत स्थितिमें विचलित न होनेवाली श्रद्धाका ही नाम निष्ठा पड़ा होगा। विकसित मानवके मनमें ऐसे भाव कम-ज्यादा मात्रामें होते ही हैं। ये भाव किसी व्यक्तिके ईश्वरके विषयमें, किसीके तत्त्व या धर्मके विषयमें, तो किसीके आदर्शके विषयमें होते हैं। लेकिन मानवके मनमें इन सबका स्थान है। मानवके मनमें इनकी भूख होती है। इस भावतृप्तिमें ही मानवता का विकास है। मनुष्य-जाति इसी मार्ग पर चलती आई है।

ईश्वर कैसा है — इसका शुद्ध ज्ञान मनुष्यको किसी भी समय हो नकेगा या नहीं, इस प्रबन्धको हम छोड़ दे तो भी मूल जिज्ञासासे मनुष्यके मनमें उत्पन्न हुए इन भावोंमें बड़ी शक्ति है। यह इस विषयके आज तकके डितिहासमें मालूम हुआ है। ये भाव ज्यों ज्यों शुद्ध होने जाते हैं त्यों त्यों उनकी सामर्थ्य बढ़ती जाती है — इस गृह्यत्वको व्यानमें रखकर मनुष्यको अपने भाव शुद्ध रखनेका प्रयत्न

करना चाहिये। इस प्रकरणके लिखनेमें मुख्यत. यह दृष्टि और यही हेतु है।

*

ईश्वरादलस्वनकी जरूरत

भिन्न-भिन्न मानव-समाजोंमें ईश्वर-सबवी कल्पनाओंका इतिहास देखनेसे मालूम होता है कि मनुष्य-जातिमें ज्यों ज्यों मानवीय सद्गुण प्रगट होते गये त्यों त्यों उसकी वे कल्पनाएं बदलती गई हैं। ईश्वरकी मूल कल्पना मनुष्यकी दुर्बलता और उसके थोड़े-बहुत वौद्धिक विकाससे उत्पन्न हुई होगी। दुर्बलताके साथ कल्पना या तर्क करनेकी शक्ति मनुष्यमें न होती, तो यह सभव नहीं लगता कि उसे ईश्वरकी कल्पना सूझती। पशु-पक्षी दुर्बल हैं तो भी ऐसा नहीं लगता कि उनमें ईश्वर-सबवी कल्पना होगी। मनुष्यको अपने ऊपर आ पड़नेवाले दुखों, सकटों, कठिनाइयों और आपत्तियोंके निवारणके लिए, अपनी मुरक्खाके लिए, और साथ ही अपनी कामना-इच्छा आदिकी पूर्तिके लिए और सुखकी स्थिरताके लिए किसी न किसी दिव्य और महाशक्तिके प्रति श्रद्धाका आधार लेना पड़ता है। दार्शनिक, तत्त्वज्ञ, विचारक, समीक्षक या नास्तिक ईश्वरके वारेमें कुछ भी कहे, कोई अपनी जोरदार दलीलोंसे, कोई तर्कबादसे, कोई तात्त्विक दृष्टिसे या अन्य किसी प्रकारसे ईश्वरका नास्तित्व सिद्ध करके बता दे, तो भी जब तक मानव-प्राणी आजकी स्थितिमें है — और थोड़े-बहुत भेदके साथ वह इसी मानसिक स्थितिमें रहनेवाला है — तब तक किसी न किसी रूपमें उसे ईश्वर-संबंधी कल्पनाकी जरूरत महसूस होती रहेगी। जब तक मनुष्यको जीवनके हरएक दुखका नाश करनेके स्वाधीन उपायोंका ज्ञान न हो जायगा, जब तक उसे यह लगता रहेगा कि वर्तमान मुख्यके स्थायी रहनेका आधार अपने पुरुषार्थ पर नहीं, बल्कि अपने नियन्त्रणसे वाहरके अनेक वाह्य मयोगों पर है, या जब तक वह यह नहीं जानता कि किस पर उसका आधार है — और असलमें वस्तुस्थिति यही है — तब तक मनुष्यको किसी भी वर्दे आलम्बनकी जरूरत महसूस होती रहेगी। दुखके अवसर पर निर्भय, निश्चिन्त और अनुद्विजन तथा मुख्यके समय

जाग्रत और सयमशील रहनेके लिए चित्तकी जिस प्रकारकी पवित्र और स्थिर अवस्था होनी चाहिये, वह जब तक मनुष्यको प्राप्त नहीं होगी, जब तक मनुष्य चित्तवृत्ति पर सहज ही कावू न रख सकेगा, तब तक किसी भी महान शक्तिका आधार लेनेकी इच्छा उसे होगी ही। जो लोग सुख-दुःखके पार चले गये हों, जो हरएक मामलेमें अपनी सामर्थ्य पर आवार रखने जितने शक्तिशाली बन गये हों, उन थोड़से लोगोंको छोड़ दे, तो वाकीके सारे मनुष्य-समाजको ईश्वर-सबवी कल्पनाकी जरूरत है। सर्वथा अज्ञानीसे लेकर विद्वान तक, रक्षसे लेकर धनिक तक — सबको इस कल्पनाकी जरूरत है। इसमें अन्तर होगा तो सिर्फ कल्पनाके स्वरूपका होगा, परन्तु प्रकारके वही रहेगा। मनुष्यकी ईश्वर-सबवी कल्पनाओंमें अनेक प्रकारके भेद हों, तो भी ईश्वरमें मानी गई महान शक्ति, उसका न्यायीपन, दयालुता, उसकी दीनवत्सलता, सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता आदिके विषयमें सबमें लगभग एकवाक्यता होती है। वह गरणागतोंका रक्षक, अनाथोंका प्रतिपालक, पतितोंका उद्धारक और अनन्त विश्वकी उत्पत्ति-स्थिति-लयका कर्ता है, इस वारेमें भी सब लगभग एकमत है। अलवत्ता, दुनियामें सब लोगोंकी वुद्धि, परिस्थिति, मस्कार और सामाजिक रीति-रिवाजमें समानता न होनेसे सबकी ईश्वर-सबवी कल्पनामें पूरी तरह सादृश्य न हो यह स्वाभाविक है, और इसीलिए ईश्वरको प्रसन्न करने और उसकी आरावना और उपासना करनेकी विवि और मार्ग हरएकके अलग-अलग दीख पड़ते हैं। इन्हें छोड़ दे तो मालूम होगा कि सबकी ईश्वर-नववी कल्पना बहुत ही मिलती-जुलती है।

ईश्वर-सम्बन्धी कल्पनाका विवेकपूर्ण उपयोग

ईश्वर-सम्बन्धी कल्पनाको और ईश्वर या परलोकके साथ सबध जोड़नेवाली वर्म-कल्पनाको कुछ लोग अफीमकी गोलीकी उपमा देते हैं। उसमें किसी हद तक सत्य है, परन्तु वह सम्पूर्ण सत्य नहीं है। ईश्वर-सम्बन्धी कल्पनासे दुनियामें जितनी वुराइया पैदा हुई है, उन सबको ज्ञानमें रखकर उन्होंने यह उपमा दी है। उपमाको कायम रखकर यदि कहना हो तो यो कहा जा सकता है कि ईश्वर-

सम्बन्धी कल्पना कभी-कभी और कही-कही अफीम जैसा परिणाम पैदा करनेवाली सिद्ध हुई हो, तो भी उसमे इस कल्पनाका दोप नहीं है। अफीमसे भी तो अच्छेवुरे दोनों प्रकारके परिणाम आ सकते हैं। दवाके तीर पर योजनापूर्वक उसका उचित उपयोग करनेसे वह प्राणदायक होती है और रोज खानेकी आदत डाल लेनेसे या एकदम अधिक मात्रामे उसका उपयोग करनेसे वही हानिकारक और कभी-कभी प्राणघातक भी सिद्ध होती है। इसी तरह ईश्वर-संबन्धी कल्पना अहितकर नहीं है, परन्तु उस कल्पनाका किस ढगसे, कितनी मात्रामे और किस समय उपयोग किया जाय, इस वारेमे अज्ञान होनेके कारण नुकसान होता है। सिर्फ अफीम ही क्यों, और भी कोई उपयोगी वस्तु यदि अज्ञानसे काममे ली जाय, तो उसके भी दुष्परिणाम हमें भोगने पड़ते हैं। भोजन जैसी सदा आवश्यक और उपयोगी वस्तु भी अनुचित ढगसे, अनुचित मात्रामे और अनुचित समय पर ली जाय, तो उसमे भी अनेक रोग हो जाते हैं और कभी-कभी जीवनसे भी हाथ धोने पड़ते हैं। इसलिए हमारे हिताहितका आधार केवल वस्तु पर नहीं होता, परन्तु उसके उपयोगमे दिखाये जानेवाले हमारे विवेक या अज्ञान पर होता है।

ईश्वर-संबंधी योग्य कल्पनाके लक्षण

इन सब वातों पर विचार करनेसे ऐसा लगता है कि मानव-उत्कर्प और उन्नतिके लिए ईश्वर-सम्बन्धी कल्पना, भावना, श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा — ये सब जरूरी हैं। ये मनुष्यको अवनतिकी तरफ ले जानेवाली नहीं हैं। इनसे मिलनेवाली शान्ति और प्रसन्नताके लिए मानव-मन प्यासा रहता है। मानव-मनको सहारा देकर उसे उन्नत करनेके लिए ये बहुत ही उपयोगी हैं। इसमे महत्वकी और मुख्य वात यही है कि हमारी ईश्वर-सम्बन्धी कल्पना भरसक विवेक-गुद्ध, सरल और उदात्त होनी चाहिये। उनमे गृह्णता या गुप्तता न होनी चाहिये। उस कल्पनासे हमारे चित्तको आरवासन या आवार मिले, इसके लिए उसमे किसी भी प्रकारके कर्मकाण्डकी झज्जट न होनी चाहिये। उलटे श्रद्धा, विश्वास और निष्ठाके चित्तमे बढ़ते रहनेका

स्वाधीन और सरल उपाय उसमे होना चाहिये। उसमे मध्यस्थ, पयदर्शक या गुरुकी जरूरत न होनी चाहिये। उस कल्पनाको मानने-वालेका नीति और पवित्रताकी तरफ कुदरती झुकाव होना चाहिये। सदाचारकी उसमे प्रवानता होनी चाहिये। दया, सत्य, प्रामाणिकता, धैर्य, निर्भयता, उदारता, निष्ठन्तता, जान्ति और प्रसन्नताके लाभ उससे सहज ही मिलने चाहिये। उस कल्पनाके ये स्वाभाविक परिणाम होने चाहिये — मनुष्यमात्र पर हमारा प्रेम बढ़ता रहे, सामूहिक कल्याणकी इच्छा हमेशा जाग्रत रहे और कर्तव्य करनेकी स्फूर्ति सतत बनी रहे। उस कल्पनामे ऐसा प्रभाव होना चाहिये, जिससे हमारा अज्ञान और भोलापन (अन्ध और मूढ़ विश्वास) मिट जाय, हमारे विकारोका नाश हो, हमारी आगा, तृष्णा, लोभ व दभका विलय हो, चित्त स्वाधीन और शुद्ध बने, वुद्धि व्यापक और तेजस्वी हो, धर्मको प्रोत्साहन मिले और अहकार क्षीण हो जाय। उस कल्पनामे ऐसा दिव्य गुण होना चाहिये, जो हमारी पामरता और क्षुद्रता, पगुता और दुर्वलता, आलस्य और जड़ता — इन सबका नाश करके हमारी कर्मन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियोंकी शुद्धि करे, हममे आत्म-विश्वास पैदा करे और साथ ही हमारे गरीर, वुद्धि और मनमे नित-नये चैतन्यका सचार करे। सारांश यह है कि उस कल्पनामे ऐसी सामर्थ्य होनी चाहिये, जो मनुष्यको सब तरहसे मानवताकी तरफ ले जाकर तथा उसे जीवनकी सपूर्ण मिद्दि प्राप्त कराकर कृतार्थ करे। इस प्रकारकी ईश्वर-सम्बन्धी कल्पना मनुष्य-मात्रका कल्याण ही करेगी। उससे किसीका भी अहित होना कभी सभव नहीं।

ईश्वर-संबंधी कल्पना समयानुसार बदलनी चाहिये

इसलिए हरएक कालके अनुरूप ईश्वर-सबधी कल्पना समय-समय पर मनुष्यको मिल जाय, तो मानव-जातिके कितने ही अनर्थ सहज ही ढूढ़ जाय। परन्तु मानव-जातिके दुर्भाग्यके कारण अभी तक यह वात मनुष्यके व्यानमे नहीं आती। आज भी कोई पाच हजार तो कोई दो हजार, कोई एक हजार तो कोई पाच सौ या सीं वर्ष पहलेकी ईश्वर-नम्बन्धी कल्पनाको और उनके आमपास रची हुई वर्मकी

कल्पनाको दृढ़तासे पकड़े बैठे हैं। मानव-जातिका कल्याण किस वानमे है, इसका विचार न करके पुरानी कल्पनामे दिव्यता माननेका हम सबका स्वंभाव हो गया है। भूतकालमे यदि अनेक बार ईश्वर-सम्बन्धी कल्पना बदली जा सकी है और हर बार उससे हमारा कल्याण होता रहा है, तो आज भी पहलेकी कल्पनाको बदलकर नई कल्पना धारण करनेमे क्या आपत्ति है? लेकिन इस बारेमे हम इस तरहसे विचार नहीं करते। कोई भोलेपनसे, कोई अज्ञानसे, कोई डरसे, कोई लालचसे और कोई इस भयसे कि ईश्वर-सम्बन्धी वर्तमान कल्पनाके बदलनेसे हमारी आर्थिक हानि होगी और हमारी प्रतिष्ठा नष्ट हो जायगी, पुरानी कल्पना बदलनेको तैयार नहीं होते। समाजकी वर्तमान स्थिति और जरूरतोका विचार न करके और यह देखते हुए भी कि पुरानी कल्पनाएं घातक सिद्ध हो रही हैं, हम कालानुरूप नई कल्पना धारण नहीं करते; इतना ही नहीं, उलटे इसका विरोध भी करते हैं। समाज स्वयं अज्ञान और श्रद्धालुताके कारण पूर्व कल्पनाको छोड़नेके लिए तैयार नहीं होता। पुरानी कल्पनाके चाहनेवाले, उस कल्पनाके कारण महत्त्व पाये हुए मध्यस्थ, गुरु और कर्मकाण्डी पुरोहितोका वर्ग नई कल्पनाका हमेशा विरोध करते हैं। ऐसा मालूम होता है कि पुरानी निरूपयोगी और अहितकर कल्पनाओंको छोड़ देनेके लिए तैयार न होकर नईका विरोध करनेवाला वर्ग समाजमे हमेंगा नहा है और ईश्वरके नाम पर हमेशा उसीने अनर्थ किये हैं।

ईश्वर-संबंधी सर्वश्रेष्ठ कल्पना, भावना और श्रद्धा

यज्ञमे मनुष्यो या पशुओंकी आहुति लिये विना ईश्वर मनुष्ट नहीं होता, ऐसी हमारी एक समयकी कल्पना बदलते-बदलते अब यहा तक आ पहुंची है कि ईश्वर केवल नदाचार और भाव-भन्निमें सन्तुष्ट होता है। मानव-जातिमे नदाचार और नद्भावनाओंको जैसे जैसे महत्त्व मिलता गया, वैसे वैसे यह फर्क होता गया है। अब रहस्य व्यानमे रखकर हमे आज ऐसी ही ईश्वर-सम्बन्धी वल्लग्ना धारण करनी चाहिये, जिससे मानव-भावकी नन्दि, उत्तर्प, उत्तरि और सब तरहसे कल्याण निष्ठ हो। वह कल्पना हमे विनेश्वरं निर्विनाश

करनी चाहिये। मनुष्य-मात्रके शाश्वत कल्याणका विचार करके तद-नुसार आचरण करनेमें जो अपनी सारी शक्ति और वुद्धिका उपयोग करते हैं, जिनके दिलमें भूतमात्रके लिए हमदर्दी है, जो 'सदाचारी है, जिनका हृदय निर्मल है, जो नि स्पृह है, जो पूर्वाग्रहों और पूर्व-सस्कारोंसे बवे हुए नहीं है तथा जो विवेकी है, ऐसे सज्जनोंके हृदयमें जिस प्रकारकी ईश्वर-सम्बन्धी कल्पना दृढ़ हुई हो, जो उनके जीवनमें उन्हें गति, उत्साह, बल, प्रेरणा, प्रकाश और पवित्रता प्राप्त करनेमें उपयोगी हो, जिससे उनकी प्रज्ञा और सात्त्विकता बढ़ती हो, वह कल्पना आजके समयमें धारण करने योग्य मानी जानी चाहिये। उसका अनुसरण करनेमें हमारा और मानव-जातिका कल्याण है। ऐसे सज्जनोंकी कल्पना समझना हमारे लिए सभव न हो तो हरएकको अपने सस्कारों, अपने हृदय और जीवनकी जाच कर लेनी चाहिये और उसमें से ढूढ़ निकालना चाहिये कि जिसके बल पर हम जीवनमें कुछ उदात्त, भव्य और पवित्र प्राप्त कर सकें; सकटमें, दुखमें, कठिनाईमें व भयमें जिसके बल और श्रद्धा पर हम धैर्य रख सकें और अपने शीलकी रक्षा कर सकें, जिससे अगतिकी स्थितिमें गति, पञ्चान्तरमें सान्त्वना, पतनावस्थामें उत्थान, मूर्छावस्थामें भान, अज्ञानावस्थामें ज्ञान, असहाय स्थितिमें सहायता, मोहमें विवेक और सयम, कुछ भी सूजता न हो ऐसी परेशानीकी हालतमें प्रकाश और मार्ग मिळ सका, जिससे पुरुषार्थमें बल और उत्साह तथा कर्ममें शुद्धता और व्यापकता प्राप्त हुई, वह कल्पना कीनसी है? वह भावना कीनसी है? कीनसी पवित्र श्रद्धा जीवनमें ये सब बातें सिद्ध करनेका कारण बनी हैं? इसे ढूढ़ निकालना चाहिये। और फिर उसी कल्पनाको, भावनाको या श्रद्धाको भरसक सरल, प्रभावशाली, निरुपाविक, चावीन, महान्, भव्य, व्यापक, बाह्य आडम्वर-रहित, शुद्धसे शुद्ध, मगलमें नगल और श्रेष्ठसे श्रेष्ठ बनाकर उसे अपने हृदयमें दृढ़ करना चाहिये। अगर मनुष्य इतनी बात सिद्ध कर सके, तो वह इसके बन्द पर जीवन-भर एकनिष्ठ रहकर अपना जीवन सार्थक बना देंगा।

निष्ठा और संकल्पकी सामर्थ्य

मनुष्यके चित्तमें इस प्रकारकी ईश्वर-भावना जाग्रत रहे, इसके लिए उसमें अपने अभ्युदय और उन्नतिकी तीव्र इच्छा होनी चाहिये, उसमें विवेक होना चाहिये। ये वस्तुएँ सज्जनोंके सहवाससे सहज ही प्राप्त की जा सकती हैं। अगर हम श्रेयार्थी हो तो विवेकी और पुरुषार्थी सज्जनकी संगति और उसके चरित्रका हम पर शुभ परिणाम हुए बिना नहीं रहता। इन सबकी मददसे हमें अपनी मानवताका ध्येय सिद्ध करना चाहिये। हमने जीवनके ध्येयके बारेमें जैसी कल्पना या निश्चय किया होगा, वैसी ही हमारी ईश्वर-विषयक कल्पना होगी। इसलिए प्रथम हमें ध्येयकी शुद्ध और स्पष्ट कल्पना होनी चाहिये। उस बारेमें हमें यह निश्चित समझ लेना चाहिये कि जो कुछ भी भव्य प्रतीत हो वह सब आदरणीय या अनुकरणीय नहीं है, जो आकर्षक लगे वह ध्येय नहीं है, केवल आनन्दप्रद या सुखकर लगे, केवल शान्ति और प्रसन्नता देनेवाला हो, वह भी हमारा ध्येय नहीं है, जो दिव्य लगे, स्म्य लगे, वह भी हमारा ध्येय नहीं है। परन्तु जो मानवताके अनुरूप हो, सद्गुणोंका पोपक, सयमका सहायक, धर्म और कर्तव्यका प्रेरक हो, जिसे प्राप्त करनेके लिए प्रामाणिक मानव-व्यवहार और परिश्रम आदिका त्याग न करना पड़े, जिसकी प्राप्तिकी इच्छा सब करे और जिसकी प्राप्ति सबको हो जाने पर मानव-व्यवहार अधिक सरल, पवित्र और व्यवस्थित हो जाय, उसे सिद्ध करना हमारा ध्येय है। वह ध्येय सिद्ध करना कठिन हो सकता है, परन्तु उसमें भ्रम नहीं हो सकता। उसके मार्गमें कठिनाइया हो सकती है, परन्तु दम्भ नहीं हो सकता। उसमें हमेशा आनन्द न हो तो भी कृतार्थता अवश्य होगी। उसे सिद्ध करना कठिन है, अत उसकी कठिनताकी तीव्रता कम अनुभव हो, हमें भ्रममें न पड़ना पड़े और हम दम्भमें न फर्से, डम्भके लिए यह जरूरी है कि किसी अत्यन्त पवित्र और महान गवित पर हमारी धन्दा और निष्ठा हो। उस निष्ठामें ही तमाम अनिष्टों और सकटोंसे, सारे पापों और वाधाओंसे बाहर निकलकर हमें अपने ध्येय तक पहुँचानेकी गवित निहित है। ध्येय-सम्बन्धी हमारे दृढ़ सकल्पमें हमारी निष्ठा

जाग्रत रहती है। विश्वमें सर्वत्र व्याप्त महान शक्तिको अपने लिए उपयोगी बना करनेका सूत्र और सामर्थ्य हमारे दृढ़ सकल्पमें ही है।

३

ध्येय-निर्णय

जीवनका ध्येय क्या हो, यह मानव-जीवनका सबसे बड़ा प्रश्न है। मनुष्यके आचरणका और उसके जीवनकी छोटी-बड़ी वातोंका झुकाव तथा उसका पुरुषार्थ और उसके सामाजिक सम्बन्ध — इन सबका आधार उसके जीवनके ध्येय पर होता है। इसलिए ध्येय निश्चित करनेमें भूल या दोष न रहना चाहिये।

ज्यों ज्यो समय वीतता है, ज्यों ज्यों दुनियाके बारेमें हमारा अनुभव बढ़ता जाता है, त्यों त्यो अनेक विषयोंकी हमारी कल्पनाओं और विचारोंमें परिवर्तन होते रहते हैं। इसी प्रकार जीवनके ध्येयके बारेमें भी उचित परिवर्तन होनेकी जरूरत है। ये परिवर्तन ठीक समय पर न हो, तो उसके कठोर परिणाम व्यक्ति और समाज दोनोंको भोगने पड़ते हैं। इसलिए जीवनका ध्येय निश्चित करते समय मनुष्यको देव, काल, परिस्थिति, अपनी जरूरते, अपनी भावनाए, अपना मन और अन्तमें अपना और मानव-जाति दोनोंका श्रेष्ठ कल्याण — इन सब वातोंका जिनना व्यापक, दीर्घ और सूक्ष्म विचार किया जा सके उतना करना चाहिये।

सुख-दुःखसे छूटनेकी कल्पना

नुन्में प्रीति और दुःखसे अप्रीतिकी भावना मानव-जातिमें जारंभने आज तक ज्योंकी त्यों चली आ रही है। मनुष्यके लिए सुखकी इच्छा विलकुल स्वामानिक है, और यह इच्छा पूरी करनेके लिए वह अनेक नमटोंका भामना करता है। अत्यन्त दुःखमय स्थितिमें भी मनुष्य किनीं न किसी मुखकी आया पर ही जीता है। वर्तमान या भविष्यके किसी भी मुन्वके साथ चित्तका सम्बन्ध जुड़ा हुआ न हो,

तो मानव-जीवनका टिकना ही सभव नहीं है। भविष्यके सुखके साथ चित्तका जो सम्बन्ध होता है वही आशा है। मानव-मनका कहीं न कहीं, कभी न कभी सुखके साथ सम्बन्ध होना ही चाहिये। मनका यह धर्म है। इसी धर्ममें से स्वर्गकी, सुखमय परलोककी और पुनर्जन्मकी कल्पना निर्माण हुई है, और अन्याय, दुष्टता और दुराचरण करनेवालेको कभी न कभी सजा जरूर मिलनी चाहिये, इस न्यायवृत्तिमें से नरककी कल्पना निकली है। जैसे दुःखनाश, सुख-प्राप्ति आदि वाते हमारी इच्छानुसार इस जन्ममें नहीं होती, उसी प्रकार सब जगह यह नहीं दिखाई देता कि सत्कर्मके अच्छे और दुष्कर्मके बुरे फल जगत्‌में मिलते रहते हैं। इसलिए इन सब वातोंके बारेमें मनुष्यने स्वर्ग, पुण्यलोक, नरक और पुनर्जन्म आदि कल्पनाओंके द्वारा अपने मनसे व्यवस्था और न्याय निश्चित कर दिये हैं। यह व्यवस्था करनेके बाद भी मनुष्यके ध्यानमें आया कि जीवमात्रके साथ सुख-दुःख लगे ही हुए हैं। कितनी ही उत्तम परिस्थितिमें जन्म हुआ हो तो भी संपूर्ण दुःखनाश और संपूर्ण सुखप्राप्तिकी स्थिति मनुष्यको प्राप्त नहीं हो सकती। तब मनुष्यके समझदार मनने यह बात स्वीकार की कि दुःख न चाहना हो तो सुखको भी छोड़ना होगा। एक नहीं चाहिये तो दूसरी प्रिय वस्तुका भी त्याग करना होगा। जन्मके साथ ही सुख और दुःख दोनों मनुष्यके पीछे लगे हुए हैं, इसलिए दुःखसे छूटनेके लिए सुख छोड़नेको तैयार हुए सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इन दोनोंको टालना हो तो जन्मको टाले विना दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसके लिए जन्म न पाना अर्थात् मोक्ष प्राप्त करना चाहिये, यह बात मनुष्यके सुन्न मनने स्वीकार की और इस तरह मोक्ष ही जीवनका ध्येय बना। मनुष्यका ध्येय यही है और वह योग्य है, यह सिद्ध करनेके प्रयत्नमें अलग-अलग शास्त्र निर्माण हुए, उसीसे प्रवृत्ति-निवृत्तिके बाद पैदा हुए, कर्मबाद भी उसीसे निर्माण हुआ और तत्त्वज्ञानका भी वहीसे आरम्भ हुआ। उस ध्येयको प्राप्त करनेके साधनोंके विचारसे कर्मक्षय, मन्यास आदि वाते एकके बाद एक निर्माण हुई और इस प्रकार वह ध्येय सशास्त्र बना। इसी परसे तथा

सन्यासी, त्यागी और ज्ञानी लोगोंके सद्व्यवहार व उनके समयमें और जन्म जीवनके कारण मोक्ष और उसके साधनोंके बारेमें साधारण जनतामें शिद्धा फैली और परम्परासे दृढ़ हुई।

गृहस्थाश्रम और कर्ममार्गकी उपेक्षा

जिस समय समाजके सदाचारी व्यक्तियोंने मोक्षकी कल्पना या ध्येय स्वीकार किया, उस समय व्यक्ति और समाजका उससे कुछ न कुछ कल्पणा हुआ होगा इसमें गका नहीं। परतु इस विषय पर विचार करनेसे यह अनुमान होता है कि जबसे इस कल्पनाके कारण आगे चलकर गृहस्थाश्रम और उसके कर्तव्योंके प्रति अनादर पैदा होने लगा और कर्ममार्गके बारेमें समाजमें शिथिलता आई, तबसे हमारी अवनति आरभ हुई होगी। मोक्षकी कल्पना वहजनसमाजके मनमें दृढ़ हो जानेके बाद और व्यक्ति तथा समाज पर उसके अनिष्ट परिणाम आरभ होनेके बाद ध्येयके बारेमें विचारवान् लोगोंको ज्यादा विचार करना चाहिये था। लेकिन उस समय ऐसा नहीं हुआ। इसलिए गृहस्थाश्रमके बारेमें उत्पन्न हुआ अनादर जैसेका तैसा कायम रहा। लोगोंको इस अनिष्टसे बचानेके लिए किसी महात्मानें समाज पर निष्काम कर्मयोगका सिद्धान्त और विचारसंरणी ठसानेकी कोशिश की। परन्तु इसका भी अन्तिम ध्येय मोक्ष ही होनेसे गृहस्थाश्रम और कर्ममार्गके विषयमें पैदा हुई उदासीनता कम न हुई और उसका नष्ट हुआ महत्व फिर नहीं लौटा। आज हमारा रहन-सहन और व्यवहार आदि सन्यास-परायण न होनेपर भी गृहस्थाश्रमके बारेमें हमारे मनमें सच्चा आदर और नद्भाव नहीं है। गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी हम नवकी यह दृढ़ मान्यता होती है कि वह दोपमय और पापमय है और ऐसा ही रहेगा। गृहस्थाश्रमके नुख़की आसक्ति हममें छूटी नहीं है। उसके बारेमें हम अपनेमें और समाजमें कितने ही दोप और दुःख बढ़ाते हैं। फिर भी हमारी इन समझके कारण कि ससार दोपरूप और दुःख ही रहेगा, उसके बारेमें कोई दुख न माननेकी वृत्ति हममें दृढ़ हो नहीं है। गृहस्थ-जीवन ऐसा ही रहनेवाला है, यह हम

मानते आये हैं। इसलिए हमें उसके विषयमें सोचनेकी वात कभी नहीं सूझती। इतनी भारी जड़ता हममें आ गई है। गृहस्थ-जीवनमें पवित्रता, प्रामाणिकता, सत्य, उदारता, सयम और नि स्पृहतासे रहनेकी कल्पना ही समाजमें नष्ट हो गई है। व्यक्तिगत स्वार्थ-साधन ही ससारका ध्येय बन गया है। किसी दुख, आघात या अपयशके परिणाम-स्वरूप ससारसे वैराग्य या घृणा हो जाय, तो सन्यास लेकर मोक्षके पीछे लग जाना चाहिये, ऐसी समझ और मनोवृत्ति आम तौर पर जन-समाजमें होनेसे हम नैतिक और भौतिक दृष्टिसे बहुत ही हीन दशाको पहुच गये हैं। भक्तिमार्गी सतोने समाजमें भक्तिका प्रचार करके लोक-मानसको शुद्ध करनेका प्रयत्न किया, परन्तु मोक्षकी तरह ईश्वरके साथ तद्रूप होनेका उनका ध्येय भी निवृत्ति-परायण ही था, इसलिए उसके कारण भी गृहस्थाश्रमका गया हुआ पावित्र्य और पुरुषार्थका बल बापस नहीं आ सका।

सामाजिक वृत्तियोंका अभाव

मोक्ष जैसे वैयक्तिक ध्येयके कारण सामूहिक लाभ और कल्याणके लिए जिन सामूहिक विचारों, वृत्तियों और सद्गुणोंकी जरूरत है, वे हममें अभी तक नहीं आ पाये हैं। हरएक मनुष्य अपने-अपने कर्मके अनु-सार सुख-दुख भोगता है, हम किसीको सुखी या दुखी नहीं कर सकते, किसीको सुखी या दुखी हम कर सकते हैं इस मान्यतामें भ्राति है — इस प्रकारकी शिक्षा हमें कितने ही समयसे मिलती रही है। यह शिक्षा व्यक्तिगत श्रेयकी दृष्टिसे कितनी ही छची मानकर दी गई हो, तो भी वह हमें अत्यंत स्वार्थी बनानेका कारण सिद्ध हुई है। ऐसा लगता है कि आजकी वुराइयोंके बहुतसे बीज इसी शिक्षामें होने चाहिये। धन, विद्वत्ता, वैभव या अन्य किसी भी विशेष प्राप्तिसे स्वयं सुखी होना और इसी तरह मोक्ष प्राप्त करके अपना कल्याण साधना — इन सबमें किसी भी तरह सामूहिक कल्याणका प्रबन्ध, विचार या उद्देश्य दिखाई नहीं देता। इससे मालूम होता है कि व्यक्तिगत लाभकी इस शिक्षाके कारण ही हममें नामाजिक या सामूहिक वृत्तिका अभाव है। हमारे आचार-विचारमें व्यापकता नहीं है और सभी जगह

सकुचितता दिखाई देती है। इसके अन्य अनेक कारण हो सकते हैं, फिर भी इतना निश्चित मालूम होता है कि यह शिक्षा भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है।

इसका हमारी आजकी व्यक्तिगत, कौटुम्बिक, सामाजिक और राष्ट्रीय स्थिति पर अनिष्ट परिणाम हुआ दिखाई देता है, या यो कहे कि इन सबका परिणाम ही हमारी आजकी स्थिति है। यह अत्यन्त दुखकी बात है कि हमारी ध्येय-सम्बन्धी कल्पनामें समयानुसार जो परिवर्तन होना चाहिये था वह नहीं हुआ। मोक्षका ध्येय जिस समय माना गया था उस समय विचारशील मनको वही योग्य लगा होगा। उस समयकी वैयक्तिक और सामाजिक स्थिति, धार्मिक और आध्यात्मिक कल्पना आदि सबके कारण उसी प्रकारके ध्येयकी कल्पना सूझना स्वाभाविक रहा होगा। परन्तु कालान्तरमें इन सब बातोंमें परिवर्तन होने पर भी अगर हम उसी कल्पना और उसी ध्येयको पकड़े रखे और उसके दुष्परिणाम भोगते रहे, तो यही कहना होगा कि आजकी स्थितिसे हमारा उद्धार होनेकी कोई आगा नहीं है।

सामूहिक हित ही एकमात्र ध्येय

इसलिए अगर हमें सचमुच ऐसा लगता हो कि यह स्थिति अवनत और गोचनीय है, तो उसे बदलनेका हमें निश्चयपूर्वक प्रयत्न करना चाहिये। इसके लिए हमें कोई उदात्त और योग्य ध्येय स्वीकार करना चाहिये। इसके सिवा कोई चारा नहीं है। हम मनुष्य हैं, और यदि मनुष्यकी तरह हमें जीना है, तो यह बात पहले हमारे हृदयमें पूरी तरह जम जानी चाहिये कि मानव-सद्गुणोंसे युक्त हुए विना हम ऐसा कभी नहीं कर सकेंगे। मनुष्य अकेला रहनेवाला प्राणी नहीं है, परन्तु समूहमें और एक-दूसरेके साहचर्यमें रहनेवाला है। इसलिए व्यक्तिगत कल्याण या हितकी कल्पनाको ही हमें दोपास्पद मानना चाहिये। हमें निश्चयपूर्वक समझ लेना चाहिये कि अकेले व्यक्तिका हित वास्तवमें हित ही नहीं है, वल्कि एक व्यक्तिकी स्वार्थपूर्ण क्षुद्र या महान अभिलापा ही है, और उससे आज नहीं तो कल सामूहिक

दृष्टिसे हानि हुए बिना नहीं रहेगी। किसी एक व्यक्तिको प्राप्त हुए धन, विद्या और सत्ताका उपयोग सबके हितमे किया जाय, तभी उसका सद्गुणयोग या धर्म्य उपयोग हुआ ऐसा समझना चाहिये। सब तरहसे और सब दृष्टियोसे सामाजिक बने बिना हममे मानवता नहीं आयेगी। जिससे मानव-मात्रका कल्याण होता हो वही हमारा धर्म है। मानव-मात्रमे हम भी आ ही जाते हैं। हममे यह श्रद्धा होनी चाहिये कि हमारा धर्म हमारा अहित न करेगा, बल्कि सबके माथ हमारा भी हित ही करेगा। मानव-सद्गुणो पर ही मनुष्यका — हम सबका — जीवन चल रहा है। जहा जहा हमे सद्गुणोकी कमी दिखाई देती है वही दुखका प्रसंग आता है, फिर भले वह सद्गुणोकी कमी हमारी अपनी हो या दूसरोकी हो। उस कमीसे हम या दूसरे अवश्य दुखी होगे। इसलिए यदि हम सब सुखी होना चाहते हैं, तो हम सबको अवश्य सद्गुणी बनना चाहिये। यह बात हमे दृढ़तारे माननी चाहिये और उस दिगामे हमारा सतत प्रयत्न होना चाहिये। हम समाजकी एक इकाई है और हम सबको मिलाकर ही समाज बना है। हम सबके अच्छे-वुरे व्यवहारो, इच्छाओं और भावनाओंका परिणाम हम सब पर होता ही रहता है। इस ससारमे वह नियम नहीं है कि हर व्यक्तिके हर कर्मका अच्छा-वुरा नतीजा केवल उसे ही भोगना पड़े। हम ऐक्यके सामाजिक सम्बन्ध और न्यायसे इस तरह वधे हुए हैं कि हम सबके कर्मोंका फल हम सबको भुगतना पड़ता है। अस्वच्छता और अव्यवस्थितता दोष हैं और उनके परिणाम रोगके रूपमे या दूसरी तरह सब मनुष्योंको भुगतने पड़ते हैं। मनुष्य समाज बनाकर एकत्र रहता है। ऐसी हालतमे हम अकेले स्वच्छ रहे या हम अकेले अपने घरको साफ रखें, तो उनमे हम वीमारियोंसे बच नहीं सकेंगे। हम, हमारा घर और नाय तो दूसरे लोग और हमारा गाव सब साफ न हो, तो उनमे पैदा होनेवाले रोगरूपी अनर्थमे हम बच नहीं सकते। गावमे मानवारी फैल जाने पर उसके दुष्परिणाम सभीको भोगने पड़ते हैं। उन्हा यह प्रश्निका नियम है वैमा ही नियम मनुष्यके दूसरे अव्यवहारों भी

है। मनुष्यको विचार करके एक-दूसरेके साथके मानव-सम्बन्धो, कर्मों और उनके परिणामोंके नियम खोजने चाहिये; कार्य-कारण-भावकी जाच करनी चाहिये। ऐसा करने पर उसे यह विवास हो जायगा कि हम सब एक-दूसरेके कर्मोंसे बधे हुए हैं। आज भी समाजमें जो बड़े बड़े झगड़े होते हैं, उन्हें पैदा करनेवाले कौन है? और उनके अतिग्रथ दुखद परिणाम किन्हें भोगने पड़ते हैं? युद्ध कौन निर्माण करते हैं और उनमें प्राणों तकका सर्वनाश किनका होता है? इन सब वातोंका विचार करने पर मालूम होता है कि कर्मका परिणाम केवल कर्म करनेवालेको ही नहीं भोगना पड़ता, परन्तु एकके कर्मोंका परिणाम दूसरेको, अनेकोंको अथवा सबके कर्मोंका परिणाम सबको भुगतना पड़ता है। दुनियामें यही व्यवस्था या न्याय प्रचलित है। परन्तु जीवनका व्यक्तिगत व्येय एक बार हमने श्रद्धापूर्वक मान लिया है, इसलिए उसे छोड़कर हम नई दृष्टिसे विचार करनेको तैयार नहीं होते। दुनियामें जो न्याय प्रत्यक्ष चल रहा है उस पर ध्यान न देकर पूर्वजन्म और पुनर्जन्मकी कल्पनासे कर्मवादका आश्रय लेकर अपनी पूर्वश्रद्धा कायम रखनेका प्रयत्न हम करते आय हैं। परन्तु व्यक्तिगत व्येयकी कल्पनासे आज तक हमारा जो अहित हुआ है और उस कल्पनाके कारण वने हुए हमारे एकाग्री स्वभावके फलस्वरूप आज भी हमारा और हमारे समाजका जो अहित हो रहा है, उसे ध्यानमें रखकर हमें समाज, राष्ट्र, मानव-जाति आदि सबके हितकी दृष्टिसे अपने व्येयका विचार करनेकी जरूरत है।

सद्गुण-सम्पन्नतामें अत्मत्वका विकास

किसी भी प्रचलित धर्मकी योग्यता इस वातसे निश्चित करनी चाहिये कि उसमें सद्गुणोंको कितना महत्त्व दिया गया है। सद्गुणोंके विना वर्म नहीं है। सद्गुणोंके विना मानवता नहीं है। वर्मकी योग्यता परमेश्वरकी शरणमें जानेकी उसमें वताई गई पढ़ति परसे, ईश्वरकी आश्रयना करनेके कर्मकाड़ परसे, उसमें की गई पाप-मुण्यकी नूट्य समीक्षा परसे, मरणोत्तर मिलनेवाली गति-सम्बन्धी कल्पना परसे या उसकी लोकसत्त्वा परसे नहीं ठहराई जानी चाहिये, परन्तु इस

वात परसे ठहराई जानी चाहिये कि उसमे सद्गुणोंका, सयमका और मानवताका कितना महत्व सिखाया गया है। मनुष्यको जीवन-भर प्रयत्न और कष्ट सहन करके अपना 'आत्मत्व' विकसित करना है और यही मनुष्य-जन्मकी परम सिद्धि है। धारण किये हुए शरीरमे ही सारा 'आत्मत्व' है, यह मानकर उसकी हर तरहसे रक्षा करनेका प्राणिमात्रका स्वभाव होता है; परन्तु सब जगह आत्मभाव और सम्भाव देखना, अनुभव करना और उसके अनुसार आचरण करना सिर्फ मनुष्यको ही कभी न कभी सिद्ध हो सकता है। जिस आचरणसे यह सिद्धि प्राप्त हो सकती है, उसीको मानव-धर्म कहा जा सकता है। मानव-धर्मका आधार समताके आचरण पर है। जितनी मात्रामे यह समता हमारे आचरणमे आयेगी, उतनी ही मात्रामे हममे मानवता प्रकट होगी और उतनी ही मात्रामे हमारा 'आत्मभाव' व्यापक बनेगा। हमारी धर्मवृद्धिके परिणाम-स्वरूप हमारा 'आत्मत्व' कमसे कम मानव-जाति और हमारे सहवासी प्राणियों तक तो व्यापक होना ही चाहिये। इस आत्मत्वको विशाल बनानेके लिए और अपनेमें समभावका विकास करनेके लिए हमे सद्गुणोंका अनुशीलन करना चाहिये। सद्गुणोंके बिना समभाव नहीं आयेगा और टिकेगा भी नहीं। दया, मैत्री, व्यवुत्ता, वात्सल्य, सत्य, प्रामाणिकता, उदारता, क्षमा, परोपकार आदि सद्गुणोंसे समभाव पैदा होता है और बढ़ता है। सद्गुण सद्गुणोंके सहारे ही बढ़ सकते हैं या टिक सकते हैं। इसलिए मनुष्यको अनेक गुणोंका आसरा लेना पड़ता है। सब गुणोंकी उपासनाके बिना मानवता आ नहीं सकती। दया, मैत्री आदि गुण सयम, त्याग, वैराग्य, निर्भयता और निःस्पृहता आदि सद्गुणोंके बिना टिक नहीं सकेंगे। प्रेमभावके बिना सद्गुणोंमे माधुर्य नहीं आयेगा। इसलिए तमाम सद्गुणोंको हमे अपने हृदयमे आश्रय देकर उनका विकास करना चाहिये।

मानवताका प्रारम्भ विवेक और चित्तशुद्धिके प्रयत्नरों होता है और अन्त सद्गुणोंकी परिसीमामे होता है। चित्तशुद्धिके लिए नयमकी आवश्यकता है और सद्गुणोंकी परिसीमाके लिए पुरुषार्थकी आवश्यकता

है। मानव-सद्गुणोमे किस गुणकी कव, कहां और कितनी जरूरत है, इसका निर्णय करनेवाले विवेककी आवश्यकता जीवनमे शुरूसे आखिर तक हमेशा रहती ही है।

विवेक, सयम, चित्तशुद्धि और पुरुपार्थ इन मुख्य साधनों द्वारा हमारा और समाजका कल्याण साधकर मानवताकी परम सिद्धि प्राप्त करना ही मानव-जीवनका ध्येय है।

गांधीजीकी कुछ विशिष्ट पुस्तकें

| | |
|--|------|
| अहिंसक समाजवादकी ओर | १.०० |
| अहिंसाका पहला प्रयोग | १.५० |
| आर्थिक और औद्योगिक जीवन - १ | ४.०० |
| कुदरती उपचार | ०.८० |
| खादी · क्यों और कैसे ? | २.०० |
| ग्राम-स्वराज्य | ३.०० |
| बापूकी कलमसे | २.५० |
| बापूके पत्र - २ सरदार वल्लभभाईके नाम | ३.०० |
| बापूके पत्र - ५ : कुमारी प्रेमावहन कटकके नाम | ४.०० |
| बुनियादी शिक्षा | १.५० |
| भगल-प्रभात | ०.३७ |
| मेरा धर्म | २.०० |
| मेरे सपनोंका भारत | २.५० |
| सत्यम् और सतति-नियमन | ३.०० |
| सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा | २.०० |
| सर्वोदय | २.०० |
| सहकारी आदोलन | ०.७५ |
| स्त्रिया और उनकी समस्यायें | १.०० |

नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद-१४